

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

**संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2021 की सं. 2**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2021 की सं. 2**

विषय-सूची

| विषय | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|----------|
| प्राक्कथन | | vii |
| विहंगावलोकन | | ix-xviii |
| अध्याय-I : प्रस्तावना | | |
| इस प्रतिवेदन के संबंध में | 1.1 | 1 |
| सीएजी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के प्रकार | 1.2 | 2 |
| लेखापरीक्षा का प्राधिकार | 1.3 | 2 |
| योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन | 1.4 | 3 |
| संघ सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों का प्रालेख तथा लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार | 1.5 | 3 |
| संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा | 1.6 | 5 |
| स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा | 1.7 | 7 |
| उपयोग प्रमाण-पत्र | 1.8 | 7 |
| केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब | 1.9 | 8 |
| प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.10 | 10 |
| लंबित एटीएन की स्थिति | 1.11 | 11 |
| आठ मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत | 1.12 | 12 |
| लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर | 1.13 | 13 |
| अध्याय-II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | | |
| ₹1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय | 2.1 | 15 |

| विषय | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई | | |
| ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माईक्रोस्कोप की गैर मरम्मत/प्रतिस्थापन के कारण ₹2.36 करोड़ का निष्फल व्यय | 2.2 | 18 |
| अध्याय-III : परमाणु ऊर्जा विभाग | | |
| प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर | | |
| विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की स्थापना न होना | 3.1 | 21 |
| सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम | | |
| पट्टा किराए की कम वसूली | 3.2 | 25 |
| राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर | | |
| उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान | 3.3 | 28 |
| अध्याय-IV : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | | |
| भारतीय खाद्य निगम | | |
| रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया जाना | 4.1 | 30 |
| प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण परिहार्य व्यय | 4.2 | 33 |
| अस्वीकार्य कैरी ओवर प्रभारों का भुगतान | 4.3 | 36 |
| जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय | | |
| राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम | | |
| ठेकेदारों को अनुचित लाभ | 4.4 | 39 |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | | |
| न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | | |
| कर्मचारियों को अस्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान | 4.5 | 46 |

| विषय | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (अब दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन) | | |
| डी.एन.एच. ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड | | |
| ऑनलाइन बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रेषण की प्राप्ति | 4.6 | 48 |
| अध्याय-V : विदेश मंत्रालय | | |
| पासपोर्ट सेवा परियोजना डिवीजन | | |
| सेवा प्रभारों की दर का गलत अनुप्रयोग अधिक भुगतान का कारण बना | 5.1 | 52 |
| दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय | | |
| अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि | 5.2 | 55 |
| भारतीय उच्च आयोग, लंदन | | |
| क्षतिपूर्ति की प्राप्ति एवं उपयोग में अनियमितताएं | 5.3 | 57 |
| भारत भवन, लंदन में तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य का अत्यंत अनियमित तथा चालाकी से कार्य का सौंपा जाना तथा निष्पादन ठेकेदार को अनुचित लाभ दिये जाने का कारण बना | 5.4 | 64 |
| नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर | | |
| ठेकेदार को प्रदान किया गया अनुचित लाभ | 5.5 | 73 |
| अध्याय-VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | |
| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान | 6.1 | 78 |
| अध्याय-VII : गृह मंत्रालय | | |
| लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक साइंस संस्थान नई दिल्ली | | |
| निधियों का गैर उपयोग तथा प्रत्याशित उद्देश्यों की अप्राप्ति | 7.1 | 80 |

| विषय | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिलासपुर | | |
| ₹1.10 करोड़ की बिजली पर परिहार्य अपव्यय | 7.2 | 82 |
| सीमा सुरक्षा बल | | |
| पीबीओआर को आवासन हेतु क्षतिपूर्ति के प्रति ₹0.69 करोड़ का अधिक भुगतान | 7.3 | 85 |
| अध्याय-VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) | | |
| तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान (संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक सीएबी सहित) | 8.1 | 87 |
| बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | | |
| फर्म को ₹2.44 करोड़ का अनुचित लाभ | 8.2 | 89 |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई | | |
| अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय | 8.3 | 92 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर | | |
| दिहाड़ी कामगारों को अस्वीकार्य भुगतान | 8.4 | 96 |
| सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआईटी, सूरत | | |
| एनआईटी अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण ₹74.25 लाख के राजस्व की परिहार्य हानि | 8.5 | 99 |
| उच्चतर शिक्षा विभाग | | |
| छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति | 8.6 | 101 |
| अध्याय-IX : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | | |
| सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता | | |
| कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान | 9.1 | 104 |
| अध्याय-X : ग्रामीण विकास मंत्रालय | | |
| स्रोत पर कर की गैर कटौती | 10.1 | 107 |

| विषय | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|--|-----------|-------|
| राज्य ग्रामीण विकास संस्थान | | |
| निधियों का अवरोधन | 10.2 | 108 |
| अध्याय-XI : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | |
| वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग | | |
| आई.टी. एप्लीकेशन सिस्टम 'वन सीएसआईआर' की कार्यक्षमता | 11.1 | 112 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | | |
| अनधिकृत ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की खरीद | 11.2 | 125 |
| अध्याय-XII : जनजातीय कार्य मंत्रालय | | |
| छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति | 12.1 | 127 |
| अध्याय-XIII : संघ शासित क्षेत्र | | |
| अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन | | |
| अपव्यय | 13.1 | 130 |
| चण्डीगढ़ प्रशासन | | |
| राजस्व का कम संग्रहण | 13.2 | 132 |
| दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (अब दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन) | | |
| जिला पंचायत, सिलवासा द्वारा फल वृक्षों के क्रय एवं वितरण में अनियमितता | 13.3 | 134 |
| आपूर्ति की जांच के बिना तथा यूटी प्रशासन के अनुमोदन एवं अनुमोदित बजट आबंटन के बिना "कर्ज आधार" पर ठेकेदार को अनियमित तथा अधिक भुगतान | 13.4 | 140 |
| लक्षद्वीप प्रशासन | | |
| निधियों की निष्क्रियता | 13.5 | 143 |

| विषय | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|--|-----------|-------|
| अध्याय-XIV : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय | | |
| अप्रयुक्त सहायता अनुदान की गैर वसूली | 14.1 | 147 |
| अनुलग्नक | 151-175 | |
| परिशिष्ट | 177-258 | |

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों सहित संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य एवं सामाजिक सेवाएं के अधीन उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। इस प्रतिवेदन में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है, से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ भी शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जोकि 2018-19 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे तथा वे जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी जहां कहीं आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक सेवाएं क्षेत्रों के अंतर्गत विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 64 सिविल अनुदानों के अंतर्गत तथा राजस्व, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और डाक मंत्रालयों/विभागों, को छोड़कर अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/निगमों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं।

इन 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय 2017-18 में ₹8,71,297 करोड़ से 0.47 प्रतिशत घटकर 2018-19 में ₹8,67,164 करोड़ हो गया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कोडल प्रावधानों तथा लागू नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन, परियोजना प्रबंधन में कमियों, खराब आंतरिक नियंत्रणों, वेतन और कार्मिक हकदारियों के निर्गम में अनियमितताएं तथा खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण देय राशियों की गैर वसूली अथवा गैर कर राजस्वों की हानि के साथ-साथ परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय के मामलों को उजागर किया जाता रहा है। लेखापरीक्षा में मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार की अनियमितताएं पायी गई हैं जो इन तैयार किए गए पैराग्राफों पर आंतरिक नियंत्रणों तथा बजट प्रबंधन की मौजूद प्रणाली को आगे और मजबूत करने की आवश्यकता के साथ-साथ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर तत्कालिक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सूचक था। कुछ मामलों में, संबंधित मंत्रालय/विभाग ने उत्तर दिया है जिसे उपयुक्त खंडन के साथ उचित प्रकार से शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/विभागों, विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/निगमों को समाविष्ट करते हुए ऐसी अनियमितताओं के ₹274.26 करोड़ के 43 निदर्शों

मामलें¹ अंतर्विष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य मामलों के श्रेणीवार सार निम्नलिखित है:

I. गैर कर राजस्व की हानि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने निविदा शर्तों के उल्लंघन में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करके एक निजी फर्म को अनुचित लाभ दिया, जिसका परिणाम ₹2.44 करोड़ के परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.2)

संघ शासित क्षेत्र-चण्डीगढ़ प्रशासन

मोटर वाहन विक्रेताओं को अस्थाई पंजीकरण संख्या निर्गत करने पर उनसे संशोधित दर के पंजीकरण शुल्क वसूलने में संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ का परिवहन विभाग विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.83 करोड़ की राशि का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.2)

II. वित्तीय प्रबंधन में कमियां

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न परिवहन की अभिप्रेत संचालन योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹35.96 करोड़ की राशि का रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया गया।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

¹ मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियों/प्रभावी वसूलियों के अंतर्गत पैरा 1.13 के अंतर्गत पांच मामले शामिल हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलुरु ने अपने कर्मचारियों के लिए हवाई टिकटों की खरीद मौजूदा आदेशों के तहत अधिकृत ट्रेवल एजेंटों के बजाय अन्य एजेंटों से की, जिससे ₹4.61 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने जून 2015 से फरवरी 2020 तक के दौरान पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण सेवा प्रदाता को पासपोर्ट सेवाओं हेतु ₹2.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

भारतीय उच्च आयोग (मिशन) ने निजी पार्टी को यह प्राधिकृत करते हुए अनियमित रूप से शामिल किया: (i) अपने निजी बैंक खाते में ₹78.41 लाख की सरकारी प्राप्तियों को प्राप्त करना एवं बनाए रखना और (ii) मिशन के अपने व्यय के लिए प्राप्तियों के बड़े हिस्से का वितरण करना।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

भारतीय उच्चायोग, लंदन द्वारा भारत भवन, लंदन के तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य को विदेश मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना जीबीपी 744,971 (लगभग ₹6.63 करोड़) की लागत पर प्रारंभ किया गया। कार्य को आरंभ में एक अयोग्य कंपनी को एक अनियमित तथा चालाकीपूर्ण निविदा प्रक्रिया द्वारा सौंपा गया जोकि बाद में उसी कंपनी को निविदा के बिना अतिरिक्त कार्य सौंपने के फलस्वरूप इसे अनुचित लाभ दिया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त कार्य को कपटपूर्ण संविदा दरों पर एक संबद्ध अयोग्य कंपनी को सौंपा गया, जोकि कार्य सौंपे जाने के तुरंत पूर्व निगमित हुई तथा भुगतान की प्राप्ति के पश्चात विघटित हो गई।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मार्च 2015 में ₹1.27 करोड़ की सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद भी हिमालयी क्षेत्र खेलों का आयोजन करने तथा असम राज्य सरकार से ₹62.44 लाख के ब्याज सहित अप्रयुक्त सहायता अनुदान की वसूली करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

III. योजना दिशानिर्देशों/अधिनियमों/नियमों तथा विनियमों की कमी/गैर अनुपालन

संघ शासित क्षेत्र-अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

एक हवाई क्षेत्र से 20 कि.मी. के घेरे के भीतर आने वाले कार्य स्थल, जहां ऊंचाई प्रतिबंध लागू थे, पर एक इमारत का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले, नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान संचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली 2015, के अनुसार, अनिवार्य 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने में विफलता का परिणाम ₹39.17 लाख का अपव्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.1)

संघ शासित क्षेत्र-दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव प्रशासन)

जिला पंचायत (डीपी), सिलवासा ने बजट शीर्ष '2515' योजनागत जीआईए में प्रावधान के बिना तथा यूटी प्रशासन द्वारा निधि, कार्य तथा कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी के बिना फल वृक्षों के क्रय पर ₹ तीन करोड़ का व्यय किया। आगे, डीपी सिलवासा ने निविदा को स्वीकृत करते समय तथा फल वृक्षों की आपूर्ति एवं वितरण हेतु भुगतान करते समय भी आपूर्तिकर्ता का समर्थन किया।

(पैराग्राफ सं. 13.3)

IV. परियोजना प्रबंधन में कमी

विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा बीओक्यू दर में रॉयल्टी को अनियमित रूप से शामिल किए जाने के कारण एक ठेकेदार को ₹0.76 करोड़ का अनियमित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है।

(पैराग्राफ सं. 5.5)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी नई इमारत के निर्माण के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात को दिसंबर 2012 में ₹2.90 करोड़ जारी किए परंतु वह उसके उपयोग का अनुवीक्षण करने में विफल रहा। निर्माण अभी भी प्रारम्भ किया जाना है तथा निधियां सात वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रही हैं।

(पैराग्राफ सं. 10.2)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित आई.टी. अप्लीकेशन सिस्टम 'वन सीएसआईआर' में अनेक प्रक्रियाओं के गैर कार्यान्वयन के लिए अग्रणी कुछ मॉड्यूलों की अनुपलब्धता और इनपुट नियंत्रणों एवं वैधता जांच की कमी के कारण इसकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा सका जिसने डेटाबेस को अपूर्ण और अविश्वसनीय बनाया।

(पैराग्राफ सं. 11.1)

V. उपकरण/इमारतों/अवसंरचना का व्यर्थ रहना

परमाणु ऊर्जा विभाग

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर ने दो विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की खरीद, उनकी स्थापना हेतु कार्य-स्थल की पहचान किए बिना की थी। सात वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी मशीनों को स्थापित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.29 करोड़ का धन निष्क्रिय हो गया।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई में प्रदत्त ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (टीइएम) का परिणाम ₹2.36 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि माइक्रोस्कोप में खामियों को आपूर्तिकर्ता द्वारा सात वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के पश्चात भी सुधारा नहीं गया था।

(पैराग्राफ सं. 2.2)

गृह मंत्रालय

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक साइंस संस्थान, नई दिल्ली ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चेयर प्रोफेसर के पद को नहीं भर सका था जिससे उस पद के सृजन का उद्देश्य विफल हुआ जिसमें समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली समकालीन समस्याओं की जानकारी देनी थी तथा अपराध कटौती तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु समाधान प्रदान करना था। चेयर को स्थापित करने के लिए कोर्पस के रूप में प्रदान की गई निधि ब्याज सहित कुल ₹4.28 करोड़ गैर उपयोगिता के कारण अवरूद्ध रही।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए) ने परियोजनाओं के लिए वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले तथा प्रारम्भिक कदम उठाए बिना कुल ₹1.15 करोड़ की निधियों को अनियमित रूप से जारी किया। वह इन निधियों के उपयोग के साथ साथ परियोजनाएं, जिनके लिए निधियां जारी की गई थीं,

की प्रगति का भी अनुवीक्षण करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कुल ₹1.15 करोड़ की निधियां अनुपयोगी रही तथा इसे एलपीडब्ल्यूडी के पास रखा जिसका परिणाम निधियों के दस वर्षों से अधिक समय के लिए निष्क्रिय रहने में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.5)

VI. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

परमाणु ऊर्जा विभाग

मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार लाइसेंस शुल्क के गैर संशोधन और सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम द्वारा समाप्त हुए पट्टा करारों के गैर नवीनीकरण के परिणामस्वरूप, ₹3.75 करोड़ के पट्टा किराए की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.2)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत शामिल नहीं योजनाओं के संबंध में अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन के कारण से डीबीटी संव्यवहारों हेतु ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

आईआईटी-बी विक्रेता को आईआईटी-बी में एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु संचालन की विकेंद्रित पद्धति की अपनी आवश्यकता को प्रभावी रूप से सूचित करने में विफल रहा तथा विक्रेता द्वारा सुझाव दिए गए ईआरपी समाधान को एक स्पष्ट परिभाषा कि क्या परियोजना अपरिहार्य है, के बिना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जिससे अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.3)

दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन)

डीएनएच ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड

ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा प्रदाता द्वारा 36 दिनों से 241 दिनों की अवधि हेतु ₹94.19 करोड़ के प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.6)

जिला पंचायत (डीपी), सिलवासा ने एक आपूर्तिकर्ता को, बिना किसी आपूर्ति आदेश तथा आपूर्ति हेतु उच्च निविदा दरों के लिए किसी भी अनुमोदन के बिना तथा बजट के अंतर्गत निधियों के आबंटन के बिना, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹1.98 करोड़ का भुगतान किया। विधिवत् अनुमोदनों तथा आबंटनों के अभाव में भुगतान करने के मानदण्डों को अनदेखा किया गया था तथा भुगतान को अन्य विभाग के अर्जित “ब्याज” से एक कर्ज के रूप में जारी किया गया था। इसका परिणाम ऐसे भुगतान में भी हुआ जो विभाग की अनुमोदित दरों से ₹18.23 लाख अधिक था।

(पैराग्राफ सं. 13.4)

VII. वेतन तथा कर्मचारी पात्रताओं में अनियमितताएं

परमाणु ऊर्जा विभाग

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर ने अपने कर्मचारियों को उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान ₹2.80 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.3)

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ते के रूप में ₹5.42 करोड़ का भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 4.5)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

13 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान किए जिसका परिणाम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान कुल ₹6.08 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.1)

विदेश मंत्रालय

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों द्वारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना की गई थी। एसएयू अधिनियम के अंतर्गत, अध्यक्ष तथा अन्य संकाय सदस्यों को उनके वेतन के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 15 जनवरी 2009 को विदेश मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कर छूट के योग्य बनाते हुए एक अधिसूचना जारी की जोकि एसएयू अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी। कुलसचिव को आयकर में प्रदान की गई अनियमित छूट का परिणाम सरकारी राजकोष को ₹90.06 लाख की हानि के रूप में रहा।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

VIII. स्वायत्त निकायों/विभागों/निगमों द्वारा परिहार्य भुगतान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की समय पर एक उपयुक्त आरक्षित कीमत निर्धारित करने में विफलता तथा जलयान मत्स्य सुगंधी की निपटान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब का परिणाम ₹1.14 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। निपटान में विलम्ब जलयान के मूल्यहास होने के कारण मंत्रालय को जलयान की कम कीमत प्राप्त होने का कारण भी बना।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

भारतीय खाद्य निगम

प्रचालन अनिवार्यताओं के बावजूद तदर्थ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की एजेंसियों को अग्रेषित प्रभारों के प्रति पर ₹20.69 करोड़ का परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.2)

अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं तथा पर्यावरण क्षेत्रों के अधीन उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन को निम्नानुसार 14 अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया है:

- अध्याय 1, प्राधिकार, लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र, लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा सीमा को स्पष्ट करने के साथ सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं तथा पर्यावरण क्षेत्रों के अधीन संघ के मंत्रालयों/विभागों के भी पिछले तीन वर्षों के व्यय, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण में विलंब, ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति सरकार का उत्तर तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।
- अध्याय 2 से 12 तथा 14 में सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों/निगमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं, जिसमें 2018-19 तक लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणाम से उत्पन्न 59 सिविल अनुदानों सम्मिलित हैं।
- अध्याय 13 में 2018-19 तक पांच अनुदानों को सम्मिलित करते हुए लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1.2 सीएजी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा अर्थात् वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा करता है। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के सेट पर लेखापरीक्षा राय की एक अभिव्यक्ति है जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करना चाहती है कि कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता के संबंध में कैसे कार्यान्वित किया गया था। लेखापरीक्षित इकाई के, भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों के अनुपालन की जांच करके तथा उन पर रिपोर्ट करके व्यय, प्राप्तियों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच को अनुपालन लेखापरीक्षा संदर्भित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों एवं अनुदेशों की उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा व्यवहारकुशलता की जांच भी शामिल है।

सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षाएं की जाती हैं। ये मानक मानदण्डों को निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा करने में अनुपालन करना अपेक्षित है तथा उन्हें गैर अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन खामियों पर रिपोर्ट करना अपेक्षित है जो लेखापरीक्षित इकाईयों के वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वे कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां व प्रक्रियाएं तैयार करने में समर्थ बनाएगा जो संगठनों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जाएगा तथा बेहतर शासन में सहयोग देगा।

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त किया गया है। सीएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 13 तथा 17 के अधीन करता है। संसद द्वारा अथवा तैयार की गई विधि के अधीन स्थापित निकायों तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने वाले को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु लिया जाता

है। अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में सीएजी को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी), जो भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है।

1.4 योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अतिरिक्त जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाता है। जोखिम निर्धारण में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, धोखा, दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के पिछले उदाहरणों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल हैं। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालन सलाह, जहां कहीं आवश्यक, की कार्रवाई के साथ निपटान किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव से प्रत्युत्तरों की मांग के पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.5 संघ सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों का प्रालेख तथा लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार

2018-19 में 95¹ सिविल अनुदानों तथा 2017-18 में 96 सिविल अनुदानों को शामिल करके मार्च 2019 को सभी संघ मंत्रालयों/विभागों के सकल प्रावधान तथा व्यय तालिका सं. 1 में दिए गए हैं:

¹ इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), दिल्ली तथा पुदुचेरी को अंतरण (2), वैज्ञानिक विभाग (9) तथा केन्द्रीय प्राप्ति (3) शामिल हैं।

तालिका सं. 1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

| संवितरण की प्रकृति | 2017-18 | | | 2018-19 | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | सकल प्रावधान | सकल व्यय | बचत (-) आधिक्य (+) | सकल प्रावधान | सकल व्यय | बचत (-) आधिक्य (+) |
| राजस्व (प्रभारित) | 652480 | 641217 | (-) 11263 | 715647 | 695459 | (-) 20188 |
| राजस्व (दत्तमत) | 1480913 | 1322124 | (-) 158789 | 1627514 | 1384062 | (-) 243452 |
| पूंजीगत (प्रभारित) | 5799508 | 5890670 | (+) 91162 | 6215711 | 6088920 | (-) 126791 |
| पूंजीगत (दत्तमत) | 353322 | 326541 | (-) 26781 | 420572 | 358890 | (-) 61682 |
| कुल | 8286223 | 8180552 | (-) 105671 | 8979444 | 8527331 | (-) 452113 |

*2017-18 में ₹105671 करोड़ की कुल बचत ₹196834 करोड़ की सकल बचत तथा ₹91162 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। 2018-19, में, कुल बचत ₹452113 करोड़ थी।

2017-18 तथा 2018-19 में कर तथा गैरकर राजस्वों के विवरण तालिका सं. 2 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 2: कर तथा गैरकर राजस्वों के विवरण

(₹ करोड़ में)

| राजस्व | | |
|--------------|---------|---------|
| | 2017-18 | 2018-19 |
| कर राजस्व | 1246178 | 1319011 |
| गैरकर राजस्व | 441383 | 486388 |

इसमें विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

37 मंत्रालयों/विभागों (सिविल एवं वैज्ञानिक) द्वारा 2016-17 से 2018-19 के दौरान किया गया सकल व्यय को तालिका सं. 3 में दर्शाया गया है तथा ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

तालिका सं. 3: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

| अवधि | राशि |
|---------|-----------|
| 2016-17 | 738280.02 |
| 2017-18 | 871296.68 |
| 2018-19 | 867163.77 |

1.6 संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा

भारत के संविधान की पहली अनुसूची के भाग-11 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र² (यूटी) हैं जैसे अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी के सिवाए, इन यूटी में विधानमण्डल नहीं हैं।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत, यूटी के कानूनी मामलों, वित्त एवं बजट एवं सेवाओं के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए), नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक यूटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन कार्य करता है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में उप-राज्यपाल प्रशासक के रूप में पदनामित है जबकि पंजाब का राज्यपाल, चण्डीगढ़ का प्रशासक है। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के लिए भी प्रशासकों की पृथक रूप से नियुक्ति की जाती है। इन यूटी में प्रशासक के सलाहकार परिषद प्रशासकों को सलाह देता है। इन यूटी में गृह मंत्री की 'सलाहकार समितियां', यूटी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास से संबंधित सामान्य मुद्दों का समाधान करती है। द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप यूटी से संबंधित उच्च स्तरीय निर्णयों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है। संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में बजट प्रावधान एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संसद के अनुमोदनार्थ इन यूटी से संबंधित अनुदान मांग एवं विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) एमएचए, तैयार करता है। जबकि इन यूटी का सामान्य प्रशासन का उत्तरदायित्व एमएचए का है फिर भी संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग, जब तक वह इन क्षेत्रों के संबंध में मौजूद है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 तथा 11 में उल्लिखित विषय के तहत इन्हें निधि देते हैं। इस प्रकार, डीडीजी में इन मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित गतिविधियों पर, इन यूटी पर व्यय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के प्रस्ताव भी शामिल है। यूटी के प्रशासकों को योजनागत योजनाओं की संस्वीकृति हेतु एमएचए द्वारा एक निश्चित सीमा तक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

² अब आठ संघ शासित क्षेत्र हैं यानी अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जम्मू व कश्मीर (9 अगस्त 2019 से प्रभावी), लद्दाख (9 अगस्त 2019 से प्रभावी), लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी।

1.6.1 यूटी में प्रावधान तथा व्यय

वर्ष 2018-19 में पाँच यूटी में बजट आबंटन तथा व्यय के ब्यौरे तालिका सं. 4 में दिए गए हैं:-

तालिका सं. 4: बजट आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

| संघ शासित क्षेत्र का नाम | कुल अनुदान/विनियोग | | वास्तविक व्यय | | बचत (प्रतिशत) | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | | पूँजीगत | |
| | | | | | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत |
| अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 4185.53 | 600.94 | 4180.53 | 473.37 | 5.00 | 0.12 | 127.57 | 21.23 |
| चण्डीगढ़ | 4031.55 | 505.12 | 3946.12 | 483.95 | 85.43 | 2.12 | 21.17 | 4.19 |
| दादरा एवं नगर हवेली | 822.86 | 318.35 | 820.48 | 263.72 | 2.38 | 0.29 | 54.63 | 17.16 |
| दमन एवं दीव | 1364.09 | 323.45 | 1321.12 | 323.41 | 42.97 | 3.15 | 0.04 | 0.01 |
| लक्षद्वीप | 1130.64 | 266.71 | 1094.12 | 153.45 | 36.52 | 3.23 | 113.26 | 42.46 |
| कुल | 11534.67 | 2014.57 | 11362.37 | 1697.89 | 172.30 | 1.49 | 316.68 | 15.72 |

स्रोत: संघ सरकार-विनियोग लेखे (सिविल) 2018-19

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनामी पुनर्निर्माण परियोजनाओं में लंबित मध्यस्थता मामलों, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य की संस्वीकृति तथा निष्पादन में विलम्ब, कार निकोबार में निकर्षण कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण पूँजीगत वर्ग के अंतर्गत बचतें हुई।

चण्डीगढ़ में, पदों को न भरने, पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने तथा नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव न कराने के कारण बचतें हुई।

दमन एवं दीव में, राजस्व वर्ग के अंतर्गत बड़ी बचतें मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, किए गए कम दौरों तथा पिछले वर्ष के अव्यापित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

दादरा एवं नगर हवेली में, मुख्यतः कला केन्द्र फेस-II, आंगनवाड़ी केन्द्रों के भूमि अधिग्रहण, सिलवासा में सडकों के सौंदर्यीकरण तथा मजबूती हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण पूँजीगत वर्ग में बड़ी बचतें हुई।

लक्षद्वीप में, मुख्यतः विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, विलवणीकरण संयंत्रों के निर्माण में विलम्ब, जहाजों के अधिग्रहण हेतु अनुमोदन में विलम्ब के कारण पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत बचतें हुई।

1.7 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14, 19(2) तथा 20(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार किये जाते हैं। 2018-19 के दौरान इन एबी को कुल ₹52337.24 करोड़ के कुल अनुदान जारी किये गए जिसमें पिछले वर्ष की अव्ययित अनुदान शामिल है। विवरण **परिशिष्ट- II** में दिए गए हैं।

1.8 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 14 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2018 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹37182.21 करोड़ की राशि के कुल 92620 उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी), जो वित्तीय वर्ष, जिसमें अनुदान जारी किए गए थे, के 12 माह पश्चात लंबित थे जैसा ब्यौरा **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

उपयोग प्रमाण पत्रों की लम्बित अवधि को **तालिका सं. 5** में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 5: यूसी के लम्बित रहने की अवधि

(₹ करोड़ में)

| अवधि | यूसी की सं. | राशि |
|---------------|--------------|-----------------|
| मार्च 2012 तक | 38586 | 12289.28 |
| 2012-17 | 40741 | 20759.63 |
| 2017-18 | 13293 | 4133.30 |
| कुल | 92620 | 37182.21 |

इतनी लम्बी अवधि के लिए उपयोग प्रमाण पत्रों को लम्बित रखना प्रमाणपत्रों के मुख्य उद्देश्य को विफल करती है। जीएफआर नियम का 238 में निर्धारित प्रक्रिया कि पूर्व अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति से पहले संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए, को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

पांच मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2019 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे तालिका सं. 6 में दी गई है:

तालिका सं. 6: 31 मार्च 2019 तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु | |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | संख्या | राशि |
| 1. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 46050 | 9618.19 |
| 2. | जनजातिय कार्य मंत्रालय | 459 | 1572.02 |
| 3. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 2013 | 624.25 |
| 4. | संस्कृति मंत्रालय | 4315 | 571.66 |
| 5. | परमाणु ऊर्जा | 1897 | 211.33 |
| कुल | | 54734 | 12597.45 |


1.9 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5^{वीं} लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, तीन माह की अवधि के अंदर अपने लेखों को पूर्ण कर लेना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

ए) लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष 2017-18 के लिए 462 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जानी थी। इनमें से, 215 सीएबी के लेखे देय तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये थे, जैसा कि चार्ट सं. 1 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं. 1: लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब



सीएबी, जिनके लेखे दिसम्बर 2018 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे, के विवरण परिशिष्ट-IV में दिये गये हैं।

बी) संसद को लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

30 सितम्बर 2020 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति नीचे तालिका सं. 7 में दी गई है:

तालिका सं. 7: संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति की स्थिति

| लेखे का वर्ष | निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद को प्रस्तुत नहीं किये गये | देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या |
|--------------|---|---|
| 2012-13 | 02 | - |
| 2013-14 | 01 | - |
| 2014-15 | 06 | - |
| 2015-16 | 07 | - |
| 2016-17 | 14 | - |
| 2017-18 | 37 | 33 |

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, परिशिष्ट-V तथा परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं।

1.10 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित सीएबी का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2018-19 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण कमियां (ब्यौरे परिशिष्ट-VII में) निम्नानुसार हैं:


- (ए) 151 सीएबी की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (परिशिष्ट-VIII);
- (बी) 120 सीएबी की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-IX);
- (सी) 111 सीएबी की वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-X);
- (डी) 68 सीएबी प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों हेतु लेखांकन कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रपत्र के साथ संगतपूर्ण नहीं था (परिशिष्ट-XI);
- (ई) 161 सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया था (परिशिष्ट-XII);
- (एफ) आठ सीएबी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्य-ह्रास प्रदान नहीं किया गया था (परिशिष्ट-XIII); तथा
- (जी) 31 सीएबी ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (परिशिष्ट-XIV)। संशोधन का प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं में ₹11.48 करोड़ तक की निवल कमी तथा अधिशेष में ₹13.06 करोड़ तक की निवल कमी तथा घाटे में ₹2.63 करोड़ तक की शुद्ध वृद्धि में हुआ।

1.11 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10^{वीं} लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर उपचारी कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी सेल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

मार्च 2018 को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल), में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में सितम्बर 2020 तक की स्थिति को चार्ट सं. 2 में प्रकट किया गया।

चार्ट सं. 2: एटीएन की संक्षिप्त स्थिति



41 पैराग्राफों में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 15 पैराग्राफों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 26 विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे परिशिष्ट-XV में दर्शाये गये हैं।

संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 12 एटीएन लम्बित थे जैसा परिशिष्ट- XVI में दिया गया है।

1.12 आठ मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1996-97 से संबंधित 17^{वें} प्रतिवेदन के पैरा 14 में पाया है कि “सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान लगभग एक आवर्ती रूप बन गये हैं तथा स्थिति को अभी भी सुधारा जाना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रभावी सुधारात्मक उपाय लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं।” इस प्रकार, इस संबंध में पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सभी वित्तीय सलाहकारों से उन मामलों/योजनाओं, जिनमें बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान है, का एक पूर्ण अध्ययन करने तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिससे कि अनुदानों हेतु उनकी संबंधित मांगों में बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधानों की आवृत्ति से बचा जा सके।

2018-19 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित आठ मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें हुईं जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक हैं जैसा तालिका सं. 8 में ब्यौरा दिया गया है। बड़ी बचतें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की सूचक हैं। ऐसी बचतों ने न केवल खराब बजट को दर्शाया बल्कि यह करों आदि के माध्यम से संसाधनों का अनावश्यक प्रावधान करने को भी सूचित करती हैं तथा अर्थव्यवस्था के अन्य योग्य क्षेत्रों को संसाधनों से वंचित करती हैं।

तालिका सं. 8: ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंत्रालय | योजना | बजट अनुमान | वास्तविक व्यय | (-) बचतें | प्रतिशतता में बचतें |
|---------|---------------------------------------|---|------------|---------------|-----------|---------------------|
| 1. | कृषि | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) | 4,000.00 | 2,918.38 | -1,081.62 | 27.04 |
| 2. | मानव संसाधन विकास | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 4,213.00 | 3,399.40 | -813.60 | 19.31 |
| 3. | ग्रामीण विकास | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 9,975.00 | 8,418.47 | -1,556.53 | 15.60 |
| | | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) | 19,000.00 | 15,417.55 | -3,582.45 | 18.86 |
| 4. | पेय जल एवं स्वच्छता | राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन | 7,000.00 | 5,484.34 | -1,515.66 | 21.65 |
| | | स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण | 15,343.10 | 12,931.96 | -2,411.14 | 15.71 |
| 5. | कौशल विकास एवं उद्यमिता | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना | 3,071.00 | 2,502.89 | -568.11 | 18.50 |
| 6. | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण | राष्ट्रीय गंगा योजना तथा घाट निर्माण कार्य | 2,300.00 | 687.5 | -1,612.50 | 70.11 |

स्रोत: वर्ष 2018-19 हेतु बजट एक नजर में, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

1.13 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निदेश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनसे निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजें। संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय-II से XIV में प्रस्तुत 38 पैराग्राफों (दिसम्बर 2020 तक) में से 13 के उत्तर प्रेषित नहीं किए थे। 25 पैराग्राफ के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

कुल ₹89.30 करोड़ की राशि की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूली की गई है, जिसका तालिका सं. 9 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 9: वसूली के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ | वसूली गई राशि |
|---------|---|---|---------------|
| 1 | मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा मंत्रालय) मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) | लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपने किरायेदार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से जनवरी 2010 से दिसंबर 2016 तक बिजली एवं जल प्रभारों, सामान्य रखरखाव प्रभारों, सम्पत्ति कर तथा अन्य उद्ग्रहणों के कारण ₹2.01 करोड़ की वसूली की। | 2.01 |
| 2 | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | पीएसयू/सांविधिक निगमों के मामले में वसूली गई राशि। | 79.91 |
| 3 | परमाणु ऊर्जा विभाग | परिशिष्ट-XVII | 0.57 |
| 4 | विदेश मंत्रालय | ईओआई वाशिंगटन द्वारा निर्धारित नियमावली तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफलता गैर हकदार श्रेणी/गैर अनुमोदित मार्ग से हवाई किराए के भुगतान का कारण बनी। मिशन ने लेखापरीक्षा दृष्टांत पर ₹4.52 लाख (₹0.05 करोड़) की वसूली की है। | 0.05 |
| 5 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना में एआईआईएमएस, नई दिल्ली ने मैसर्स टाटा कंस्ट्रेंसी सर्विसेज लि. को भुगतान किए गए ₹6.76 करोड़ जीएसटी की वसूली की है। | 6.76 |
| | | कुल | 89.30 |

अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

2.1 ₹1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय

मंत्रालय की समय पर एक उपयुक्त आरक्षित कीमत निर्धारित करने में विफलता तथा जलयान *मत्स्य सुगंधी* की निपटान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब का परिणाम ₹1.14 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। निपटान में विलम्ब से जलयान के मूल्यहास होने के कारण मंत्रालय को जलयान की कम कीमत प्राप्त होने का कारण भी बना।

भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने अपने कोची बेस पर मत्स्य पालन प्रचालनों के परिनियोजन हेतु 1980 में अपने बेड़े में एक जलयान - *मत्स्य सुगंधी* - को शामिल किया। जनवरी 2007 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) ने, इएफसी की विवेचना के आधार पर, इस जलयान को विघटन हेतु पहचान किया। मई 2010 में, मंत्रालय ने जलयान के विघटन तथा निपटान अथवा अन्यथा पर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य जलयान के सभी पहलुओं की जांच हेतु एक तकनीकी समिति (टीसी) का गठन किया। टीसी ने जलयान की खराब हालत को देखते हुए तथा इस तथ्य के कारण कि मशीनरी पुरानी तथा गतावधिक थी जिससे इस पर कोई भी मरम्मत अलाभकारी तथा कठिन है, जलयान के विघटन की सिफारिश की (दिसंबर 2010)। उसने ₹70 लाख की आरक्षित कीमत की भी सिफारिश की। तदनुसार, अप्रैल 2011 में, मंत्रालय ने जलयान के विघटन तथा सिफारिश की गई आरक्षित कीमत पर इसके निपटान का अनुमोदन दिया।

जलयान के निपटान से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित प्रकट (अप्रैल 2019) किया:-

(ए) टीसी ने ₹70 लाख की आरक्षित कीमत की सिफारिश की (03 दिसंबर 2010) तथा अभिलेखित किया कि यह *मत्स्य विश्व* - एफएसआई का एक जलयान, जिसे 2009 में बेचा गया था, की विक्रय कीमत तथा एक परामर्श फर्म की निर्धारण रिपोर्ट पर आधारित थी। हालांकि उसने यह, इस पर विस्तार से नहीं बताया था कि ₹70 लाख की आरक्षित कीमत को प्राप्त करने

हेतु कैसे यह बेंचमार्क लागू किये गए थे क्योंकि अन्य जलयान की विक्रय कीमत (कर घटा कर) केवल ₹62.16 लाख थी। इसके अतिरिक्त, परामर्शी फर्म ने *मत्स्य-सुगंधी* की बाजार कीमत ₹52-54 लाख के बीच होना निर्धारित (सितम्बर 2010) की थी। तत्पश्चात, अगस्त 2011 से नवम्बर 2014 तक हुए नीलामी तथा ई-नीलामी के कई दौरों में भी नीलामी में केवल ₹23.28 लाख से ₹31.75 लाख की कीमत के साथ आरक्षित कीमत की आधा भी प्राप्त नहीं कर सकी थी। मई 2015 में, मंत्रालय ने टीसी के पुनर्गठन के साथ-साथ जलयान की आरक्षित कीमत की समीक्षा की। टीसी ने देरी से ही सही, 2010 में परामर्शदाता द्वारा किए गए मूल्यांकन को अपनाया तथा कम किए गए मूल्यांकन पर मूल्यहास के लेखांकन के पश्चात आरक्षित कीमत का ₹31 लाख तक नीचे की ओर संशोधन किया। तथापि, एमएसटीसी द्वारा कम की गई आरक्षित कीमत पर फरवरी 2016 से जुलाई 2016 तक की गई ई-नीलामी में सबसे अधिक प्राप्त बोली केवल ₹13 लाख की थी। बाद में, नवम्बर 2018 में एक अन्य टीसी ने चार वर्षों के मूल्यहास का समायोजन करने के पश्चात ₹16.18 लाख पर आरक्षित कीमत को पुनर्निर्धारित किया। जलयान को अंत में ₹17.76 लाख में बेचा गया (जून 2019)। यह दर्शाता है कि एफएसआई ने आरक्षित कीमत का निर्धारण करते समय किसी स्पष्टता तथा औचित्य के आधार पर कार्रवाई नहीं की थी। अगस्त 2011 से नवम्बर 2014 तक हुई नीलामी के दौरान कीमत का आरक्षित कीमत से काफी कम होने की बार-बार प्राप्ति तथा बोलीकर्ताओं से आरक्षित कीमत पर आपत्तियों के बावजूद भी एफएसआई/मंत्रालय ने मई 2015 तक आरक्षित कीमत की समीक्षा नहीं की थी। यह केवल 2019 में ही, जब आरक्षित कीमत को मूल कीमत से लगभग एक चौथाई तक कम कर दी गई थी, तभी एफएसआई जलयान का निपटान करने में समर्थ हुआ।

(बी) एफएसआई तथा मंत्रालय द्वारा टीसी के गठन, निपटान के लिए अनुमोदन, आरक्षित कीमत का निर्धारण एवं समीक्षा के संबंध में तथा विशिष्ट नीलामियों पर निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब था। इसे नीचे विस्तार से **तालिका सं. 1** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सं. 1: एफएसआई तथा मंत्रालय द्वारा असाधारण विलम्ब

| क्र.सं. | अवसर | विलम्ब |
|-------------------|---|----------------|
| 1. | उस समय जब 2007 में जलयान के विघटन हेतु पहचान की गई थी, से विघटन करने तक तथा आरक्षित कीमत को निर्धारित करने हेतु अनुमोदन | 51 माह |
| 2. | पहली एवं दूसरी निविदा (अगस्त 2011 से फरवरी 2013) | 18 माह |
| 3. | दूसरी तथा तीसरी निविदा (फरवरी 2013 से नवम्बर 2014) | 21 माह |
| 4. | तीसरी तथा चौथी निविदा (नवम्बर 2014 से फरवरी 2016) | 16 माह |
| 5. | टीसी का पुनर्गठन (सितंबर 2016 से मार्च 2019) | 30 माह |
| कुल विलम्ब | | 136 माह |

(सी) मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958, के अनुसार, जलयानों को उनके अंतिम निपटान तक सुरक्षित रूप से संचालित किया जाना था। अप्रैल 2012 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान एफएसआई ने विघटन किए गए जलयान के अनुरक्षण पर वेतन, ईंधन, कलपुर्जे आदि पर ₹1.14 करोड़ का व्यय किया। उपर्युक्त विलम्बों के संदर्भ में, जिसने व्यय में वृद्धि को बढ़ावा दिया, परिहार्य था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आरक्षित कीमत के निर्धारण तथा बोलियों के मूल्यांकन करते समय मंत्रालय ने जलयान का शीघ्रता से निपटान करके ऐसे व्यय से बचने या इसे कम करने की आवश्यकता पर अपर्याप्त विचार किया था।

मंत्रालय/एफएसआई ने अपने उत्तर (नवम्बर 2019) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उजागर किया है कि जलयान का अनुरक्षण तथा संचालन किया जाना अनिवार्य था जिससे कि जलयान को डूबने तथा बह जाने से बचाया जा सके तथा इसलिए इस कारण व्यय अपरिहार्य था, निम्न बोली कीमत गुटबंदी के कारण थी, तथा आरक्षित कीमत में कटौती जलयान की स्टील प्लेटों तथा सरंचना में जंग के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुरक्षण पर व्यय विधि के अनुसार अपेक्षित था, फिर भी इसे जलयान के निपटान की शीघ्र

कार्रवाई द्वारा कम किया जा सकता था। आगे, निम्न बोलियों के कारणों का विश्लेषण न तो अभिलेख में थे न ही संदिग्ध गुटबंदी का निपटान करने हेतु कोई कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, आरक्षित कीमतों का निर्धारण करने तथा बोली प्रक्रिया को संभालने के संबंध में मंत्रालय का समग्र दृष्टिकोण में कमियां थीं।

इस प्रकार, मंत्रालय/विभाग की सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात उपयुक्त आरक्षित कीमत का निर्धारण करने में विफलता, आरक्षित कीमत की समीक्षा एवं संशोधन करने में शीघ्र एवं सामयिक कार्रवाई करने की कमी तथा निर्णय लेने तथा निविदा प्रक्रिया में लम्बे विलम्ब का परिणाम जलयान के संचालन तथा उसके अनुरक्षण पर किए गए ₹1.14 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। निपटान में 12 वर्षों से अधिक समय का दीर्घकालीन विलम्ब मंत्रालय को काफी कम कीमत प्राप्त होने का भी कारण बना क्योंकि इसी बीच इसके प्रभाव में जलयान की कीमत रद्दी माल तक कम हो गयी थी।

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई

2.2 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप की गैर मरम्मत/प्रतिस्थापन के कारण ₹2.36 करोड़ का निष्फल व्यय

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई में प्रदत्त ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (टीइएम) का परिणाम ₹2.36 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि माइक्रोस्कोप में खामियों को आपूर्तिकर्ता द्वारा सात वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के पश्चात भी सुधारा नहीं गया था।

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान (सीआईएफई) (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान) ने अपने भारतीय ऐजेंट मैसर्स फॉरवीजन इन्स्ट्रूमेन्ट प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (ऐजेंट) के माध्यम से मैसर्स हीताची हाई-टेक्नोलोजिस, सिंगापुर (आपूर्तिकर्ता) को ₹3.03 करोड़ जपानी येन (जेपीवाई) की लागत पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (टीइएम) के प्रापण हेतु क्रय आदेश दिया (मार्च 2011)। आपूर्तिकर्ता ने प्रतिभूति जमा के प्रति ₹30.25 लाख जेपीवाई की बैंक गारंटी (16 नवम्बर 2011 से 15 अप्रैल 2013 तक वैध) प्रस्तुत की तथा सीआईएफई ने आपूर्तिकर्ता को ₹1.94 करोड़ का भुगतान किया

(दिसंबर 2011)। आपूर्तिकर्ता ने फरवरी 2012 में टीईएम की सुपुर्दिगी की जिसे ऐजेंट के पर्यवेक्षण में सीआईएफई में लगाया गया (अगस्त 2012) था। उपकरण की खरीद तथा संस्थापन पर किया गया कुल व्यय ₹2.36 करोड़ था।

सीआईएफई ने ऐजेंट को शिकायत (दिसंबर 2012 तथा जनवरी 2013) की कि टीईएम के ऊतक वर्गों से की कोई छवि प्राप्त नहीं हो रही थी तथा मशीन केवल एक नोट उत्पन्न कर रही थी कि सीसीडी कैमरा साफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसने यह भी सूचित किया कि उपकरण के कुछ पूर्जों में जंग लग रहा था। बैटरी तथा कैमरे में भी समस्याएं आने लगी जैसा लॉग बुक में दर्शाया (अक्टूबर तथा दिसंबर 2012) गया था। यद्यपि ऐजेंट की ओर से इंजीनियरों के साथ आपूर्तिकर्ता की ओर से क्रय प्रबंधक ने सीआईएफई का दौरा (मार्च-अप्रैल 2013) किया था, फिर भी टीईएम में समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सका था। कैमरा उत्पादक के इंजीनियर ने भी सीआईएफई का दौरा (मई 2013) किया था और कैमरे को मरम्मत के लिए यूएसए भेजा (अक्टूबर 2013)। कैमरे की मरम्मत के पश्चात टीईएम में इसको दोबारा लगाने (फरवरी 2014) के दौरान ईवीएसी प्रणाली में असफलता पाई गयी थी। संयुक्त बैठक (मई 2014) में ऐजेंट क्षत-विक्षत/क्षतिग्रस्त हुए भागों को प्रतिस्थापित करने तथा छः महीनों के भीतर अर्थात् नवम्बर 2014 तक टीईएम को चालू करने को सहमत हुआ।

महाप्रबंधक ने आपूर्तिकर्ता से एक इंजीनियर के साथ मशीन का निरीक्षण किया (अगस्त-सितम्बर 2014) तथा समस्याओं की पहचान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) टीईएम कक्ष में अधिक नमी (30-60 प्रतिशत की सिफारिश की गई रेंज के प्रति 80 प्रतिशत), (ii) रात को उच्च तापमान (अपेक्षित 15-23 डिग्री के प्रति 30 डिग्री), (iii) टीईएम कक्ष में प्रतिक्रियाशील गैस/रसायनों के अंतः प्रवेश आदि। लेखापरीक्षा ने सीआईएफई की बैठकों के कार्यवृत्त तथा पत्राचारों से पाया कि ऐजेंट तथा आपूर्तिकर्ता की ओर से इंजीनियरों ने कई बार टीईएम की जांच की थी परंतु सितंबर 2014 तक (अर्थात् शिकायत से डेढ़ वर्ष के पश्चात) भी उपर्युक्त समस्याओं की पहचान नहीं कर सके थे। लंबे पत्राचार के पश्चात ऐजेंट जापान में आपूर्तिकर्ता की फैक्टरी में मुफ्त में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत/प्रतिस्थापित करने तथा इसे चालू करने को सहमत हुआ

(मार्च 2017)। तथापि, टीईएम की न तो मरम्मत की गई थी और न ही इसे ऐजेंट द्वारा लिया गया था (मार्च 2019)।

इस प्रकार, मशीन को गैर क्रियात्मक सूचित किए जाने के 76 महीनों से अधिक समय के पश्चात भी आपूर्तिकर्ता अथवा इसका ऐजेंट टीईएम की मरम्मत/प्रतिस्थापन कर नहीं सका था (मार्च 2019)। सीआईएफई प्रतिभूति जमा को जब्त करने, तथा कोई भी कानूनी कार्रवाई करने तथा फर्मों को काली सूची में डालने में भी विफल रहा। सीआईएफई की आपूर्तिकर्ता/ऐजेंट को राजी करने में विफलता का परिणाम ₹2.36 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2019) कि मामले को उपकरण के आपूर्तिकर्ता तथा ऐजेंट के साथ मरम्मत हेतु कई बार उठाया गया था परंतु आपूर्तिकर्ता/ऐजेंट द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि वे फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं तथा उन्होंने आपूर्तिकर्ता को सूचित (जून 2019) किया है कि वे फर्म को भारत में अपने उत्पादन को बेचने से काली सूची में डालने के लिए मामले को भारत सरकार के साथ उठाएंगे।

मामला अगस्त 2019 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

अध्याय III : परमाणु ऊर्जा विभाग

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर

3.1 विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की स्थापना न होना

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर ने दो विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की खरीद, उनकी स्थापना हेतु कार्य-स्थल की पहचान किए बिना की थी। सात वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी मशीनों को स्थापित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.29 करोड़ का धन निष्क्रिय हो गया।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के खरीद नियमावली के पैरा 27.15 में निर्धारित किया गया है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा किए जाने वाले स्थापना एवं कमीशनिंग से संबंधित संविदा में, कार्य-स्थल की व्यवस्था करना, साथ ही स्थापना एवं कमीशनिंग से संबंधित अन्य उपयोगिताओं को सहमत समय-सीमा के अंदर आपूर्तिकर्ता को प्रदान करना उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। नियमावली का पैरा 15.14 यह भी निर्धारित करता है कि मांग-पत्र अधिकारी को संविदा के तकनीकी मूल्यांकन के समय कार्य-स्थल की तैयारियों की स्थिति अभिलिखित करनी चाहिए।

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर (आई.पी.आर.), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के तहत एक स्वायत्त निकाय, ने मैसर्स पटेल एनालॉग एंड डिजिटल मेजरमेंट क. (प्रा.) लिमिटेड (पी.ए.डी.एम.सी.ओ.), पुणे के साथ प्रोटोटाइप मैग्नेट के लिए विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीन (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी.)¹ के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए ₹2.40 करोड़ के अलावा पैकिंग और अग्रेषण प्रभारों और करों (खरीद हेतु विभिन्न स्तरों पर देय²) की

¹ आई.पी.आर. के चुंबक विकास के लिए के XI योजना परियोजना में उपयोग हेतु उपकरण को परिकल्पित किया गया था। एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. का उपयोग अनियमित आकार के फ्यूजन ग्रेड चुंबकीय वाइंडिंग पैक बनाने के लिए एकल/दोहरे पैनकेक कॉइलो को चौड़ा करने हेतु किया जाना था।

² 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप में, डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन के संबंध में 10 प्रतिशत, इंजीनियरिंग विवरण आदि प्रदान करने के लिए 35 प्रतिशत; सभी आवश्यक इकाइयों के एकीकरण के बाद 25 प्रतिशत; और स्थापना, चालू करने और 10 प्रतिशत संविदा मूल्य के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) जमा करने पर मशीन के अंतिम स्वीकार्यता के बाद 20 प्रतिशत।

लागत पर एक संविदा में प्रवेश किया (अक्टूबर 2009)। अभिव्यक्ति जारी किए जाने के बाद (अक्टूबर 2008), मैसर्स पी.ए.डी.एम.सी.ओ. से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था एवं मूल्यांकन किया गया था और इसके बाद ठेकेदार को चयनित किया गया था।

संविदा की शर्तों के संदर्भ में, एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. को पहले अग्रिम प्राप्त होने की तिथि से 18 महीनों के अंदर आई.पी.आर. पर सुपुर्द किया जाना था और इसके प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर स्थापना एवं कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण करनी थी। मैसर्स पी.ए.डी.एम.सी.ओ. को पहला अग्रिम (नवंबर 2009) जारी किया गया था; इसके बाद मई 2011 तक एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. को सुपुर्द किया जाना था। आई.पी.आर. द्वारा सुझाए गए डिजाइन में बार-बार परिवर्तन करने के कारण कार्य में विलंब हुआ और अन्ततः दिसंबर 2012 में ही पूर्ण हुआ। यद्यपि एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. सुपुर्दगी हेतु तैयार था, आई.पी.आर. द्वारा प्रेषण मंजूरी नहीं दी गई थी क्योंकि मशीन की स्थापना हेतु कार्य-स्थल की पहचान नहीं की गई थी। चूंकि ठेकेदार द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा था, आई.पी.आर. ने (मार्च 2013) प्रेषण मंजूरी दी और मार्च 2013 में आई.पी.आर. में एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. प्राप्त किया गया। तथापि, कार्य-स्थल की अनुपलब्धता के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार, आई.पी.आर. ने मैसर्स पी.ए.डी.एम.सी.ओ. के साथ ई.एल.एम. नियंत्रण कॉइल्स (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम.) के लिए विशेष प्रयोजन वाइडिंग मशीन के डिजाइन, विनिर्माण, निरीक्षण, जांच, आपूर्ति और स्थापना हेतु विशिष्ट मील के पत्थरों³ पर देय ₹1.45 करोड़ के अलावा करों के साथ एक अन्य संविदा में प्रवेश किया (अप्रैल 2013)। एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. का प्रयोग आई.पी.आर. संयुक्त यूरोपीय टोरस, यूनाइटेड किंगडम (जे.ई.टी.)⁴ के

³ 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप में; डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुमोदन के संबंध में 10 प्रतिशत; सुपुर्दगी के संबंध में 60 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत संविदा मूल्य हेतु पी.बी.जी. को जमा करने पर अंतिम स्वीकार्यता के बाद 20 प्रतिशत।

⁴ यूरोपीयन फ्यूजन प्रोग्राम की एक केंद्रीय अनुसंधान सुविधा, जिसका प्रयोग फ्यूजन प्रयोगों के लिए किया जाता है।

सहयोग के तहत प्रोटोटाइप जे.ई.टी.-ई.एल.एम. चुंबक को विकसित करने हेतु प्रयोग किया जाना था। ठेकेदार का चयन सार्वजनिक निविदा सूचना (दिसंबर 2012) के प्रत्युत्तर में प्राप्त बोली (मार्च 2013) के मूल्यांकन के बाद किया गया था। एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. को आशय पत्र (मार्च 2013) से छः महीनों के अंदर अर्थात्, सितंबर 2013 तक आई.पी.आर. कार्य-स्थल पर सुपुर्द किया जाना था, और बाद में ठेकेदार द्वारा इसे स्थापित एवं कमीशन किया जाना था। नवंबर 2013 में मशीन को आई.पी.आर. को सुपुर्द किया गया था, परंतु कार्य-स्थल की अनुपलब्धता के कारण इसे भी स्थापित नहीं किया गया।

आई.पी.आर ने (नवंबर 2009 से सितंबर 2014) कुल ₹4.29 करोड़⁵ का भुगतान किया, जिसमें एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. के लिए भुगतान का 95 प्रतिशत और एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. के भुगतान का 100 प्रतिशत शामिल था। हालांकि, दोनों मशीनें अक्टूबर 2020 तक स्थापना के बिना अप्रयुक्त रहीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.पी.आर. ने दोनों वाइडिंग मशीनों की खरीद, उनकी स्थापना हेतु कार्य-स्थलों की पहचान किए बिना की, जो डी.ए.ई. खरीद नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में थी। संविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के समय कार्य-स्थल की तैयारियों का कोई उल्लेख नहीं था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आई.पी.आर. ने मशीनों को कभी स्थापित नहीं किया और वे खरीद के बाद सात वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रही। अपूर्ण स्थापना के अलावा, आई.पी.आर. ने मशीनों को ठीक से संग्रहीत भी नहीं किया, जोकि ठेकेदार द्वारा (अगस्त 2015) नोट किया गया था कि दोनों मशीनें खुले में पड़ी सड़ रही थीं और खराब भंडारण के कारण बुरी तरह जंग खा रही थी।

आई.पी.आर. ने (अगस्त 2020) लेखापरीक्षा को पुष्टि की कि मशीनों के कल-पुर्जों के सुचारु परिचालन हेतु मरम्मत/रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है। मशीनों की परिचालन क्षमता भी संदेह के घेरे में बनी रही।

⁵ एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. हेतु ₹2.66 करोड़ और एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. हेतु ₹1.63 करोड़।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आई.पी.आर. ने (अगस्त 2014) एस. पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. के लिए भुगतान की शर्तों को 20 प्रतिशत के अंतिम भुगतान से 15 प्रतिशत जारी किया, जिसका मूल रूप से स्थापना के बाद ही भुगतान किया जाना था। उपकरण की स्थापना में देरी के कारण आई.पी.आर. द्वारा नियमों और शर्तों में छूट दी गई थी। इसके अलावा, आई.पी.आर. ने एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. की स्थापना हेतु भुगतान के लिए मील का पत्थर शामिल नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आई.पी.आर. ने मशीन को स्थापित किए बिना, ठेकेदार को पूर्ण भुगतान जारी किया, जिससे एस. पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. की स्थापना के लिए ठेकेदार द्वारा गैर-प्रतिबद्धता का जोखिम पैदा हो गया। दोनों मशीनों के लिए ठेकेदार से आई.पी.आर. द्वारा प्राप्त की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) सितंबर 2015 (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. के लिए) और दिसंबर 2014 (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. के लिए) में व्यपगत हो गई थी और जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया था।

मशीनों की गैर-स्थापना के नतीजतन ₹4.29 करोड़ की लागत से खरीदे गए उपकरणों की निष्क्रियता हुई। इसके अलावा, मशीनों के लंबे समय तक खराब भंडारण और कमजोर वित्तीय सुरक्षा उपायों ने भी भविष्य में उपकरणों की सफल स्थापना, कमीशन और संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में अनिश्चितता पैदा की। इसके अलावा, कॉइल्स के निर्माण को अंजाम नहीं दिया जा सका, जैसा कि उन परियोजनाओं में परिकल्पना की गई थी जिनके लिए मशीनों की खरीद की गई थी। आई.पी.आर. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) कि मशीनों की परिचालन दक्षता उनकी स्थापना के बाद ही पता चलेगी, लेकिन यह भी कहा कि स्थापना मामले में चल रही सतर्कता जांच के कारण लंबित (अक्टूबर 2020) थी। डी.ए.ई. ने बताया (नवंबर 2020) कि आई.पी.आर. को भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया था।

चूंकि महत्वपूर्ण लागत पर मशीनों की खरीद के बाद सात साल से अधिक का समय बीत चुका है, इसलिए डी.ए.ई. को मशीनों की स्थापना में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि इनका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इनकी खरीद की गई थी, ताकि इनकी हालत और न बिगड़े। इसके अलावा,

डी.ए.ई. को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि उपकरणों की खरीद शुरू करने से पहले साइटों की तैयारी के साथ खरीद मैनुअल के सभी प्रावधानों की जांच इसकी इकाइयों द्वारा बारीकी से की जाती है।

सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम

3.2 पट्टा किराए की कम-वसूली

मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार लाईसेंस शुल्क के गैर-संशोधन और सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम द्वारा समाप्त हुए पट्टा करारों के गैर-नवीनीकरण के परिणामस्वरूप, ₹3.75 करोड़ के पट्टा किराए की कम-वसूली हुई।

सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम (जी.एस.ओ.), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की एक घटक ईकाई है, जो तमिलनाडु के कल्पाक्कम और अनुपूरम में परमाणु ऊर्जा टाउनशिप में सामान्य सुविधाओं⁶ का ध्यान रखती है। जी.एस.ओ. ने कल्पाक्कम टाउनशिप में तीन संगठनों अर्थात् तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, विल्लुपुरम (टी.एन.एस.टी.सी.)⁷, भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) एवं केनरा बैंक को जमीन पट्टे पर दी और अलग-अलग समयावधि के लिए इन संगठनों के साथ पट्टा करार किए। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, सितंबर 2012 और मार्च 2020 के बीच, जी.एस.ओ. को तीन संगठनों से ₹20.83 लाख पट्टा किराया प्राप्त हुआ, जैसा कि तालिका-1 में दर्शाया गया है।

⁶ आवास, चिकित्सा, परिवहन, जल आपूर्ति, नागरिक, विद्युत, यांत्रिक, दूरसंचार और कंप्यूटर

⁷ पूर्व में तनदई पेरियार परिवहन निगम के रूप में जाना जाता था।

तालिका 1: जी.एस.ओ. द्वारा भूमि का पट्टे पर देना

| संगठन | पट्टे पर देने की अवधि | पट्टे पर देने की कालावधि (वर्षों में) | पट्टे पर दी गई भूमि (वर्ग फुट) | पट्टा किराए ⁸ के भुगतान की कालावधि | प्राप्त किया गया पट्टा किराया (₹) |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| टी.एन.एस.टी.सी. | 13-9-1983 से 12-9-2012 | 29 | 88,994 | 1.10.2012 से 31.03.2020 | 5,59,800 |
| एस.बी.आई. | 25-7-1984 से 24-7-2013 | 29 | 73,355 | 1.08.2013 से 31.03.2020 | 4,79,680 |
| केनरा बैंक | I-11-12-1983 से 10-12-2012 | 29 | 15,696 | 1.09.2012 से 31.03.2014 | 10,43,784 |
| | II-24-9-1986 से 23-9-2013 | 27 | | | |
| | III-22-8-1990 से 21-8-2012 | 22 | | | |
| कुल | | | | | 20,83,264 |

पट्टा करारों की शर्तों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के तहत संशोधन के अधीन था। पंजीकरण विभाग, तमिलनाडु सरकार ने उस क्षेत्र की भूमि लागत को 01.08.2007 और 01.04.2012 से क्रमशः ₹60 प्रति वर्ग फुट और ₹300 प्रति वर्ग फुट से संशोधित किया जहां कलपाक्कम टाउनशिप स्थित है। राजस्व विभाग, तमिलनाडु सरकार की नीति⁹ के अनुसार, प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क की दर गैर-व्यवसायिक और व्यवसायिक उद्देश्य हेतु भूमि की लागत का क्रमशः सात प्रतिशत और 14 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि पट्टा करार अगस्त 2012 से सितंबर 2013 के दौरान समाप्त हो चुके थे, जी.एस.ओ. ने नए पट्टा करार निष्पादित नहीं किए और इन संगठनों ने वैध करारों के बिना पट्टे की भूमि पर अपना संचालन जारी रखा। जी.एस.ओ. ने डी.ए.ई. को पट्टा करारों के नवीनीकरण हेतु जुलाई 2015 में अवगत कराया था, अर्थात् पुराने करार की समाप्ति के लगभग दो से तीन वर्षों के बाद। इसके बाद डी.ए.ई. और

⁸ पूर्व अवधियों के लिए पट्टा किराए के भुगतान के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

⁹ 2007-08 और 2012-13 के पोलिसी नोट

जी.एस.ओ. के बीच पांच वर्ष से अधिक समय तक मामला पत्र-व्यवहार में जारी रहा।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रचलित पट्टे की दरों के अनुसार केवल केनरा बैंक को पट्टे पर दी गई भूमि के लिए प्रभार को संशोधित (अप्रैल 2012) किया गया था। हालांकि, पट्टा करार को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण मार्च 2014 के बाद केनरा बैंक से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। अन्य दोनों संगठनों ने पुरानी दरों के आधार पर पट्टे का किराया देना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹3.75 करोड़¹⁰ तक के पट्टे किराए (मार्च 2020 तक) की कम-वसूली हुई।

इस प्रकार, पट्टा करारों के संदर्भ में तीन संगठनों को पट्टे पर दी गई भूमि के लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने में जी.एस.ओ. और डी.ए.ई. की विफलता, और जी.एस.ओ. द्वारा आठ वर्षों से अधिक समय तक समाप्त पट्टा करारों के नवीनीकरण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2020 तक ₹3.75 करोड़ के पट्टा किराए की कम-वसूली हुई जोकि नए करारों के निष्पादित होने तक और बढ़े।

पट्टा करारों के नवीनीकरण हेतु कार्रवाई करने में हुए सात वर्षों से अधिक विलंब से संकेत मिलता है कि जी.एस.ओ. द्वारा आंतरिक नियंत्रण में एक गंभीर चूक हुई है।

डी.ए.ई. ने बताया (अक्टूबर/दिसंबर 2020) कि जी.एस.ओ. ने तीनों संगठनों से चर्चा की है (सितंबर 2020) और मौजूदा 15 वर्षों की अवधि के लिए टी.एन.एस.टी.सी., को सात प्रतिशत की दर तथा एस.बी.आई. और केनरा बैंक को 14 प्रतिशत की दर पर राज्य सरकार के मौजूदा भूमि दिशानिर्देश मूल्यों पर पट्टों को पूर्वव्यापी रूप से नवीनीकृत किया जाएगा। डी.ए.ई. ने बताया (दिसंबर 2020) कि यह जनवरी 2021 तक पूरा किया जाना संभावित था।

¹⁰ एस.बी.आई.: ₹2.01 करोड़ और केनरा बैंक: ₹39.55 लाख, ₹300 के 14 प्रतिशत की दर पर परिगणित अर्थात् ₹42 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष। टी.एन.एस.टी.सी.: ₹1.34 करोड़ ₹300 के सात प्रतिशत की दर पर परिगणित अर्थात् ₹21 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष, पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य सरकार निगम होने के नाते।

हकीकत यह है कि जी.एस.ओ. और डी.ए.ई. द्वारा निष्क्रियता के कारण पट्टा करारों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को धन की कम-वसूली हुई। जी.एस.ओ. को अपने पट्टा करारों के नवीनीकरण पर निगरानी रखने और समय पर पट्टों के किराए की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर

3.3 उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर ने अपने कर्मचारियों को उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान ₹2.80 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर (एन.आई.एस.ई.आर.) परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। एन.आई.एस.ई.आर. का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य की ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के लिए विज्ञान में मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और पोषित करना है। एन.आई.एस.ई.आर. के उप-नियमों के संदर्भ में, इसके कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते डी.ए.ई. में उसके समतुल्य कर्मचारियों के समान स्वीकार्य होंगे, अर्थात् भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के मौजूदा नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत होंगे।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने मकान किराए भत्ते¹¹ (एच.आर.ए.) के वितरण के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों को 'एक्स', 'वाई' तथा 'जेड' श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत¹² (जुलाई 2015) किया। उक्त ओ.एम. के अनुसार, कटक शहरी समूह (यू.ए.), भुवनेश्वर यू.ए. एवं राउरकेला यू.ए. को 'वाई' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। उड़ीसा के शेष शहरों/कस्बों को 'जेड' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। 'वाई' एवं 'जेड' श्रेणी के शहरों के लिए एच.आर.ए. क्रमशः 20 प्रतिशत

¹¹ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एच.आर.ए. के भुगतान के लिए शहरों के वर्गीकरण से संबंधित मौजूदा आदेशों के दमन के अंतर्गत।

¹² ओ.एम.सं -2/5/2014-ई. ॥(बी) दि. 21/07/2015 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से जनगणना 2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्विकास/उन्नयन।

एवं 10 प्रतिशत की दर पर देय था; जिसे जुलाई 2017¹³ से क्रमशः 16 प्रतिशत एवं आठ प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया था।

एन.आई.एस.ई.आर. ने प्रारंभिक तौर पर अपना कार्य (सितंबर 2007) भुवनेश्वर¹⁴ में शुरू किया तथा खुरदा जिले के जटनी शहर में स्थित अपने स्थायी परिसर में (जुलाई 2015) स्थानांतरित हो गया, जो कि भुवनेश्वर शहर से 25 कि.मी. दूर स्थित है।

लेखापरीक्षण के दौरान पाया गया कि जटनी शहर/कस्बा 'जेड' श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन एन.आई.एस.ई.आर. के कर्मचारियों को एच.आर.ए. का भुगतान 'वाई' श्रेणी के शहरों की दर पर किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा यह मामला उड़ीसा के कार्यालय निदेशक जनगणना संचालन, गृह मंत्रालय, जी.ओ.आई., के संज्ञान में लाया गया, जिसने स्पष्ट किया (अगस्त 2020) कि एन.आई.एस.ई.आर. भुवनेश्वर यू.ए. के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रकार, एन.आई.एस.ई.आर. द्वारा उच्च दरों पर एच.आर.ए. का भुगतान अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को जुलाई 2015 से फरवरी 2020 के दौरान ₹2.80 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया।

एन.आई.एस.ई.आर. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संस्थान भुवनेश्वर में स्थित था और इसलिए एच.आर.ए. का भुगतान भुवनेश्वर की दरों पर किया गया।

जनगणना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के चलते उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अतः, एन.आई.एस.ई.आर. को एच.आर.ए. की लागू दरों को स्वीकारने तथा अपने कर्मचारियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की आवश्यकता है।

यह मामला डी.ए.ई. के संज्ञान में अक्टूबर 2020 में लाया गया था; जिसका जवाब दिसंबर 2020 तक अपेक्षित था।

¹³ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप।

¹⁴ डी.ए.ई. की एक और स्वायत्त संस्था, भौतिकी संस्थान के कैंपस पर।

अध्याय IV : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम

4.1 रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया जाना

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न परिवहन की अभिप्रेत संचालन योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹35.96 करोड़ की राशि का रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया गया।

पंजाब उन प्रमुख राज्यों में है जहाँ गेहूँ एवं चावल की अधिप्राप्ति से अधिशेष खाद्यान्न होता है। राज्य में उपलब्ध गेहूँ और चावल के अधिशेष स्टॉक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत और सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम खाद्यान्न उत्पादित करने वाले राज्यों में ले जाया जाता है। अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग बफर स्टॉक बनाने के लिए भी किया जाता है। पंजाब, (जो एक अधिशेष खाद्यान्न वाला क्षेत्र है) में भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) का क्षेत्रीय कार्यालय कम खाद्यान्न उत्पादित करने वाले राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल एवं सड़क के माध्यम से अधिशेष खाद्यान्न के संचालन की योजना बनाता है।

प्रत्येक महीने भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के द्वारा संसूचित संचालन योजना के अनुसार खाद्यान्नों का संचालन हेतु प्रचालन किया जाता है। योजना अधिशेष तथा कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की क्रमशः उपलब्धता तथा आवश्यकता, संभावित अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति और उपभोग किए जाने वाले दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता तथा खाद्यान्न का मासिक आवंटन/उठाव को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा संसूचित निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित संचालन योजना में खाद्यान्नों के

परिवहन के लिए निर्धारित रैकों का किसी खास महीने में उपयोग नहीं किए जाने पर अनुवर्ती महीने तक नहीं ले जाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि “रेल मंत्रालय की गतिशील कीमत निर्धारण नीति (जुलाई, 2015)” में 1 अप्रैल से 30 जून तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच परिवहन किए गए सभी वस्तुओं पर मूल माल भाड़ा दर की 15 प्रतिशत की दर से व्यस्त सीज़न चार्ज (बीएससी) की उगाही का प्रावधान है। इस प्रकार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के दौरान परिवहन किए गए वस्तुओं को मूल माल भाड़े की दर पर व्यस्त सीज़न चार्ज के उदग्रहण से छूट दी गयी है।

पंजाब में एफ. सी. आई. के जिला कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 2015-16 से 2018-19 के दौरान जुलाई से सितंबर तक रेलवे के माध्यम से परिवहन किए गए खाद्यान्नों की मात्रा संचालन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा से सामान्यतः कम थी जबकि उन महीनों के दौरान किया गया संचालन बीएससी से छूट प्राप्त था। एफ. सी. आई. के पंजाब प्रक्षेत्र के तीन जिला कार्यालयों पटियाला, लुधियाना तथा भटिंडा में मासिक संचालन योजना के क्रियान्वयन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि पूर्ण अनुमोदित संचालन योजना के गैर क्रियान्वयन का एक मुख्य कारण रेलवे को रैकों को देने के लिए मांग पत्रक रखने में भारतीय खाद्य निगम की विफलता थी। रैकों के लिए मांग पत्रक का स्थानन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि में जुलाई से सितंबर महीने के दौरान पटियाला, लुधियाना तथा भटिंडा के जिला कार्यालयों के मासिक संचालन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न का परिवहन हुआ। इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम ने “रेलवे की गतिशील कीमत निर्धारण नीति” के तहत रेलवे माल भाड़े की कम दर का लाभ लेने का अवसर खो दिया। इसके परिणामतः रेलवे के माध्यम से खाद्यान्नों के परिवहन पर भारतीय खाद्य निगम को ₹35.96 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई, 2019) कि संचालन योजना का क्रियान्वयन इष्टतम माना जाता था यदि संचालन योजना का 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ हो। प्रबंधन ने आगे कहा कि कवर की गयी अवधि के लिए उपलब्धि इस स्तर

से अधिक थी। इसने यह भी बताया कि खाद्यान्नों के संचालन की वर्तमान प्रणाली में इस तरह का अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य था। इसके अलावा, प्रबंधन ने कहा (सितंबर, 2020) कि रेकों का लाभ प्रत्येक महीने में नहीं लिया गया तथा न कि सिर्फ जुलाई से सितंबर तक के व्यस्त सीज़न के महीनों में।

मंत्रालय ने (अक्टूबर, 2019 तथा मार्च, 2020) में संचालन योजनाओं के कम क्रियान्वयन के लिए अनेक कारकों जैसे प्राप्तकर्ता डिपो की सीमित भंडारण क्षमता की सीमा, राज्य सरकारों द्वारा कम उठाव तथा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराया। इसने यह भी दोहराया कि व्यस्त सीज़न में रेकों के उपयोग की प्रतिशतता कमोबेश वर्ष के अन्य महीनों के समान ही थी।

ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूंकि मासिक संचालन योजनाएँ आपूर्ति, माँग, आवंटन और भंडारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थीं। विभिन्न महीनों हेतु रेकों के लिए लक्ष्य निर्धारण के समय मंत्रालय के द्वारा उजागर की गई बाधाओं का ध्यान एफ. सी. आई. को रखना चाहिए था। इस प्रकार, इन योजनाओं को विशेष रूप से उन महीनों में पूरी तरह क्रियान्वयित किया जाना चाहिए था जब रियायती रेलवे माल भाड़ा की दर उपलब्ध हो। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने अपनी अभ्युक्ति में केवल उन मामलों को शामिल किया था जब रेलवे के पास रेकों के लिए माँग पत्रक नहीं देने के कोई युक्तियुक्त कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। रियायती रेलवे माल भाड़ा दर उपलब्ध होने के महीनों के दौरान खाद्यान्न की नियोजित मात्रा का परिवहन नहीं होना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में खामियों का संकेत देता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं दिया गया जिससे यह पुष्टि की जा सके कि संचालन योजना के 80 प्रतिशत की उपलब्धि इष्टतम थी।

इस प्रकार, व्यस्त सीज़न के दौरान अनुमोदित मासिक संचालन योजना के क्रियान्वयन में एफ. सी. आई. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹35.96 करोड़ के रियायती रेलवे माल भाड़ा प्रभारों का लाभ नहीं लिया गया। यदि इन रियायतों का लाभ लिया जाता तो भारत सरकार पर खाद्य आर्थिक सहायता के भुगतान का बोझ कम होता।

4.2 प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण परिहार्य व्यय

प्रचालन अनिवार्यताओं के बावजूद तदर्थ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की एजेंसियों अग्रेषित प्रभारों के प्रति पर ₹20.69 करोड़ का परिहार्य व्यय

भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.), भारत सरकार की नोडल केन्द्रीय एजेंसी है, जो राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गोहूँ की खरीद का कार्य करती है। एफ. सी. आई. द्वारा, राज्य सरकार की एजेंसियों (एस. जी. ए.) से खरीदा गया गोहूँ उपभोक्ता राज्यों की आवश्यकता/चलन योजना के अनुसार भेजा जाता है। राज्य सरकार की एजेंसियों को (एस. जी. ए.) गोहूँ की खरीद के तुरंत बाद उसे केन्द्रीय पूल में पहुंचाने की आवश्यकता होती थी, जब तक कि भारतीय खाद्य निगम इसे स्वीकार नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में न बताए। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियाँ (एस. जी. ए.) लागू ब्याज सहित स्वीकृत भंडारण शुल्कों के रूप में कैरी ओवर प्रभारों की हकदार थीं।

रामपुरफूल केंद्र, जिला भटिंडा, पंजाब में, भारतीय खाद्य निगम ने सितंबर, 2015 से अगस्त, 2017 तक की दो वर्षों की अवधि के लिए प्रहस्तन एवं परिवहन (एच. एण्ड टी.) अनुबंध मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी (ठेकेदार) को दिया (20 अगस्त, 2015)। तथापि ई-बोली की मूल्य बोली के हेरफेर में ठेकेदार की संदिग्ध संलिप्तता के फलस्वरूप अनुबंध के तहत कार्य को 10 सितंबर 2015 से निलंबित कर दिया गया था। ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस (एस. सी. एन.) भी जारी किया गया था (21 सितंबर 2015)। ई-बोली के मूल्य बोलियों में ठेकेदार की संदिग्ध संलिप्तता का मामला न्यायालय में लंबित है।

लेखा परीक्षा में ध्यान दिया गया कि ठेकेदार के साथ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध निलंबित रखने के परिणामस्वरूप रामपुरफूल केंद्र, भटिंडा में राज्य सरकार की एजेंसियों (एस. जी. ए.) के गोदाम से स्टॉक की आवाजाही नहीं हुई। जिसके परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार की

एजेंसियों (एस. जी. ए.) के गोदामों में भंडारित खाद्यान्नों के लिए भंडारण/कैरी ओवर प्रभारों को राज्य सरकार की एजेंसियों को देना पड़ा। राज्य सरकार की एजेंसियों ने (नवम्बर, 2015) में यह भी बताया कि स्टॉक की आवाजाही नहीं होने के परिणामस्वरूप स्टॉक की गुणवत्ता में और गिरावट हो सकती है तथा उन्होंने प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को शीघ्र अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। तथापि, खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट होने के जोखिम तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के गोदामों में खाद्यान्न के भंडार के लिए कैरी ओवर प्रभारों की देयता के बावजूद भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) ने किसी नए ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की। लेखापरीक्षा में यह भी ध्यान दिया गया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने 01 अक्टूबर, 2015 के आदेश में रामपुरफूल केंद्र में खाद्यान्नों के प्रहस्तन एवं परिवहन के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध में न तो खाद्यान्नों के प्रहस्तन एवं परिवहन के लिए कोई विशेष अधिकार दिया गया था और न ही किसी निश्चित मात्रा में कार्य की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा, प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध के अनुसार , भारतीय खाद्य निगम किसी भी या सभी सेवाओं के लिए अनुबंध की अवधि के दौरान एक या एकाधिक ठेकेदारों को नियुक्त करने तथा ऐसे ठेकेदारों के बीच कार्य को किसी भी तरीके से विभाजित करने, जैसा एफ. सी. आई. निश्चित करता है, का विशेष अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, प्रचालन अनिवार्यता तथा मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ हुए प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध के तहत एकाधिकार होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम , क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब ने रामपुरफूल केंद्र से स्टॉक के प्रहस्तन एवं परिवहन सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ आधार पर किसी ठेकेदार को कार्य में लगाने के लिए सम्योचित कारवाई नहीं की। संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए जोनल कार्यालय से निर्देश (दिसम्बर, 2015 एवं जनवरी, 2016) प्राप्त होने के पश्चात ही पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय ने 16 जनवरी, 2016 को तदर्थ संविदा के लिए निविदा प्रिपृच्छा जारी की। मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ प्रहस्तन एवं परिवहन संविदा के निलंबन की तिथि से 4.5 महीनों के पश्चात 25 जनवरी 2016 को

तदर्थ संविदा मेसर्स जेटू ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया था। तदर्थ आधार पर प्रहस्तन एवं परिवहन ठेकेदार को कार्य देने के 03 सप्ताह की नियुक्ति प्रक्रिया के औसत समय को ध्यान में रखते हुए एफ. सी. आई. के द्वारा नए ठेकेदार की नियुक्ति में देरी किए जाने के परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के खाद्यान्नों के लिए अक्टूबर 2015 से 25 जनवरी 2016 तक की अवधि में कैरी ओवर प्रभारों के रूप में ₹20.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर, 2020) कि शामिल मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एस. सी. एन. को अंतिम रूप दिये बिना तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बिना तदर्थ अनुबंध किया जाना संभव नहीं था। यह भी बताया गया कि एफ. सी. आई., पंजाब क्षेत्र ने सूचित किया है कि कैरी ओवर प्रभारों का कोई व्यय नहीं हुआ। आगे यह भी कहा गया कि प्रहस्तन एवं परिवहन ठेकेदार की विफलता के कारण एक केंद्र से लोड नहीं किए गए स्टॉक को दूसरे केंद्र/रेल हेड से लोड किया जाता है जिससे किसी एक महीने में माँगा गया/ दिया गया रक खाली नहीं जाता है। अतः अन्य केन्द्रों से लोड किए गए स्टॉक से लोड नहीं किए गए केंद्र का कैरी ओवर प्रभार निरस्त हो जाता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है। लेखापरीक्षा में ध्यान दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश (अक्टूबर, 2015) में तदर्थ ठेकेदार की नियुक्ति के लिए एफ. सी. आई. पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसके अलावा, ठेकेदार के साथ अनुबंध यह भी उपबंधित करता था कि एफ. सी. आई. अनुबंध अवधि के दौरान एक या एकाधिक ठेकेदार की नियुक्ति का अधिकार रखता था। अनुबंध के केवल इसी खंड के आधार पर एफ. सी. आई. ने जनवरी 2016 में तदर्थ ठेकेदार की नियुक्ति की थी, जिस पर अदालत ने 10 फरवरी 2016 तथा 02 मार्च 2016 के अपने अनुवर्ती आदेशों में भी कोई आपत्ति नहीं की थी। पुनः, एफ. सी. आई., भटिंडा कार्यालय ने (अक्टूबर, 2020) सूचित किया है कि उसने फसल वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए केन्द्रीय पूल स्टॉक हेतु कैरी ओवर प्रभारों की देयता को स्वीकार किया था तथा उसका ब्याज सहित भुगतान राज्य सरकार एजेंसियों को किया था। चूंकि कैरी ओवर प्रभारों

केंद्र विशिष्ट थे अतः मंत्रालय का अन्य केन्द्रों से लोड किए गए स्टॉक से लोड नहीं किए गए केंद्र के कैरी ओवर प्रभारों के निरसन का तर्क मान्य नहीं है।

4.3 अस्वीकार्य कैरी ओवर प्रभारों का भुगतान

मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ₹7.05 करोड़ के कैरी ओवर प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान किया। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर भारतीय खाद्य निगम (भा. खा. नि.) ने ₹5.83 करोड़ की वसूली की।

राज्य सरकारें तथा उनकी एजेंसियाँ (एस. जी. ए.) विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी. पी. डी.एस.) एवं भारत सरकार (जी. ओ. आई.) की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत अपने राज्यों में खाद्यान्नों¹ की अधिप्राप्ति, भंडारण एवं वितरण करती है। राज्यों/राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा अधिप्राप्त किए गए अतिरिक्त स्टॉक (चावल और गेहूँ) को केन्द्रीय पूल का हिस्सा बनाए जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) को सौंप दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) को सौंपे गए ऐसे अतिरिक्त स्टॉक के लागत की प्रतिपूर्ति निगम के द्वारा संबन्धित राज्यों/राज्य सरकार की एजेंसियों को भारत सरकार के द्वारा संबन्धित राज्य के लिए जारी लागत पत्र के अनुसार की जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारों/राज्य सरकारों की एजेंसियाँ अतिरिक्त स्टॉक की खरीद के तुरंत बाद उसे केन्द्रीय पूल तक पहुंचाएंगे जब तक कि भारतीय खाद्य निगम अतिरिक्त स्टॉक स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को लिखित रूप में न बताये। प्रत्येक वर्ष जून महीने से आगे की अवधि के लिए कैरी ओवर प्रभार खाद्यान्नों की उस मात्रा के लिए होगा जिसे भारतीय खाद्य निगम स्वीकार करने में असमर्थ हो।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा (सितंबर 2010) जारी “आकस्मिक दावों के प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश” का पैरा 6.10 उपबंधित करता है कि गेहूँ के लिए कैरी ओवर प्रभारों को संबन्धित वर्ष के 30 जून के पश्चात गेहूँ के वितरण की प्रभार के साथ सहमत भंडारण ब्याज की प्रचलित दर देय होगा। दिशानिर्देशों का पैरा 6.5 आगे

¹ चावल, गेहूँ एवं मोटा अनाज

उपबंधित करता है कि डी. सी. पी. योजना में भाग लेने वाले राज्यों के मामलों में एक वर्ष के लिए संबन्धित राज्य की आवश्यकता से अधिक स्टॉक केन्द्रीय पूल के तहत एफ. सी. आई. के पास जमा किया जाता है। यदि राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा केन्द्रीय पूल में जमा करने के लिए कोई अधिशेष स्टॉक नहीं सौंपा जाता है तो ऐसे स्टॉक के लिए भंडारण लागत का दावा नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मध्य प्रदेश वर्ष 1999-2000 से गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिए डी. सी. पी. योजना का हिस्सा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के संभागीय कार्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल.) ने (अगस्त 2015) में भारतीय खाद्य निगम से छूट प्राप्त किए विनिर्देश² श्रेणी (यू. आर. एस.) के अंतर्गत 2014-15³ के रबी विपणन सीजन (आर. एम. एस.) के गेहूँ का स्टॉक लेने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने (11 सितंबर, 2015) उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अपना अनुरोध दोहराया। लंबे समय तक भंडारण के कारण गुणवत्ता में और हास से बचने के लिए मंत्रालय ने (16 सितंबर 2015) अनुरोध से सहमति व्यक्त की तथा भारतीय खाद्य निगम को अन्य स्टॉक से अधिक प्राथमिकता देते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार आर. एम. एस. 2014-15 के यू. आर. एस. गेहूँ लेने के लिए निर्देशित किया।

भारतीय खाद्य निगम, संभागीय कार्यालय, उज्जैन ने तदनुसार अक्टूबर, 2015 से फरवरी 2016 के दौरान एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. से यू. आर. एस. गेहूँ के 30,176.75 मीट्रिक टन स्टॉक का अधिग्रहण किया। उसने एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को 18,881.02⁴ मीट्रिक टन गेहूँ के कैरी ओवर प्रभार के रूप में ₹7.05 करोड़ का भुगतान भी किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आर.एम. एस. 2014-15 के लिए अंतिम लागत पत्र में निर्धारित की गई शर्तों

² केन्द्रीय पूल अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाला स्टॉक

³ अप्रैल - जून 2014 के दौरान की गई अधिप्राप्ति

⁴ शेष बचे 11295.73 मीट्रिक टन के लिए कैरी ओवर प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि एफ. सी. आई के पास भंडारण हेतु जगह रिक्त थी।

तथा “आकस्मिक दावों के प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देशों” के मद्देनजर एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को कैरी ओवर प्रभार देय नहीं था। यू. आर. एस. श्रेणी के तहत आर. एम. एस. 2014-15 के स्टॉक के अधिग्रहण के लिए मंत्रालय की मंजूरी (16 सितंबर, 2015) में अगस्त 2015 में, अर्थात् अधिप्राप्ति के एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. के द्वारा दिए गए स्टॉक के लिए कैरी ओवर प्रभार के भुगतान करने के लिए निर्देशित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹7.05 करोड़ के कैरी ओवर प्रभार का भुगतान तत्कालीन दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों के विपरीत था एवं तदनुसार परिहार्य था। जब लेखापरीक्षा के द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तो भारतीय खाद्य निगम ने (सितंबर, 2020 में) एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. से देय बकायों के प्रति समायोजन के द्वारा ₹5.83 करोड़ की वसूली की।

प्रबंधन ने (सितंबर, 2020) जवाब दिया कि एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. ने अगस्त 2015 में आर. एम. एस. 2014-15 के यू. आर. एस. स्टॉक की पेशकश की थी। तदनुसार, कैरी ओवर प्रभार सितंबर 2015 से स्टॉक उठाए जाने की वास्तविक तिथि तक के लिए देय थी जो ₹1.22 करोड़ की थी (अर्थात् ₹5.83 करोड़ की गई वसूली को घटा कर ₹7.05 करोड़ का आरंभिक भुगतान किया)।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। चूंकि स्टॉक की पेशकश जून में समाप्त अधिप्राप्ति सीज़न के अंत के एक वर्ष और दो महीने के पश्चात की गई थी, अतः कैरी ओवर प्रभार की गणना के लिए एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. के द्वारा अगस्त 2015 में यू. आर. एस. स्टॉक की पेशकश की अंतिम तिथि तय करना प्रासंगिक नहीं है। मंत्रालय से कैरी ओवर प्रभार का एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को भुगतान करने के लिए कोई निर्देश नहीं होने के अभाव में तथा “आकस्मिक दावे के प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश” तथा मंत्रालय के द्वारा जारी लागत पत्र के मद्देनजर इस मामले में एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को किसी प्रकार का कैरी ओवर प्रभार देय नहीं था। इस प्रकार, ₹1.22 करोड़ की राशि का कैरी ओवर प्रभार का शेष भुगतान भी अनियमित था जिसे एम.पी.एस.सी.एस.सी.एल. से वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

यह मामला दिसम्बर 2019 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका का उत्तर (दिसंबर, 2020 तक) प्रतीक्षित था।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

4.4 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.सी.) के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के लिए ठेकेदारों पर ₹18.73 करोड़ का निर्णित हर्जाना लगाने में विफलता। इसके अलावे, वास्तविक साइट पर काम नहीं किये जाने के बावजूद एन.पी.सी.सी. के द्वारा ठेकेदारों को ₹19.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

झारखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए झारखंड सरकार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। एन.पी.सी.सी. ने 2010 से 2014 के बीच झारखंड सरकार की ओर से पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत झारखंड के छः जिलों अर्थात् गुमला, पूर्वी सिंहभूम (ई.एस.जी.), पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, सरायकेला एवं लातेक्षर में स्थित सड़कों के निर्माण तथा उन्नयन के लिए संविदाएं जारी की।

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत झारखण्ड में एन.पी.सी.सी. के द्वारा क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं के लिए अनुबंधनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि की 40 पैकजों से सम्बंधित 173 सड़क परियोजनाओं को ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहने के कारण 2012 से 2017 के बीच समाप्त कर दिया गया था। एन.पी.सी.सी. ने इन समाप्त अनुबंधों की प्रतिभूति जमा एवं निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया। इन समाप्त की गई 173 सड़क परियोजनाओं की जांच पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है

(ए) निर्णित हर्जाना को लागू/वसूली न करना

त्रिपक्षीय समझौते का पैरा 3.1 यह प्रावधान करता है की परियोजना का क्रियान्वयन पी.एम.जी.एस.वाई. के दिशानिर्देशों तथा मानक/मॉडल बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) सहित सम्बंधित दस्तावेजों के अनुसार किया जाना था। एस.बी.डी. का खंड 44.1 तथा 44.2 यह अनुबंधित करता है कि संवेदक प्रति सप्ताह अथवा उसके भाग जो संविदा में विनिर्दिष्ट दर (प्रति सप्ताह एक प्रतिशत) पर एन.पी.सी.सी. को निर्णित हर्जाने (एल-डी) का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा जब परियोजना पूरी करने की तिथि परियोजना पूरी करने की नियत तिथि से बाद की हो तथा एल.डी. की कुल राशि संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, एन.पी.सी.सी. ठेकेदार को बकाया भुगतान से एल.डी. की कटौती कर सकता है तथा एल.डी का भुगतान ठेकेदार की अन्य देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगा।

चूककर्ता ठेकेदार, अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की अधिकतम दर पर एल.डी. भुगतान के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि समाप्त किए गए सभी अनुबंधों (एक के अतिरिक्त) में विलम्ब 10 सप्ताह से अधिक था। इस प्रकार ₹20.31 करोड़ की राशि वाले सभी समाप्त अनुबंधों पर निरपेक्ष रूप से अधिकतम एल.डी वसूली योग्य था। एन.पी.सी.सी. ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि इस राशि के विरुद्ध 49 मामलों में ₹1.58 करोड़ रुपये का एल.डी. अध्यारोपित कटौती किया गया। हालांकि लेखा परीक्षा ने संगणना की कि सिर्फ इन 49 मामलों में अकेले वसूली योग्य एल. डी. की राशि ₹6.56 करोड़ रुपये की थी। बार-बार अनुरोधों के बावजूद एन.पी.सी.सी. ने इन 49 मामलों में अपने द्वारा लगाई गई एल.डी के समर्थन में विस्तृत गणना प्रदान नहीं की।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 53 मामलों में अनुबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान चूककर्ता ठेकेदारों को भुगतान किया गया था। हालांकि इन ठेकेदारों से ₹5.38 करोड़ की एल.डी. राशि की वसूली की प्रयाप्त गुन्जाइश थी तथापि उन्हें किये गए भुगतान से कोई वसूली नहीं की गई थी।

यह भी देखा गया कि प्रबंधन ने कार्यों को पूरा करने के लगभग सभी मामलों में 201 दिनों से 1441 दिनों की देरी के पश्चात अनुबंधों की समाप्ति की

प्रक्रिया शुरू की थी। करवाई किये जाने में देरी के परिणामस्वरूप सड़कों की हालत खराब होने के साथ-साथ शेष कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित लागत में वृद्धि हुई जिससे झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण⁵ (जे.एस.आर.आर.डी.ए) से अतिरिक्त निधि के संस्वीकृति की आवश्यकता हुई।

समाप्त किये गए 118 कार्यों को पूरा करने के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. अर्थात् झारखंड सरकार की नोडल एजेंसी ने शेष बचे कार्यों के संशोधित लागत को ध्यान में रखते हुए ₹22.58 करोड़ रुपये (जब्त किए गए प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन प्रतिभूतियों के समायोजन के पश्चात) की अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति (दिसम्बर, 2016/ अगस्त, 2017) दी। अतिरिक्त संस्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि एन.पी.सी.सी. शेष बचे कार्यों को मार्च 2019 से पूर्व पूरा कर लेगी। यह भी निर्धारित किया गया था कि एन.पी.सी.सी. ठेकेदारों से एल.डी. की वसूली करेगा जिसमें विफल रहने पर एल.डी की राशि एजेंसी (एन.पी.सी.सी) को देय फीस समायोजित किया जाएगा। इसके बावजूद, एन.पी.सी.सी के द्वारा चूककर्ता ठेकेदारों से एल. डी. की पूरी राशि की वसूली के लिए कोई कारवाई नहीं की गई। एन.पी.सी.सी ने समाप्त किये गए अनुबंधों से वसूल की जाने वाली 20.31 करोड़ रुपये की एल.डी. की राशि के विरुद्ध 49 मामलों में केवल ₹1.58 करोड़ रुपये की एल.डी. की वसूली/कटौती की। इस प्रकार, एन.पी.सी.सी. अपनी फीस से एल.डी. के संग्रह में कमी के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. को क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी था।

प्रबंधन ने (अप्रैल/अक्टूबर 2018 तथा सितंबर 2020) जवाब दिया कि:

- (i) चूंकि करार में वृद्धि सम्बन्धी कोई धारा नहीं थी तथा मूल संविदा के दौरान बोली कर्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत ही कम थी, अतः एक “उदार द्रष्टिकोण” अपनाया गया। तत्पश्चात जे.एस.आर.आर.डी.ए. से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने के बाद एल.डी. की कटौती की गई।

⁵ जे.एस.आर.आर.डी.ए. :- पी.एम.जी.एस.वाई. के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार की नोडल एजेंसी है।

- (ii) समझौते अनुबंध में एलडी खंड का रहना ही एल.डी. के उदग्रहण का स्वतः अधिरोपण नहीं करता है जब तक कि माइलस्टोन प्राप्त नहीं करने के लिए संबंधित एजेंसी की पूरी तरह जिम्मेदार होने के वैध कारण जैसे एलडी के उदग्रहण और एजेसी को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा एलडी जहां भी लागू हो, अधिरोपित हो। तदनुसार, 49 मामलों में ठेकेदारों के बकाया राशि से ₹1.58 करोड़ रुपए की राशि का अधिरोपण किया गया/वसूला गया।
- (iii) अनुबंध की अवधि झारखंड सरकार के द्वारा मार्च 2015 तक तथा तत्पश्चात मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई थी तथा जे.एस.आर.आर.डी.ए. ने एन.पी.सी.सी. पर एल.डी का उदग्रहण नहीं किया है या उसके समायोजन के लिए एन.पी.सी.सी. की किसी भी एजेंसी फीस को स्थगित कर नहीं रखा है।

प्रबंधन का जवाब, एलडी की वसूली करने में उसकी विफलता को उदारता दिखाने में गैर अनुबंधात्मक विचारों द्वारा निर्देशित थी तथा वह अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था। यह तथ्य कि अनुबंध में वृद्धि के लिए कोई प्रावधान बोली-कर्ताओं को भी पता था तथा तदनुसार उनसे अनुबंध मूल्य को उद्धृत करने की उम्मीद की जाती है तथा इसका एल.डी. के कारण ठेकेदारों को किसी प्रकार की राहत प्रदान करने के लिए एक कारण के रूप में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह भी दर्शाता है कि ठेकेदारों को भुगतान करते समय आंतरिक नियंत्रण भी पारित किये गए थे।

इसके अलावा, मार्च 2019 तक जेएसआरआरडीए द्वारा परियोजना की अवधि के विस्तार के सवाल में अनुबंधों की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि ये 2012 और 2017 के बीच पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। ऐसे विस्तार भी एलडी के भुगतान की देयता से किसी भी एजेंसी को स्वचालित रूप से मुक्त नहीं करते हैं यदि विशेष रूप से माफ किए गए हों। इस प्रकार, एनपीसीसी उसके अनुबंधों के मामले में चूककर्ता ठेकेदारों से अधिरोपित/वसूली करने के लिए जिम्मेदार बना रहेगा। वस्तुतः जेएसआरआरडीए ने समाप्त किए गए अनुबंध को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की संस्वीकृति देते समय एलडी की

वसूली को विशेष रूप से परिकल्पित किया और एलडी की गैर-वसूली के मामले में उसका समायोजन एनपीसीसी की एजेंसी फीस से किया जाएगा।

हालांकि प्रबंधन का यह मत कि देरी के कारणों का विश्लेषण किए बिना स्वचालित रूप से एल.डी. को लागू नहीं किया जा सकता, मुख्य रूप से स्वीकार्य है तथापि ऊपर वर्णित उन 49 मामलों में, जिसमें एन.पी.सी.सी. ने ₹1.58 करोड़ के एल.डी. की वसूली की थी। लेखापरीक्षा द्वारा बारंबार अनुरोध करने के बावजूद सत्यापन के लिए विस्तृत गणना प्रदान नहीं की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि समाप्त किए गए 173 सड़क परियोजनाओं में से 112 परियोजनाओं में समाप्ति की तिथि तक काम की औसत प्रगति⁶ 50 प्रतिशत से कम थी। सड़कों की सभी परियोजनाओं को एक साथ ध्यान देते हुए अनुबंधों को समाप्त करने में 697 दिनों की औसत देरी हुई थी। हालांकि काम समाप्त करने की तिथि तक कार्य समापन का औसत केवल 39 प्रतिशत ही था। ऐसी परिस्थितियों में यह मुमकिन नहीं है कि अधिकतम एल.डी. आकृष्ट करने के लिए न्यूनतम 10 सप्ताह की देरी हेतु ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होंगे।

चूंकि जे.एस.आर.आर.डी.ए. के साथ करार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तथा इस मद में देयता बनी हुई है अतः प्रबंधन का तर्क, कि जे.एस.आर.आर.डी.ए. के द्वारा उसकी एजेंसी फीस से वसूल न किए गए एल.डी. का कोई समायोजन नहीं किया गया है, मान्य नहीं है। यदि उक्त समायोजन का अधित्याग भी कर दिया जाता है तो भी एल.डी. राशि की वसूली न होने से सरकारी खजाने को क्षति हुई क्योंकि समाप्त किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. ₹22.58 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की थी जिसकी मूलतः प्रतिपूर्ति की जा सकती थी यदि ₹20.31 करोड़ की एलडी की पूर्ण रूप से वसूली की गई थी।

इस प्रकार, सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के लिए अनुबंध के एल.डी. संबंधी प्रावधानों को लागू करने में एन.पी.सी.सी. की विफलता से ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ तथा ₹18.73 करोड़ की राशि एलडी. की वसूली

⁶ ठेकेदारों को किये गए भुगतान के आधार पर प्रगति की संगणना की गई है तथापि किये गए कार्य से अधिक भुगतान के कुछ मामले भी पाए गये थे जैसा की पैरा के भाग "ब" में दर्शाया गया है।

नहीं की गई। चूंकि विलंब के कारण समाप्त की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को ₹22.58 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मंजूरी देनी पड़ी, अतः सरकारी खजाने को भी समान राशि के बराबर नुकसान हुआ।

सितंबर 2018 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया तथा उनका जवाब प्रतीक्षित (दिसम्बर, 2020) था।

(बी) समाप्त की गई परियोजनाओं में ठेकेदारों को गलत भुगतान

समाप्त की गई 173 परियोजनाओं से सम्बंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि कंपनी ने इन परियोजनाओं में किये गए वास्तविक कार्य की जांच मापन पुस्तिका (एम.बी.ज.) में दर्ज कार्य से की गई। इस जांच से पता चला कि समाप्त की गई 173 सड़क परियोजनाओं में से 121⁷ परियोजनाओं में साइट पर निष्पादित वास्तविक कार्य के बजाय गलत माप दर्ज कर ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किया गया। इससे ₹19.30 करोड़ का गलत भुगतान हुआ। कंपनी के द्वारा की गई जांच से पता चला कि लातेहार जिले में चार पुलों के निर्माण के लिए परियोजनाओं तथा पश्चिमी सिन्धभूम में तीन सड़क परियोजनाओं के मामले में मापन पुस्तिका (एम.बी.ज.) में निष्पादित कार्य के लिए माप गलत तरीके से दर्ज किये गए थे जिसके आधार पर ठेकेदारों को कोई कार्य निष्पादित नहीं करने के बाद भी ₹1.90 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कंपनी ने ₹19.30 करोड़ रूपए के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए ठेकेदारों को जनवरी 2017 से जनवरी 2018 के दौरान कानूनी नोटिस जारी किए थे। हालांकि कानूनी नोटिस जारी करने में संविदा समाप्त किए जाने की तिथि से 59 से 861 दिनों का विलंब हुआ था। तत्पश्चात ठेकेदारों से उपरोक्त राशि की वसूली के लिए कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के पास मामले भी दायर किए। हालांकि आज तक कोई वसूली नहीं की जा सकी है।

⁷ पश्चिम सिंधभूम में 22 सड़क परियोजनाएं, पूर्वी सिंधभूम में 16 सड़क परियोजनाएं, साराइकेला में 21 सड़क परियोजनाएं, गुमला में 48 सड़क परियोजनाएं तथा लातेहार में 14 पुलों का निर्माण

लेखापरीक्षा ने आंतरिक जांच तथा निगरानी तंत्र के कार्य में कमियां पाई। पश्चिम सिंहभूम और गुमला में 37 परियोजनाओं से संबंधित रनिंग एकाउंट बिलों तथा मापन पुस्तिका (एम. बीज) की नमूना जांच से पता चला कि 15 मामलों में ठेकेदारों को भुगतान माप की तिथि को किया गया था जो ठेकेदारों को भुगतान से पहले काम के मापन की सत्यापन प्रक्रिया में खामियों का संकेतक है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि परिचालन⁸ नियमावली (पैरा 11.5.7) में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं से विचलन हुआ था। नियमपुस्तिका ने राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एस.क्यू.सी.) के द्वारा प्रत्येक कार्य के न्यूनतम तीन परीक्षणों को है। हालांकि पश्चिम सिंहभूम और गुमला में परियोजनाओं की, जहां ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान के अधिकतर मामले में पाए गए, समीक्षा से पता चला कि एस.क्यू.सी. के द्वारा निर्धारित निरीक्षण में अत्यधिक देरी हुई तथा निरीक्षण ठोषपूर्ण भी थे। इन दोषों ने ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान कराया।

अपने उत्तरों (अक्टूबर, 2018 तथा सितंबर, 2020) में प्रबंधन ने ठेकेदारों के अतिरिक्त भुगतान किए जाने की स्वीकृति की तथा कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसा कि समुचित है, की गई। इसके अलावा ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के अतिरिक्त संविदात्मक तथा कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई थी तथा वसूली की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने के निर्देश दिए गये थे। इसने साइट पर किए गए वास्तविक काम के बिना ठेकेदारों को भुगतान की एक अनुमान बताया। इसमें कहा गया कि ऐसे मुद्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जोन के कामकाज की निकटता से निगरानी की जा रही है। तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में सुधार किया गया है और लगातार साइट के निरीक्षण एवं और आकस्मिक जांच की सलाह दी गई थी।

उत्तर ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किए जाने की स्वीकृति करते हैं। हालांकि यह भी देखा गया कि एफ.आई.आर दर्ज कराने की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं

⁸ पीएमजीएसवाई वर्क के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा जारी

कराई गई थी। इसके अतिरिक्त शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने का प्रबंधन का निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है।

इस प्रकार रोके गए 121 अनुबंधों के मामले में ठेकेदारों को वास्तव में काम किए बिना ही कंपनी द्वारा ₹19.30 करोड़ रुपए का गलत भुगतान किया गया। यह भुगतान आंतरिक जांच और निगरानी तंत्र के द्वारा किए गए काम को दर्ज करने तथा उसके किए गए भुगतान से सहसंबद्ध करने में खामियां दर्शाते हैं।

यह मामला सितंबर 2018 में मंत्रालय को सूचित किया गया। उनका उत्तर (दिसंबर 2020) प्रतीक्षित है।

परमाणु उर्जा विभाग

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4.5 कर्मचारियों को अस्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ते के रूप में ₹5.42 करोड़ का भुगतान किया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 4 दिसंबर 1979 को जारी किए कार्यालय आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों को छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत वेतन के रूप में परिवार नियोजन भत्ता (एफ.पी.ए.) प्रदान किया। छठे वेतन आयोग में, इस व्यक्तिगत वेतन को एक निश्चित मासिक भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया था।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में एफ.पी.ए. को खत्म करने की सिफारिश की गई क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के बीच उपयुक्त पारिवारिक आकार के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ गया था और जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से अब एक अलग भत्ते की आवश्यकता नहीं थी। भत्तों संबंधी समिति ने सातवें वेतन आयोग की इस अनुशंसा को स्वीकार किया एवं वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने तदनुसार 01 जुलाई 2017 से एफ.पी.ए. को बंद करने के आदेश⁹ पारित किए।

⁹ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ओ.एम.एफ.नं. 12(4)/2016-ईIII.ए दिनांक 07 जुलाई 2017.

एम.ओ.एफ. के आदेशों को परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.ई.) सहित सभी घटक इकाईयों को (14 जुलाई 2017) आवश्यक कार्यवाई हेतु अवगत कराया। इसके बाद, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) ने भी एम.ओ.एफ. के उपर्युक्त निर्देशों का हवाला देते हुए, केंद्रीय महंगाई भत्ता (सी.डी.ए.) पैटर्न का पालन करने वाले केंद्रीय पी.एस.ई. के संदर्भ में 01 जुलाई 2017 से एफ.पी.ए. का भुगतान बंद करने के निर्देश¹⁰ जारी किए।

डी.ए.ई. के अंतर्गत आने वाले एक पी.एस.ई., न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने (24 अगस्त 2017) डी.ए.ई. से यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या छोटे परिवार के मानदंडों के पालन हेतु प्रोत्साहन जारी रखा जाना चाहिए या अन्यथा, क्योंकि एन.पी.सी.आई.एल. की छोटे परिवार के मानदंडों की प्रोत्साहन योजना, 1991 एन.पी.सी.आई.एल. के लिए विशिष्ट थी और इसे निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था। उपर्युक्त डी.पी.ई. के आदेशों का हवाला देते हुए, डी.ए.ई. ने स्पष्ट किया (12 अप्रैल 2019) कि एम.ओ.एफ. के दिनांक 07 जुलाई 2017 के निर्देशानुसार एफ.पी.ए. को एन.पी.सी.आई.एल. में बंद करने की आवश्यकता है।

एन.पी.सी.आई.एल. ने, हालांकि, छोटे परिवार के मानदंडों को पालन करने की प्रोत्साहन योजना को 01 मई 2019 से वापस लेने के लिए मंडल को एक प्रस्ताव भेजा। मंडल ने (जुलाई 2019) प्रोत्साहन को 01 अगस्त 2019 से बंद करने की मंजूरी दे दी। डी.पी.ई. और डी.ए.ई. के निर्देशों के बावजूद, जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा एफ.पी.ए. का निरंतर भुगतान अनियमित था, और परिणामस्वरूप एफ.पी.ए. के रूप में ₹5.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2020) कि एन.पी.सी.आई.एल. को डी.पी.ई. के दिशा निर्देशों से छूट दी गई है एवं एन.पी.सी.आई.एल. कैबिनेट द्वारा अनुमोदित परमाणु उर्जा आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संचालित होती है।

¹⁰ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, डी.पी.ई. ओ.एम.नं. डब्ल्यू.02/0058/2016-डी.पी.ई.(डब्ल्यू.सी.)-जी.एल.-XIII./18 दिनांक 21 मई 2018

एन.पी.सी.आई.एल. ने आगे बताया कि छोटे परिवार के मानदंडों के पालन हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान जारी रखने या बंद करने का मामला डी.ए.ई. को केवल स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया था और अनुमोदन के लिए नहीं। डी.ए.ई. से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, मामले को एन.पी.सी.आई.एल. के निदेशक मंडल के सामने रखा गया, जिसने 01 अगस्त 2019 से योजना को वापस लेने की अनुमति प्रदान की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डी.ए.ई. ने प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते, अपने स्पष्टीकरण में (12 अप्रैल 2019) स्पष्ट रूप से कहा था कि एम.ओ.एफ. और डी.पी.ई. के निर्देश एन.पी.सी.आई.एल. पर भी लागू थे और जिसके चलते, यह प्रोत्साहन 01 जुलाई 2017 को बंद किया जाना चाहिए था। एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा योजना को 01 जुलाई 2017 के बजाए 01 अगस्त 2019 से बंद करने का निर्णय, डी.ए.ई. के निर्देशों के उल्लंघन में था और परिणामस्वरूप एन.पी.सी.आई.एल. के कर्मचारियों को ₹5.42 करोड़ के भत्ते का अनुचित भुगतान हुआ।

यह मामला डी.ए.ई. के संज्ञान में जनवरी 2020 में लाया गया था; जिसका जवाब दिसंबर 2020 तक अपेक्षित था।

दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (अब दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन)

डी.एन.एच. ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड

4.6 ऑनलाइन बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रेषण की प्राप्ति

ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा प्रदाता द्वारा 36 दिनों से 241 दिनों की अवधि हेतु ₹94.19 करोड़ के प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ के ब्याज की हानि।

डी.एन.एच. ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने कंपनी के ग्राहकों द्वारा भुगतान और ऑनलाइन बिल भुगतान के संग्रहण हेतु प्रसंस्करण तंत्र से संबंधित प्रबंधन सेवाओं के लिए मैसर्स इंडियाआईडियाज़डॉटकॉम लिमिटेड (बिल डेस्क के रूप में भी जाना जाता है) के साथ एक समझौता किया (मई 2013)। भारतीय

रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भागीदार बैंकों / नोडल बैंकों में रखे गए नामित बैंक खातों में मैसर्स इंडियाआईडियाज़ द्वारा ग्राहक भुगतान प्राप्त करना तथा एकत्र करना और फिर कंपनी को हस्तांतरित करना आवश्यक था।

समझौते के खंड 4.2 में यह प्रावधान है कि मैसर्स इंडियाआईडियाज़ यह सुनिश्चित करेगा कि भागीदार बैंक/ नोडल बैंक वैध बिल राशियों को T +1¹¹ दिन के भुगतान व्यवस्था के साथ एकत्र कर के कंपनी को जारी करेगा, लेखा परीक्षा ने पाया कि कंपनी को वैध भुगतानों के विलंबित प्रेषण की स्थिति में मैसर्स इंडियाआईडियाज़ या किसी अन्य उपाय पर लगाए जाने वाले ब्याज/दंड के संबंध में समझौते में कोई विशेष प्रावधान नहीं था।

समझौते के खंड 4.7 की सूची ए में यह भी प्रावधान है कि कंपनी को इस तरह के बिल भुगतानों और प्राप्तियों के उचित सामंजस्य के बाद, एक महीने में कम से कम एक ऐसी पुष्टि के अधीन पारस्परिक रूप से सहमत अंतराल पर मैसर्स इंडियाआईडियाज़ से प्राप्त भुगतानों की पुष्टि करनी चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा करने पर लेखा परीक्षा ने पाया कि आठ मामलों में कंपनी को उपभोक्ताओं से मैसर्स इंडियाआईडियाज़ द्वारा एकत्र की गई राशि पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान प्रेषण के आठ मामलों में कंपनी ने कंपनी उपभोक्ताओं से मैसर्स इंडियाआईडियाज़ द्वारा एकत्र किए गए ₹104.66 करोड़ के कुल बकाए में से केवल ₹10.47 करोड़ प्राप्त किए। कंपनी ने प्राप्तियों में कमी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के साथ भुगतानों का समाधान समय-समय पर नहीं किया गया था। ₹94.19 करोड़ की राशि 36 से 241 दिनों की अवधि के लिए अप्राप्त रही। ₹94.19 करोड़ की अप्राप्त राशि आखिरकार कंपनी द्वारा 17 मई 2014 को प्राप्त की गई। 36 दिनों से लेकर 241 दिनों तक की अवधि के लिए ₹94.19 करोड़ की राशि के प्रेषण में कमी के कारण कंपनी को ₹4.08 करोड़¹² के ब्याज की हानि हुई।

¹¹ 'टी' लेनदेन के पूरा होने के बारे में सूचना देने का दिन है।

¹² 12 प्रतिशत की दर को समझौते के खंड 5.3 से अपनाया गया।

लेखा परीक्षा ने विलंबित भुगतान पर ब्याज की हानि पर इंगित किया कि कंपनी ने मैसर्स इंडियाआईडियाज़ से कंपनी को राशि भेजने में बिलम्ब हेतु ब्याज का दावा किया।

हालांकि मैसर्स इंडियाआईडियाज़ ने कहा कि प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण आठ लेनदेन के एवज में प्रेषित राशि काट दी गई तथा जो राशि ग्राहकों से एकत्र की गई वो राशि ग्राहक के बैंक से एक नोडल बैंक में और फिर नोडल बैंक से सीधे कंपनी में स्थानांतरित कर दी गई तथा पैसा मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के पास कभी नहीं था। कंपनी ने मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के विवाद को स्वीकार किया और यह माना कि तकनीकी खामी मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के नियंत्रण से बाहर है, ब्याज की वसूली के दावे को आगे नहीं बढ़ाया गया।

प्रबंधन ने (जुलाई 2019) कहा कि आठ लेनदेन के संबंध में कमी तकनीकी खामी के कारण कार्य कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवधि में हुई थी जिसके कारण नोडल बैंक से कंपनी बैंक खाते में केवल 10 प्रतिशत धन स्थानांतरित हुआ था जिससे शेष राशि 90 प्रतिशत नोडल बैंक खाते में ही रह गई थी। उसने आगे बताया कि मई 2014 के बाद प्रणाली में तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद से इस तरह की त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं हुई। समझौते के खंड 5.3 के अंतर्गत जांच की आवश्यकता वाले किसी भी धोखाधड़ी लेनदेन का संदेह नहीं था। इसलिए समझौते के पैरा 5.3 के अंतर्गत उल्लिखित 12 प्रतिशत के आधार पर ब्याज के नुकसान का दावा / गणना करना न तो का सुधारात्मक कार्रवाई होगी और न ही न्यायसंगत होगा।

संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली प्रशासन प्रबंधन के जवाब का समर्थन (सितंबर 2019) करता है।

हालांकि कंपनी और सेवा प्रदाता की प्रक्रिया में सुधार करने और पुनरावृत्ति को रोकने के प्रयासों की सराहना की जाती है, कंपनी आठ महीने तक की अवधि के लिए ₹94.19 करोड़ प्राप्त करने में विफल रही। यह देरी कंपनी द्वारा समय पर ढंग से खातों के सामंजस्य न करने के कारण हुई, जिससे ₹4.08 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। चूंकि यह समझौते में परिभाषित सेवाएं प्रदान करने के

लिए मैसर्स इंडियाआइडिया पर निर्भर था, इसलिए यह अपनी गलती के कारण किसी भी रोके गए भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी ने मैसर्स इंडियाआइडिया के साथ विलंबित प्रेषण पर ब्याज के अपने दावे को भी छोड़ दिया। इस मामले को सेवा प्रदाता के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है तथा ब्याज राशि की वसूली के लिए कानूनी उपाय शुरू किए जाना चाहिए।

अध्याय V : विदेश मंत्रालय

पासपोर्ट सेवा परियोजना डिवीजन

5.1 सेवा प्रभारों की दर का गलत अनुप्रयोग अधिक भुगतान का कारण बना

विदेश मंत्रालय ने जून 2015 से फरवरी 2020 तक के दौरान पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण सेवा प्रदाता को पासपोर्ट सेवाओं हेतु ₹2.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

मई 2015 तक वाक इन आवेदनों के लिए पासपोर्ट सेवाओं के सेवा प्रदाता (एसपी) को ₹199 प्रति आवेदन की दर पर भुगतान के संबंध में सीएजी के 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 7 के पैरा 4.2.2 में उल्लेख किया गया था। चूंकि जुलाई 2012 से केवल ऑनलाईन अपाइंटमेंट ही अनुमत किए जा रहे थे इसलिए यह एसपी को अधिक भुगतान का कारण बना। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में एसपी से की गई वसूलियों के संबंध में लोक लेखा समिति (पीएसी) को सूचित किया (अप्रैल 2017)।

पासपोर्ट सेवा योजना, सेवाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के अंतर्गत सरकार की पहली परियोजनाओं में से एक थी। योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निजी भागीदार अर्थात् मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), जिसका सार्वजनिक प्रतियोगी प्रापण प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है, के साथ कार्यान्वित किया गया था।

एमईए तथा टीसीएस अर्थात् एसपी के बीच किए गए मुख्य सेवा अनुबंध (एमएसए) (अक्टूबर 2008) की अनुसूची VI के अनुसार, सेवा प्रभारों का भुगतान एसपी द्वारा संसाधित आवेदनों के त्रैमासिक मात्रा के आधार पर किया जाना था। उन आवेदकों, जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन किया, के लिए सेवा प्रभार वाक इन आवेदक हेतु लागू मूल सेवा प्रभार का 75 प्रतिशत होगा। वाक इन आवेदकों के मामले में काउंटर संचालक को आवेदन प्रपत्र भरने में आवेदक की सहायता करना अपेक्षित था तथा इस प्रकार डाटा-एट्री तैयार की जाती थी तथा

सिस्टम में आवेदन प्रस्तुत किया जाता था। दूसरी ओर, ऑनलाईन आवेदक निर्धारित तिथि तथा समय पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) में जाने से पहले स्वयं ही यह सारे कार्यकलाप पूरे करते हैं। इस प्रकार, चूंकि ऑनलाईन आवेदकों की तुलना में वाक इन आवेदकों के मामलों में एसपी द्वारा अधिक सेवा प्रदान की गई थी इसलिए वाक इन आवेदकों हेतु सेवा प्रभार की दरें अधिक थीं जैसा नीचे तालिका सं.1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1 सेवा प्रभारों की दरें

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | त्रैमासिक मात्रा | <=15 लाख |
|---------|---|----------|
| I | वाक इन आवेदकों हेतु सेवा प्रभार की दर | 199.00 |
| II | ऑनलाईन आवेदकों हेतु सेवा प्रभार की दर (उपरोक्त I की 75% की दर से) | 149.25 |

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) ने पासपोर्ट इच्छुकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा उन लोगों के सेवा प्रदान करने के लिए भी जो कार्य दिवसों के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में नहीं जा सकते थे, के लिए पासपोर्ट *मेलों* का आयोजन प्रारम्भ किया (जून 2012) जिनका आयोजन शनिवार एवं रविवार तथा अन्य छुट्टियों में किया गया था।

एसपी को सेवा प्रभारों के भुगतानों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए गए भुगतानों में मेला योजना के अंतर्गत संसाधित 5.82 लाख आवेदनों हेतु भुगतान शामिल था। इन मेलों में भाग लेने के लिए, प्रत्याशित आवेदकों को एमईए की अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीकरण करना, आवेदन पंजीकरण संख्या (एआरएन) उत्पन्न करना, ऑनलाईन शुल्क अदा करना तथा फिर अपाइंटमेंट लेना था। मेला में भाग लेने वाले आवेदकों को संबंधित पीएसके में मूल में अपेक्षित दस्तावेजों तथा स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपियों के एक सेट के साथ अपाइंटमेंट विवरणों सहित एआरएन का प्रिंट आउट लाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसपी ने मेला आवेदकों के लिए ऑनलाईन आवेदकों हेतु लागू ₹149.25 की बजाए ₹199 प्रति आवेदन की दर अर्थात् वाक इन आवेदकों हेतु लागू दर पर सेवा प्रभार का दावा किया। यह इस तथ्य के बावजूद

था कि मेला आवेदकों को ऑनलाइन आवेदकों की तरह ही आवेदनों को भरने की वही प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक था। इस संबंध में यह इंगित किया जाता है कि जुलाई 2012 के पश्चात कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़ कर केवल ऑनलाइन अनुप्रयोगों की प्रणाली ही थी। इसका परिणाम एसपी को जून 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान संसाधित 5.82 लाख मेला आवेदनों के लिए कुल ₹2.89 करोड़¹ के अधिक भुगतान में हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2020), एमईए ने बताया (अक्टूबर 2020) कि पासपोर्टों की भारी मांग को पूरा करने के लिए सप्ताहांत तथा अवकाश के दिनों में पासपोर्ट *मेलों* का आयोजन किया गया था जिसमें एसपी की ओर से काफी अधिक मानव सहभागिता स्तर तथा प्रबंधन प्रयास अपेक्षित थे। उसने यह भी बताया कि इस पहल के अंतर्गत आवेदकों को बिना किसी अपाईटमेंट के विशिष्ट दिनों को पीएसके/पीओ में अपनी भौतिक आवेदन जमा करने को अनुमत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एसपी को शुल्क संग्रहण, प्रत्येक मामले में फाईल संख्या को आबंटित करने तथा अतिरिक्त प्रशासनिक एवं संचालन सहायता प्रदान करने में सरकारी स्टाफ को सहायता करना भी अपेक्षित था। इस प्रकार, उसने *मेलों* के दौरान प्राप्त आवेदनों पर ₹199 प्रति आवेदन के भुगतान को अनुमोदित किया।

एमईए का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसपी को भुगतान संसाधित आवेदनों के आधार पर किया जा रहा था तथा *मेलों* के दौरान आवेदनों को संसाधित करने में वही कार्य स्तर शामिल था जो सामान्य ऑनलाइन आवेदनों के मामले में होता है। यह तर्क कि *मेलों* के दौरान एसपी भौतिक आवेदनों को संभालने तथा आवेदकों से शुल्क के संग्रहण में सहायता प्रदान कर रहे थे, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन मामलों में भी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना तथा अपाईटमेंट विवरणों के साथ एआरएन का एक प्रिंट आउट लाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त यह मेले बड़े पैमाने पर ऑनलाइन जमा करे गए

1

| | ऑनलाइन आवेदकों की संख्या | वसूली गई दर (₹ में) | वसूले जाने वाली दर (₹ में) | आधिक्य (₹ में) | वसूलनीय राशि (581544 × 49.75) (₹ में) |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| जून 15 से फरवरी 20 | 5,81,544 | 199.00 | 149.25 | 49.75 | 2,89,31,814.00 |

लंबित आवेदनों पर ध्यान देने पर आशयित थे तथा इसलिए आवेदनों के बकाया/जमघट का निपटान करने हेतु एसपी को अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान उचित नहीं था।

इसके अतिरिक्त, एमईए का उत्तर (अक्टूबर 2020) इसके पिछले उत्तर मार्च 2020 के विपरीत भी था। उसने तब सूचित किया था कि मार्च 2017 से नवम्बर 2018 तक के दौरान वाक इन दरों पर ऑनलाईन मेला आवेदनों हेतु एसपी को किए गए भुगतान की समीक्षा की गई थी तथा वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी।

इस प्रकार, पासपोर्ट मेलों के दौरान पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों की गलत दर के प्रयोग का परिणाम जून 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए एसपी को ₹2.89 करोड़ के अनुचित अधिक भुगतान में हुआ।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

5.2 अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों द्वारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना की गई थी। एसएयू अधिनियम के अधीन, अध्यक्ष तथा अन्य संकाय सदस्यों को उनके वेतन के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 15 जनवरी 2009 को विदेश मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कर छूट के योग्य बनाते हुए एक अधिसूचना जारी की जोकि एसएयू अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी। कुलसचिव को आयकर में प्रदान की गई अनियमित छूट का परिणाम सरकारी राजकोष को ₹90.06 लाख की हानि के रूप में रहा।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु नवंबर 2005 में तेरहवें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन पर प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में एक अन्तर-शासकीय अनुबंध पर आठ देशों² के बीच अप्रैल 2007 में हस्ताक्षर किए गए जिसमें तय किया गया कि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर भारत में स्थित होगा। तत्पश्चात

² अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका

विश्वविद्यालय के कार्य तथा प्रचालन हेतु एक समग्र रूपरेखा तथा विश्वविद्यालय तथा मेजबान देश के बीच संबंधों को नियमित करने हेतु नवंबर 2008 में भारत सरकार तथा सार्क सचिवालय के मध्य मुख्यालय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अन्तर-शासकीय अनुबंध के नियमों के कानून के प्रावधान देने हेतु दिनांक 11 जनवरी 2009 को राजपत्र के माध्यम से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) अधिनियम, 2008 अभिनीत तथा अधिसूचित किया गया।

अन्तर-शासकीय अनुबंध के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित संस्थापक राज्यों के नागरिकों के कराधान को संबंधित राज्यों के राष्ट्रीय कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा। मेजबान देश के अलावा अन्य देशों के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अपने गृह देशों के आयकर नियमों द्वारा शासित किया जाएगा तथा मेजबान देशों के नियमों के अनुसार करारोपण नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एसएयू अधिनियम का खंड 14 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष तथा शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य ऐसे विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का लाभ उठाएंगे जैसा कि संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 केन्द्र सरकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, संधिपत्र इत्यादि के अनुसरण में ऐसे अनुबंध, संधिपत्र इत्यादि को लागू करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उनके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों पर कुछ विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अनुरूप विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 15 जनवरी 2009 में विश्वविद्यालय, परियोजना कार्यालय तथा इसके कर्मचारियों, अध्यक्ष, कुलसचिव तथा संकाय सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी की जिसमें कर छूट परस्पर सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अधिसूचना में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को आयकर छूट प्रदान करने के लिए विशेषाधिकारों को गलत रूप में बढ़ाया गया जबकि मुख्यालय के अनुबंध में यह साफतौर पर वर्णित था कि कर छूट का लाभ केवल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तथा संकाय सदस्यों को ही मिलेगा। राजपत्र अधिसूचना में कुलसचिव के पद को शामिल करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

इसके अलावा, संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कुलसचिव के पद पर पदाधिकारी भारतीय नागरिक थे जो भारत सरकार के कराधान कानूनों के अधीन हैं। उन्होंने जुलाई 2011 से दिसंबर 2017 के दौरान उनके कुल ₹3.31 करोड़ की वेतन आय पर कुल ₹90.06 लाख के आय कर का भुगतान नहीं किया। अतः एमईए की विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कर छूट प्रदान करने की अधिसूचना अनियमित थी तथा सरकारी राजकोष को उस सीमा तक हानि का कारण बनी।

एमईए ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितता को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा सूचित किया (अगस्त 2020) कि 15 जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना का संशोधन करके पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 'कुलसचिव' शब्द को इससे हटाने के प्रस्ताव को विधि तथा न्याय मंत्रालय ने सहमति दी है तथा एमओएफ की सहमति प्रतीक्षित है।

भारतीय उच्च आयोग, लंदन

5.3 क्षतिपूर्ति की प्राप्ति एवं उपयोग में अनियमितताएं

भारतीय उच्च आयोग (मिशन) ने निजी पार्टी को यह प्राधिकृत करते हुए अनियमित रूप से शामिल किया: (i) अपने निजी बैंक खाते में ₹78.41 लाख³ की सरकारी प्राप्तियों को प्राप्त करना एवं बनाए रखना और (ii) मिशन के अपने व्यय के लिए प्राप्तियों के बड़े हिस्से का वितरण करना।

“द नेहरु केन्द्र” (टीएनसी)⁴ के निकट संपत्ति एवं भारतीय उच्च आयोग, लंदन (मिशन) की कुछ अन्य संपत्तियां⁵ मै. कॉडवेल प्रोपर्टीज लिमिटेड (डेवलपर)

³ जीबीपी 90,000 (दिसम्बर 2017 में ₹87.12 की आरओई पर आधारित)

⁴ टी एन सी-8- साउथ औडले स्ट्रीट, लंदन

⁵ एच सी आई हाऊस-51 हिल स्ट्रीट, लंदन

द्वारा पुनर्विकसित की जा रही थी। यू.के. की प्रचलित भवन विधि⁶ के संदर्भ में, डेवलपर ने समीपवर्ती क्षेत्र में पुनर्विकास को पूरा करने की अपनी योजना पूर्वकथित शामिल संपत्तियों के मालिक होने के नाते, मिशन को (6 अप्रैल 2016) अधिसूचित किया। डेवलपर की सलाह पर मिशन ने पुनर्विकास को ध्यान में रखते हुए अपने हित को सुरक्षित करने के लिए एक सर्वेक्षक की नियुक्ति की।

डेवलपर, सर्वेक्षक एवं मिशन अधिकारियों के बीच कई बैठकों एवं संसूचना के आदान-प्रदान के बाद 19 दिसम्बर 2016 को मिशन (भारत संघ की ओर से) एवं डेवलपर के बीच बाद में एक अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध में एचसीआई की आसन्न संपत्ति के संबंध में डेवलपर को निश्चित अधिकार दिए गए जिसके बदले में पुनर्विकास कार्य से उत्पन्न शोर एवं धूल प्रदूषण को कम करने के लिए मिशन हेतु निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहमति हुई। इन निर्माण कार्यों में 8, दक्षिण औडले स्ट्रीट (टीएनसी) एवं 51, हिल स्ट्रीट में स्थित मिशन की आसन्न संपत्तियों में सेकेण्डरी ग्लेजिंग एवं फ्री-स्टेडिंग कूलिंग सिस्टम्स लगाने के प्रावधान को शामिल किया गया। मिशन ने सुरक्षा के रूप में डेवलपर के साथ जीबीपी 150,000 के निलंब खाते की स्थापना करने के लिए एक अनुबंध (21 दिसम्बर 2016) भी हस्ताक्षरित किया, ताकि यदि डेवलपर ने अनुज्ञप्ति अनुबंध के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो इसे लागू किया जाएगा। ये दोनों ही अनुबंध पर डीएचसी/कार्यकारी एचसी के अनुमोदन द्वारा हस्ताक्षरित किये गए थे परन्तु ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे जो यह दर्शाए कि अनुबंधों हेतु मंत्रालय का अनुमोदन लिया गया हो।

उपरोक्त अनुबंध से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों की जांच पर आधारित लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियां, सहमत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित आगामी विकास एवं इसके बदले में क्षतिपूर्ति का भुगतान तथा उसका उपयोग का विवरण निम्नवत पैराग्राफों में दिया गया है।

⁶ पार्टी वॉल एक्ट

5.3.1 सहमत निर्माण कार्यों के बदले क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हेतु अपारदर्शी एवं अनधिकृत प्रबंध

सहमत निर्माण कार्यों में से डेवलपर केवल 51, हिल स्ट्रीट में सेकेण्डरी ग्लेजिंग को पूरा करने में सक्षम रहा। वह टीएनसी में सेकेण्डरी ग्लेजिंग को पूरा नहीं कर सका क्योंकि स्थानीय परिषद⁷ से अपेक्षित 'सूचीबद्ध भवन सहमति' नहीं मिल रही थी। उसने कूलिंग सिस्टम्स उपलब्ध कराने का कार्य भी पूरा नहीं किया। डेवलपर बचे हुए निर्माण कार्यों अर्थात् टीएनसी में सेकेण्डरी ग्लेजिंग एवं फ्री कूलिंग सिस्टम्स को लगाने के बदले में मिशन के माध्यम से भारत संघ को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। डेवलपर एवं मिशन अधिकारियों के बीच ई-मेल के आदान-प्रदान के पश्चात् मिशन ने डेवलपर को जीबीपी 90,000 को क्षतिपूर्ति के रूप में एवं ऐसे भुगतान की शर्तों को स्वीकार करने के लिए अपने अनुबंध (28 नवम्बर 2017) से अवगत कराया।

जैसाकि मिशन के अभिलेखों में कोई भी दस्तावेजीकरण एवं कार्य-पत्र उपलब्ध नहीं थे कि कैसे क्षतिपूर्ति राशि को तय किया गया, मिशन द्वारा सहमत क्षतिपूर्ति की यथार्थता एवं पर्याप्तता का साक्ष्य नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में कुछ भी नहीं था जो उस स्तर को दर्शाए जिस पर डेवलपर से जीबीपी 90,000 की क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिए निर्णय लिया गया या यदि मंत्रालय का अनुमोदन मांगा गया था। फिर भी, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि क्षतिपूर्ति की स्वीकृति ई-मेल द्वारा तत्कालीन प्रथम सचिव (पी एण्ड एम)⁸ द्वारा दी गयी। जो तत्कालीन निदेशक, टीएनसी एवं मिशन के कार्यालय प्रमुख (एचओसी) को भी अनुलेखित किया गया था। इसे क्षतिपूर्ति की प्राप्ति से संबंधित मामलों को देखने के लिए मिशन द्वारा गठित जांच समिति⁹ (आईसी) द्वारा परिपुष्ट किया गया।

⁷ वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल (डब्ल्यूसीसी)

⁸ पी एण्ड एम: संपत्ति एवं अनुरक्षण

⁹ मंत्री (आर्थिक) के नेतृत्व में, द्वितीय सचिव (पीआईई), चांसरी के प्रमुख एवं द्वितीय सचिव (राजनीतिक, पी एण्ड एम) सहित टीम के अन्य सदस्य, अक्टूबर 2020 में मंत्रालय की लेखापरीक्षा के दौरान, आईसी की जांच प्रस्तुत की गई थी।

5.3.2 क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के लिए निजी संस्था का अनियमित एवं अनधिकृत नामांकन

क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु डेवलपर को तत्कालीन एफएस (पी एण्ड एम) से उपरोक्त ई-मेल में उल्लिखित हुआ कि जीबीपी 90,000 की क्षतिपूर्ति मि. क्रिस्टोफर चैपलिन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बजाज एण्ड संस लिमिटेड के माध्यम से अनुग्रह भुगतान के रूप में होगी। जबकि उपरोक्तानुसार आईसी ने उल्लेख किया है कि एफएस (पी एण्ड एम) द्वारा ई-मेल तत्कालीन निदेशक टीएनसी एवं एचओसी को अनुलेखित किया गया जिससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शाए कि मिशन में किसने निजी खाते में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया। निजी संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने एवं रखने हेतु प्रबंध के लिए संदर्भ दिए जाने का या मंत्रालय से मांगे जा रहे अनुमोदन का भी कोई साक्ष्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि क्षतिपूर्ति पर डेवलपर के साथ मिशन की पूर्व संसूचना¹⁰ का है। बजाज एण्ड संस, जिन्होंने भुगतान की प्राप्ति के लिए बाद में प्राधिकृत किया था, का कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया था। इस मामले में ऐसा पहला संदर्भ डेवलपर को मिशन की केवल अंतिम संसूचना (28 नवम्बर 2017) में दिया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान मिशन इन दोनों एजेंसियों की नियुक्ति के समर्थन में कोई भी अभिलेख नहीं दे सका और न ही वो उनके पूर्ववत से संबंधित जैसे मिशन द्वारा ऐसे कोई पूर्व कार्य इत्यादि के अभिलेख दे सका। इसके अतिरिक्त, संविदा/अनुबंध पर उनके साथ रूपरेखा के साथ-साथ नियुक्ति की शर्तें एवं कार्य क्षेत्र तथा देय पारिश्रमिक के लिए हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात्, आईसी ने रिपोर्ट किया कि है. बजाज एण्ड संस लिमिटेड का प्रथम सचिव (पी एण्ड एम) की सिफारिश एवं तत्कालीन डीएचसी के अनुमोदन पर डेवलपर (जुलाई 2017) के साथ मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त किया गया था। बदले में इस फर्म ने संपर्क बनाए रखने हेतु मि. क्रिस्टोफर चैपलिन को नियुक्त किया। इन एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए मंत्रालय से मिशन द्वारा कोई संदर्भ दिए जाने का या मांगे जा रहे अनुमोदन का कोई साक्ष्य नहीं था।

¹⁰ मई 2017 से 27 नवम्बर 2017 तक

लेखापरीक्षा ने यह भी बताया कि यद्यपि मै. बजाज एण्ड संस को इस समझ पर नियुक्त किया गया था कि वह किसी शुल्क को प्रभारित नहीं करेगा, फिर भी फर्म ने क्षतिपूर्ति से जो प्राप्त हुआ था उससे क्रमशः मार्च तथा नवम्बर 2018 में जीबीपी 6,000 (₹5.50 लाख)¹¹ तथा जीबीपी 9,700 (₹9.56 लाख)¹² के शुल्कों की कटौती की। किए गए भुगतानों हेतु मिशन या मंत्रालय से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया।

5.3.3 निजी पार्टी द्वारा सरकारी धन का अनियमित प्रतिधारण

मिशन ने मै. बजाज एण्ड संस को डेवलपर से प्राप्त क्षतिपूर्ति को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय इसे अपने खाते में रखने की स्वीकृति दी थी। यह केन्द्रीय प्राप्ति एवं भुगतान (आर एण्ड पी) नियमावली, 1983 के नियम 6(1) का उल्लंघन था जो सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारियों को राजस्व अथवा प्राप्तियों अथवा सरकार को देय होने के कारण प्राप्त अथवा दी गई सभी समग्र धनराशि को बिना किसी देरी के, पूर्ण रूप से सरकारी खाते में समावेशन हेतु निर्धारित बैंक खाते में जमा किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन के पास मै. बजाज एण्ड संस द्वारा डेवलपर से प्राप्त वास्तविक धनराशि का कोई विवरण नहीं था। यह केवल फरवरी 2019 में था कि प्राप्ति तथा व्यय की एक अहस्ताक्षरित विवरणी मिशन को प्रेषित की गई थी।

आईसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया था कि इन अभिलेखों में सरकार की प्राप्तियों को निजी खाते में रखने के कारणों तथा उस व्यक्ति के बारे में जिसने यह निर्णय लिया था, के बारे में किसी सूचना को खोजने में असमर्थ था अतः सरकारी धन 19 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए सरकारी खाते से अनियमित रूप से बाहर रखा गया।

5.3.4 विभागीय व्यय हेतु विभागीय प्राप्तियों के अनियमित उपयोग

केन्द्रीय प्राप्ति एवं भुगतान (आर एण्ड पी) नियमावली 1983 के नियम 6(1) के अनुसार, सरकारी प्राप्तियों के रूप में प्राप्त धन को विशिष्ट परिस्थितियों को

¹¹ मार्च 2018 में ₹91.67 की आरओई पर आधारित

¹² नवम्बर 2018 में ₹98.86 की आरओई पर आधारित

छोड़कर न तो 'विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा' और न ही 'अन्यथा सरकारी खातों से अलग रखा जाए'।

मौजूदा नियमों के उल्लंघन में, सरकारी खाते में प्राप्त क्षतिपूर्ति को जमा करने के बजाय तत्कालीन कार्यकारी डीएचसी ने क्षतिपूर्ति के उपयोग को अनुमोदित किया (अगस्त 2018) कि मै. बजाज एण्ड संस से प्राप्त क्षतिपूर्ति को टीएनसी में एक बॉयलर के संस्थापन पर हुए खर्च करने हेतु प्राप्त किया। आईसी ने पाया कि यह कार्य एक एजेंसी को एक सीमित निविदा के आधार पर जीबीपी 79,879.81¹³ (₹72.28 लाख) के मूल्य पर सौंपा गया। इस कार्य को मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया। नए पदधारियों जिन्होंने मिशन में बाद में पदभार ग्रहण किया, उनको इस व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त में नहीं बताया गया तथा जब अंतिम किस्त के भुगतान में देरी हुई तब ही विवरण का पता चला। अंततः बॉयलर के संस्थापन के लिए मिशन ने अपने खाते से 30 जनवरी 2019 को जीबीपी 19,550 का शेष भुगतान किया जबकि मै. बजाज एण्ड संस ने जीबीपी 14,390 की शेष राशि को, जिसको इसने अपने खाते में रखा था, को मिशन को 15 अप्रैल 2019 को भेजा जिसका अंततः जून 2019 में हिसाब किया गया।

मामले को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2019)। मंत्रालय ने मिशन से निविष्टियों के आधार पर, सूचित किया कि काम पर लगाए गए परामर्शदाता (मै. बजाज एण्ड संस) की सहायता क्षतिपूर्ति की बातचीत के लिए ली गई, जिसने क्षतिपूर्ति की प्राप्ति अपने खाते में की थी जो क्षतिपूर्ति राशि पर्याप्त थी तथा क्षतिपूर्ति को टीएनसी के अवसंरचना विकास के लिए उपयोग किया गया था क्योंकि यह टीएनसी की सेकेण्डरी ग्लेजिंग के स्थान पर था। इसने हालांकि यह भी बताया कि मंत्रालय में मामले की जांच की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर अंतरिम प्रकृति का था, जो कि स्वीकार्य नहीं है जैसा कि इस काम पर लगाए गए परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा उनके कार्य की शर्तों के तरीके के प्रलेखन, सरकारी प्राप्ति की निजी खाते में अनियमित पार्किंग

¹³ जीबीपी ₹66,566.51+वैट की दर 20% ₹79,879.81 के कुल व्यय में से मिशन ने ₹19,549.94 की राशि का भुगतान किया। (एक क्रेडिट नोट के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रस्तुत ₹350.00+वैट की राशि की कटौती के पश्चात कुल बकाया राशि ₹19,969.94)

तथा अवधारणा एवं खर्च को पूरा करने के लिए सरकारी प्राप्तियों के अप्राधिकृत उपयोग को स्पष्ट नहीं करता है। यह भी पाया गया है कि मिशन से व्यय के कार्योंत्तर नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव भी लंबित था।

मिशन ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना तथा स्वीकृत राशि के लिए कोई भी प्रलेखित तर्कसंगतता के बिना संपत्ति डेवलपर से जीबीपी 90,000 की क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिए निर्णय लिया। इन्होंने अपने निजी बैंक खाते में ₹78.41 लाख की राशि को डेवलपर द्वारा देय क्षतिपूर्ति के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों को प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए निजी पार्टियों को भी अनियमित रूप से प्राधिकृत किया जिसका कैसे और किसके द्वारा यह निर्णय लिया गया, का कोई अभिलेख नहीं था। आगे नियमों के उल्लंघन में, मिशन ने अपने ऊपर व्यय करने के लिए सीधे इन प्राप्तियों के प्रयोग की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, मिशन कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई एवं निर्णयों को इन कुल अनियमितताओं को अस्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रलेखित नहीं किया गया तथा मंत्रालय को इस मामले में व्यवस्थित रूप से अंधेरे में रखा गया।

अतः मिशन के आईसी के प्रारम्भिक निष्कर्ष के आधार पर यह सिफारिश की गई है कि आगे मंत्रालय द्वारा सतर्कता जांच हो ताकि जिम्मेदारी नियत हो तथा निजी संस्था के पास सरकारी निधियों को समस्त रूप से अनियमित जमा हेतु इनके अप्राधिकृत उपयोग एवं मामले में मंत्रालय को अंधेरे में रखने के लिए निवारक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, अनेक अनियमित कार्रवाइयों को दिखाने के रूप में या तो पर्यवेक्षी अधिकारियों से अनुमोदन लिया जाए या उनके ध्यान में लाया जाए, उनकी ओर से त्रुटियों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु संवीक्षा भी की जाए।

5.4 भारत भवन, लंदन में तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य का अत्यंत अनियमित तथा चालाकी से कार्य का सौंपा जाना तथा निष्पादन ठेकेदार को अनुचित लाभ दिये जाने का कारण बना।

भारतीय उच्चायोग, लंदन द्वारा भारत भवन, लंदन के तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य को विदेश मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना जीबीपी 744,971 (लगभग ₹6.63 करोड़¹⁴) की लागत पर प्रारंभ किया गया। कार्य को आरंभ में एक अयोग्य कंपनी को एक अनियमित तथा चालाकीपूर्ण निविदा प्रक्रिया द्वारा सौंपा गया जोकि बाद में उसी कंपनी को निविदा के बिना अतिरिक्त कार्य सौंपने के फलस्वरूप इसे अनुचित लाभ दिया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त कार्य को कपटपूर्ण संविदा दरों पर एक संबद्ध अयोग्य कंपनी को सौंपा गया, जोकि कार्य सौंपे जाने के तुरंत पूर्व निगमित हुई तथा भुगतान की प्राप्ति के पश्चात विघटित हो गई।

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) के आदेशों के अनुसार¹⁵ चान्सरी परिसर, दूतावास आवास तथा डीसीएम के आवास को साथ लेकर, उससे संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव कार्य करने हेतु भारत के उच्चायोग (मिशन) की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ प्रतिवर्ष यूएसडी 2 लाख (लगभग जीबीपी 150,000)¹⁶ तक सीमित थी। आगे मंत्रालय आदेश¹⁷ बताता है कि जहाँ एमईए के पूर्व अनुमोदन के बिना पूंजीगत बजट से व्यय जो डेबिट योग्य है और उनको प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे विदेश संपत्तियों के लिए नवीनीकरण कार्य करवाना मिशनों एवं पोस्टों से अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमपुस्तिका 2014 के पैरा 17 के साथ पठित जीएफआर 2017 का नियम 139, के अनुरूप ₹ पाँच लाख के मूल्य से अधिक सभी कार्य प्रेस/वेबसाइट में अच्छी तरह से विज्ञापित करते हुए खुली बोली की मांग की जानी चाहिए। खुली बोली या एक उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता से बचने के

¹⁴ जिन महीनों में भुगतान हुआ था उसके लिए औसत मासिक आरओई का उपयोग करते हुए संपरिवर्तन

¹⁵ मंत्रालय का आदेश दिनांक 28 अगस्त 2009

¹⁶ @0.73 जीबीपी/यूएसडी

¹⁷ एमईए परिपत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2016

लिए, जीएफआर¹⁸ भी एक कार्य अथवा प्रापण को विभाजन करने की अनुमति नहीं देता है।

मिशन की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने हेतु उप उच्चायुक्त द्वारा आयोजित एक बैठक (अप्रैल 2017) में यह निर्णय लिया गया कि भारत भवन¹⁹ के तलघर से सभी दूतावास संबंधी सेवाओं को भूतल पर पुनर्स्थापित किया जाए तथा सभी आगंतुकों के प्रवेश को मुख्य प्रवेश द्वार से तलघर में बदला जाए ताकि मिशन परिसर की संपूर्ण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। यह निर्णय मौजूदा संरचनाओं को ध्वस्त तथा नवीकरण तथा क्षेत्र के नवीनीकरण जैसे कि पुनर्स्थापित कांसुलर तथा वीजा अनुभागों हेतु भूतल में संशोधन भी शामिल करते हुए तलघर को स्वागत क्षेत्र में परिवर्तित करने के संबंध में था। ये कार्य जिनमें परिसर के पर्याप्त सुधार और नवीकरण शामिल थे केवल मरम्मत व रखरखाव से अधिक हो गए थे तथा ये पूंजीगत प्रकृति के थे। एचसीआई लंदन के दूतावास संबंधी सेवा क्षेत्र तथा संबंधित कार्यों के नवीकरण संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने कार्यों के अनुमोदन, निविदा तथा निष्पादन सहित सभी चरणों पर बड़ी अनियमितताएँ तथा नियमों के उल्लंघन को प्रकट किया। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

(ए) मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कार्यों का अनधिकृत निष्पादन

जैसा कि ऊपर वर्णित है परिसर का नवीकरण और पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया जोकि पूंजीगत प्रकृति के थे जैसा कि इससे परिसर की परिसम्पत्ति मूल्य में उन्नयन तथा वृद्धि हुआ। मंत्रालय के आदेशों की शर्तों में ऐसे कार्यों के लिए सभी चरणों पर मंत्रालय के अनुमोदन आवश्यक थे। तथापि मिशन ने मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। यह भी देखा गया कि मिशन द्वारा मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को भी पार किया गया। आगे मिशन ने कार्यों के संपूर्ण व्यय को पूंजीगत कार्य के स्थान पर लघु कार्य तथा कार्यालय व्यय में वर्गीकृत करते हुए कार्यों की वास्तविक प्रकृति को छिपाया जोकि जीएफआर 2017 के नियम 84 का उल्लंघन था।

¹⁸ जीएफआर 2017 का नियम 138 तथा 157

¹⁹ भारतीय उच्चायोग (एच. सी. आई., लंदन (चांसरी) के परिसर को “भारत भवन” कहा जाता है।

(बी) कार्यों का विभाजन

मिशन के संपत्ति तथा रखरखाव स्कंध ने प्रारंभ में ऊपर वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु भारतीय उच्चायोग के दूतावास संबंधी कार्य क्षेत्र के नवीनीकरण, भारत भवन, एल्डविच, लंदन डब्ल्यू सी2 बी 4 एनए के शीर्षक से निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को तैयार किया (अप्रैल 2017)। तथापि इसके बाद मिशन ने पूरी नवीकरण परियोजना निविदा प्रक्रिया जोकि अप्रैल 2017 में आरंभ हुई थी, बिना कोई कारण बताए परित्याग किया। इसके बजाय नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में इसने कार्य के भाग को यथा “कांसुलर संबंधी कार्य स्कंध का स्थानांतरण” तथा “तोड़ने संबंधी कार्य” (अप्रैल से जून 2017) को एक एकल कंपनी (मै. जोन एसोसिएटस लि.) को कार्य विभाजन करते हुए सात अलग-अलग आदेशों में सौंपा गया। तथापि कार्य के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के आधार पर तोड़ने संबंधी कार्य के विभाजन को उचित माना गया। यह पाया गया कि सभी बिलों को चार दिनों की अवधि पर प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन संसाधित किया गया। इसके बाद मिशन ने मूल रूप से कल्पित नवीनीकरण परियोजना के एक भाग को संबंधित स्वागत क्षेत्र के नवीनीकरण शौचालयों के नवीनीकरण, विद्युत कार्यों²⁰ तथा आंतरिक कार्यों²¹ को शामिल करते हुए “तलघर क्षेत्र के नवीनीकरण” हेतु एक एनआईटी (अगस्त 2017) जारी की। यह कार्य जीबीपी 129800 (₹1.07 करोड़)²² की बोली लागत पर करने हेतु लिया गया। पांच महीनों बाद अर्थात् जनवरी 2018 में मिशन ने “दूतावास संबंधी कार्य क्षेत्र के डिजाइन तथा फर्निशिंग” हेतु अन्य एनआईटी जारी की जोकि पुनः मूल परियोजना कार्य क्षेत्र का एक भाग था तथा जीबीपी 345,480²³ (₹3.14 करोड़)²⁴ की लागत पर इस कार्य को सौंपा गया। इसके

²⁰ एअर कॉन बल्कहैड ईकाइयों, लाइटिंग तथा केबल बिछाने इत्यादि तथा आपूर्ति

²¹ कार्य केन्द्र के आंतरिक क्षेत्र में कारपेट की आपूर्ति/फिटिंग

²² ₹82.59/जीबीपी यथा 31 अगस्त 2017 को औसत दर

²³ फर्नीचर की आपूर्ति हेतु एक संविदा, जीबीपी 192300 हेतु (₹1.74 करोड़) तथा जीबीपी 153180 (₹1.40 करोड़) वैट सहित का डिजाइन तथा भवन कार्य हेतु अन्य

²⁴ @91/पाउन्ड (31 मार्च 2018 को औसत दर)

पश्चात, (अगस्त/सितम्बर 2018) मिशन ने “अतिरिक्त कार्य”²⁵ को प्रारंभ किया जोकि मूलतः नवीकरण परियोजना कार्य क्षेत्र में नहीं थे, के कुल कार्य को 19 अलग-अलग आदेशों में विभाजित करते हुए जीबीपी 107,694 (₹99.06 लाख) की लागत पर दिया गया। अतः मिशन ने उच्चतर प्राधिकारियों/मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने से तथा खुली बोली से बचने के इरादे से कार्य के अविवेकपूर्ण उप विभाजन का सहारा लिया।

(सी) कार्यों की निविदा तथा सौंपे जाने में अनियमितताएं तथा छलकपट

जैसा कि ऊपर देखा गया कि परियोजना के पहले भाग को अर्थात ‘कांसुलर स्कंध का स्थानांतरण तथा तोड़ने संबंधी कार्य’ को सात भागों में विभाजित किया गया। यह देखा गया कि ये कार्य अप्रैल-जून 2017 के दौरान एक कम्पनी अर्थात मैसर्स जोन एसोसिएट्स को दो मामलों में उद्धरण दर पर तथा बाकी सभी नामांकन आधार पर सौंपे गए। हालांकि कम्पनी इस कार्य व्यवसाय के लिए योग्य नहीं थी क्योंकि यह कम्पनी यूके सरकार से निर्माण गतिविधियों के व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं थी। अतः यह कम्पनी किसी भी निर्माण तथा संबंधित गतिविधियों/कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत नहीं थी। यह भी पाया गया कि जिन दो मामलों में उद्धरण दर आधार पर कार्य दिया गया था, उसमें उद्धरण दर जमा करने वाली अन्य कम्पनियां मै. जोन एसोसिएट्स की सहयोगी थीं।

“तलघर क्षेत्र का नवीकरण” कार्य के मामले में अगस्त 2017 में निविदा जारी की गई, छः²⁶ कम्पनियों ने कार्य के लिए बोली लगाई; जिनमें से तीन कम्पनियों²⁷ की बोलियां स्वीकृत की गईं। इसके पश्चात कार्य को एल 1 बोलीकर्ता मै. जोन एसोसिएट्स लि. को 31 अगस्त 2017 को जीबीपी 129,800 (₹1.07 करोड़)²⁸ वैट के अलावा की लागत पर सौंपा गया। जबकि

²⁵ टाइलिंग कार्य; कार्य मेज; दीवार पर सटी अलमारी; स्टील फेंब्रीकेशन; रसोई उपकरणों की आपूर्ति तथा फिटिंग; वेंटिलेशन कार्य, स्कैफोल्डिंग; अग्नि दरवाजे; तलघर में प्रवेश उपकक्ष में पुनरुद्धार कार्य; सुरक्षा उपकरण इत्यादि

²⁶ ग्लेडस कंस्ट्रक्शन लि., केनसिंगटन इंटरलेशनल देव. लि., आरएच रिन्यू होम्स लि., रतन सर्विसेस लि., मान बिल्डर लि., जोन एसोसिएट्स लि.

²⁷ रतन सर्विसेज लि., मान बिल्डर लि., जोन एसोसिएट्स लि.

²⁸ @ ₹82.59 प्रति जीबीपी (31 अगस्त 2017 को औसत दर)

यह पहले से ही इस कार्य हेतु अयोग्य समझी जानी थी। यह भी देखा गया कि छः मूल बोलीकर्ता में से तीन जिनकी बोली को स्वीकार नहीं किया गया, अंतिम एल 1 बोलीकर्ता से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा बाद में गठित जांच समिति ने भी पाया कि अधिकतर बोलीकर्ता कार्य सौंपने के लिए तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे।

“कांसुलर सेवाएं क्षेत्र का डिजाइन तथा फर्निशिंग” कार्य के मामले में, परिचालित किए गए एनआईटी की निविदा में निबंधनों व शर्तों के विवरण नहीं थे तथा तकनीकी योग्यता के मानदंड को भी कमजोर किया। अभिलेखों के अनुसार बोली प्रक्रिया में मै. जोन एसोसिएट्स लि. के साथ भाग लेने वाले तीन बोलीकर्ता²⁹ को एल 1 बोलीकर्ता के रूप में दर्शाया गया। यह कार्य मैसर्स जोन एसोसिएट्स लि. को कुल जीबीपी 345480³⁰ वैट (₹3.14 करोड़³¹) सहित दो पृथक संविदाओं के रूप में सौंपा गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस मामले में बोली प्रक्रिया पूर्णतः छलकपट पूर्ण थी। तीन बोलीकर्ता कम्पनियों में से एक कम्पनी (मै. केनसिंगटन इंटरनेशनल डेवलपमेंट लि.) को 2014 में ही विघटित कर दिया गया था जो दर्शाता है कि इसकी ओर से जमा की गई बोली कपटपूर्ण थी। आगे शेष दो कंपनियां अर्थात मै. जोन एसोसिएट्स लि. तथा आरएच रिन्यू होम्स लि. एक ही व्यक्ति से जुड़ी थी, जिसने इनको ‘सहयोगी’ कंपनियों के रूप में अभिस्वीकृत किया। यह पाया गया कि मिशन के अन्य कार्यों के मामले में मैसर्स आरएच रिन्यू होम्स लि. के बीजक स्वयं मैसर्स जोन एसोसिएट्स लि. के नाम पर किए गए तथा दोनों कम्पनियों का एक ही बैंक खाता था। अतः एकल बोली के आधार पर यह कार्य प्रभावी रूप से सौंपा गया।

अगस्त-सितंबर 2018 में लिए गए “अतिरिक्त कार्यों” के मामले में कार्यों को नामांकन अथवा उद्धरण दर आधार पर मै. ओरिएंट डिजाइन एण्ड बिल्ड को सौंपा गया जिसको उसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था, जो मै. जोन

²⁹ मै. जोन एसोसिएट्स लि. मै.आरएच रिन्यू होम्स लि. तथा मै. केनसिंगटन इंटरनेशनल डेवलपमेंट लि.

³⁰ जीबीपी 192,300 (₹1.74 करोड़) की फर्नीचर आपूर्ति हेतु एक संविदा तथा जीबीपी 153,180 (₹1.40 करोड़) वैट सहित का डिजाइन तथा भवन कार्य हेतु अन्य संविदा, वास्तविक भुगतान जीबीपी 337,821 वैट सहित (₹1.33 करोड़) किया गया।

³¹ @ ₹91 प्रति पाउन्ड (31 मार्च 2018 को औसत दर)

एसोसिएट्स लि. में निदेशक के रूप में था, तथा महत्वपूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में था। इस कम्पनी का पंजीकृत पता भी मै. जोन एसोसिएट्स वाला पता ही था। यह कम्पनी कथित कार्य के लिए अयोग्य भी थी जैसा कि यह निर्माण गतिविधियों³² के व्यवसाय के लिए यूके सरकार के साथ पंजीकृत नहीं थी। आगे यह देखा गया कि उद्धरण दर प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से भाग लेने वाली सभी कम्पनी (अर्थात् मै. जोन एसोसिएट्स लि. मै. आरएच रिन्यू होम्स लि., मै. ओरिएन्ट डिजाइन एण्ड बिल्ड लि. तथा मै. गलेडस कंस्ट्रक्शन लि.) एक ही व्यक्ति से जुड़ी थी। अभिलेखों के अनुसार मै. ओरिएन्ट डिजाइन एण्ड बिल्ड लि. ने मई 2018 में अतिरिक्त कार्यों के लिए उद्धरण दर प्रक्रिया में भाग लिया था जबकि यह अस्तित्व में ही 27 जुलाई 2018 को ही आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसके नाम से प्रस्तुत उद्धरण दरें कपट-पूर्ण थीं। अतः मिशन ने एक बनावटी कम्पनी पर ध्यान दिया जोकि केवल इन कार्यों को सौंपे जाने के लिए स्थापित की गई थी जिसको अन्य ठेकेदार के पक्ष में नवीकरण परियोजना से संबंधित लगभग सभी कार्यों को सौंपा गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि किए गए सभी कार्य में एक ठेकेदार के पक्ष में परिणामों को प्रभावित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में जबरदस्त भ्रष्टकारिता हुई।

(डी) संविदा निबंधनों का उल्लंघन, निविदाओं के बिना अतिरिक्त कार्य का कार्योत्तर आबंटन तथा अनियमित भुगतान का परिणाम ठेकेदार को अनुचित लाभ

“तलघर क्षेत्र का नवीनीकरण”

संविदा के अनुसार, कार्य का निष्पादन 01 सितम्बर 2017 से 8-10 सप्ताह में अर्थात् 15 नवम्बर 2017 तक किया जाना था। हालांकि कार्य 31 जनवरी 2018 को पूर्ण किया गया था। कार्य³³ के पूर्ण होने में 10 सप्ताह (न्यूनतम)

³² यह ‘अन्य सेवा गतिविधियां जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं’ के व्यवसाय के लिए पंजीकृत थी।

³³ कार्य समापन प्रमाणपत्र के अनुसार कम्पनी ने नवीकरण कार्य को 31 जनवरी 2018 को पूर्ण किया तथा संविदा के अनुसार @20 प्रतिशत वैट सहित जीबीपी 149,270 का भुगतान प्राप्त किया।

की देरी के बावजूद मिशन ने कम्पनी से जीबीपी 7,788³⁴ (₹6.85लाख) की परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि “शौचालयों का नवीकरण” तथा ‘एअर कंडिशनिंग इकाइयों की आपूर्ति तथा संस्थापन’ कार्य के सौंपे गए कार्य में सम्मिलित होने के बावजूद, मिशन ने पुराने शौचालयों को तोड़ने (जीबीपी 5,940, सितंबर 2017 में) हेतु तथा एअर कंडिशनिंग इकाइयों³⁵ की आपूर्ति तथा संस्थापन (जीबीपी 23,450 अक्टूबर-नवम्बर 2017 के दौरान) के लिए अतिरिक्त भुगतान किया। उसके कारण मिशन ने ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा उस सीमा तक अधिक भुगतान (₹25.01 लाख) किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मिशन ने देरी से (1 दिसम्बर 2017) तलघर क्षेत्र में लकड़ी की फ्लोरिंग कराने का निर्णय लिया बजाय इसके कि आंतरिक कार्यों के मूल कार्यक्षेत्र में कार्पिटिंग का कार्य सम्मिलित था। कार्य की इस नयी मद को भी मै. जोन एसोसिएट्स को जीबीपी 36,288 (₹31.24 लाख) की अतिरिक्त लागत पर सौंपा गया, परंतु संविदा कीमत में सम्मिलित कार्पिटिंग की लागत को ठेकेदार को किए गए अंतिम भुगतान से नहीं काटा गया। अतः ठेकेदार को इस कार्य में भी अनुचित लाभ अनुमत किया गया।

अक्टूबर-नवम्बर 2017 की अवधि के दौरान, मिशन ने मै. जोन एसोसिएट्स को नामांकन आधार पर जीबीपी 16,780 की लागत पर सामान घर के निर्माण, बीटी संपर्क दीवार को हटाने तथा मौजूदा काउन्टरों को तोड़ने से संबंधित अतिरिक्त निर्माण कार्यों को सौंपा। इसके अतिरिक्त, बड़े जनसमूह के लिए बेसमेंट का उपयोग करने के लिए निर्णय (नवम्बर 2017) के कारण ध्वनिक पंखों की आपूर्ति एवं संस्थापना से संबंधित कार्यों को उद्धरण आधार पर मैसर्स जोन एसोसिएट्स (जीबीपी 5,400 की लागत पर डक्ट स्टैंड पंखों की संस्थापना) तथा मैसर्स एच एण्ड सी एयरकॉन लि. (जीबीपी 6,000 की लागत पर ध्वनिक पंखों की आपूर्ति) को सौंपा गया था। यह भी पाया गया था कि मै.

³⁴ 0.5 प्रतिशत x10xजीबीपी 155,760 (जीबीपी 129,800+वैट @20 प्रतिशत)

³⁵ यह कार्य मै. एच एण्ड सी एयरकॉन लि.को दिया गया था परंतु भुगतान मै. जोन एसोसिएट्स के माध्यम से हुआ।

एच एण्ड सी एयरकॉन लि. को उसी बैंक खाते में भुगतान किया गया जिसका उपयोग मै. जोन एसोसिएट्स द्वारा भुगतान प्राप्त करने में किया गया था।

“कांसुलर सेवाएं क्षेत्र का डिजाइन तथा फर्निशिंग”

“कांसुलर सेवाएं क्षेत्र का डिजाइन तथा फर्निशिंग” से संबंधी कार्य हेतु संविदाएं व्यापक थीं। तथापि मिशन ने मै. जोन एसोसिएट्स लि. को बिना किसी निविदा प्रक्रिया के जीबीपी 16,680 (₹15.08 लाख) की लागत पर कार्यों³⁶ की पांच अतिरिक्त मदों को सौंपा (मई-जून 2018)। इनमें से चार मदें पुराने एचसीआई कमिसेरियट को “अधिकारी मेस” के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित थी। परियोजना के कार्यक्षेत्र में यह विलंबित जोड़ और निविदा प्रक्रिया के बिना अतिरिक्त कार्य प्रदान करना अनियमित था और एक विशेष ठेकेदार को लाभ मिलने का कारण बना।

“अतिरिक्त कार्य”

अगस्त-सितम्बर 2018 में किए गए अतिरिक्त कार्यों के मामले में यह पाया गया कि ठेकेदार मै. ओरियेन्ट डिजाइन एण्ड बिल्ड ने इन कार्यों को प्राप्त किया, पूर्ण किया तथा बीजक जमा किए यह सभी इसके निगमन³⁷ के 15 दिनों के भीतर हुए। तुरंत बाद (21 फरवरी 2019), कम्पनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे मिशन ने कम्पनी के वैट के लिए जीबीपी 17,929 (₹16.49 लाख) का भुगतान किया जबकि कम्पनी के पास यूके सरकार से वैट पंजीकरण नहीं था।

अतः निविदा-उपरांत कार्यों के क्षेत्र में कई अवसर में बिना किसी निविदा प्रक्रिया के परिवर्धन तथा परिवर्तन किए गए। यह संयुक्त रूप में एलडी का अनारोपण, संविदा कीमत में समायोजन करने में विफल होने पर कार्पिटिंग का प्रतिस्थापन तथा कार्य के कुछ मदों हेतु दोहरा भुगतान करते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने में हुआ।

³⁶ दीवार को तोड़ना तथा नई दीवार बनाना तलघर में पुनरुद्धार कार्य, विनाईल फ्लोरिंग, सीलिंग की पेंटिंग तथा सजावट तथा वालपेपर कार्य।

³⁷ कंपनी 28 जुलाई 2018 को निगमित हुई तथा 12 अगस्त 2018 से बीजक प्रस्तुत करना प्रारंभ किया।

यह पैरा जवाब के लिए मंत्रालय को भेजा गया था (अक्टूबर 2019)। मंत्रालय ने अपने अंतरिम उत्तर में बताया (25 नवम्बर 2019) कि मिशन द्वारा मामले की जांच हुई थी। मिशन ने जवाब में (फरवरी 2020) लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इसके जांच परिणामों के आधार पर एक जांच समिति गठित की गई थी जिसने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए भेजी थी। जांच समिति की रिपोर्ट (लेखापरीक्षा के साथ फरवरी 2020 में साझा की गई) में उजागर करती है कि (i) नवीकरण कार्य के मिशन को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे होने के बावजूद भी मंत्रालय से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था। मिशन की प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्दर परियोजना को समायोजित करने तथा जीएफआर/संबंधित नियमों को दरकिनार करने के बजाय अधिकारियों ने परियोजना को छोटे-छोटे टुकड़ों में करने का सहारा लिया; (ii) तत्कालीन एचओसी, मिशन के स्थानीय स्टाफ तथा ठेकेदार (मै. जोन एसोसिएट्स लि.) के बीच संबंध था; (iii) निविदा प्रक्रिया को धांधली से ठेकेदार की कंपनियों के पक्ष में रखा गया था; (iv) सभी कार्यों को उप-कार्यों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी कार्य ₹ पांच लाख से कम रहे जिससे खुली निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके; (v) उद्धरण दर/बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली कम्पनी या तो एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई थी या फिर अस्तित्वहीन कम्पनियां थीं; तथा (vi) कई कार्य बिना किसी औचित्य के नामांकन आधार पर सौंपे गए जिससे जीएफआर का प्रबल उल्लंघन हुआ। अतः मिशन की जांच रिपोर्ट लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों से संपुष्ट करती थी।

अतः मिशन ने बिना प्राधिकार तथा उचित अनुमोदन के जीबीपी 744,971 (लगभग ₹6.63 करोड़) की लागत के नवीकरण कार्य को आरम्भ किया, तथा उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन तथा खुली निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए कार्य को बांटने का सहारा लिया। इससे कार्य को एक ही व्यक्ति को सौंपने हेतु पूरी छलकपट प्रक्रिया को अपनाया तथा कार्य क्षेत्र में कार्योत्तर परिवर्धन तथा परिवर्तन किया गया जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। नियमों तथा प्रक्रियाओं की ऐसी ध्वंश अवहेलना पर्यवेक्षात्मक असफलता तथा अधिकारियों एवं अभिकरणों के बीच मिलीभगत को निर्दिष्ट करती है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि मिशन द्वारा की जांच के आगे

की कार्रवाई को मंत्रालय द्वारा विस्तृत सतर्कता जांच के साथ किया जाना है ताकि आयोग के अत्यंत अनियमित कार्यों तथा पर्यवेक्षण कमियों दोनों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिम्मेदारी नियत की जाए तथा उचित निवारक कार्रवाई की जा सके। इसके साथ-साथ प्रत्येक चरण पर प्रलेखन सहित कार्यों के निष्पादन पर नियंत्रण को मजबूत किया जाए तथा लघु कार्यों सहित कार्यों हेतु निधियों का आबंटन तथा उपयोग का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाए जिसके कि गैर अनुमोदित उद्देश्यों हेतु इसके विपथन पर रोक लगे।

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

5.5 ठेकेदार को प्रदान किया गया अनुचित लाभ

नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा बीओक्यू दर में रॉयल्टी को अनियमित रूप से शामिल किए जाने के कारण ₹0.76 करोड़ का अनियमित वित्तीय लाभ एक ठेकेदार को प्रदान किया गया है।

बिहार लघु खनिज रियायत (बीएमएमसी) नियमावली, 1972 का नियम 27 अनुबंध करता है कि किसी भी उत्खनन गतिविधि को किसी भी विनिर्दिष्ट भूमि से खनिजों को निकालने/हटाने के लिए नियमावली की अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व-भूगतान पर सक्षम प्राधिकारी (उत्खनन अनुमति) की संस्वीकृति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नियम 40(1) प्रावधान करता है कि अपेक्षित उत्खनन अनुमति प्राप्त किए बिना लघु खनिजों को निकालना/हटाना गैर-कानूनी है और नियम 40(8) प्रावधान करता है कि लघु खनिजों को इस प्रकार गैर-कानूनी ढंग से हटाने हेतु दण्ड किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, के अतिरिक्त हटाए गए खनिज का मूल्य होगा। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने एक अधिसूचना (27 जनवरी 2012) जारी की जिसने अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया कि साधारण मिट्टी (अथवा साधारण मृदा³⁸) जिसका उपयोग तटबंधों के निर्माण, सड़क निर्माण/या समतल करने के लिए

³⁸ 'साधारण मृदा', जिसका उपयोग तटबंधों, सड़कों, रेलवे तथा इमारतों के निर्माण के लिए किया गया है, वह खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 (1957 की 67) की धारा 3(इ) के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ सं. 7/5/99-एम-VI दिनांक 03 फरवरी 2000 के माध्यम से एक लघु खनिज है।

किया जाता है, के संबंध में रॉयल्टी की दर ₹22 प्रति क्यूबिक मीटर³⁹ पर निर्धारित की गई है।

नालंदा विश्वविद्यालय ने नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के स्थायी परिसर के भीतर 'आंतरिक सड़कों के निर्माण तथा जल निकाय प्रदान करने हेतु खुदाई (चरण-1 निर्माण कार्य⁴⁰ का निविदा पैकेज 1ए)' का कार्य एक ठेकेदार⁴¹ को ₹37.22 करोड़⁴² की लागत पर सौंपा (सितम्बर 2016)। कार्य समापन की निर्धारित तिथि 30 सितंबर 2017 थी। कार्य को अप्रैल 2018 में समाप्त किया गया, तथा पूर्ण कार्य हेतु ठेकेदार को ₹31.82 करोड़ अदा किए गए थे।

चरण-1 निर्माण कार्य के निविदा पैकेज 1ए के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेजों⁴³ ने प्रावधान किया था कि ठेकेदार रॉयल्टी जमा करने तथा स्थानीय प्राधिकरणों से परियोजना हेतु अपेक्षित अनिवार्य अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। इस निविदा पैकेज के अंतर्गत निर्माण कार्यों⁴⁴ के निष्पादन के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया:

(ए) पांच खुदाई कार्यों⁴⁴ (अनुलग्नक 5.1) के संबंध में दर विश्लेषण (जून 2016), जो प्रमात्रा बिल (बोओक्यू) दर का आधार बनती है, उसमें ₹22 प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर रॉयल्टी का घटक शामिल था। चूंकि चार खुदाई कार्यों⁴⁵ में से, एक खुदाई कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था इसलिए ठेकेदार ने कुल 6,41,458 मी³ का खुदाई कार्य निष्पादित किया। जिसके लिए ठेकेदार ने विश्वविद्यालय से ₹1035.76 लाख का भुगतान प्राप्त किया

³⁹ इसे बीएमएमसी नियमावली की अनुसूची II में निर्धारित किया गया था।

⁴⁰ चरण 1 निर्माण कार्य को 10 निविदा पैकेजों अर्थात् 1ए, 1बी, 1सी तथा पैकेज 2 से 8 में बांटा गया था। दूसरे निविदा पैकेज 1बी 'गैर-आवासीय इमारतों का निर्माण' हेतु कार्य को जनवरी 2017 में अन्य ठेकेदार को सौंपा गया था तथा कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

⁴¹ मैसर्स एम-जी कान्ट्रैक्टर्स प्रा. लि. पंचकुला, हरियाणा

⁴² ₹37.31 करोड़ की अनुमानित लागत से 0.24 प्रतिशत कम

⁴³ संविदा की सामान्य शर्त की शर्त 37(ii) तथा संविदा की विशेष शर्त की शर्त 5.10 के माध्यम से

⁴⁴ अर्थात् मद सं. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 तथा 2.07 जिसमें से मद सं. 2.04 का निष्पादन नहीं किया गया था।

⁴⁵ मद सं. 2.03, 2.05, 2.06 तथा ₹2.07

(अनुलग्नक 5.1)। इस भुगतान में ₹22/मी³ की दर पर रायल्टी के कारण ₹1.41 करोड़⁴⁶ की राशि शामिल थी (अनुलग्नक 5.1)।

(बी) संविदा के निबंधनों के अनुसार⁴³, ठेकेदार को अनिवार्य अनुमतियाँ प्राप्त करना तथा सांविधिक/स्थानीय प्राधिकरणों को राँयल्टी जमा करना अपेक्षित था। तीन खुदाई कार्य⁴⁷ थे जिनके लिए इसे ठेकेदार द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, केवल एक मामले में ठेकेदार ने अनिवार्य अनुमति प्राप्त की थी तथा बिहार सरकार को ₹26.66 लाख की राँयल्टी जमा की थी (अगस्त 2018)। उपर उल्लिखित निर्माण कार्य के समापन के पश्चात विश्वविद्यालय ने खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार से कार्य मद⁴⁸ जिसके लिए ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, के संबंध में राँयल्टी के निक्षेप निर्देशों की मांग की (10 जून 2019)। विभाग ने बताया (13 जून 2019) कि राँयल्टी मृदा/मिट्टी खनिज की उपयोग की गई प्रमात्रा पर अदा की जानी थी तथा विश्वविद्यालय को राँयल्टी के साथ-साथ मृदा/मिट्टी खनिज की उपयोग की गई प्रमात्रा पर दण्ड जमा करने का निर्देश दिया क्योंकि ठेकेदार द्वारा कथित मद हेतु “उत्खनन अनुमति” नहीं ली गई थी। विश्वविद्यालय ने ठेकेदार के आरए बिलों⁴⁹ में से विभाग को राँयल्टी तथा दण्ड के प्रति ₹77.51 लाख⁵⁰ जमा किए।

(सी) लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया था कि निष्पादन की गई सभी चार मदों हेतु बीओक्यू दर में ₹22/मी³ की दर से राँयल्टी शामिल थी। तथापि, चार मदों में से राँयल्टी केवल मृदा⁵¹ के उपयोग की गई प्रमात्रा पर देय थी। चूंकि दो कार्य की मदों⁵² में खुदाई की गई प्रमात्रा का उपयोग नहीं किया गया था इसलिए सरकार को राँयल्टी का भुगतान अपेक्षित नहीं था। इसलिए कार्य की

⁴⁶ 641458.08 क्यूबिक मीटर x22 = ₹1.41 करोड़

⁴⁷ कार्य मद 2.03 केवल उत्खनन अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी; कार्य मद 2.05; केवल राँयल्टी अदा की जानी थी, कार्य मद 2.06 अनुमति थी तथा राँयल्टी अदा की जानी थी; कार्य मद 2.07 नो तो अनुमति अपेक्षित थी और न ही राँयल्टी अदा की जानी थी।

⁴⁸ सं. 2.03

⁴⁹ मदों 2.03 तथा 2.05 के प्रति आरए बिल से

⁵⁰ (22/मी³ की दर पर ₹3875270 की राँयल्टी+उपयोग की गई प्रमात्रा 176148 मी³ पर ₹22/मी³ की दर पर ₹3875270 का खनिज मूल्य)

⁵¹ खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार के साथ संदर्भित (13जून 2019) के अनुसार

⁵² अर्थात् 2.03 तथा 2.07

सभी मदों में रॉयल्टी घटक को शामिल करना अपेक्षित नहीं था। इसका परिणाम ठेकेदार को कुल ₹76 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ में हुआ जैसा नीचे (तालिका सं. 2) में दिया गया है:

तालिका सं. 2: ठेकेदार को वित्तीय लाभ

(राशि ₹ में)

| ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य | विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार को अदा की गई रॉयल्टी | मृदा की उपयोग की गई प्रमात्रा जिस पर रॉयल्टी देय थी | ठेकेदार द्वारा बिहार सरकार को देय/अदा की गई रॉयल्टी की राशि | ठेकेदार को अधिक भुगतान |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------|
| (1) | (1) x ₹22=(2) | (3) | (3) x ₹22=(4) | (2) - (4)=(5) |
| 6,41,458 मी ³ | 1.41 करोड़ ⁴⁶ | 2,97,346 मी ³ ⁵³ | 65 लाख ⁵⁴ | 76 लाख ⁵⁵ |

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि पूर्ण खुदाई की गई प्रमात्रा हेतु रॉयल्टी के प्रावधान पर वास्तुकार परामर्शदाता⁵⁶ द्वारा अनुमान में गलती से विचार किया गया था तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने वास्तुकार परामर्शदाता के आरए बिल से ₹0.75 करोड़ की राशि रोक ली है (मार्च 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाए कि विश्वविद्यालय की इमारत एवं निर्माण कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) ने वास्तुकार सलाहकार द्वारा तैयार किए गए लागत अनुमान (बीओक्यू) को अनुमोदित किया था। इसलिए, बीओक्यू को अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने से पूर्व बीडब्ल्यूसी/विश्वविद्यालय द्वारा लागत अनुमानों में अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन किए जा सकते थे। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि विश्वविद्यालय को शेष निविदा पैकेजों³, जो

⁵³ (121198 मी³+ 176148 मी³).

⁵⁴ मद सं. 2.06 में ठेकेदार द्वारा अदा किए गए ₹ 26,66,348 + आरए बिलों में से काटे गए ₹ 38,75,270

⁵⁵ अदा की गई रॉयल्टी मद सं. 2.03 के संबंध में ₹75,46,424 तथा मद सं. 2.07 के संबंध में ₹24,036 थी।

⁵⁶ मैसर्स वास्तु शिल्पा कंसल्टेंट्स, अहमदाबाद को नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा सभा चरणों में विश्वविद्यालय के परिसर के विकास हेतु वास्तुकार परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था (मई 2014)।

चरण-। निर्माण कार्य का भाग है, से संबंधित लागत अनुमानों/बीओक्यू को अंतिम रूप देने में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (मार्च 2020); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

अध्याय VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

6.1 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत नहीं शामिल योजनाओं के संबंध में अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन के कारण से डीबीटी संव्यवहारों हेतु ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश¹ दिया (मई 2017) कि सभी डीबीटी तथा पीएचएएल संव्यवहारों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से किया जाना है। मौजूदा एनपीसीआई परिपत्र के अनुसार प्रत्येक संव्यवहार के लिए ₹0.50 की एक संव्यवहार लागत देय होगा जिसे प्रायोजक बैंकों, गंतव्य इकाईयों तथा एनपीसीआई के बीच बांटा जाना है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी एनआरईजीए, मातृत्व लाभ तथा पेंशन योजनाओं के लिए एनपीसीआई को एक अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन {(₹5.00 प्रति संव्यवहार का एक स्थिर घटक तथा ₹0.50 प्रति सैकड़ा का एक अस्थिर घटक (संव्यवहार राशि अगले सैकड़े तक पूर्णांकित, अधिकतम ₹5.00 के अधीन)} भी देय होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने निजी क्षेत्र के लिए दिसम्बर 2017 से एसएचए प्रोत्साहन, परिवार नियोजन प्रतिपूर्ति योजना, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), निक्षय-जनजातीय टीबी मरीज, निक्षय डीओटी प्रदायक मानदेय तथा निक्षय-टीबी अधिसूचना प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) माध्यम से भुगतान किया। केवल जेएसवाई (मातृत्व लाभ योजना) ही अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन के भुगतान हेतु योग्य थी।

मंत्रालय की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच महीनों (जनवरी 2018 से मई 2018) में एमओएचएफडब्ल्यू ने उसके द्वारा प्रदान की गई सभी योजनाओं को संबंधित संव्यवहारों पर ₹ पांच प्रति संव्यवहार के

¹ ओ.एम.सं. 32(07)/पीएफ-11 (खण्ड-11) दिनांक 26 मई 2017

अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन का भुगतान किया। जैसा कि यह प्रोत्साहन केवल मातृत्व लाभ अर्थात् “जननी सुरक्षा योजना” से संबंधित संव्यवहारों पर देय था, सभी योजनाओं को इस प्रोत्साहन का भुगतान अनियमित था। फलस्वरूप, इसका परिणाम ₹5.00 प्रति संव्यवहार के स्थिर संघटक के कारण से कुल ₹1.68 करोड़ का अधिक भुगतान रहा (अनुलग्नक-6.1)।

इसके अतिरिक्त, एमओएचएफडब्ल्यू ने प्रोत्साहन के अस्थिर संघटक के कारण से भी ₹2.24 करोड़ का भुगतान किया। जैसा कि इस संघटक का योजनावार ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध की गई फाइलों में प्राप्त नहीं हुआ था, लेखापरीक्षा ने अस्थिर संघटक के कारण से ₹1.20 करोड़ के अधिक भुगतान का परिकलन किया (अनुलग्नक-6.2)।

अतः मंत्रालय ने एमओएफ के मौजूदा अनुदेशों के उल्लंघन में डीबीटी संव्यवहारों के कारण कुल ₹2.88 करोड़ के अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान किया। ऐसे मामले मंत्रालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

सूचित किए जाने पर (मार्च 2020), एमओएचएफडब्ल्यू ने स्वीकार किया (नवम्बर 2020) कि जनवरी 2018 से मई 2018 तक की अवधि हेतु प्रस्तुत किए गए बिल में जेएसवाई के अलावा अन्य योजनाओं हेतु नकद प्रोत्साहन सम्मिलित थे, जिसका परिणाम ₹3.26 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जिसको जनवरी 2019 तथा अगस्त 2020 के बीच की अवधि हेतु कुल ₹14.47 करोड़ के एनपीसीआई के बकाया बिलों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

अध्याय VII : गृह मंत्रालय

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक साइंस, संस्थान, नई दिल्ली

7.1 निधियों का गैर उपयोग तथा प्रत्याशित उद्देश्यों की अप्राप्ति

एलएनजेपी एनआईसीएफएस ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चेयर प्रोफेसर पद के पद को नहीं भर सका था जिससे उस पद के सृजन का उद्देश्य विफल हुआ जिसमें समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली समकालीन समस्याओं की जानकारी देनी थी तथा अपराध कटौती तथा/अथवा शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु समाधान प्रदान करना था। चेयर को स्थापित करने के लिए कोर्पस के रूप में प्रदान की गई निधि ब्याज सहित कुल ₹4.28 करोड़ गैर उपयोगिता के कारण अवरूद्ध रही।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक साइंस संस्थान (एलएनजेपी एनआईसीएफएस), की भारत सरकार द्वारा अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक साइंस की प्रोन्नति हेतु 1972 में गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन स्थापना की गई थी।

‘लोकनायक जयप्रकाश नारायण’ के नाम पर चेयर प्रोफेसर की सीट ‘अपराधों को सुलझाने के शांतिपूर्ण एवं मानवीय तरीके’ पर अनुसंधान करने तथा संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों में योगदान देने के लिए संस्कृति मंत्रालय¹ (एमओसी) से प्राप्त अक्षय निधि के अंतर्गत एलएनजेपी एनआईसीएफएस में 2003 में स्थापना की गई थी। चेयर प्रोफेसर के उम्मीदवार के पास शिक्षण, अनुसंधान, अपराधिक न्याय प्रशासन अथवा संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 14 वर्षों के अनुभव के साथ स्नाकोत्तर उपाधि होनी अपेक्षित थी। किए जाने वाले अनुसंधान से अपेक्षित था कि समाज के बड़े वर्गों को प्रभावित करने वाली समकालीन समस्याओं पर हो जो अपराध कटौती तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने से लक्षित हो।

¹ पहले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्कृति विभाग

एमओसी ने एलएनजेपी-एनआईसीएफएस को इस शर्त के साथ ₹2.00 करोड़ का अनुदान जारी किया (मार्च 2003) कि अनुदान का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए वह संस्वीकृत किया गया है तथा इस संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया है। अनुदान में से ₹1.50 करोड़ चेयर की स्थापना करने के लिए एक कोर्पस के सृजन तथा ₹0.50 करोड़ एलएनजेपी एनआईसीएफएस की मौजूदा बिल्डिंग पर सभागार, संगोष्ठी कक्षाओं और बैठक कक्षाओं सहित एक अतिरिक्त तल के निर्माण के लिए थी। चेयर प्रोफेसर के पारिश्रमिक² तथा इसके कार्यालय व्ययों³ को कोर्पस निधि से उत्पन्न हो रही ब्याज की आय से अदा किया जाना था।

बाद में, अतिरिक्त तल का निर्माण एनआईसीएफएस द्वारा निष्पादित किया गया था तथा एमओसी से प्राप्त ₹0.50 करोड़ की राशि को ₹10.75 लाख के ब्याज सहित वापस (अप्रैल 2009) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चेयर प्रोफेसर के पद हेतु प्रथम नियुक्ति जनवरी 2005 में, 06 जनवरी 2005 से 05 अप्रैल 2007 तक की अवधि के लिए की गई थी। उसी उम्मीदवार का 15 जून 2007 से 14 जून 2009 तक की आगे की अवधि हेतु जून 2007 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चयन किया गया था। इसके पश्चात पद खाली पड़ा था।

इस प्रकार, चेयर प्रोफेसर का पद 2003 में इसकी स्थापना से कुल 17 वर्षों की अवधि के दौरान केवल चार वर्षों के लिए ही कार्यात्मक रहा। चेयर अभी भी रिक्त है (अक्टूबर 2020)। इससे समाज के बड़े वर्गों को प्रभावित करने वाली समकालीन समस्याओं की जानकारी देने तथा अपराध कटौती तथा शीघ्र न्याय करने हेतु समाधान प्रदान करने के लिए पद सृजन के उद्देश्य को विफल किया। लंबे समय तक पद की रिक्ति और निधि की गैर उपयोगिता, दोनों गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए गए अपर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक निगरानी को प्रकट करता है।

² छात्रवृत्ति/वृत्तिका के रूप में

³ व्यय चेयर दल, टेलीफोन व्यय आदि से संबंधित

मामला मई 2018 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। एलएनजेपी-एनआइसीएफएस ने बताया (अप्रैल 2019 तथा अगस्त 2020) कि उन्होंने योग्यता मानदण्ड में संशोधन हेतु एमएचए को सिफारिश (फरवरी/मई 2019) की थी तथा पद को केवल संशोधित योग्यता मानदण्ड के साथ रिक्तता को परिचालित करने के पश्चात ही भरा जा सकता है। उत्तर न तो निधियों के गैर उपयोग और न ही चेयर के पद की स्थापना के उद्देश्य को पूरा न किए जाने के मामले को सम्बोधित करता है।

इस प्रकार, लम्बी अवधि तक चेयर प्रोफेसर के पद को भरने में संस्थान की असमर्थता तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण पद को स्थापित करने के प्रत्याशित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा कुल ₹4.28 करोड़⁴ की निधियां अवरुद्ध रहीं। एमएचए को या तो रिक्ति को भरने या फिर एमओसी को ब्याज सहित कोर्पस निधि वापस करने के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई करे।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिलासपुर

7.2 ₹1.10 करोड़ की बिजली पर परिहार्य अपव्यय

बिलासपुर में सीआरपीएफ के समूह केन्द्र के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु संविदा मांग का अवास्तविक मूल्यांकन किया गया एवं संविदा की मांग को कम करने के लिए विलम्बित कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹1.10 करोड़ की बिजली पर परिहार्य अपव्यय हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 तथा 2017 के नियम 21 अनुसार, प्रत्येक अधिकारी को लोक धन से व्यय करने एवं प्राधिकृत करने के लिए वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए एवं साथ ही साथ वित्तीय आदेश और मितव्ययता को सख्ती से लागू किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो भी अवसर की मांग है, उससे अधिक व्यय प्रथमदृष्टया नहीं होना चाहिए।

⁴ ₹1.50 करोड़ कोर्पस निधि तथा ₹2.78 करोड़ कोर्पस निधि पर संचित ब्याज (जुलाई 2020)

गृह मंत्रालय ने समूह केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) बिलासपुर में विकास निर्माण एवं विस्तृत सेवाओं (सिविल /इलेक्ट्रिकल) हेतु ₹28.21 करोड़ की मंजूरी दी जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित किया जाना था। बिजली आपूर्ति हेतु सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए अनुमानों पर आधारित 1005 केवीए की आपूर्ति हेतु सीआरपीएफ प्राधिकारी वर्ग बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के बीच एक अनुबंध हस्ताक्षर (दिसम्बर 2012) किया गया। अनुबंध के अनुसार, मांग के अनुसार एक महीने में अभिलेखित वास्तविक अधिकतम मांग या संविदा मांग के 75 प्रतिशत जो भी उच्चतर थी वह प्रभार लागू किए जाने थे।

समूह केन्द्र, सीआरपीएफ बिलासपुर हेतु पूर्वकथित विकास निर्माण एवं विस्तृत सेवाओं के प्रावधान से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई (सितम्बर 2018)। लेखापरीक्षा जांच पर आधारित टिप्पणियां निम्नवत पैराग्राफ में दी गई हैं:

(ए) सीपीडब्ल्यूडी ने पूर्ण समूह केन्द्र परियोजना के लिए 1005 केवीए 33 केवी एचटी लाइन में विद्युत आवश्यकता/मांग (जुलाई 2009) का परिकलन/अनुमान लगाया, भले ही परियोजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण 2010 से 2019 तक की अवधि में भिन्न वर्षों में निष्पादित किया जाना था। जबकि चरणों में किए जा रहे पुराने एवं नये दोनों भवनों के निर्माण हेतु नये विद्युत लोड को पूरा करने के लिए परिकलन किया गया, फिर भी बिजली खपत का आरंभिक चरण में आकलन किया जाना चाहिए था एवं मांग में वृद्धि को चरणबद्ध तरीके में सीएसपीडीसीएल के साथ अनुबंध में बांटा जाना चाहिए था, जैसा और जब नई संरचनाओं का निर्माण एवं उपयोग करने के लिए रखा गया था। यद्यपि ऐसा नहीं किया गया, फिर भी ₹1.10 करोड़ की राशि अतिरिक्त अप्रयुक्त अनुबंधित मांग के कारण अधिक भुगतान किया जाना था।

(बी) सीपीडब्ल्यूडी ने जुलाई 2009 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर विद्युत हेतु संविदा मांग का अनुमान लगाया परन्तु सीएसपीडीसीएल के साथ बिजली की आपूर्ति हेतु अनुबंध दिसम्बर 2012 में साढ़े तीन वर्ष बाद हस्ताक्षर किया गया। सीआरपीएफ और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा फिर से कोई नए सिरे से समीक्षा नहीं की गई तथा नई संरचनाओं की समाप्ति एवं जुलाई 2009 के अनुमान के

आधार पर विद्युत आवश्यकता को सीपीडब्ल्यूडी ने सीएसपीडीसीएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय बरकरार रखा।

(सी) नवम्बर 2013-फरवरी 2014 की अवधि के दौरान बिजली की वास्तविक खपत 'शून्य' थी तथा मार्च 2014 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान इसकी रेंज संविदात्मक मांग की आठ एवं 38 प्रतिशत के बीच थी। फिर भी, सीआरपीएफ, बिलासपुर को सीएसपीडीसीएल को 754 केवीए (1005 केवीए का 75 प्रतिशत) की मांग के आधार पर मांग प्रभारों को भुगतान करना था जो वास्तविक खपत के परे था।

(डी) बिजली बिल न्यूनतम मांग प्रभारों के साथ बिजली की खपत का विवरण भी देते हैं। अतः सीआरपीएफ प्राधिकारियों की वास्तविक खपत एवं संविदा मांग के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर ध्यान देने चाहिए था एवं तदनुसार संविदा मांग को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा तब किया गया जब लेखापरीक्षा के दौरान अन्तर को बताया गया।

सीआरपीएफ बिलासपुर ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं जवाब दिया (अक्टूबर 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद 1005 केवीए से 700 केवीए तक बिजली प्रभारों की मांग को कम किया गया तथा जुलाई 2020 में यहां तक आगे 450 केवीए तक इसे कम किया गया था। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

अतः समय पर विद्युत हेतु संविदा मांग की समीक्षा करने पर कार्यालय डीआईजीपी, जीसी, सीआरपीएफ, बिलासपुर की गलती का परिणाम कुल ₹1.10 करोड़ (**अनुलग्नक 7.1**) का नवम्बर 2013 से मार्च 2019 तक परिहार्य अपव्यय हुआ। हालांकि मांग को कम करने के लिए सीआरपीएफ की देरी से की गई कार्रवाई भी निरन्तर बचत को बढ़ाएगी, जिसे लेखापरीक्षा के दृष्टान्त से प्राप्त किया गया।

सीमा सुरक्षा बल

7.3 पीबीओआर को आवासन हेतु क्षतिपूर्ति के प्रति ₹0.69 करोड़ का अधिक भुगतान

‘किराया मुक्त आवास’ की समाप्ति के पश्चात 7वें सीपीसी के प्रावधानों के गैर-अनुपालन का परिणाम आवासन हेतु क्षतिपूर्ति के प्रति ₹0.69 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (‘7वां सीपीसी’) की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पहले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स एवं एनएसजी के पात्र अधिकारी की श्रेणी से नीचे के कर्मिकों (पीबीओआर) को क्वार्टरों की एवज में क्षतिपूर्ति ‘(सीआईएलक्यू)’ का आहरण अनुमत किया गया था। सीआईएलक्यू में निम्नलिखित संघटक शामिल थे:

- (i) आवास के पात्रता प्रकार हेतु लाईसेंस शुल्क की न्यूनतम राशि जैसी शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय), भारत सरकार द्वारा निर्धारित।
- (ii) उस शहर में संबंधित कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ता (एचआरए)।

7वें सीपीसी की सिफारिशों की सरकारी स्वीकृति के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीएपीएफ के पीबीओआर, जिन्हें किराया मुक्त आवास प्रदान नहीं किया गया था, हेतु आवासन⁵ की एक संशोधित क्षतिपूर्ति की संस्वीकृति प्रदान की (31.07.2017)। उसने आगे स्पष्ट किया (29.05.2018) कि चूंकि सरकार ने सीआईएलक्यू की उन्मूलन के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिश को स्वीकार किया था तथा पात्र कर्मचारियों को अब 31.07.2017 को प्रदान किए गए आवासन हेतु संशोधित प्रावधान (संशोधित एचआरए दरों के रूप में) द्वारा शासित किया जाना था, इसलिए लाईसेंस शुल्क का संघटक अब इस संशोधित क्षतिपूर्ति के भाग के रूप में स्वीकार्य नहीं था।

⁵ एमएचए ओएम सं. II- 2712/35/सीएफ-33966486/2017- पीएफ दिनांक 31.07.2017 ओएम पीबीओआर को लागू एचआरए की अंतर दरों का प्रावधान करता है जो इस पर निर्भर है कि (i) क्या उन पर कोई आश्रित अथवा अन्यथा (ii)क्या वे फील्ड पोस्टिंग में थे अथवा गैर-फील्ड पोस्टिंग में थे तथा (iii) क्या वे बैरक में रह रहे थे या नहीं।

तथापि, बीएसएफ की 129 बटालियन के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि बटालियन मंत्रालय के आदेश तथा स्पष्टीकरण के उल्लघन में पीबीओआर को एचआरए के साथ लाईसेंस शुल्क संघटक का भुगतान कर रही थी।

1 जुलाई 2017 से 'किराया मुक्त आवास' की समाप्ति के पश्चात 7वें सीपीसी के अधीन नया प्रारम्भ प्रावधान के गैर-अनुपालन का परिणाम आवासन हेतु क्षतिपूर्ति के प्रति जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए कुल ₹0.69 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

बटालियन ने उत्तर दिया कि उन्हें समय पर एमएचए, जीओआई से उपर्युक्त उल्लेखित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि जबकि 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार सीआईएलक्यू को समाप्त कर दिया गया था तथा आवासन हेतु क्षतिपूर्ति प्रारम्भ की गई थी, फिर भी किराया मुक्त आवास अभी भी अस्तित्व में था जैसा पहले बीएसएफ में लागू था, इसलिए पीबीओआर से कोई लाईसेंस शुल्क नहीं वसूला गया था।

बटालियन का स्पष्टीकरण तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि एमएचए का स्पष्टीकरण, जो सभी सीएपीएफ पर लागू है, विशेष रूप से बताता है कि 'पीबीओआर' को आवासन हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में एचआरए के साथ कोई लाईसेंस शुल्क स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर दिसम्बर 2020 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

8.1 तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान

13 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान किए जिसका परिणाम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान कुल ₹6.08 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ), व्यय विभाग, ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गैर उत्पादकता संयोजित बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान करने का कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को यह तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश प्रत्येक वर्ष अलग से जारी किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान करने के ओएम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एमओएफ ने वर्ष 2014-15 के लिए सीएबी को तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, एमओएफ द्वारा 2015-16 से 2017-18 तक के वर्षों के लिए सीएबी को ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 सीएबी ने 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को कुल ₹15.87 करोड़ का तदर्थ बोनस अदा किया था। यह एमओएफ से अपेक्षित आदेशों के बिना किया गया था। ₹15.87 करोड़ में से ₹9.79 करोड़ की वसूली कर ली गई थी जैसा ब्यौरा अनुलग्नक 8.1¹ में दिया गया है।

आईआईएमके तथा एनआईओएस ने बताया (जनवरी/मई 2020) कि उन्होंने केन्द्रीय सरकारी नियमों का अनुपालन किया था तथा वे केन्द्र सरकार द्वारा न तो आंशिक रूप से और न ही पूर्ण रूप से वित्तपोषित थे, इसलिए उनके पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान सही थे।

¹ संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त निकाय को मिलाकर

आईआईटी-जी ने बताया (मार्च 2020) कि वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लिए अपने कर्मचारियों को अदा किए गए बोनस का अपनी स्वयं की विकास की निधि के प्रति समायोजित किया जाएगा।

आईआईएमएल, एयू तथा एमएनएनआईटी ने तथ्यों (मई/जून/जुलाई 2020) की पुष्टि की है परंतु अभी तक वसूली के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुए हैं।

वीबीयू ने बताया (सितंबर 2020) कि उसने वर्ष 2016-17 से तदर्थ बोनस के भुगतान को रोक दिया था परंतु उसने आजतक इस संबंध में कोई वसूली प्रारंभ नहीं की थी।

आईआईटी-के ने बताया (अक्टूबर 2020) कि उसने एमओएफ से ऐसे आदेशों की प्राप्ति की प्रत्याशा में अपने पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए तदर्थ बोनस प्रदान किया था। उसने यह भी बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए तदर्थ बोनस अपने स्वयं के संसाधनों से संवितरित किया गया था। टीएएस ने अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान की पुष्टि (नवम्बर 2020) की तथा बताया कि उसने एमओएफ द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जारी आदेशों के हवाला लेते हुए बोनस अदा किया था।

आईआईईएसटी ने तदर्थ बोनस की पूर्ण राशि, जो उसने अपने कर्मचारियों को अदा की थी, की वसूली की (नवम्बर 2020)। इसी प्रकार, बीबीएयू, बीएचयू तथा एएमयू ने भी अदा किए गए कुल ₹9.20 करोड़ के अधिक तदर्थ बोनस की वसूली की थी (अक्टूबर 2020)।

इन शिक्षण संस्थानों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं। एमओएफ से आदेशों के अभाव में अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ प्रदान करने का परिणाम वर्ष 2015-16 से 2017-2018 के लिए ₹6.08 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त, संस्थानों के स्वयं के संसाधनों/विकास निधि में से तदर्थ बोनस के भुगतान में संबंधित मंत्रालय की सहमति अपेक्षित थी, जो प्राप्त नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो, एमओई के तत्वाधान के अधीन कार्य करता है, ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (अक्टूबर 2017) को इस संबंध में अपने संबंधित कर्मचारियों से वसूलियां करने का निर्देश दिया क्योंकि

जीओआई ने सीएबी को वर्ष 2015–16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए गैर उत्पादकता संयोजित बोनस प्रदान करने का आदेश नहीं दिया था। तथापि, कुछ शिक्षण संस्थानों ने आज तक वसूलियां प्रारम्भ कर दी थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) ने सूचित किया (मार्च/दिसंबर 2020) कि बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू तथा आईआईटी-जी के संबंध में वसूलियां शुरू कर दी गई हैं। इन्होंने एमएनएनआईटी से जीओआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सतर्कतापूर्वक पालन करने तथा भविष्य में ऐसी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को न दोहराने का भी अनुरोध किया है (जनवरी 2021)। शेष सीएबी के संबंध में मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

8.2 फर्म को ₹2.44 करोड़ का अनुचित लाभ

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने निविदा शर्तों के उल्लंघन में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करके एक निजी फर्म को अनुचित लाभ दिया, जिसका परिणाम ₹2.44 करोड़ के परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

सर सुंदरलाल अस्पताल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (एसएस अस्पताल) में लाइसेंसिंग अनुबंध के तहत 24 घण्टे मेडिसिन एण्ड केमिस्ट शॉप की स्थापना की दृष्टि से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (बीएचयू) ने योग्य फर्मों से निविदा आमंत्रित की (फरवरी 2013)। निविदा दस्तावेजों की शर्त 5.1 के अनुसार, लाइसेंसधारी ₹12.50 लाख प्रति माह की तय मासिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, बीएचयू को एक अतिरिक्त परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क अदा करेगा। बोलीकर्ताओं को उस मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) की प्रतिशतता का उद्धरण देना अपेक्षित होगा जिसे वे अतिरिक्त परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में आगे बीएचयू को प्रदान करना चाहते हैं, जो बीएचयू द्वारा निर्धारित नियत मासिक लाइसेंस शुल्क से अधिक व अलग होगा। निविदा के अनुसरण में, दो फर्मों अर्थात् मैसर्स हेल्पलाइन फार्मसी, नई दिल्ली (पहली फर्म) तथा उमंग क्योर प्रा. लि., लखनऊ (दूसरी फर्म) ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की। निविदा समिति (30 मार्च 2013) के कार्यवृत्त के अनुसार, पहली

फर्म ने मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) का चार प्रतिशत तथा दूसरी फर्म ने मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) का 2.15 प्रतिशत बीएचयू को अदा करने का उद्धरण दिया। समिति ने पहली फर्म द्वारा दिए गए उच्च प्रस्ताव के आधार पर पहली फर्म को संविदा सौपने की सिफारिश की। संविदा पहली फर्म को सौपी गई थी तथा उन्हें मामले को आगे बढ़ाने हेतु तुरंत ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रेषित करने को कहा गया (मई 2013)। फर्म को एक अनुस्मारक भी दिया गया था (जून 2013) परंतु पहली फर्म ने कोई उत्तर नहीं दिया।

पहली फर्म संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने नहीं आई। इसी बीच दूसरी फर्म ने बीएचयू को सिफारिश की (जून 2013) तथा अनुरोध किया कि उनकी बोली को स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, दूसरी फर्म मासिक विक्रय मात्रा पर परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की प्रतिशतता को 2.15 प्रतिशत से चार प्रतिशत तक बढ़ाने को सहमत हुई (जुलाई 2013)। बीएचयू ने प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा दूसरी फर्म के साथ एक अनुबंध (सितंबर 2013) किया। दुकान अक्टूबर 2013 में फर्म को सुपुर्द की गई थी।

बीएचयू द्वारा दूसरी फर्म के साथ किए गए अनुबंध की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की शर्त अनुबंध में बदली हुई थी। निविदा दस्तावेजों के अनुसार, परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क फर्म द्वारा बीएचयू को मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) पर अदा किया जाएगा परंतु अनुबंध में इसे मासिक विक्रय मात्रा (विक्रय चालान मूल्य पर) के आधार में बदल दिया गया था। यह देखा गया कि बीएचयू ने फर्म के साथ भुगतान की शर्तों को बदलने हेतु कोई बातचीत नहीं की थी तथा परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की शर्तों के बदलने के आधार को अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि बीएचयू ने पहले भी इसी दुकान के लिए एक अन्य फर्म के साथ अगस्त 2007 में इसी प्रकार का अनुबंध किया था जिसमें मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) आधार पर परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की शर्त भी शामिल थी। भुगतान की शर्तों में परिवर्तन के कारण बीएचयू को नवम्बर 2013

से मार्च 2019 के दौरान ₹2.44 करोड़ की परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली वहन करनी पड़ी जैसा नीचे तालिका सं. 1 में दिया गया है।

तालिका सं. 1: परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

(राशि ₹ में)

| अवधि (1) | मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) (2) | मासिक विक्रय मात्रा (विक्रय चालान मूल्य पर) (3) | अदा किया जाने वाला परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क (4) | अदा किया गया परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क (5) | कम वसूली (6) (5-4) |
|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|
| नवम्बर 2013 से मार्च 2019 तक | 336,71,02,578 | 275,74,15,493 | 13,46,84,102 | 11,02,96,615 | 2,43,87,487 |

उत्तर में (दिसंबर 2018), बीएचयू ने बताया (फरवरी 2019) कि एमओयू की समन्वयक कानूनी सेल द्वारा पुनरीक्षित की गई थी तथा तत्कालीन कुलपति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

बीएचयू का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा शर्तों से विचलन जिसका बीएचयू के राजस्व पर प्रभाव है, केवल अभिलेख में उचित औचित्य के बिना नहीं किया जा सकता था। आगे, अनुबंध के पुनरीक्षण के समय कानूनी सेल ने अपने अनुमोदन नोट में उपर्युक्त परिवर्तनों का उल्लेख नहीं किया था।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया (जून 2019 तथा अक्टूबर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

इस प्रकार, निविदा की शर्तों के उल्लंघन में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करके बीएचयू द्वारा एक निजी फर्म को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसका परिणाम ₹2.44 करोड़ के परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ है। यह सिफारिश की जाती है कि उल्लंघन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान करने हेतु जाँच की जाए तथा उचित कार्रवाई हो।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

8.3 अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय

आईआईटी-बी विक्रेता को आईआईटी-बी में एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु संचालन की विकेंद्रित पद्धति की अपनी आवश्यकता को प्रभावी रूप से सूचित करने में विफल रहा तथा विक्रेता द्वारा सुझाव दिए गए ईआरपी समाधान को एक स्पष्ट परिभाषा कि क्या परियोजना अपरिहार्य है, के बिना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जिससे अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बी) ने मैसर्स एटोस (विक्रेता) को ₹31.50 करोड़ के उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) के कार्यान्वयन का कार्य प्रदान किया। परियोजना कार्यान्वयन को वेव-1 तथा वेव-2 में विभाजित किया गया था जिसे 24 महीनों (दिसम्बर 2016) के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा इस प्रकार प्रत्येक परियोजना की 12 महीने प्रत्येक² की समापन अवधि थी। अनुबंध के अनुसार, संविदा को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) (दिनांक अक्टूबर 2013), आरएफपी को शुद्धि पत्र (दिनांक नवम्बर 2013) तथा प्रतिबद्धता पत्र (मई 2014) के ढांचे के भीतर निष्पादित किया जाना था तथा कोई अपवाद एवं विचलन अनुमत नहीं थे।

यह पाया गया था कि वेव-1 को पूर्ण कर दिया गया था तथा अप्रैल 2017 तक प्रारम्भ हो चुका था। सम्मेलन कक्ष पायलट तथा अंतिम उपभोक्ता प्रशिक्षण जैसे संघटक आंशिक रूप से पूर्ण थे तथा संस्थान द्वारा स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाना लंबित था। वेव-2 के संबंध में, प्रगति केवल परियोजना तैयारी तथा बिजनेस ब्लूप्रिंट साइनऑफ के संबंध में थी तथा अन्य संघटकों के संबंध में समापन की निर्धारित तिथि (दिसंबर 2016) से 45 महीनों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी (सितंबर 2020) कोई प्रगति नहीं थी। सितंबर 2020 तक ₹18.31 करोड़³ का व्यय किया गया था। जब लेखापरीक्षा में विलम्ब हेतु

² इसके पश्चात, विक्रेता को एक वर्ष के लिए उपभोक्ता अभिग्रहण सहायता तथा अगले चार वर्षों (दिसंबर 2021 तक) के लिए संचालन एवं अनुरक्षण सहायता प्रदान करनी थी।

³ वेव-1 ₹11.33 करोड़, वेव-2 ₹1.92 करोड़ तथा ओ एवं एम चरण ₹5.06 करोड़

दण्ड के गैर उदग्रहण को इंगित किया गया था तब आईआईटी-बी/ मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2020/जनवरी 2021) कि ₹1.23 करोड़⁴ की राशि को लंबित बकायों से दण्ड के प्रति वसूला/समायोजित किया गया तथा वेव-2 को हटाने या काली सूची में डालने के लिए एक पत्र एटोस को भेजा गया।

इसके अतिरिक्त, इस एसएपी ईआरपी परियोजना के संबंध में यह देखा गया था कि आईआईटी-बी ने संस्थान में विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विकेन्द्रित प्रचलन में अपने अधिकांश आईटी समर्थ व्यवसाय प्रक्रियाओं को संचालित किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया (फरवरी 2018):

- आईआईटी-बी द्वारा प्रदत्त आरएफपी के आधार पर विक्रेता ने सामग्री बिल (बीओएम) प्रस्तुत किया; बीओएम, आरएफपी के अनुसार, लाइसेंस आवश्यकता मैपिंग होने से एसएपी लाइसेंस आवश्यकता की प्रमात्रा है।
- विक्रेता ने आईआईटी-बी में ईआरपी के एक केन्द्रीकृत प्रचालन पद्धति की सिफारिश⁵ की थी तथा तदनुसार बीओएम⁶ को प्रस्तुत किया जिसे आईआईटी-बी द्वारा स्वीकृत किया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बीओएम की स्वीकृति ईआरपी प्रचालन की केन्द्रीकृत पद्धति की स्वीकृति के बराबर थी।
- कार्यान्वयन तथा गो लाइव के पश्चात आईआईटी-बी को एहसास हुआ कि एक केन्द्रीकृत रचना तक प्रचालनों को सीमित करना कार्य करने के स्थापित तरीके में बड़े विघटन तथा कार्य की गति में काफी धीमेपन के बिना संभव ही नहीं होगा। इससे हितधारकों में अप्रसन्नता भी होगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीकृत पद्धति में संचालन हेतु स्रोत पर डाटा को अधिकृत करने के लिए एसएपी ईआरपी के फ्रंट एंड के रूप में विकल्प के

⁴ ₹12.29 करोड़ की सेवा लागत का 10 प्रतिशत

⁵ विक्रेता द्वारा प्रस्तुत एक 'स्थिति पत्र' के माध्यम से जिसने यह बताते हुए कि केन्द्रीकृत पद्धति का प्रस्ताव अधिकांश व्यवसायों का पंसदीदा विकल्प है आईआईटी-बी में ईआरपी कार्यान्वयन की केन्द्रीकृत पद्धति का प्रस्ताव दिया।

⁶ पीओ दिनांक दिसम्बर 2014 के भाग के रूप में अनुबंध के लिए अनुलग्नक

लिए अतिरिक्त लाइसेंसों की एवज में एक अलग इन-हाउस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी।

- उपरोक्त पर प्रकाश डालते हुए, आईआईटी-बी ने विक्रेता द्वारा बीओएम के अनुसार उपलब्ध कराए गए एसएपी लाइसेंस की पर्याप्तता के संबंध में प्रचालन की केन्द्रीकृत के प्रति विकेन्द्रीकृत पद्धति का अध्ययन करने तथा इसके लिए एसएपी लाइसेंस की आवश्यकता सहित प्रचालन की उपर्युक्त पद्धति पर सिफारिश प्रस्तुत करने हेतु एक सशक्त समिति (ईसी) (जुलाई 2017) का गठन किया। ईसी ने सिफारिश की कि चूंकि विक्रेता द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीकृत मॉडल प्रचालन में सरलता एवं दक्षता प्रदान नहीं करती थी इसलिए प्रचालन का आंशिक रूप से विकेन्द्रित मॉडल जिसने परियोजना प्रभारियों को प्रशासनिक स्वतंत्रता तथा प्रभावी प्रचालन पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया, को अपनाया जाना चाहिए।
- प्रचालन की आंशिक रूप से विकेन्द्रित पद्धति में अतिरिक्त लाइसेंसों का प्रापण अपेक्षित था। इस प्रकार आईआईटी को एसएपी इंडिया से अतिरिक्त 250 व्यवसायिक उपयोगकर्ता लाइसेंसों⁷ तथा 150 परियोजना उपयोगकर्ता लाइसेंसों⁸ का प्रापण करना था। आईआईटी-बी ने इस प्रापण पर ₹1.29 करोड़ (जुलाई 2017) का व्यय किया जो ईआरपी कार्यान्वयन के अतिरिक्त था।

आईआईटी-बी ने बताया (सितंबर 2020) कि आरएफपी ने ईआरपी प्रचालन के केन्द्रीकृत अथवा विकेन्द्रीकृत पद्धति का उल्लेख नहीं किया था तथा प्रत्येक

⁷ एसएपी व्यावसायिक उपयोगकर्ता एक नामित उपयोगकर्ता है जो लाइसेंस द्वारा समर्थित संचालन संबंधी तथा प्रणाली प्रशासन/प्रबंधन प्रशासन भूमिकाओं को निभाने हेतु प्राधिकृत है।

⁸ एसएपी परियोजना उपयोगकर्ता एक नामित उपयोगकर्ता है जो लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित निम्नलिखित (एसबीओपी को छोड़कर) एक अथवा अधिक भूमिकाओं को पूरा करने को प्राधिकृत है (i) परियोजना प्रबंधन, (ii) उत्पादन तथा परियोजना संबंधित रिपोर्टिंग, (iii) प्रक्षेपित संबंधी राजस्वो एवं व्ययों को संभालना, (iv) प्राप्य खाता (ए/आर) सामान्य बही (जी/एल) पोस्टिंग पर नजर रखने, (v) पहुंच को नियंत्रित करना तथा सहयोगी उत्पाद विकास परिदृश्यों में उत्पाद डाटा तथा विधियों को जारी करना, (vi) इंजीनियरिंग अभिलेखों के माध्यम से परिवर्तनों पर नजर रखना तथा अनुमोदित करना, (vii) इंजीनियरिंग अभिलेखों के माध्यम से परिवर्तन प्रबंधन, (viii) फोल्डरों में सहयोग करना, तथा (ix) तृतीय पार्टी प्राधिकृत संलेखन यंत्र को इंटरफेस।

कार्य हेतु लाइसेंसों की संख्या के संबंध में उन लाइसेंसों की आवश्यकता आरएफपी में विनिर्दिष्ट थी। तथापि, आईआईटी-बी ने क्रय आदेश देते समय आरएफपी में लाइसेंस आवश्यकताओं के संदर्भ में विक्रेता के एसएपी बीओएम को स्वीकार किया। एक बार जब आईआईटी-बी ने 2017 में ईआरपी प्रणाली की बड़ी पैमाने पर जांच/उपयोग करना प्रारम्भ किया तो इससे पता चला कि प्रणाली के सुचारू तथा प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अधिक लाइसेंसों की आवश्यकता थी। इस प्रकार, आंशिक रूप से विकेन्द्रीकरण हेतु ईसी की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद की गई थी।

शिक्षा मंत्रालय ने उपर्युक्त तथ्यों को पुष्टि करते समय बताया (जनवरी 2021) कि आरएफपी को संकाय तथा लाइसेंस मैपिंग हेतु 650 परियोजना प्रबंधन प्रकार के लाइसेंसों की आवश्यकता थी तथा जहां तक इन परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों का संबंध था तो बीओएम में कमी पाई गई थी। कार्यान्वयन के दौरान पाई गई इस विसंगति को एटोस के साथ उठाया गया था तथा कमी को एटोस द्वारा 500 ईएसएस लाइसेंसों का 500 परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों में निशुल्क उन्नयन करके सुधार किया गया था। शेष 150 परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों से संबंधित ₹16.66 लाख की लागत को एटोस को देय भुगतानों से वसूला गया था। तथापि, मंत्रालय ने विकेन्द्रीकरण तथा अतिरिक्त 250 पीयूएल की खरीद के लिए आईआईटी के निर्णय को, यह बताते हुए कि यह संस्थान के दार्ढकालिक हित में था, उचित ठहराया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की आंशिक स्वीकृति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विसंगति केवल परियोजना उपभोक्ता में ही नहीं थी बल्कि व्यवसायिक उपभोक्ता लाइसेंसों में भी थी जैसा आरएफपी तथा एसएपी बीओएम के बीच पीयूएल की संख्या में अंतर से देखा जा सकता था। संस्थान का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को सिद्ध करता है कि आईआईटी-बी ने, कार्यान्वयन के प्रारम्भ में ही, विक्रेता को सूचित नहीं किया था कि उनका पंसदीदा विकल्प कार्यान्वयन की आंशिक रूप से विकेन्द्रीकृत पद्धति का था। इसलिए, विक्रेता ने बीओएम जो आईआईटी-बी द्वारा अनुमोदित था, के अनुसार आगे कार्य किया तथा केन्द्रीकृत पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन प्रोटोकॉल्स तैयार किया। आंशिक रूप से विकेन्द्रीकृत ईआरपी संचालन का विकल्प बाद का विचार था, जिसकी बाद में

ईसी (जुलाई 2017) द्वारा सिफारिश की गई थी। इसने दर्शाया कि आईआईटी-बी ने यह समझने के लिए उपयुक्त निर्णय नहीं लिया था कि विक्रेता ने प्रचालन की एक केन्द्रीकृत पद्धति पर ईआरपी समाधान का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार, परियोजना के प्रारम्भ में कार्यान्वयन पद्धति के संबंध में स्पष्टता की कमी आईआईटी-बी की ओर से ₹1.29 करोड़ की अतिरिक्त लागत का कारण बनी, जो परिहार्य थी।

विक्रेता से कुल ₹112.80 लाख के 250 पीयूएल तथा एएससी डाटा रनटाईम की खरीद की लागत को वसूलने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट के साथ 150 परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों के संबंध में ₹16.66 लाख की वसूली के विवरण मंत्रालय/आईआईटी-बी से प्रतीक्षित है (जनवरी 2021)।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर

8.4 दिहाड़ी कामगारों को अस्वीकार्य भुगतान

अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान, एनआईटी, सिलचर ने ड्यूटी दिनों की वास्तविक संख्या के बदले पूरे महीने के लिए मस्टर रोल कामगारों को ₹90.55 लाख की राशि का अतिरिक्त वेतन दिया जो न्यूनतम मजदूरी नियमावली (केन्द्रीय), 1950 के अनुसार अस्वीकार्य था।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी), सिलचर जो असम सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहा था, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिलचर के रूप में उन्नत (जून 2002) किया गया था। इससे आरईसी सिलचर को एक स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिला जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन शासक मंडल (बीओजी) द्वारा शासित है।

इसके उन्नयन से पहले, आरईसी ने 1980 एवं 1985 की अवधि के दौरान प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनुभागों में उत्पन्न आवश्यकताएं जैसे सम्मेलनों, बैठकों, शोध कार्य, परीक्षाओं के दौरान सहायकों, रसोइया-सह-सहायक, प्रयोगशाला परिचारक एवं सुरक्षा कर्मियों आदि की मस्टर रोल कामगारों (एमआर कामगार) की भर्ती की। एमआर कामगारों की भर्ती आरईसी के

एनआईटी (2003 तक) के स्तर पर उन्नयन के बाद तक जारी रही। उनको उनकी योग्यता एवं सेवा की अवधि के आधार पर अस्थिर वेतन दिया गया।

भुगतान के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13, प्रावधान करता है कि प्रत्येक सात दिनों में एक दिन का विश्राम दिया जाता है एवं ऐसे विश्राम दिन के लिए भुगतान की अनुमति भी होती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) समय-समय पर दिहाड़ी कामगारों की भिन्न भिन्न श्रेणियों को न्यूनतम देय वेतन की दर को अधिसूचित करता है। ऐसी अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों में सप्ताह के विश्राम दिनों के लिए वेतन दर प्रत्येक दिहाड़ी कामगार प्रत्येक सात दिनों में एक दिन के विश्राम के हकदार हैं और इस प्रकार एक महीने में कामगार के न्यूनतम देय वेतन की गणना उतने दिनों के संदर्भ में की जाती है जितने दिन कामगार वास्तव में काम करता है।

लेखापरीक्षा ने बताया कि एनआईटी, सिलचर ने दिहाड़ी पर 90 से 98 मस्टर कामगारों की भर्ती की। अभिलेखों ने दर्शाया कि अप्रैल 2015 एवं मार्च 2019 के बीच इन कामगारों का वेतन एमएलई द्वारा अधिसूचित दरों को एक महीने में कुल दिनों की संख्या (30-31 दिन) से गुणा करके परिकलित किया गया। यह इस तथ्य के बावजूद किया गया है कि इन कामगारों ने वास्तव में कम दिनों के लिए अपनी ड्यूटी की। चूंकि एमएसई द्वारा अधिसूचित दर में पहले से ही विश्राम दिन के वेतन शामिल थे, वास्तविक ड्यूटी दिनों के बजाय पूरे महीने का भुगतान एमएलई द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के लिए प्रावधान का उल्लंघन था। इसका परिणाम ₹90.55 लाख⁹ का अस्वीकार्य भुगतान था।

इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2021) कि जब यह आरईसी था तब एमआर कामगारों की भर्ती असम सरकार मजदूरी नियमावली के अन्तर्गत

⁹ परिकलन अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान एमआर कामगारों के ड्यूटी दिनों की वास्तविक सं. पर एनआईटी सिलचर द्वारा उपलब्ध डाटा पर आधारित हैं। अतिरिक्त घंटों में किया गए काम/छुट्टी में काम के लिए एमआर कामगारों के समयोपरि भत्ते के मामले को परिकलन में विचार नहीं किया गया था क्योंकि संस्थान ने न तो अतिरिक्त समय पर काम करने हेतु कोई विशेष आदेश जारी किया और न ही कोई समयोपरि रजिस्टर अनुरक्षित किया।

की गई थी जिसमें एमआर कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान पूरे महीने अर्थात् 30 दिन प्रति माह, सवैतनिक छुट्टियों के रूप में साप्ताहिक छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना था। एनआईटी में इसके उन्नयन के बाद, पूरे महीने के वेतन के बजाय 26 दिनों की मजदूरी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन हेतु 2014 में कामगारों के वेतन की समीक्षा की गई। हालांकि आंदोलन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। एनआईटी में अशांति से बचने के लिए एमआर कामगारों को पूरे महीने की मजदूरी दी गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि एमआर कामगारों का मामला एनआईटी, सिलचर में हमेशा एक ज्वलन्त मुद्दा था। आरईसी से एनआईटी में परिवर्तन के बाद, संस्थान के शासक मंडल जो एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं, ने समय-समय पर संस्थान में सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में उनके मुद्दे को स्वीकार किया परन्तु मामले का किसी न किसी कारण से समाधान नहीं हो सका। यहां तक कि उनकी मजदूरी दर की समीक्षा नहीं की जा सकी। संस्थान से उनकी सेवाओं की समाप्ति के बजाय, एनआईटी सिलचर को सलाह दी गई कि संस्थान के गैर-संकाय रिक्त पदों की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के प्रति उनको रखा जाए। एमआर कामगारों की स्थिति का जायजा लेने के लिए तथा 30/31 दिनों के भुगतान को जारी करने के लिए संस्थान के कार्य को इस संदर्भ में देखा जाए। उन्होंने जोड़ा कि एमआर कामगार उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर कार्य कर रहे हैं तथा एनआईटी, सिलचर को संस्वीकृत कार्मिक संख्या से अधिक गैर संकाय पदों के प्रति कोई भी संविदात्मक सेवा को काम पर न लगाने का अनुदेश दिया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि (i) एमएलई द्वारा निर्धारित 26 दिनों की न्यूनतम मजदूरी में एक महीने के दौरान विश्राम दिनों की मजदूरी पहले ही शामिल है, (ii) मंत्रालय के उत्तर में कोई भी नियम/आदेश नहीं था जो यह स्पष्ट करे कि प्राधिकारी जिसके अधीन एमआर कामगारों को अतिरिक्त भुगतान जारी किया गया, क्योंकि एमएलई उन दिनों की अनुमति नहीं देता जिन दिनों के लिए कामगारों ने अपनी इयूटी नहीं की, (iii) मंत्रालय का कथन कि एमआर कामगारों के लंबित नियमितीकरण, संस्थान को दी गई सलाह कि गैर-संकाय रिक्त पदों की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के प्रति एमआर कामगारों

को बनाए रखना, इसे एमएलई द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक एमआर कामगारों को भुगतान करने के लिए एक प्राधिकार या संस्वीकृति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआईटी, सूरत

8.5 एनआईटी अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण ₹74.25 लाख के राजस्व की परिहार्य हानि

एनआईटी के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 तथा एसवीएनआईटी सूरत की 39वीं बीओजी के एक संकल्प के गैर अनुपालन के कारण उसने छात्रावास में नहीं रह रहे सभी नामांकित छात्रों से सीट रेंट नहीं वसूला था जिसका परिणाम 2012-13 से 2018-19 तक की अवधि के लिए ₹74.25 लाख की सीमा तक के राजस्व की हानि में हुआ।

एनआईटी अधिनियम, 2007 की धारा 26 के साथ पढ़े जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 के अनुसार, प्रत्येक एनआईटी एक आवसीय संस्थान होगा तथा सभी छात्र एवं शोध छात्र एनआईटी द्वारा इसी उद्देश्य हेतु निर्मित आवसीय छात्रावासों तथा हॉल में रहेंगे। असाधारण मामले में, जिसके लिए कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, छात्र अथवा शोध छात्र को उसके माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने को निदेशक अनुमत कर सकता है। जहां ऐसी अनुमति प्रदान की जाती है वहां ऐसा छात्र या शोध छात्र “सीट रेंट” का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह उत्तरदायी था अगर वह छात्रावास में रहता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआईटी, सूरत (एनआईटी सूरत) ने दाखिला लिए हुए छात्रों, जो छात्रावास में नहीं रहते थे, से एनआईटी के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 के अनुसार सीट रेंट वसूल नहीं किया। यह 2012-13 से छात्रावासों में कमरों के उपलब्ध होने के बावजूद था। आगे यह पाया गया था कि छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने की नीति के विरुद्ध स्थानीय छात्रों के अनुरोध पर एनआईटी सूरत ने स्थानीय छात्रों के अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहने की नीति को हटाने के लिए स्थानीय छात्रों के अनुरोध

पर विचार करने तथा अनुमोदित करने से संबंधित मामले को 39 वें शासक मंडल (बीओजी) (मार्च 2015) के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि 39 वीं बीओजी ने एजेंडा से मद को वापस लेने का संकल्प लिया।

इस प्रकार, चूंकि एनआईटी सूरत ने एनआईटी के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 का अनुपालन नहीं किया था तथा नामांकित छात्रों से सीट रेंट वसूल नहीं किया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि बीओजी ने छात्रावासों में अनिवार्य रूप से रहने की नीति को हटाने के संबंध में छात्रों के अनुरोध पर विचार नहीं किया था। इसका परिणाम छात्रों द्वारा सीट रेंट के गैर भुगतान के कारण ₹74.25 लाख के राजस्व की परिहार्य हानि में हुआ जैसा तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2: सीट रेंट का गैर भुगतान

| वर्ष | डबल सीट के लिए सीट रेंट (2) | नामांकित छात्रों के न रहने से खाली पड़ी छात्रावास की सीट (3) | परिहार्य हानि (₹में) (2)* (3) |
|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 2012-13 | 3000 | 375 | 1125000 |
| 2013-14 | 3000 | 35 | 105000 |
| 2014-15 | 3000 | 154 | 462000 |
| 2015-16 | 3000 | 575 | 1725000 |
| 2016-17 | 3000 | 582 | 1746000 |
| 2017-18 | 3000 | 244 | 732000 |
| 2018-19 | 3000 | 510 | 1530000 |
| कुल परिहार्य हानि | | | 7425000 |

एनआईटी सूरत ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि संस्थान ने 49वीं बीओजी बैठक (मई 2019) में एनआईटी सूरत द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित शुल्क समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर छात्रावास सीट रेंट तथा अन्य शुल्कों (पीएचडी छात्रों के शिक्षा शुल्क के सिवाय) को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस प्रकार, शैक्षिक वर्ष 2019-20 से एनआईटी सूरत को किसी भी प्रकार की आगे की हानि से बचाने के लिए एनआईटी सूरत द्वारा सभी छात्रों से ₹4000 के सीट रेंट की वसूली की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

8.6 छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण तथा मनगढ़ंत दावे प्रस्तुत किए जो क्रमशः ₹17.78 लाख तथा ₹47.70 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति का कारण बने।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (मंत्रालय) ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), जम्मू एवं कश्मीर (जे एण्ड के) तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (ए एण्ड एन) की यात्रा करने हेतु हवाई यात्रा के लिए नियमों में छूट के संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 26 सितंबर 2014 को जारी किया था। ओएम ने अनुबंध किया कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारी अपने गृह नगर के एक ब्लॉक को बदलकर उसके बदले में एनईआर/ए एण्ड एन/जे एण्ड के में किसी भी स्थान की यात्रा करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं। हवाई यात्रा करने के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय से इकोनामी श्रेणी में इस एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा करने के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें (i) कोलकाता/गुवाहाटी से एनईआर में किसी भी स्थान तक, (ii) कोलकाता/चेन्नई/भुवनेश्वर से पोर्ट ब्लेयर तक तथा (iii) दिल्ली/अमृतसर से जे एण्ड के में किसी भी स्थान तक इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। हवाई यात्रा केवल एयर इंडिया द्वारा इकोनॉमी श्रेणी में की जानी थी तथा एलटीसी 80 किराया¹⁰ या कम स्वीकार्य था। गैर पात्र सरकारी कर्मचारियों द्वारा यात्रा मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नई/भुवनेश्वर/दिल्ली/अमृतसर तक पात्रता के अनुसार की जाएगी।

योजना 26 सितंबर 2014 से 25 सितंबर 2016 तक की अवधि के लिए थी। मंत्रालय ने तत्पश्चात सितंबर 2016 में अपने ओएम के माध्यम से योजना को आगे दो वर्षों की अवधि (25 सितंबर 2018 तक) तथा सितंबर 2018 में अपने ओएम के माध्यम से 25 सितंबर 2020 तक बढ़ाया।

¹⁰ एलटीसी 80 सरकारी कर्मचारियों द्वारा एलटीसी लाभ लेते समय हवाई टिकट की बुकिंग हेतु यह योजना एयर इंडिया द्वारा प्रस्तावित है।

ओएम ने आगे अनुबंध किया कि कर्मचारियों को सलाह दी जाए कि एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमावली के तहत उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर रोक रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत कुछ हवाई टिकटों को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकट पर अंकित लागत की तुलना में हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में संबंधित एयरलाइंस से सत्यापन हेतु यादृच्छिक रूप से लिए जाने की सलाह दी गई थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कर्मचारियों, जिन्होंने एयर इंडिया द्वारा ए एण्ड एन द्वीप समूह/एनईआर तक हवाई यात्रा की थी, के एलटीसी अभिलेखों¹¹ की नमूना जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:-

- इनके 17 तथा 34 कर्मचारियों (क्रमशः डीयू तथा जेएनयू) द्वारा दावा किए गए किराए एयर इंडिया को वास्तव में अदा की गई राशि से अधिक थे। लेखापरीक्षा ने इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों की एयर इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के साथ तुलना की तथा पाया कि इन कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे एयर इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरा के अनुसार अधिक थे।
- सिवाए एक, इन सभी मामलों में हवाई यात्रा टिकटों की बुकिंग मौजूदा नियमों/अनुदेशों के उल्लंघन में निजि ऐजेंटों से की गई थी। जेएनयू के एक मामले में, टिकट प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से बुक किया गया परंतु टिकट की सॉफ्ट प्रति की तुलना जब मूल टिकट से की गई तो उसमें हेराफेरी देखी गई।

इस प्रकार, डीयू तथा जेएनयू एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति को प्राधिकृत करने से पूर्व, एक यादृच्छिक प्रकार से एयरलाइंस टिकटों को सत्यापित कराए जाने की निर्धारित जांच करने में विफल रहा। इसका परिणाम, डीयू तथा जेएनयू द्वारा

¹¹

| विश्वविद्यालय | एलटीसी दावे की अवधि |
|------------------------------|---------------------|
| दिल्ली विश्वविद्यालय | 2016-17 से 2018-19 |
| जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | 2017-18 से 2018-19 |

17 तथा 34 सरकारी कर्मचारियों क्रमशः ₹17.78 लाख तथा ₹47.70 लाख के अनियमित भुगतान में हुआ।

जब अक्टूबर 2019 में इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया तो डीयू ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि शेष मूलधन तथा दण्ड ब्याज के कुल ₹17.82 लाख दण्ड ब्याज की वसूली की गई है। जेएनयू ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि अपने कर्मचारियों से ₹51.77 लाख की वसूली की गई थी। यद्यपि डीयू को उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध अभी भी प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करनी है जबकि जेएनयू ने संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी दण्ड कार्यवाही के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की है।

31 अक्टूबर 2020 तक डीयू तथा जेएनयू द्वारा मूलधन शेष तथा उस पर दण्ड ब्याज के कारण क्रमशः ₹3.50 लाख तथा ₹17.23 लाख की राशि की अभी भी वसूली की जानी है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उल्लेख किए गए अनियमित एलटीसी दावों के भुगतान के उदाहरण वे हैं जो एलटीसी दावों के बिलों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए तथा यह समान उदाहरणों के जोखिमों से बाहर नहीं हैं। ये मामले डीयू तथा जेएनयू में संगठनात्मक स्तर पर बड़ी धोखाधड़ी के सूचक हो सकते हैं। इसलिए, यह अनिवार्य है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस योजना अवधि के दौरान सभी एलटीसी दावों की दोनों विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की अनियमितताओं की संभाव्यता से बचने के लिए, जांच तथा सत्यापन किया गया है।

मामला नवम्बर 2020 में मंत्रालय को भेजा गया है, उनका उत्तर दिसम्बर 2020 तक प्रतीक्षित है।

अध्याय IX : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

9.1 कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान योजना 1952 के उल्लंघन में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ने अपने 89 कर्मचारियों के संबंध में ₹1.89 करोड़ का अधिक भविष्य निधि अंशदान जमा किया।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान योजना, 1952 (योजना) का पैरा 29 (1) प्रावधान करता है कि नियोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत देय अंशदान प्रत्येक कर्मचारी, जिस पर यह योजना लागू है, के देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का 12 प्रतिशत होगा। योजना का पैरा 26 (ए)(2) आगे अनुबंध करता है कि कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा देय अंशदान ₹6,500 (01 सितंबर 2014 से ₹15000 तक बढ़ाया गया) के मासिक वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा। योजना का पैरा 29(2) अनुबंध करता है कि एक कर्मचारी, जिस पर योजना लागू है, द्वारा देय अंशदान, यदि वो इच्छुक हो, तो इस शर्त कि नियोक्ता योजना के अंतर्गत देय अपने अंशदान से अधिक कोई अंशदान अदा करने को बाध्य नहीं होगा, के तहत उपर्युक्त सीमा से अधिक राशि होगी।

एसआरएफटीआई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक शैक्षिक संस्थान, सहायता अनुदान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। संस्थान के उपनियम प्रावधान करता है कि इसके कर्मचारियों की भविष्य निधि को योजना द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा। योजना के अनुसार, वेतन के 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा किया जाता है तथा शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंतरित किया जाता है। तदनुसार, संस्थान को अपने उन कर्मचारियों जो ₹15,000 प्रति माह से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे थे, के संबंध में अपने

नियोक्ता के अंशदान को ₹1,800 प्रति माह अर्थात् ₹15,000 प्रति माह की अधिकतम वेतन सीमा का 12 प्रतिशत तक सीमित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने कर्मचारियों की भविष्य निधि में अपना अंश ₹15,000 की अधिकतम वेतन सीमा तक सीमित करने के बजाए कुल वेतन के 12 प्रतिशत की दर से जमा किया। यद्यपि, नियोक्ता के कुल अंशदान के ईपीएफ का अंश ₹15,000 के अधिकतम वेतन का 8.33 प्रतिशत था फिर भी पूर्ण शेष राशि अर्थात् वास्तविक वेतन का 12 प्रतिशत जिसका तात्पर्य है ₹15,000 से अधिक वेतन (-) 8.33 प्रतिशत, ₹15,000 की वेतन सीमा का ईपीएफ में अंतरित किया गया था जिसका परिणाम अप्रैल 2015 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों, जो योजना के सदस्य थे तथा ₹15000 से अधिक मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे, के संबंध में भविष्य निधि के नियोक्ता के अंश के प्रति ₹1.89 करोड़ के अधिक अंशदान में हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एसआरएफटीआई ने केवल अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योजना को अपनाने हेतु ही अपने शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया था। तथापि, अधिकतम वेतन सीमा से अधिक समान अंशदान (ईपीएफ के प्रति एसआरएफटीआई का अंश) के भुगतान को पूर्व सहमति/ उस पर अनुमोदन हेतु न तो अपनी शासी परिषद और न ही मंत्रालय (एमआईबी)/ईपीएफओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के पैरा 26(6) के अनुसार अंशदान को बढ़ाने की प्रक्रिया अनुबंध करती है कि एक अधिकारी जो सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के नीचे न हो, किसी भी कर्मचारी तथा उसके नियोक्ता के लिखित संयुक्त अनुरोध पर उसको निर्धारित राशि से अधिक अंशदान करने को अनुमत करेगा। तथापि, इस वर्तमान मामले में पूर्व सूचना/संयुक्त अनुरोध नहीं किया गया था। इस प्रकार, एसआरएफटीआई ने उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना निर्धारित सीमा से अधिक ईपीएफ अंशदान के प्रति नियोक्ता का अंश अदा करना जारी रखा।

उत्तर में, एसआरएफटीआई ने बताया (मार्च 2020) कि नियोक्ता का अंशदान अक्टूबर 1997 में ईपीएफओ के साथ इसके पंजीकरण के समय से प्रारम्भ से अदा किया जा रहा है। इसने नियोक्ता की ओर से मूल वेतन सहित मंहगाई भत्ता के 12 प्रतिशत के समान अंशदान को अदा किया क्योंकि वेतन के

नियोक्ता के अंशदान पर कोई ऐसा प्रतिबंध/सीमा नहीं है। तथापि उसने बताया कि मामले को उचित समय पर स्थायी वित्त समिति/शासक परिषद के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पैरा 26ए(2) नियोक्ता को पैरा 29(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक अंशदान की शक्ति प्रदान नहीं करता है तथा पैरा 26(6) में अनुमत अंशदान की वृद्धि की छूट कर्मचारी के अंशदान के लिए है न कि नियोक्ता के अंशदान के लिए है।

मंत्रालय (जनवरी 2021) ने एसआरएफटीआई को भी निदेश दिया कि वापस तत्काल प्रभाव से प्रति माह 1800 की अधिकतम सीमा तक वेतन के 12 प्रतिशत पर नियोक्ता (एसआरएफटीआई) के समान अंशदान करें।

अध्याय X : ग्रामीण विकास मंत्रालय

10.1 स्रोत पर कर की गैर-कटौती

पीएसयू के एक संघ द्वारा प्रदत्त व्यवसायिक तथा तकनीकी सेवाओं हेतु 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹7.21 करोड़ के कर की गैर कटौती में हुई।

आयकर अधिनियम, 1961, के प्रावधान 194 जे के अनुसार, व्यवसायिक तथा तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती ऐसे शुल्कों के 10 प्रतिशत की दर पर की जानी है। आगे, उसी अधिनियम की धारा 201 प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कर की कटौती करने हेतु उत्तरदायी है, इसकी कटौती नहीं करता है अथवा इसकी कटौती करने के पश्चात उसका पूर्ण या कर के किसी भी भाग को सरकार को क्रेडिट करने में विफल होता है, तो ऐसे व्यक्ति उस तिथि से, जब वह कर कटौती योग्य था, से उस तिथि तक, जब उस कर की कटौती की गई, उस कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा एक माह के भाग हेतु एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) तथा मैसर्स आईटीआई लिमिटेड (आईटीआईएल) से बने पीएसयू के संघ (संघ) के साथ एक अनुबंध किया (फरवरी 2012)। इस संघ को सामूहिक रूप से सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करके तहसील स्तर पर सूचना की विशिष्ट मर्दानों पर सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना हेतु डाटा के संग्रहण, समेकन तथा अद्यतन का कार्य सौंपा गया था। कार्य में एक ड्राफ्ट कार्य सूची को तैयार करना एवं मुद्रण, सुधारों को शामिल करना तथा इसके पश्चात्, एक अंतिम सूची तैयार करना भी शामिल था। इस उद्देश्य के लिए, संघ को सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जनगणना के कार्यान्वयन हेतु एप्लिकेशन साफ्टवेयर का विकास, परिनियोजन तथा रख-रखाव करना था।

अनुबंध की धारा 11.8.1 के अनुसार, प्राधिकारियों द्वारा संघ को सभी भुगतान आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के तहत थे।

संघ द्वारा प्रदत्त सेवा व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रकृति की थी तथा इसलिए 10 प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर की कटौती के अधीन थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन फर्मों को मार्च 2018 में किए गए कुल ₹72.16 करोड़ के भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी, जैसा **अनुलग्नक-10.1** में विवरण दिया गया है।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों तथा अनुबंध की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹7.21 करोड़ के कर की गैर कटौती हुई। यह एक सांविधिक गैर अनुपालन है जो मंत्रालय को, ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी बनाता है जैसा कि पहले उप पैरा में उल्लेख किया गया है। यह मंत्रालय में भुगतान चरण पर आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने की भी मांग करता है।

इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2020) कि 2018-19 के दौरान किए गए कुछ भुगतानों के सिवाय सीपीएसयू को किए गए भुगतानों के प्रति किसी टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

10.2 निधियों का अवरोधन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी नई इमारत के निर्माण के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात को दिसंबर 2012 में ₹2.90 करोड़ जारी किए परंतु वह उसके उपयोग का अनुवीक्षण करने में विफल रहा। निर्माण अभी भी प्रारम्भ किया जाना है तथा निधियां सात वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रही हैं।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005¹ का नियम 212 उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) की क्रियाविधि के माध्यम से अनुदानों का अनुवीक्षण करना

¹ सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 238 में सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए समरूप प्रावधान हैं।

निर्धारित करता है। केवल यह सुनिश्चित नहीं करता कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें संस्वीकृत किया गया था बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अप्रयुक्त निधियाँ सरकार को अभ्यर्पण की गई हैं।

सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (एसपीआईपीए) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) को अहमदाबाद में अपने परिसर में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) हेतु एक नई इमारत² के निर्माण का प्रस्ताव किया (जनवरी 2012)। इसे एमओआरडी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के एक तकनीकी दल की स्थल दौरा रिपोर्ट की प्राप्ति के तहत ₹5.46 करोड़ की कुल लागत पर अनुमोदित (जनवरी 2012) किया गया था।

एनआईआरडी के तकनीकी दल ने स्थल का दौरा किया (मार्च 2012) तथा एसआईआरडी को एक विस्तृत मद वार अनुमान तथा दर विश्लेषण प्रदान करने को कहा। एसआईआरडी ने तदनुसार ₹5.81 करोड़ की इमारत हेतु एक संशोधित लागत अनुमान तैयार किया जिसकी एनआईआरडी द्वारा सिफारिश की गई थी। इसके पश्चात, एमओआरडी ने ₹5.81 करोड़ की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2012) जिसे इमारत परिसर के निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिया जाना है। उसने प्रथम किस्त के रूप में एसआईआरडी को ₹2.90 करोड़ का अग्रिम भी जारी किया (दिसंबर 2012)। इस राशि का 18 महीनों के भीतर उपयोग किया जाना था तथा अप्रयुक्त निधि का अभ्यर्पण किया जाना था जब तक कि अन्यथा प्राधिकृत न हो।

बाद में, एसआईआरडी ने एनआईआरडी को सूचित किया (सितंबर 2013) कि प्रस्तावित कार्य स्थल पर जांच³ में मृदा की गुणवत्ता को खराब पाया गया था इसलिए “पाइल फाउंडेशन” की आवश्यकता है जिससे अनुमानित लागत में ₹8.28 करोड़ तक संशोधन होगा। उत्तर में, एनआईआरडी ने एसआईआरडी से अनुदान की ₹2.90 करोड़ की प्रथम किस्त तथा उस पर अर्जित ब्याज के उपयोग की स्थिति के संबंध में पूछताछ की (सितंबर 2013)। लेखापरीक्षा ने

² इसमें प्रशासनिक ब्लॉक तथा होस्टल शामिल हैं।

³ मृदा की जांच अहमदाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं योजना केन्द्र के संरचनात्मक अभियंता द्वारा की गई थी।

पाया कि न तो एसआईआरडी ने पूछताछ का उत्तर दिया था और न ही एनआईआरडी/एमओआरडी ने इस मामले में उनसे आगे कोई पूछताछ की थी। यह नवम्बर 2018 में अर्थात् कार्य हेतु निधियों के निर्गम के लगभग छः वर्षों के पश्चात अपर सचिव (ग्रामीण विकास) के एक दौर के दौरान उजागर हुआ कि निर्माण कार्य को भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था।

इसके पश्चात् (दिसंबर 2018) मामले को गुजरात राज्य सरकार (एसजीओजी) के साथ उठाया गया था तथा एसआईआरडी को उनके पास पड़ी राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा गया। उत्तर में, एसजीओजी ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि नए प्लॉट की पहचान की गई थी तथा कार्य के संबंध में आगे की प्रक्रियाएं⁴ प्रगति में थी। एमओआरडी ने फिर एसजीओजी को एक माह के भीतर अर्जित ब्याज सहित उपलब्ध राशि पर सूचना प्रस्तुत करने तथा इमारत हेतु विस्तृत योजना तथा अनुमान प्रस्तुत करने का निदेश दिया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसजीओजी ने एसआईआरडी की संरचना तथा अपने शासी निकाय में परिवर्तन के संबंध में आठ महीनों के पश्चात उत्तर दिया। उन्होंने अनुदान पर ब्याज सहित ₹4.22 करोड़ की राशि की निधियों की उपलब्धता की भी सूचना दी तथा यह भी बताया कि गुजरात सरकार के सड़क एवं इमारत विभाग को नई इमारत के लिए योजनाएं एवं अनुमान तैयार करने का अनुरोध किया गया था। एमओआरडी ने एसआईआरडी को एनआईआरडी के तकनीकी दल की संवीक्षा हेतु एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2019)। तथापि, इस संबंध में एसआईआरडी अथवा एसजीओजी से कोई आगे की सूचना प्राप्त नहीं की गई थी।

मामले को जनवरी 2020 में एमओआरडी के संज्ञान में लाया गया था; एमओआरडी ने बताया (नवंबर 2020) कि उन्होंने जून 2020 में नवीनतम सचिव के स्तर से एसजीओजी को उपार्जित ब्याज सहित अप्रयुक्त राशि की वापसी के लिए कई संसूचनाएं जारी की।

⁴ जैसे अभिन्यास योजना तैयार करना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा से इमारत अनुमोदन, निविदाएं निर्गत करना आदि

इस प्रकार, जीएफआर के उल्लंघन में, एसआईआरडी को जारी अनुदान के उपयोग का अनुवीक्षण करने में एमओआरडी विफल रहा। यह कुल ₹2.90 करोड़ राशि की निधियों का एसआईआरडी के पास सात वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रहने का कारण बना। इसके अतिरिक्त संस्थान ने इस राशि पर ब्याज को रोक कर रखा जो अन्यथा भारत सरकार को उपार्जित होना चाहिए था। आगे कार्य का प्रत्याशित उद्देश्य, जो संस्थान को अनिवार्य अवसरचना प्रदान करना था, अपूर्ण रहा।

अध्याय XI : वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

11.1 आई.टी एप्लीकेशन सिस्टम 'वन सी.एस.आई.आर' की कार्यक्षमता

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित आई.टी. एप्लीकेशन सिस्टम 'वन सी.एस.आई.आर.' में अनेक प्रक्रियाओं के गैर-कार्यान्वयन के लिए अग्रणी कुछ मॉड्यूलों की अनुपलब्धता और इनपुट नियंत्रणों एवं वैधयता जांच की कमी के कारण इसकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा सका जिसने डेटाबेस को अपूर्ण और अविश्वसनीय बनाया।

11.1.1 प्रस्तावना

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.)¹ ने दिल्ली में अपने मुख्यालय (सी.एस.आई.आर.एच.क्यू.) और 38 राष्ट्रीय संस्थानों/प्रयोगशालाओं और छह इकाईयों (अनुलग्नक 11.1) में प्रक्रियाओं को पारदर्शिता एवं इलेक्ट्रॉनिक शासन लाने की सरकार की नीति के अनुसार कम्प्यूटरीकृत² करने का निर्णय लिया (जून 2009)। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) समाधान को छह³ मॉड्यूल में विभाजित किया गया था और प्रत्येक मॉड्यूल में डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन के लिए छह⁴ अलग-अलग सलाहकारों को

¹ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय

² प्रशासन, भंडारण एवं खरीद, वित्त, अनुसंधान एवं विकास (आर.एंड.डी.), कार्यालय फाइल सिस्टम, आदि।

³ मानव संसाधन (एच.आर.) पोर्टल (आर.एफ.पी.-1), उद्यम अधिगम और ज्ञान (आर.एफ.पी.-2) हेतु पोर्टल, अनुसंधान एवं विकास (आर.एंड.डी) और योजना पोर्टल (आर.एफ.पी.-3) इन्फ्रास्कचर/इंजीनिरिंग एंड सर्विस पोर्टल (आई.ई.एस.पी.) (आर.एफ.पी.-4), नीति और कार्यक्रम मॉड्यूल (पी.पी.एम.) (आर.एफ.पी.-5) और वित्त एवं लेखा मॉड्यूल (एफ.ए.एम.) (आर.एफ.पी.-6)।

⁴ मैसर्स टेकमाइंडज़, के साथ मैसर्स राइट मैनेजमेंट, मैसर्स एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्रा.लि., मैसर्स माइंडट्री लि. मैसर्स टी.सी.एस, मैसर्स न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस लि., मैसर्स वयम टेक.।

आठ महीने (मार्च 2010) तक कार्य पूरा करने के लिए काम पर रखा गया था (जनवरी-मार्च 2010)। परियोजना की वारंटी अवधि 12 महीने थी जिसके बाद चार साल तक रखरखाव सेवा सहायता (एम.एस.एस.) प्रदान की जानी थी। परियोजना के लिए ₹12.51 करोड़ का बजट आवंटन (जून 2010) अनुमोदित किया गया था।

ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को इसके फ्रंट एंड के रूप में, नेट (डॉट नेट) 4.0 प्लेटफार्म पर और बैक एंड के रूप में एस.क्यू.एल. सर्वर पर विकसित किया गया था। एस.ई.आर.सी., चेन्नई⁵ में स्थित सेंट्रल डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर को सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के साथ नेशनल नॉल्लिज नेटवर्क (एन.के.एन.) चैनल के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.) कनेक्शन के माध्यम से परस्पर जोड़ा गया था। सी.एस.आई.आर. ई.आर.पी. प्रणाली (वन सी.एस.आई.आर.) को सितंबर 2012 में प्रारंभ किया गया था। मार्च 2019 तक, सी.एस.आई.आर. ने इसके विकास पर ₹33.63 करोड़⁶ का व्यय किया था।

विभिन्न नियंत्रणों एवं सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता का आकलन करने; डेटा और सूचना/दस्तावेजों /सृजित रिपोर्टों की सटीकता एवं प्रामाणिकता और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करने के उद्देश्य की प्राप्ति को जाँचने के उद्देश्य से वन सी.एस.आई.आर. ई.आर.पी. प्रणाली की 2012-19 की अवधि की लेखापरीक्षा की गई। उद्देश्यों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

⁵ संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, चेन्नई सी.एस.आई.आर. की एक घटक प्रयोगशाला है।

⁶ ₹12.51 करोड़ की सहमत लागत के संबंध में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करने हेतु विक्रेताओं को किए गए ₹8.04 करोड़ के भुगतान के प्रति (2018-19 तक)। इसके अतिरिक्त, सर्वर की स्थापना और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और परियोजना के लिए श्रमबल की व्यवस्था हेतु क्रमशः ₹2.51 करोड़, ₹12.72 करोड़ और ₹10.36 करोड़ खर्च किए गए थे।

11.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.1.2.1 सिस्टम सुरक्षा उपाय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सॉफ्टवेयर सितंबर 2012 में लॉन्च किया गया था, सिस्टम की वेब एप्लिकेशन सुरक्षा लेखापरीक्षा केवल अप्रैल 2019 में आयोजित की गई थी और दिसंबर 2019 में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सुरक्षा जोखिमों का अवलोकन किया गया: (i) समय-समय पर पासवर्ड बदलने के लिए और अमान्य पासवर्ड प्रयासों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण पर्याप्त नहीं थे (ii) अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के द्वारा बार-बार असफल प्रयासों के बाद भी सिस्टम स्वचालित रूप से निष्क्रिय नहीं होता था (iii) अस्थायी कर्मचारियों द्वारा ई.आर.पी. एप्लिकेशन के संचालन हेतु स्थायी वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को आवंटित पासवर्ड का उपयोग किया जा रहा था।

इसके अलावा, सी.एस.आई.आर. के पास अपनी आई.टी. सुरक्षा नीति नहीं थी और वेबसाइट, सुरक्षा मुद्दों, आदि के लिए भारत सरकार की आई.टी. सुरक्षा नीतियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा था। सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि पासवर्ड नीति लागू की जाएगी और गोपनीयता रखी जाएगी।

11.1.2.2 व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली

सी.एस.आई.आर. ने ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर के लागू होने के सात साल बाद भी संभावित आपदाओं के मद्देनजर प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रियाओं की पुर्नप्राप्ति के लिए आपदा पुर्नप्राप्ति योजना तथा प्रक्रियाओं की समय-समय पर बैंक अप के लिए एक व्यवसायिक निरंतरता योजना को तैयार नहीं किया था। सी.एस.आई.आर. के पास चेन्नई में एक केंद्रीय डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर स्थापित था। चेन्नई में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, आपदा प्रबंधन के तहत सुधारात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता के आधार पर तीन विभिन्न स्थानों पर सर्वर स्थापित करने की योजना (जुलाई 2016) बनाई गई थी। हालांकि, सी.एस.आई.आर. ने सितंबर 2019 तक विभिन्न स्थानों पर वैकल्पिक आपदा पुर्नप्राप्ति सर्वर स्थापित नहीं किए थे। सी.एस.आई.आर. ने सेवा व्यवधान के संभावित जोखिम और आई.टी. प्रणाली के सेवा व्यवधान को रोकने के उपायों

की पहचान नहीं की थी। एक व्यापक आपदा पुर्नप्राप्ति प्रबंधन की अनुपस्थिति ने हार्डवेयर दुर्घटना की स्थिति में पूरे डेटाबेस को जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना दिया।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि मसौदा योजना प्रस्तुत की जा रही थी और इसे 2021-22 में कार्यान्वित किया जाएगा।

11.1.2.3 रखरखाव और सहायता सेवाएँ

व्यवसाय समझौतों के अनुसार, विक्रेताओं को एक सहमत लागत पर सेवा स्तर पर समझौते (एस.एल.ए.) में प्रवेश करके एक साल की वारंटी अवधि पूरा होने के बाद, चार साल के लिए सॉफ्टवेयर रखरखाव और सहायता सेवाएं प्रदान करनी थीं। ई.आर.पी. की वारंटी सितंबर 2013 में समाप्त हो गई थी। यह देखा गया कि सी.एस.आई.आर. ने डेवलपर्स के साथ कोई एस.एल.ए. नहीं किया था। एस.एल.ए. को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, सी.एस.आई.आर. न तो जोर देकर यह कह सका कि विक्रेता बग और त्रुटियों को सुधारें और न ही एम.एस.एस. चरण के दौरान संशोधन/परिवर्तन अनुरोधों के विषय में सहायता मांग सका।

11.1.2.4 मॉड्यूल्स का विकास और कार्यान्वयन

सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश (एस.आर.एस.) दस्तावेजों के जरिए निर्दिष्ट विनिर्देशों के आधार पर कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार एप्लिकेशन सिस्टम विकसित करना था। परियोजना मंजूरी हेतु बोर्ड (पी.सी.टी.बी.)⁷ ने विभिन्न माड्यूल्स के डिजाइन और विकास के समीक्षा करते हुए (मार्च 2011) देखा कि माड्यूल की कई विशेषताओं को उपयोगकर्ता से प्राप्त फीडबैक के बाद संशोधित, पुर्नपरिभाषित या परिवर्तित किया गया था। नई प्रक्रियाओं⁸ की एक महत्वपूर्ण संख्या जो परियोजना के मूल दायरे में

⁷ डिलिवरेबल्स की समीक्षा और मंजूरी के लिए एवं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत डिलिवरेबल्स के लिए भुगतान करने की सिफारिश हेतु गठित।

⁸ उस एच.आर. मॉड्यूल से कर्मचारी का नाम हटाना, जो स्थानांतरण, मृत्यु, सेवानिवृत्ति या पद त्याग देने के कारण प्रयोगशाला से बाहर गया है, उचित लेखांकन प्रविष्टियों के लिए जी.एल. एवं एस.एल. कोड का कार्यान्वयन, सामाग्री प्रबंधन मॉड्यूल में, खरीद वस्तुओं आधारिक संरचना के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन हेतु निर्माण सामाग्री के लिए वर्गीकरण

शामिल नहीं थी, उन्हें भी विकसित एप्लिकेशन में (जून 2013) शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह नई प्रणाली की कार्यात्मकताओं में सभी मौजूदा प्रक्रियाओं के प्रवास में अपर्याप्त व्यवसायिक प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग को इंगित करता है। नई प्रक्रियाओं में से कोई भी विकसित नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप, यद्यपि ई.आर.पी. एप्लिकेशन को सितंबर 2012 में ऑनलाइन उपयोग के लिए प्रक्षेपण किया गया था, परंतु 'गो लाइव' हेतु प्रमाणीकरण जारी नहीं किया गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में विकसित माड्यूलों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

- माँडयूल सभी प्रयोगशालाओं/सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में परिचालित नहीं थे।
- जहाँ माँडयूल परिचालित थे, ई.आर.पी. माँडयूलों में कुछ प्रक्रियाएं थी, जो यद्यपि विकसित थी, परंतु कभी भी उपयोग नहीं की गई थी। माँडयूल के अनुसार प्रक्रियाएं जिनका उपयोग नहीं किया गया था, उनको तालिका 1 में दिखाया गया है।

तालिका 1: उपयोग नहीं की गई प्रक्रियाएं

| माँडयूल | प्रयोगशालाओं की संख्या जिनमें परिचालित नहीं है (सितंबर 2019) | जहां परिचालित है, प्रक्रियाएं जो उपयोग में नहीं थी | टिप्पणियां |
|--|--|---|---|
| एच.आर. | 10 | परिवीक्षा और स्थायीकरण, वरीयता के मामले और स्थानांतरण | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि ये एप्लिकेशन चरणों में कार्यान्वित करने के लिए थे। तथ्य यह रहा कि ये प्रक्रियाएं उपयोग नहीं की गई थी। |
| वित्त एवं लेखे | 23 | प्रयोगशालाओं/मुख्यालय के संबंध में शीर्ष-वार बजट आकलनों की तैयारी, मांगों के संकलन और समेकन। | - |
| विनिर्माण/अभियांत्रिकी की और सर्विस पोर्टल | 20 | मांग प्रस्ताव, प्रारंभिक अनुमान तैयार करना, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी, एन.आई.टी. और कार्य-आदेश का अंतिम स्थानन, समझौता, सुविधा | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि कार्यों से संबंधित लेन-देन जैसे एन.आई.टी., आदि को कार्यान्वित किया जाएगा। |

और विशेष कोडिंग तथा कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विक्रेता मूल्य का एकीकरण, आदि।

| मॉड्यूल | प्रयोगशालाओं की संख्या जिनमें परिचालित नहीं है (सितंबर 2019) | जहां परिचालित है, प्रक्रियाएं जो उपयोग में नहीं थी | टिप्पणियां |
|---|--|--|--|
| | | प्रबंधन, रखरखाव संचालन और संबंधित सेवा मॉड्यूल की उप-प्रक्रियाएं | |
| अनुसंधान एवं विकास (आर.एंड.डी.) और योजना पोर्टल | 16 | अनुदान की मांग, पंचवर्षीय योजनाएं, परिणाम बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, अर्धवार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन, एन.एम.आई.टी.एल.आई., उप-मॉड्यूल पी.पी.डी. के तहत व्यावसायिक विकास गतिविधियाँ, यू.एस.डी. और आई.एस.टी.ए.डी. के उप-मॉड्यूल | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि इन प्रक्रियाओं को क्रियान्वयन नहीं किया जा सका था क्योंकि ये प्रक्रियाएं अधिकतर फाइलों में निपटा दी जाती हैं और दूसरे चरण में प्रस्तावित की गई थी। तथ्य यह रहा कि इन प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं किया गया था। |
| नीति और कार्यक्रम | 24 | समिति का गठन और बैठक प्रबंधन, आर.टी.आई. प्रक्रिया, कानूनी प्रबंधन, पुरस्कार, नीति निर्माण और संशोधन, व्याख्या और स्पष्टीकरण | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि समिति का गठन और बैठक मॉड्यूल सी.ई.सी.आर.आई. में कार्यान्वित किए गए हैं। आर.टी.आई. नहीं किया जा सकता क्योंकि सी.आई.सी. के द्वारा एक पृथक पोर्टल शुरू किया गया है। तथ्य यह रहा कि सभी सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में प्रक्रियाएं परिचालित नहीं थीं। |
| ई-लर्निंग | शून्य | प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्धारण, समाचार भंडार और ज्ञान भंडार हेतु परिसंपत्ति और प्रकाशन | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्धारण और जांच का उपयोग एच.आर.डी.सी. द्वारा इसके प्रशिक्षण के लिए किया गया था। तथ्य यह रहा कि सभी प्रयोगशालाओं द्वारा मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया गया था। |

- कई प्रक्रियाएं या तो विकसित नहीं हुई थी या विकसित हुई थी लेकिन शुरू नहीं हुई थी; इनकी मॉड्यूल-वार स्थिति **अनुलग्नक-11.2** में दर्शाई गई है।
- चूंकि प्रयोगशालाओं में ई.आर.पी. के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति बहुत धीमी थी, सी.एस.आई.आर. ने निर्णय लिया (अप्रैल 2014) कि ई.आर.पी. को प्रारंभ में एक महीने में एक प्रयोगशाला में और अगले तीन महीनों में पाँच अन्य प्रयोगशालाओं में समानान्तर रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। हालांकि, ई.आर.पी. का पूर्ण कार्यान्वयन सितंबर 2019 तक चयनित प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नहीं कराया गया था। विवरण **अनुलग्नक-11.3** में दर्शाया गया है।

- यह देखा गया कि ई.आर.पी. सिस्टम में विकसित प्रक्रियाओं के बावजूद प्रयोगशालाएं⁹ दैनिक आधिकारिक कार्यों हेतु विभिन्न इन-हाउस/ अनुकूलित साफ्टवेयरों का उपयोग कर रही थी। विवरण **अनुलग्नक 11.4** में दर्शाया गया है।

सी.एस.आई.आर. द्वारा साफ्टवेयर उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं होने, बहुत अधिक गड़बड़ी, दोहराव और जटिल प्रक्रियाओं, सहज एकीकरण नहीं होना, खराब कार्य की गति, साफ्टवेयर डेवलपर द्वारा मुद्दों का समाधान नहीं करना, आदि कारणों को गैर-कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

अतः, ई.आर.पी. सिस्टम को उपयोग के लिए अपूर्ण साफ्टवेयर विकास कार्य और प्रयोगशालाओं की तैयारियों को सुनिश्चित किए बिना लॉन्च किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ई.आर.पी., सी.एस.आई.आर. में वस्तुतः अप्रयुक्त ही रही।

11.1.2.5 साफ्टवेयर मॉड्यूल्स के माध्यम से किए गए परिचालन

कार्यात्मक प्रक्रियाओं में देखी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

11.1.2.5 (ए) एच.आर. मॉड्यूल

एच.आर. मॉड्यूल को कर्मचारियों के सभी स्थापना संबंधी मामलों के प्रोफाइल और स्वचालन को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। मॉड्यूल को अन्य मॉड्यूल्स के साथ इंटर लिंक किया गया था क्योंकि इसमें सभी कर्मचारियों का मूल डाटाबेस शामिल था। मॉड्यूल में देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे सूचीबद्ध हैं।

(i) एच.आर. उप-मॉड्यूल में मूलभूत रूप से कमियां थी जैसे एच.बी.ए. उप-मॉड्यूल को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुरूप अद्यतन नहीं किया गया था; अवकाश उप-मॉड्यूल में परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश/पितृत्व अवकाश के लिए प्रक्रियाएं शामिल नहीं थी, जिनको मैनुअल रूप से संसाधित करना पड़ा था, क्योंकि प्रक्रिया प्रवाह को निदेशक स्तर तक मैप नहीं किया गया था। इसके अलावा, सर्विस बुक के अनुसार कई कर्मचारियों

⁹ एन.सी.एल., आई.एम.एम.टी., सी.ई.सी.आर.आई., सी.आई.एम.ए.पी., सी.एफ.टी.आर.आई, एन.आई.ओ. एवं आई.एम.टेक।

का शेष अर्जित अवकाश ई.आर.पी. सृजित रिपोर्ट के अनुसार अर्जित अवकाश से मेल नहीं खाता था।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि एच.बी.ए. उप-मॉड्यूल को प्रयोगशालाओं द्वारा नहीं अपनाया गया था, क्योंकि इसके लिए कुछ ही खरीदार थे। उत्तर सही नहीं है, क्योंकि उप-प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि इसको सातवें सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया था। सी.एस.आई.आर. ने अवकाश के मामलों में निदेशक स्तर तक प्रक्रिया प्रवाह से संबंधित बग भी ठीक नहीं किया।

(ii) सिस्टम में कार्यात्मक त्रुटियां थीं। उदाहरण के लिए, एल.टी.सी. उप-मॉड्यूल में, सिस्टम में चौथे और आठवें ब्लॉक वर्षों¹⁰ के अलावा किसी भी ब्लॉक वर्ष में भारत में कहीं भी एल.टी.सी. का लाभ उठाने से नए भर्ती हुए कर्मचारियों को रोकने के लिए कोई अधिप्रमाणन जांच नहीं थी।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि इस संबंध में बग को ठीक कर लिया जाएगा।

(iii) अन्य मॉड्यूलों के साथ इंटरलिंग करने में समस्याएँ थीं। जैसे वेतन बिलों को तैयार करने के लिए, विस्तृत अनिवार्य जानकारी एच.आर. मॉड्यूल, वित्त एवं लेखा (एफ.ए.) मॉड्यूल और आर.एडं.डी. प्लानिंग पोर्टल के योजना एवं निष्पादन प्रभाग (पी.पी.डी.) से आती है। पूर्वोक्त मॉड्यूल¹¹ के माध्यम से अपेक्षित कार्यों को नहीं किया जा सकता था और भुगतान बिलों को मैनुअल रूप से इस अद्यतन जानकारी की प्रविष्टि करके और फिर भुगतान करने के लिए ई.आर.पी. प्रणाली का उपयोग करके तैयार किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, ई.आर.पी. का ई.सी.एस.¹² भुगतान सिस्टम के साथ कोई इंटरफेस

¹⁰ डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 26 सितंबर 2014 के आदेशों के अनुसार, नए नियुक्त किए गए कर्मचारी को चार वर्षों के एक ब्लॉक में तीन अवसरों पर अपने परिवारों के साथ अपने गृह-निवास स्थल के लिए और चौथे अवसर पर भारत के किसी भी स्थान पर यात्रा करने की अनुमति है। यह सुविधा पहली बार सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद लागू होने वाले चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए केवल नई भर्तियों के लिए उपलब्ध होगी।

¹¹ एच.आर. मॉड्यूल में वेतन नियतन, एफ.ए. मॉड्यूल और अनुसंधान एवं विकास योजना पोर्टल के योजना एवं निष्पादन प्रभाग (पी.पी.डी.)।

¹² इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा

नहीं था। इस प्रकार, ई.आर.पी. सिस्टम में वेतन बिल तैयार करने के लिए कोई अंतिम समाधान नहीं था।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि वेतन नियतन और ई.सी.एस. सिस्टम को जोड़ना, मैनुअल रूप से व्याख्या और सुरक्षा मुद्दों की आवश्यकता के कारण स्वचालित नहीं किया जा सका। सी.एस.आई.आर. ने यह भी कहा कि आयकर की गणना अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी।

(iv) अन्य उप-मॉड्यूलों अर्थात् कर्मचारी डेटाबेस, एल.टी.सी., समाचार पत्र प्रतिपूर्ति, आदि, में मामले देखे गए थे। विवरण **अनुलग्नक-11.5** में दिया गया है।

सिस्टम की कमियों के परिणामस्वरूप, अनेक परिचालन मैनुअल रूप से किए गए थे। उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि सिस्टम में तर्क नियंत्रण, महत्वपूर्ण लिंकेज और प्रमाणीकरण जांच की कमी थी, जिसके कारण यह सटीक और पूर्ण लेन-देन के लिए अविश्वसनीय था।

11.1.2.5 (बी) वित्त और लेखा मॉड्यूल

ई.आर.पी. सिस्टम के विकास से पूर्व, सी.एस.आई.आर. और इसकी प्रयोगशालाएं अपने वित्त और लेखों के परिचालन हेतु इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहीं थीं। ई.आर.पी. सिस्टम में वित्त और लेखा (एफ.ए.) मॉड्यूल को सभी लेखा कार्यों जैसे सभी प्रकार के बिलों का भुगतान, बही खाता तैयार करना, ब्रॉडशीट, सी.एस.आई.आर. का आय व व्यय खाता और तुलन-पत्र तैयार करना हेतु डिजाइन एवं विकसित किया गया था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

(i) प्रयोगशालाओं और मुख्यालय में असमान लेखाकरण परिचालनों के कारण सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में एफ.ए. मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया गया था। नियोजन और विकास चरण के दौरान इन असमान परिचालनों की पहचान नहीं की गई थी। इसके अलावा, व्यय के लेखांकन के लिए उचित संहिताकरण के बिना प्रणाली विकसित की गई थी। इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त संहिताकरण ई.आर.पी. कोड के साथ मेल नहीं खाता था। इस प्रकार, बिलों के भुगतान को सिस्टम के माध्यम से संसाधित नहीं किया जा सकता था और मैनुअल रूप से

भुगतान के लिए पारित किए गए थे। इसके कारण, उचित खाता-बही और जिससे विभिन्न लेखांकन रिपोर्टों का सृजन और अंतिम खाता तैयार करने का कार्य ई.आर.पी. के माध्यम से नहीं किया जा सका। सी.एस.आई.आर. ने अपने वार्षिक खातों को संकलित करने के लिए इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जारी रखा, जिसने ई.आर.पी. सिस्टम के विकास के उद्देश्य को निष्फल किया।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि एफ.ए. मॉड्यूल को सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में वर्तमान वित्त वर्ष से कार्यान्वित किया गया है, और ई.आर.पी. के माध्यम से वार्षिक खातों को संकलित करने और 2021-22 से इम्पेक्ट का प्रयोग बंद करने के प्रयास जारी थे।

(ii) मॉड्यूल के सत्यापन के प्रमाण पत्र को जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन-पत्र, आदि जैसी सुविधाओं का विकास अपूर्ण रहते हुए पृथक आधार पर नवंबर 2011 में जारी किया गया था। नियत परिसंपत्तियों अर्थात् सकल राशि, मूल्यहास, निवल राशि आदि का लेखांकन जैसी सुविधाओं का परीक्षण नहीं किया जा सका था क्योंकि यह अन्य मॉड्यूलों के इनपुट पर निर्भर था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि लेखापरीक्षा के समय तक मॉड्यूल का कोई सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि सत्यापन एक चल रही प्रक्रिया है। तथ्य यह रहा कि अपूर्ण सुविधाओं के सत्यापन की स्थिति सत्यापन प्रमाण-पत्र के अभाव में निर्दिष्ट/उपलब्ध नहीं थी।

(iii) मॉड्यूल में पेंशन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं होनी थीं। यह देखा गया कि पेंशन संबंधित प्रक्रियाएं अर्थात् सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख, सेवानिवृत्ति/मृत्यु से तुरंत पहले प्राप्त हुई परिलब्धियाँ और वेतनमान, पेंशन के प्रकार, पेंशन का नियतन और संशोधन, आदि, एच.आर. मॉड्यूल में विकसित नहीं किए गए थे। ये एफ.ए. मॉड्यूल के साथ परस्पर जुड़े भी नहीं थे। परिणामस्वरूप, बिल मैनुअल रूप से तैयार किए जा रहे थे और भुगतान के लिए एफ.ए. मॉड्यूल में अपलोड किए जा रहे थे।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि निकास प्रक्रिया और पेंशन गणना पत्रक 2021-22 से कार्यान्वित किया जाएगा।

11.1.2.5 (सी) अवसंरचना/इंजीनियरिंग और सर्विस पोर्टल (आई.ई.एस.पी.)

अवसंरचना/इंजीनियरिंग और सर्विस पोर्टल (आई.ई.एस.पी.) को सुविधाओं के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संबंधित सेवाओं, संविदा प्रबंधन, ई-अधिप्राप्ति, भंडारण/माल-सूची एवं परियोजना प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया था। कार्यात्मकताओं को तीन उप-मॉड्यूलों (i) इंजीनियरिंग सेवा मॉड्यूल (ई.एस.एम.), (ii) सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल और (iii) सुविधाओं का प्रबंधन, अनुरक्षण परिचालन एवं संबंधित सेवाएं मॉड्यूल में विकसित किए गए थे। लेखापरीक्षा में पोर्टल में निम्नलिखित कमियां देखी गईं।

(i) ई.आर.पी. सिस्टम में खरीद प्रक्रियाओं को निदेशक (प्रयोगशाला स्तर) के स्तर तक मैप नहीं किया गया था जहाँ अनुमोदन की आवश्यकता थी।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि प्रोजेक्ट मोड के माध्यम से की गई खरीद में कार्यगति प्रोजेक्ट लीडर तक सीमित थी और निदेशक का सैद्धांतिक अनुमोदन फाइल में लिया गया था। तथ्य यह रहा कि निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता वाली खरीद के लिए ई.आर.पी. सिस्टम में प्रक्रिया प्रवाह अपूर्ण था।

(ii) भंडारण के खरीद-वार ब्यौरे को लेने के लिए तालिकाओं¹³ के विश्लेषण से पता चला कि 1,013 मामलों में दर्ज रसीद की तिथियाँ खरीद आदेशों की तिथियों से पूर्व की थीं।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि दूरवर्ती स्टेशनों पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्थानीय खरीदों के मामले में खरीद तिथि को नियमित करने के लिए सत्यापन जांच कार्यान्वित नहीं की गई थी। तथ्य यह रहा कि सभी खरीदें ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से नहीं की गई थीं।

मॉड्यूल में उपर्युक्त कमियां इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच की कमी के साथ-साथ प्रक्रियाओं के खराब अनुकूलन का संकेत देती हैं।

¹³ एम.एम._टी.एम._स्टॉक_रसीद और एम.एम._टी.एम._स्टॉक_रसीद_विवरण

11.1.2.5 (डी) अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) और योजना पोर्टल

विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के प्रबंधन हेतु आर. एंड डी. और योजना पोर्टल का विकास प्रस्तावित किया गया था। आर. एंड डी. पोर्टल के तहत तीन उप-मॉड्यूल्स नामतः योजना एवं निष्पादन प्रभाग (पी.पी.डी.), यूनिट फॉर साइंस डिसेमिनेशन (यू.एस.डी.) और अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मामलों के निदेशालय (आई.एस.टी.ए.डी.) को प्रक्रियाओं अर्थात् विभिन्न आर. एंड डी. परियोजनाओं का नियोजन एवं प्रबंधन, व्यवसायिक विकास गतिविधियां, सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संचालन करना आदि को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू.एस.डी. और आई.एस.टी.ए.डी. पर उप-मॉड्यूल्स में केवल परीक्षण डेटा शामिल था और इसका उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, उप-मॉड्यूल वार्षिक योजना सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में उपयोग में नहीं था, जिससे प्रयोगशालाओं की जानकारी और वार्षिक योजना की तैयारी हेतु इसका समेकन सिस्टम के माध्यम से नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, आवश्यक मानक परिपाटी को अपनाएं बिना उप-मॉड्यूल विकसित किया गया था, और परिकल्पित रूप में वार्षिक योजना की प्रक्रिया को स्वचालित करने में असमर्थ था। इसके अलावा, उप-मॉड्यूल विभिन्न परियोजनाओं हेतु विशिष्ट पहचान सृजित करने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, परियोजना का प्रारंभ/समाप्ति तिथि, लागत आदि, के विषय में विवरण या तो लिए ही नहीं गए थे या गलत तरीके से लिए गए थे।

सी.एस.आई.आर. ने स्वीकार किया (नवंबर 2020) कि वार्षिक योजना का समेकन कार्यान्वित नहीं किया गया था। सी.एस.आई.आर. ने यह भी बताया कि प्रारंभ/समाप्ति तिथियों के नहीं होने के मामले परियोजनाओं के भौतिक रूप से न होने आदि जैसे कारणों के कारण थे। सी.एस.आई.आर. का उत्तर इंगित करता है कि ई.आर.पी. सिस्टम परियोजना प्रारंभ/समाप्ति तिथियों के बिना परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम है।

इस प्रकार आर. एंड डी. पोर्टल को परिकल्पना के अनुसार इसकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा सका और मैनुअल कार्य पर निर्भरता बनी रही।

11.1.2.5 (ई) नीति और कार्यक्रम मॉड्यूल (पी.पी.एम.)

पी.पी.एम. मॉड्यूल को सभी नीति संबंधी मामलों के प्रसंस्करण, विभिन्न दस्तावेजों को अभिलिखित करने का प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन सहित कार्यात्मकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिस्टम का उपयोग केवल नीति का अपलोड करने के लिए किया गया था। सिस्टम के माध्यम से नीति निर्माण एवं संशोधन, व्याख्या और स्पष्टीकरण जैसी प्रक्रिया नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उपयोगकर्ता अपलोड किए गए नीति दस्तावेजों और परिपत्रों से संबंधित प्रासंगिक व्याख्या या स्पष्टीकरण/परिवर्तन नहीं कर सकते थे और न ही पूछ सकते थे।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि पी.पी.एम. मॉड्यूल के माध्यम से नीति संशोधन और स्पष्टीकरण प्रक्रिया को कार्यान्वयन हेतु लिया जाएगा।

11.1.2.5 (एफ) ई-अधिगम मॉड्यूल

पोर्टल उद्यम अधिगम, प्रशिक्षण, योग्यता विकास और प्रकाशनों के लिए एक डिजिटल संग्रह एवं संगठनात्मक अधिगम हेतु ज्ञान एवं प्रक्रियाओं के प्रसार के रूप में विकसित किया गया था। जैसा कि पैरा 11.1.2.4 में उल्लेख किया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्धारण और समाचार पत्र पर मॉड्यूल विकसित किए गए थे परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया था। ई-अधिगम मॉड्यूल विकसित करके सी.एस.आई.आर. मुख्यालय और इसकी प्रयोगशालाओं में एन.ए.यू.टी.आई.सी.ए.एल. (नोवेल असेसमेंट यूनिट्स फॉर ट्रेनिंग, इनोवेशन, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन एंड लर्निंग) द्वारा निरंतर सुधार के लिए एक अधिगम संगठन के रूप में सी.एस.आई.आर. के रूपांतरण की सुविधा प्रदान करने का प्रस्तावित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि ई-अधिगम मॉड्यूल का उपयोग गृह-प्रशिक्षण के लिए एच.आर.डी.सी., गाजियाबाद में किया गया था। सी.एस.आई.आर. ने बताया कि इस मॉड्यूल को उपयोग में लाने के लिए और प्रयास किया जाएगा।

11.1.3 निष्कर्ष

सी.एस.आई.आर. ने अपने कार्यों और प्रयासों को निर्देशित करने लिए ई.आर.पी. सिस्टम सहित अपने आई.टी. परिवेश के लिए एक आई.टी. नीति तैयार नहीं की। ई.आर.पी. सिस्टम में प्रबंधन ने सभी सुविधाओं को अनुकूलित नहीं किया। परिकल्पना अनुसार, कोई व्यवसाय निरंतरता योजना और अतिरिक्त डेटा वसूली अवसंरचना स्थापित नहीं किया गया था। कुछ मॉड्यूलों की अनुपलब्धता के कारण सिस्टम में अनेक प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ। इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच के अभाव ने डेटाबेस को अपूर्ण और अविश्वसनीय बना दिया। अनेक महत्वपूर्ण मॉड्यूल गैर-कार्यात्मक बने रहे। परिणामस्वरूप, मैनुअल परिचालनों पर निर्भरता जारी थी।

इस प्रकार, सिस्टम को डिजाइन में दुर्बलता, व्यापक नियोजन की कमी और कार्यान्वयन में कमी के कारण इसकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा सका है, जो कि सी.एस.आई.आर. जैसे प्रमुख वैज्ञानिक संगठन से अपेक्षित नहीं है। सी.एस.आई.आर. को एप्लीकेशन में मुद्दों को हल करने और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संचालन और पारदर्शिता की प्रभावशालिता सुनिश्चित करने के सरकार के उद्देश्य को पूरा करने वाली एक मजबूत और विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

11.2 अनधिकृत यात्रा एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की खरीद

जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलुरु ने अपने कर्मचारियों के लिए हवाई टिकटों की खरीद मौजूदा आदेशों के तहत अधिकृत यात्रा एजेंटों के बजाय अन्य एजेंटों से की, जिससे ₹4.61 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के का.आ.¹⁴ (दिनांक 16 सितम्बर 2010 एवं 09 जुलाई 2013) के संदर्भ में, आधिकारिक दौरों और छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) हेतु हवाई टिकट सीधे एयरलाइंस (बुकिंग केन्द्रों/ एयरलाइंस की वेबसाइट) से या अधिकृत यात्रा एजेंटों, नामतः मैसर्स बॉल्मर लॉरी एंड कंपनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूरर्स और भारतीय रेलवे कैंटरिंग

¹⁴ कार्यालय आदेश

एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) की सेवाओं का उपयोग करके खरीदे जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरु (जे.एन.सी.ए.एस.आर.) ने अप्रैल 2013 से मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान मौजूदा सरकारी आदेशों के तहत अधिकृत यात्रा एजेंसियों के अलावा दो निजी यात्रा एजेंसियों¹⁵ से अपने कर्मचारियों के लिए हवाई टिकट खरीदे। जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने इन खरीदों के लिए दोनों निजी एजेंटों को कुल ₹4.61 करोड़ का भुगतान किया। अनधिकृत यात्रा एजेंटों के माध्यम से टिकटों को बुक करना एम.ओ.एफ. के आदेशों के उल्लंघन में था और इसके परिणामस्वरूप ₹4.61 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने यह कहते हुए (जून 2019) अपने कार्य को उचित ठहराया कि उनके परिसर के दूरस्थ स्थान पर होने और संचार सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय यात्रा एजेंटों का उपयोग किया गया था। हालांकि, जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने बताया (जून 2019) कि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सितंबर 2018 से अनधिकृत यात्रा एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग को समाप्त कर दिया था।

स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मौजूदा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधिकारिक दौरों और एल.टी.सी. के लिए हवाई टिकट सीधे एयरलाइंस से या केवल अधिकृत एजेंटों के माध्यम से खरीदे जाने थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2018 के बाद भी, जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने निजी यात्रा एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग जारी रखा और आधिकारिक दौरों और एल.टी.सी. के टिकटों की बुकिंग के लिए एजेंट को ₹48 लाख (सितंबर 2018 से मार्च 2020) का भुगतान किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2020) कि जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने अब अनधिकृत यात्रा एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकट बुक करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। इसके अलावा जे.एन.सी.ए.एस.आर. को डी.एस.टी. द्वारा विभाग के कार्यान्वयन अनुमोदन हेतु उचित औचित्य के साथ एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है।

¹⁵ मैसर्स ट्रेवल एक्सप्लोरर और मैसर्स जेबी ट्रेवेल्स

अध्याय XII : जनजातीय कार्य मंत्रालय

12.1 छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों ने छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों को प्रस्तुत किया जिससे कुल ₹7.40 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अपने कार्यालय जापन (का.जा) दिनांक 19 सितंबर 2016 के माध्यम से विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन निम्नलिखित योजनाओं को दो वर्षों के लिए बढ़ाया है:

- (ए) गृह नगर एलटीसी के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (एनईआर), जम्मू तथा कश्मीर (जे एंड के) और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) जाने हेतु एलटीसी।
- (बी) एनईआर, जेएंडके तथा एएनआई जाने हेतु गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा या तो वे भारत में कहीं भी एलटीसी या फिर गृह नगर एलटीसी के बदले में इसका लाभ लें।
- (सी) निजी एयरलाइंस द्वारा जे एंड के की यात्रा करने की अनुमति।

निबंधनों एवं शर्तों में यह भी आवश्यक था कि एनईआर तथा एएनआई की एलटीसी की यात्रा एयर इंडिया से की जानी थी, जबकि जेएंडके की एलटीसी की यात्रा हेतु किसी भी एयरलाइन की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता था। हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारी मुख्यालय से एलटीसी गंतव्य स्थान तक हवाई यात्रा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि, गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी केवल निर्दिष्ट किये गए क्षेत्रों में ही हवाई यात्रा कर सकते हैं। यह योजना बाद में सितंबर 2018 के का.जा. द्वारा 25 सितंबर 2020 तक बढ़ायी गई।

उपरोक्त का.जा. में यह विदित था कि हवाई टिकट सीधे एयरलाइनों (एयरलाइन के बुकिंग काउण्टर, वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों¹ की सेवाओं के उपयोग द्वारा खरीदी जानी है। इसके साथ-साथ, का.जा. में यह

¹ मै.बामर लॉरी एंड कंपनी, मै. अशोक ट्रेवल्स एंड टूरस तथा भारतीय रेलवे केटरिंग तथा पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी)

निर्धारित था कि कर्मचारियों को यह सलाह दी जाए कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई होगी। मंत्रालयों/विभागों को भी सलाह दी गई कि कर्मचारियों द्वारा जमा की गई हवाई टिकट पर अंकित लागत के सामने हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में संबंधित एयरलाइन से हवाई टिकट के कुछ टिकट यादृच्छिकता से जांचें।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली 1988, के नियम 16 के अनुसार, एलटीसी के कपटपूर्ण दावे को प्राथमिकता देने हेतु एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जहाँ, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी दंड के आरोपण में परिणामी कार्यवाही हो, सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान पहले से रोके गए सैट के अतिरिक्त एलटीसी के अगले दो सैटों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के कर्मचारियों के एलटीसी अभिलेखों की संवीक्षा ने इसके छः कर्मचारियों² द्वारा एलटीसी दावों के छलकपट को प्रकट किया जिन्होंने एयर इंडिया द्वारा एनआई तथा एनईआर की हवाई यात्राएं की थी। लेखापरीक्षा ने कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए दावों की तुलना एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों से की तथा पाया कि प्रस्तुत किए गए बिल कपटपूर्ण थे। कर्मचारियों द्वारा दावा किया गया किराया एयरलाइन को किए गए वास्तविक भुगतान से अधिक था। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में मौजूदा नियमों/अनुदेशों के उल्लंघन में हवाई टिकटें निजी एजेंटों द्वारा बुक की गई थी। इसका परिणाम ₹7.40 लाख के कुल दावों के अनियमित प्रतिपूर्ति के रूप में रहा।

एमओटीए ने बताया (मई 2019) कि कर्मचारियों द्वारा दावा की गई राशि तथा एयर इंडिया को भुगतान की गई वास्तविक राशि के अंतर को उसपर दंडस्वरूप ब्याज के साथ कर्मचारियों से वसूला गया है। संबंधित कर्मचारियों को यह चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वे ऐसे कार्यों से बचें तथा भविष्य में ऐसी

² दो अनुभाग अधिकारी, एक निजी सचिव, एक सहायक अनुभाग अधिकारी, एक वरिष्ठ लेखाकार तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर

कोई घटना ध्यान में आती है तो उसे सख्ती से देखा जाएगा तथा माफ नहीं किया जाएगा।

एमओटीए का उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि भुगतान की गई ₹7.40 लाख की संपूर्ण राशि के बजाय, कर्मचारियों द्वारा दावा की गई राशि तथा एयर इंडिया को भुगतान की गई वास्तविक राशि के अंतर को संबंधित कर्मचारी से वसूला गया था। इसके अतिरिक्त, कपटपूर्ण दावे जमा करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के स्थान पर केवल प्रशासनिक चेतावनी जारी की गई थी। इस प्रकार यह कर्मचारियों को एलटीसी नियमावली के नियम 16 के निबंधनों में एलटीसी के अगले दो सेट में वंचित करने की संभावना को असंभव बनाता है। यह मामला मंत्रालय में आंतरिक नियंत्रण की कमी को उजागर भी करता है जैसा कि निजी एजेंटों द्वारा खरीदी गई टिकटों को स्वीकारा गया तथा दावों को उसी आधार पर पारित किया गया।

अध्याय XIII : संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

13.1 अपव्यय

एक हवाई क्षेत्र से 20 कि.मी. के घेरे के भीतर आने वाले कार्य स्थल, जहां ऊंचाई प्रतिबंध लागू थे, पर एक इमारत का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले, नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान संचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली 2015, के अनुसार, अनिवार्य 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने में विफलता का परिणाम ₹39.17 लाख का अपव्यय हुआ।

सितंबर 2015 में, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने अधिसूचित¹ किया कि अन्य बातों के साथ-साथ ऊंचाई निकासी हेतु 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) प्राप्त किए बिना नागरिक एवं रक्षा एयरोड्रोम के एयरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट² से बीस किलोमीटर से कम के घेरे के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भी ढांचे का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के अनुसार, अण्डमान एवं निकोबार में स्थित कैम्पबेल बे विमानपत्तन, को रक्षा विमानपत्तन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था।

सहायक आयुक्त (एसी), कैम्पबेल बे हेतु एक नए कार्यालय भवन³ को राजीव नगर में, कैम्पबेल बे, आईएनएस बाज के हवाई क्षेत्र के पास, निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इसके लिए मई 2015 में एक प्रारंभिक अनुमान तैयार किया गया था। प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर अगस्त 2015 में प्रशासनिक अनुमोदन तथा कुल राशि ₹3.59 करोड़ की व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी दौरान, कमान अधिकारी, आईएनएस बाज ने एसी को सूचित (जनवरी 2016) किया था कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पहले ऊंचाई प्रतिबंध हेतु अनिवार्य एनओसी प्राप्त की जाए। अधीक्षण अभियंता, निकोबार प्रभाग,

¹ नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान संचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015

² एक हवाई अड्डे का निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान

³ सहायक आयुक्त, कैम्पबेल बे (एसी) की पुरानी इमारत दिसंबर 2004 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा उसके पश्चात कार्यालय किराए पर लिए गए एक अर्ध-स्थायी भवन से संचालित किया जा रहा था।

एपीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2016 में कार्य की ₹2.64 करोड़ की तकनीकी संस्वीकृति (टीएस) प्रदान की। मई 2016 में कार्य हेतु निविदा मंगाई गई तथा कार्य एक ठेकेदार को सितंबर 2016 तथा मार्च 2018 क्रमशः प्रारम्भ तथा समापन की निर्धारित तिथियां होने के साथ ₹2.13 करोड़ की राशि का कार्य सौंपा गया था (सितंबर 2016)।

कार्य, जिसे नवम्बर 2016 में प्रारम्भ किया गया था, जिस पर कमान अधिकारी, आईएनएस बाज (सीओ) द्वारा ऊंचाई प्रतिबंध नियमावली का हवाला देते हुए आपत्ति (जनवरी 2017) उठाई गई थी तथा बाद में रोक दिया गया था। इस स्तर तक कार्य हेतु पहले ही ₹39.17 लाख का व्यय कर दिया गया था। इसके पश्चात, एसी, कैम्पबेल बे ने देरी से कार्यालय इमारत हेतु एनओसी के लिए आवेदन किया (सितम्बर 2017), जिसे नौसेना प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था (नवम्बर 2017) कि इमारत नियोजित रनवे विस्तार में वैमानिक बाधा बनेगी।

लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि अप्रैल 2016 में टीएस प्रदान करते समय एपीडब्ल्यूडी ने वायुयान संचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध नियमावली, 2015 के अनुसार, एक एनओसी प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता को अनदेखा किया था। यह तकनीकी संस्वीकृति के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के पैरा 2.5.1(एफ) के उल्लंघन में था जो अनुबंध करता है कि किसी भी अनुमान को तकनीकी रूप से तब तक संस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि विस्तृत अनुमान योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है तथा कोई भी बिन्दु विचार किए जाने से नहीं बचा है। यह भी देखा गया था कि एसी, जिसे आईएनएस बाज के सीओ द्वारा जनवरी 2016 में एनओसी की आवश्यकता के संबंध में सूचित किया गया था स्वयं इसे एपीडब्ल्यूडी को सूचित करने में छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, एपीडब्ल्यूडी की तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करने में विफलता कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय नियोजन स्तर पर सभी घटकों को ध्यान में रखा गया था तथा एनओसी की आवश्यकता के संबंध में आईएनएस बाज के सीओ से सूचना को प्रसारित करने में एसी की ओर से चूक दोनों का परिणाम अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के

बिना कार्य प्रारम्भ करने तथा कार्य पर ₹39.17 लाख के परिणामी अपव्यय हुआ।

एपीडब्ल्यूडी ने अपने उत्तर (अप्रैल 2019) में बताया कि वह भवन के निर्माण हेतु एनओसी की आवश्यकता से अवगत नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकारी होने से उसे सभी मौजूदा नियमावली तथा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना था। अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने अपने उत्तर (जुलाई 2020) में बताया कि रक्षा प्राधिकारियों को मामले की पुनः जांच करने तथा एनओसी प्रदान करने के लिए कहा गया था एवं एक मंजिला भवन के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। यह उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक मंजिला भवन के प्रस्ताव को भी नौसेना प्राधिकारियों द्वारा ठुकरा दिया गया था (अप्रैल 2018)। आगे, निर्माण को रोके जाने के तीन वर्षों के पश्चात् भी अधूरे निर्माण के वैकल्पिक उपयोग के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

इस प्रकार, एसी कैम्पबेल बे हेतु नए कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के लिए तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने के संबंध में संहिता प्रावधानों का अनुपालन करने में एपीडब्ल्यूडी की विफलता का परिणाम ₹39.17 लाख का अपव्यय हुआ।

चण्डीगढ़ प्रशासन

13.2 राजस्व का कम संग्रहण

मोटर वाहन विक्रेताओं को अस्थायी पंजीकरण संख्या निर्गत करने पर उनसे संशोधित दर के पंजीकरण शुल्क वसूलने में संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ का परिवहन विभाग विफल रहा, जिससे परिणामस्वरूप ₹0.83 करोड़ की राशि का कम संग्रहण हुआ।

चण्डीगढ़ मोटर वाहन नियामवली, 1990 के नियम 42(8) में प्रदत्त है कि इस नियम के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण हेतु शुल्क केन्द्रीय नियम के नियम 81 में विनिर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क का आधा होगा। केन्द्रीय नियम 81 वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शुल्क का उद्ग्रहण विनिर्दिष्ट करता है।

दिसम्बर 2016 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन किया तथा विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु नियम 81 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शुल्क को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया।

कार्यालय पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), यूटी चण्डीगढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया कि दिसम्बर 2016 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान, विभिन्न मोटर वाहनों के विक्रेताओं/अभिकरणों को 98007 अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी की गई थी एवं इन वाहनों के विक्रेताओं से पंजीकरण संशोधित शुल्क की दरों के बजाय पूर्व-संशोधित दरें प्रभारित की।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अस्थाई पंजीकरण शुल्क की संशोधित दरों के गैर कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विक्रेताओं से ₹1.51 करोड़ की राशि के राजस्व का कम संग्रहण हुआ, जैसे तालिका सं. 1 में विसृत किया गया है:

तालिका सं. 1: राजस्व का कम संग्रहण

(राशि ₹ में)

| वाहन की श्रेणी | विक्रेताओं/अभिकरणों की सं. | जारी टीआरएन की सं. | उद्ग्रहण शुल्क | | उद्ग्रहण किए गए शुल्क | | लघु उद्ग्रहण किए गए शुल्क |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | की दर पर | राशि | की दर पर | राशि | |
| हल्के मोटर वाहन (गैर-परिवहन) | 32 | 35,458 | 300 | 1,06,37,400 | 100 | 35,45,800 | 70,91,600 |
| मोटर साइकिल/स्कूटर | 17 | 56,999 | 150 | 85,49,850 | 30 | 17,09,970 | 68,39,880 |
| त्तिपहिया | 04 | 3,900 | 300 | 11,70,000 | 150 | 5,85,000 | 5,85,000 |
| हल्के मोटर वाहन (परिवहन) | 04 | 1,650 | 500 | 8,25,000 | 150 | 2,47,500 | 5,77,500 |
| कुल | 57 | 98,007 | | 2,11,82,250 | | 60,88,270 | 1,50,93,980 |

अपने उत्तर में, पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ ने बताया (सितम्बर 2020), कि विक्रेताओं से अस्थायी पंजीकरण शुल्क 09 सितम्बर 2018 से आगे संशोधित दरों पर प्रभारित किया गया। आगे यह भी बताया कि उन्होंने संबंधित विक्रेताओं से अस्थायी पंजीकरण नम्बरों के कारण घाटे की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई एवं ₹1.51 करोड़ के घाटे की राशि में से ₹0.67 करोड़ की राशि की वसूली हो चुकी है

(दिसंबर 2018)। इस दौरान, चण्डीगढ़ क्षेत्र ऑटोमोबाइल विक्रेता महासंघ, चण्डीगढ़ ने घाटे की राशि की वसूली के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में सिविल रिट याचिका दायर की तथा मामला अभी भी विचाराधीन है। आरएलए ने घाटे की राशि की वसूली जून 2020 से प्रभावी उन आवेदकों से पुनः शुरू की जिनको अस्थायी नम्बर जारी किए गए थे एवं ₹59,320 की राशि की वसूली भी हो चुकी है।

उत्तर साफ दर्शाता है कि विक्रेताओं द्वारा कानूनी मामला दायर करने के उपरान्त विभाग विक्रेताओं से बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ रहा तथा अब आरएलए ने अब व्यक्तियों से वसूली करने के लिए कार्रवाई की है।

अतः परिवहन विभाग का अस्थायी पंजीकरण शुल्क की संशोधित दरों को लागू करने में असफल होना का परिणाम ₹0.83 करोड़ की राशि के राजस्व का लघु संग्रहण है।

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव प्रशासन

13.3 जिला पंचायत, सिलवासा द्वारा फल वृक्षों के क्रय एवं वितरण में अनियमितता

जिला पंचायत (डीपी) सिलवासा ने बजट शीर्ष '2515' योजनागत जीआईए में प्रावधान के बिना तथा यूटी प्रशासन द्वारा निधि, कार्य तथा कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी के बिना फल वृक्षों के क्रय पर ₹ तीन करोड़ का व्यय किया। आगे, डीपी सिलवासा ने निविदा को स्वीकृत करते समय तथा फल वृक्षों की आपूर्ति एवं वितरण हेतु भुगतान करते समय भी आपूर्तिकर्ता का समर्थन किया।

जिला पंचायत (डीपी), सिलवासा यूटी दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) की ग्रामीण आबादी के उत्थान हेतु विभिन्न विकास तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं को कार्यान्वित करती है। डीपी तथा विकास एवं योजना अधिकारी, सिलवासा ने "सामाजिक एवं कृषि वानिकी" के अंतर्गत गतिविधियों के भाग के रूप में 20 ग्राम पंचायतों (वीपी) के ग्रामवासियों/किसानों में ₹ तीन करोड़ की लागत पर फल वृक्षों का प्रापण तथा वितरण किया जिसके लिए व्यय बजट शीर्ष "2515"-योजनागत जीआईए सामान्य से किया गया था। फल वृक्षों के क्रय, आपूर्ति तथा वितरण से संबंधित अभिलेखों (अप्रैल 2018) की लेखापरीक्षा जांच ने अनेक कमियों को प्रकट किया जिन पर अनुवर्ती पैराओं में ब्योरा दिया गया है।

13.3.1 व्यय करने हेतु प्राधिकार की कमी

भारत के संविधान की 11^{वीं} अनुसूची तथा दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) पंचायत विनियम (पीआर), 2012 की तीसरी अनुसूची के अनुसार, “सामाजिक एवं कृषि वानिकी” पंचायती राज संस्थानों को सौंपे गए 29 कार्यों में से है। हालांकि, “सामाजिक एवं कृषि वानिकी” सहित 11 कार्य अभी भी पीआरआई को सौंपे जाने हैं तथा केवल 18 कार्यों को या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से सौंपा गया है। तथापि, विषय “सामाजिक एवं कृषि वानिकी” से संबंधित किसी भी कार्य का निष्पादन करने के लिए पीआरआई को निधियों, कार्य तथा कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, डीएनएच पंचायत विनियम 2012 की धारा 89 अनुबंध करती है कि एक डीपी प्रत्येक वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी तथा संघ शासित क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के वित्त विभाग के माध्यम से उसके लिए यूटी के प्रशासक का अनुमोदन प्राप्त करेगी। डीपी द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा जब तक कि बजट प्रशासक द्वारा अनुमोदित न हो। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि यूटी प्रशासन ने डीपी, सिलवासा को “सामाजिक एवं कृषि वानिकी” का कार्य नहीं सौंपा था इसलिए उनके द्वारा इस विषय पर कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। चूंकि यह कार्य डीएनएच के वन विभाग के पास निहित रहना जारी रहा इसलिए यह वो विभाग है जिस पर डीपी, सिलवासा की वीपी के ग्रामवासियों/किसानों को वृक्षों के वितरण का उत्तरदायित्व था। इसके अतिरिक्त, फल वृक्षों के क्रय एवं वितरण का कार्य डीपी सिलवासा के बजट शीर्ष ‘2515’ योजनागत जीआईए सामान्य के अधीन वार्षिक कार्य योजना का भाग नहीं था तथा इसके लिए प्रशासक का अनुमोदन नहीं था। उपर्युक्त के बावजूद, डीपी सिलवासा ने विषय “सामाजिक एवं कृषि वानिकी” के अन्तर्गत ग्रामों के वितरण हेतु फल वृक्षों के क्रय पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ तीन करोड़ का व्यय किया।

डीपीओ, डीपी सिलवासा ने उत्तर दिया (अप्रैल 2018) कि एक स्वायत्त निकाय होने से डीपी सिलवासा ने पर्यावरण का सुधार करने तथा ग्रामवासियों/किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए एमएच 2515-जीआईए सामान्य के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करके कार्य प्रारम्भ किया था। आगे, डीएनएच

पीआर, 2012 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत “विस्तार एवं सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी सहित कृषि” से संबंधित मामले डीपी के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। उसने यह भी बताया कि व्यय डीपी को प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपी, सिलवासा को निधियों, कार्य तथा कार्यकताओं की सुपुर्दगी, जो इस विषय के अन्तर्गत किसी भी कार्य को निष्पादित करने हेतु अनिवार्य थी, यूटी प्रशासन द्वारा पीआरआई को नहीं की गई थी। यह कार्य यूटी प्रशासन के वन विभाग के पास निहित रहना जारी रहा, जो कार्य को शीर्ष 2406-102-“सामाजिक एवं कृषि वानिकी” के अंतर्गत आबंटित बजट से निष्पादित कर रहा था।

डीपी, सिलवासा द्वारा, बिना बजट प्रावधान तथा यूटी प्रशासन द्वारा इस कार्य एवं निधियों की सुपुर्दगी के बिना, फल वृक्ष प्रदान करने के कार्य को प्रारम्भ करना अप्राधिकृत एवं अनियमित था तथा इसमें यूटी प्रशासन के उचित अनुमोदन के बिना किसी अन्य उद्देश्य हेतु प्रदत्त निधियों का विचलन शामिल था।

13.3.2 निविदा करने तथा कार्य प्रदान करने में अनियमिततायें

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुदेशों में अपेक्षित है कि किसी मूल्य प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने से पूर्व अनुमानित दरों तथा प्रचलित बाजार दरों की तुलना में उद्धृत दरों की तर्कसंगतता स्थापित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष, डीपी सिलवासा ने फल वृक्षों के क्रय हेतु ₹1.50 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (एए एवं ईएस) प्रदान की (11 जुलाई 2016)। अनुमान तैयार करते समय कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा ₹1.50 करोड़ के मोटे तौर पर अनुमान पर आधारित क्रय के लिए निविदा उसी दिन जारी की गई थी जिस दिन एए एवं ईएस प्रदान की गई थी।

निविदा के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, बोलीकर्ताओं को कई दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियों को अपलोड करना अपेक्षित था। सात बोलीकर्ताओं ने सभी अपेक्षित स्कैन किए हुए दस्तावेजों को अपलोड किया जिनमें से पांच ने बोली बैठक (19 जुलाई 2016) में भाग लिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीपी,

सिलवासा (जुलाई 2016) ने इस आधार पर पांच बोलीकर्ताओं की तकनीकी बोली को अस्वीकृत कर दिया था कि उन्होंने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे जबकि उन्होंने सभी दस्तावेज अपलोड किए थे तथा वे प्रत्यक्ष रूप से नर्सरी तथा कृषि व्यवसाय में लगे थे। डीपी, सिलवासा शेष दो बोलीकर्ताओं को वित्तीय बोली खोलने के लिए चुना। इन बोलीकर्ताओं ने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना तथा एक सामाजिक कल्याण कन्या होस्टल के लिए खाद्य सामग्री/बिस्कुट की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जबकि आवश्यकता “समान कार्य” अर्थात् फल वृक्षों की आपूर्ति तथा बागवानी के समान कार्य के अनुभव की थी।

वित्तीय बोलियों को खोले जाने के पश्चात, मैसर्स वी.के. एण्ड सन्स, वल्साड न्यूनतम बोलीकर्ता (एल1) के रूप में सामने आया। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि इसकी दरें नवसारी कृषि विश्वविद्यालय (एनएयू) द्वारा चार्ज किये जा रही फल वृक्षों की दरों से तुलना किए जाने पर अनियमित रूप से उच्च थी। ब्यौरे **अनुलग्नक-13.1** में दिए गए हैं।

तकनीकी मूल्यांकन चरण पर कई योग्य बोलीकर्ताओं की अयोग्यता, दो शेष बोलीकर्ताओं के संबंधित अनुभव की कमी को अनदेखा करना तथा उद्धृत दरों की तर्कसंगतता का निर्धारण करने में विफलता, फर्म जिसे कार्य सौंपा गया था, उसको अनुचित लाभ प्रदान किए जाने का कारण बनी।

डीपीओ, डीपी सिलवासा ने तथ्यों को स्वीकार किया परंतु बताया कि कार्य पर्यावरण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में था तथा इसे सीईओ के अनुदेशों के आधार पर प्रारम्भ किया गया था। उसने सीवीसी के दिशानिर्देशों तथा एनएयू द्वारा निर्धारित दरों की अज्ञानता करने का दावा किया तथा आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को भविष्य में क्रयों के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

तथापि, तथ्य है कि फल वृक्षों की प्रापण प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी तथा सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं थी।

13.3.3 फल वृक्षों की आपूर्ति में कमियां

प्रारम्भ में, जुलाई 2016 में प्रदान किए गए एए एवं ईएस के आधार पर, डीपी सिलवासा (जुलाई-अगस्त 2016) ने मैसर्स वी.के. एण्ड सन्स को ₹127.50 लाख

तथा ₹22.50 लाख के दो आपूर्ति आदेश दिये। अतिरिक्त राशि के लिए एए एवं ईएस प्राप्त करने के पश्चात डीपी, सिलवासा ने, किसी नई निविदा की मांग किए बिना, उसी विक्रेता को उसी दर पर ₹1.50 करोड़ का नया आदेश दिया (अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा ने आपूर्ति में निम्नलिखित कमियां पाईं:

(ए) ₹127.50 लाख के प्रथम आदेश के मामले में आदेश से आपूर्तियों का विचलन किया गया था जैसा नीचे तालिका सं. 2 में समायोजित की जा रही राशि के साथ संख्याओं सहित दिया गया है।

तालिका सं. 2: आदेश से आपूर्तियों का विचलन

| वृक्ष का नाम | आम | नारियल | चीकू | अमरूद | जंबो | लिम्बू | सीताफल | रामफल | काजू |
|------------------------|-------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------|------|
| दिए गए आदेश की प्रमाणा | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| आपूर्ति की गई प्रमाणा | 15375 | 13700 | 100 | 3204 | 1980 | 1200 | 100 | 0 | 0 |

यद्यपि आपूर्तियों का आदेश से विचलन था फिर भी डीपी सिलवासा ने इसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया था तथा इसके बजाय उसी आपूर्तिकर्ता को 5625 आम वृक्षों की आपूर्ति हेतु ₹22.50 लाख का दूसरा आदेश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 5625 आम वृक्षों के आदेश दिए जाने से छः दिन पहले ही आपूर्ति की जा चुकी थी।

(बी) लेखापरीक्षा ने पाया कि 20,000 आम वृक्षों तथा 20,000 नारियल वृक्षों हेतु ₹150.00 लाख के तीसरे आपूर्ति आदेश के प्रति सुपुर्दगी चालान पर किसी भी फल के पौधे का कोई विशिष्ट नाम उल्लिखित नहीं था। सुपुर्दगी चालानों में उन वाहनों के विवरण दर्ज नहीं थे जिनके माध्यम से सुपुर्दगी की गई थी। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को ₹150.00 लाख का भुगतान सुपुर्दगी के विवरणों के सत्यापन किए बिना किया गया था।

(सी) उपर्युक्त यह भी दर्शाता है कि डीपी सिलवासा ने आवश्यकताओं का कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया था तथा उसने टुकड़ों में प्रापण किया था।

13.3.4 फल वृक्षों के भण्डारण तथा वितरण में कमियां

जीएफआर 2005 के नियम 187 के अनुसार, एक आपूर्तिकर्ता से माल एवं सामग्रियाँ प्राप्त करते समय भंडार के प्रभारी अधिकारी को सामग्री प्राप्त करने हेतु संबंधित संविदा के निबंधनों का हवाला लेना चाहिए तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। इसमें प्राप्त सामग्री की गणना एवं माप करना तथा यह सत्यापन करना कि यह विशिष्टताओं के अनुसार हैं, एवं क्षति अथवा कमी के बिना है; सामग्री हेतु एक पावती प्रदान करना तथा सामग्री को भण्डार के प्रभारी अधिकारी के प्रमाणपत्र के अधीन उपर्युक्त भण्डारण पंजिका में दर्ज किया जाना शामिल है। फल वृक्षों के प्रापण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्राप्त वृक्षों की न तो किसी भी ग्राम पंचायत के भण्डारण पंजिका में प्रविष्टि की गई थी और न ही इसकी प्राप्ति को किसी भी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत फल वृक्षों के वितरण हेतु यूटी डीएनएच के वन विभाग के मानदण्डों के अनुसार लाभार्थियों की भूमि (खेत/घर/पट्टाभूमि), जिस पर वृक्षों को लगाया गया है, के विवरणों को वितरण पंजिका में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। डीपी सिलवासा द्वारा फल वृक्षों का वितरण करते समय यह कार्य नहीं किया गया था।

फल वृक्षों की आपूर्ति तथा वितरण पर अभ्युक्तियों पर डीपीओ, डीपी सिलवासा ने बताया कि फल वृक्षों हेतु अनुवर्ती आदेश लोक प्रतिनिधियों द्वारा वृक्षों की मांग में वृद्धि के कारण दिया गया था। उसने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों को भविष्य के क्रय में सुधारा जाएगा। तथापि, वृक्षों का भण्डारण करने के संबंध में कोई विशेष उतर नहीं दिया गया था।

गृह मंत्रालय (एमएचए) को यूटी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासन को एक प्रति के साथ ड्राफ्ट पैरा जारी किया गया था (फरवरी 2020) तथा उत्तर हेतु अनुस्मारक भी जारी किये गए थे। तथापि उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2020)।

इस प्रकार, डीपी सिलवासा ने फल वृक्षों की खरीद पर बिना किसी बजट अनुमोदन तथा यूटी प्रशासन द्वारा इसे सुपुर्द किए जाने वाले "सामाजिक एवं

कृषि वानिकी” से संबंधित कार्यों के बिना एक अप्राधिकृत बजट शीर्ष से ₹3.00 करोड़ का व्यय किया। आगे, कार्य के लिए निविदा समाप्त की गई थी तथा कार्य को उनके औचित्य का निर्धारण किए बिना उच्च दरों पर सौंपा गया था जिससे एक विशिष्ट आपूर्तिकर्ता को लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त फल वृक्षों की आपूर्ति तथा वितरण कई तरह से त्रुटिपूर्ण थे। इसलिए यूटी प्रशासन निम्न हेतु एक जांच पड़ताल करें:

- (ए) आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरी की पहचान करने तथा जोखिमों एवं खामियों को दूर करने हेतु कार्रवाई जिससे ऐसी अनियमितताएं हुई;
- (बी) भविष्य में ऐसी कमियों से प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने हेतु तथा
- (सी) एक कुशल निवारक के रूप में, विशेष रूप से निर्माण कार्यों की निविदा तथा सौंपने के संबंध में अनियमितताओं हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु।

13.4 आपूर्ति की जांच के बिना तथा यूटी प्रशासन के अनुमोदन एवं अनुमोदित बजट आबंटन के बिना “कर्ज आधार” पर ठेकेदार को अनियमित तथा अधिक भुगतान

जिला पंचायत (डीपी), सिलवासा ने एक आपूर्तिकर्ता को, बिना किसी आपूर्ति आदेश तथा आपूर्ति हेतु उच्च निविदा दरों के लिए किसी भी अनुमोदन के बिना तथा बजट के अंतर्गत निधियों के आबंटन के बिना, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹1.98 करोड़ का भुगतान किया। विधिवत् अनुमोदनों तथा आबंटनों के अभाव में भुगतान करने के मानदण्डों को अनदेखा किया गया था तथा भुगतान को अन्य विभाग के अर्जित “ब्याज” से एक कर्ज के रूप में जारी किया गया था। इसका परिणाम ऐसे भुगतान में भी हुआ जो विभाग की अनुमोदित दरों से ₹18.23 लाख अधिक था।

डीएनएच पंचायत विनियम, 2012 की धारा 89 अनुबंध करती है कि जिला पंचायत (डीपी) द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा जब तक इसका बजट पंचायत प्रशासक द्वारा अनुमोदित न हो।

जीएफआर 2005⁴ का नियम 58 अनुबंध करता है कि कोई भी अधीनस्थ प्राधिकारी जो व्यय कर रहा है, उनको सुनिश्चित करने की उत्तरदायी होनी चाहिए कि व्यय उसके पास निपटान हेतु उपलब्ध निधियों से अधिक न हो। यदि आबंटन से कोई अधिक्व्य प्रत्याशित है तो कोई भी व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आबंटन प्राप्त किया जाना चाहिए।

डीपी सिलवासा की समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) शाखा जो बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के अधीन आती है, 6-72 महीनों के बीच की उम्र वाले बच्चों, “गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों (एसयूसी)”, “गर्भवती मां एवं पुष्टिकर मां” (पीएम/एनएम) तथा 11-18 वर्षों तक की उम्र की किशोर बालिकाओं (सबला) जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) की योजना कार्यान्वित करता है। यूटी प्रशासन के आदेश (फरवरी 2015) के अनुसार, ₹12 प्रति बच्चा तथा अन्य श्रेणियों अर्थात् एसयूसी, 6-72 माह के बच्चे, पीएम-एनएम तथा सबला के अंतर्गत ₹15 प्रति व्यक्ति की दरों को एसएनपी खाद्य की आपूर्ति के लिए नियत किया गया था।

सीडीपीओ ने एसएनपी के अंतर्गत 2016-17 को दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु एक निविदा आमंत्रित की (मई 2016)। निविदा के आधार पर, मैसर्स वी. के. एण्ड सन्स, वल्साड का ₹13.23 प्रति बच्चा तथा अन्य श्रेणियों (अर्थात् एसयूसी आदि) के अंतर्गत ₹16.50 प्रति व्यक्ति की अपनी उद्धरण दर पर न्यूनतम बोलीकर्ता होने से चयन किया गया (जून 2016) था। विभाग ने इस कार्य हेतु अतिरिक्त बजट के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई एवं सितंबर 2016) परंतु प्रस्ताव यूटी प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए सीडीपीओ ने आपूर्तिकर्ता को कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया था। यूटी प्रशासन ने योजना के बजट के लिए ₹12 प्रति बच्चा तथा अन्य श्रेणियों अर्थात् एसयूसी, 6-72 महीनों के बच्चे, पीएम-एनएम तथा सबला के अंतर्गत ₹15 प्रति व्यक्ति के पहले स्वीकृत की गई दर को अनुमोदित किया (दिसंबर 2016)।

⁴ सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 का नियम 208(1) में अधिक व्यय के लिए अतिरिक्त आबंटन का हेतु समान प्रावधान समाहित है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2018) कि यद्यपि प्रशासन ने आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत उच्च दरों को अनुमोदित नहीं किया था फिर भी आपूर्तिकर्ता ने बिना किसी कार्य आदेश के खाद्य सामग्री की आपूर्ति की (जुलाई-सितंबर 2016) तथा कुल ₹1.98 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए (अक्टूबर 2016)। यह यूटी प्रशासन द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर देय राशि से ₹18.23 लाख अधिक था। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत इन बिलों को सीडीपीओ द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कुल ₹1.98 करोड़ के बिलों का पीडब्ल्यूडी (सिंचाई) की ब्याज आय से आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था (नवम्बर 2016)। यह भुगतान बिना किसी बजट अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता के बिना “कर्ज आधार” पर था। इसलिए, भुगतान डीएनएच पंचायत विनियम, 2012 की धारा 89 तथा जीएफआर, 2005 के नियम 58 के उल्लंघन में भी था।

सीडीपीओ, डीपी सिलवासा ने बताया (अप्रैल 2018) कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति मौखिक अनुदेशों पर कार्य आदेश के बिना की गई थी तथा अधिक भुगतान की वसूली आपूर्तिकर्ता से उनको देय अनुवर्ती भुगतानों में से की जाएगी। सीडीपीओ ने यह भी बताया कि उसने आपूर्तिकर्ता के बिलों का सत्यापन नहीं किया था, क्योंकि उसने इसके लिए कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया था। पीडब्ल्यूडी (सिंचाई), सिलवासा (अप्रैल 2018) ने डीपी, सिलवासा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के लिखित अनुमोदन के आधार पर एक “कर्ज” के रूप में आपूर्तिकर्ता को सीधे ₹1.98 करोड़ का भुगतान करने को स्वीकार किया तथा आपूर्तिकर्ता से हाथ से लिखी रसीद प्राप्त की थी।

गृह मंत्रालय (एमएचए) को मामला यूटी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासन को एक प्रति सहित जारी किया गया था (फरवरी 2020) तथा उत्तर हेतु अनुस्मारक भी जारी किए गए थे। तथापि, इनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

इस प्रकार, जिला पंचायत (डीपी) सिलवासा ने एक आपूर्तिकर्ता को बिना किसी आपूर्ति आदेश तथा आपूर्ति हेतु उच्च निविदा दरों के लिए किसी भी अनुमोदन के बिना तथा बजट के अंतर्गत निधियों के आबंटन के बिना, एससनपी के

अंतर्गत खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹1.98 करोड़ का भुगतान किया। उपयुक्त अनुमोदनों के अभाव में, भुगतान करने के मानदण्डों को अनदेखा किया गया था तथा भुगतान अन्य विभाग को अर्जित “ब्याज” से एक कर्ज के रूप में जारी किया गया था। इसका परिणाम ऐसे भुगतान में भी हुआ जो विभाग की अनुमोदित दरों से ₹18.23 लाख अधिक था।

लक्षद्वीप प्रशासन

13.5 निधियों की निष्क्रियता

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए) ने परियोजनाओं के लिए वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले तथा प्रारम्भिक कदम उठाए बिना कुल ₹1.15 करोड़ की निधियों को अनियमित रूप से जारी किया। वह इन निधियों के उपयोग के साथ परियोजनाएं, जिनके लिए निधियां जारी की गई थी, की प्रगति का भी अनुवीक्षण करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कुल ₹1.15 करोड़ की निधियां अनुपयोगी रही तथा इसे एलपीडब्ल्यूडी के पास रखा जिसका परिणाम निधियों के दस वर्षों से अधिक समय के लिए निष्क्रिय रहने में हुआ।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 का नियम 100(2) अनुबंध करता है कि सरकारी खाते से धन का जब तक आहरण नहीं किया जाएगा तब तक यह तुरंत संवितरण हेतु अपेक्षित न हो, तथा मांग के पूर्वानुमान अथवा बजट अनुदानों की समाप्ति से बचने के लिए सरकारी खाते से धन का आहरण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों तथा संस्थानों को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें अनुदान संस्वीकृत किया गया था, की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दो परियोजनाओं को उजागर किया जहां भुगतान उपरोक्त वैधानिक नियमों के उल्लंघन में किए गए थे। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

परियोजना ए: “लक्षद्वीप के कृषि उत्पादों के विपणन हेतु भण्डारण सुविधाओं का सृजन”

कृषि मंत्रालय ने 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत यूटीएलए को ₹5.01 करोड़ की केन्द्रीय सहायता (सीए) जारी की (फरवरी 2009) आरकेवीवाई के अंतर्गत प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं में से एक परियोजना “लक्षद्वीप के कृषि उत्पादों के विपणन हेतु भण्डारण सुविधाओं का सृजन” थी। मत्स्यपालन निदेशालय, लक्षद्वीप आरकेवीवाई, कवरत्ती, जिसने सीए प्राप्त की थी, ने निदेशक, खाद्य, सिविल आपूर्तियां तथा उपभोक्ता मामले (एफसीएस एवं सीए) कवरत्ती को परियोजना हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹1.00 करोड़ अर्थात् परियोजना हेतु आरकेवीवाई निधियों का 50 प्रतिशत का अंतरण किया (अक्टूबर 2009)। यह राशि खाद्यानों तथा अन्य कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु कवरत्ती, अगाती तथा अमीनी द्वीपों में गोदामों के निर्माण के लिए थी। निदेशक, एफसीएस एवं सीए ने बदले में पूर्ण राशि को कार्यकारी अभियंता, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) कवरत्ती के पास जमा की (नवम्बर 2009) तथा निदेशक मत्स्यपालन को अंतरित निधियों को उपयोग की गई के रूप में दर्शाते हुए एक यूसी (जुलाई 2010) प्रस्तुत किया। तथापि, आठ वर्षों के बीत जाने के पश्चात मार्च 2017 में, कार्यकारी अभियंता, एलपीडब्ल्यूडी कवरत्ती के परियोजना के लिए भुगतान किए गए ₹ एक करोड़ को निदेशक, एफसीएस एवं सीए को वापस कर दिया। यह इसलिए किया गया था क्योंकि निदेशालय, एफसीएस एवं सीए परियोजना के लिए भूमि का चयन करने में असमर्थ रहा था। यह सूचित (सितंबर 2019) किया गया था कि अमीनी में गोदाम हेतु भूमि का चयन कर लिया गया था परंतु उसे सुपूर्द नहीं किया गया था क्योंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित थी। अन्य स्थानों अर्थात् कवरत्ती तथा अगाती द्वीपों में, गोदामों के निर्माण हेतु भूमि का अभी भी पहचान किया जाना बाकी था।

परियोजना बी: “कवरत्ती में खाद्य एवं सिविल आपूर्तियां निदेशालय के कार्यालय आवासन हेतु सुपर बाजार में प्रथम तल का निर्माण”

यूटीएलए ने “कवरत्ती में खाद्य एवं सिविल आपूर्तियां निदेशालय के कार्यालय आवासन हेतु सुपर बाजार में प्रथम तल का निर्माण” के कार्य हेतु ₹97.75 लाख

की राशि का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2010)। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशक एफसीएस एवं सीए ने कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए जाने से पहले, कार्यकारी अभियन्ता, एलपीडब्ल्यूडी कवरत्ती के पास पहले ही कार्य के लिए ₹15.00 लाख जमा किए (मार्च 2010)। तथापि इस राशि का उपयोग नहीं किया गया था तथा कार्यकारी अभियन्ता, एलपीडब्ल्यूडी कवरत्ती ने, परियोजना ए हेतु भुगतान सहित इस राशि, कुल ₹1.15 करोड़ को निदेशक, एफसीएस एवं सीए को वापस किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसका उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि कार्य को कवरत्ती द्वीप सहकारी आपूर्ति एवं विपणन समिति प्राधिकारियों/बोर्ड, (सितंबर 2020) द्वारा निर्माण की अनुमति के अभाव में कार्यान्वित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त बताई गई परियोजनाओं हेतु निधियाँ यूटीएलए द्वारा मांग के पूर्वानुमान तथा कार्यान्वित करने की आवश्यकताओं से काफी पहले प्रदान की गई थीं। यह भी देखा गया था कि यूटीएलए द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रारम्भिक कदम जैसे कि भूमि की उपलब्धता तथा अपेक्षित अनुमतियां प्राप्त करना, निधियों को जारी करने से पहले नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना ए के मामले में जारी निधियों को कोई भी व्यय किए बिना उपयोग की गई के रूप में दर्शाया गया था जो कि परियोजना पर व्यय की वास्तविक स्थिति का गलत प्रस्तुतीकरण था। परियोजना हेतु आवश्यकताओं से काफी पहले निधियां जारी करना नौ वर्षों तक निधि के निष्क्रिय पड़े रहने का भी कारण बना।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि परियोजनाओं हेतु जारी निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण करने तथा उपयोग न की गई निधियों को समय पर सरकार को लौटाने हेतु वापसी के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे जब परियोजना हेतु भूमि तथा अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई थी। इसके विपरीत एक बैठक में (जून 2017) समाहर्ता एवं सचिव (खाद्य एवं सिविल आपूर्तियां) की अध्यक्षता में एलपीडब्ल्यूडी को कुछ समय तक निधियों को रखने को अनुमत करने का निर्णय लिया गया था तथा तदनुसार ₹1.15 करोड़ की राशि कार्यकारी

अभियन्ता एलपीडब्ल्यूडी को वापस की गई थी। ये कार्रवाई सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन में थी।

इस प्रकार, यूटीएलए ने परियोजनाओं के लिए वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले कुल ₹1.15 करोड़ की निधियों को अनियमित रूप से जारी किया। वह इन निधियों के उपयोग के साथ साथ परियोजना, जिसके लिए निधियां जारी की गई थी, की प्रगति का भी अनुवीक्षण करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹1.15 करोड़ की निधियां एलपीडब्ल्यूडी के पास रखी रही जिसका परिणाम दस वर्षों से अधिक समय के लिए निधियों के निष्क्रिय रहने में हुआ।

अध्याय XIV : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

14.1 अप्रयुक्त सहायता अनुदान की गैर वसूली

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मार्च 2015 में ₹1.27 करोड़ की सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद भी हिमालयी क्षेत्र खेलों का आयोजन करने तथा असम राज्य सरकार से ₹62.44 लाख के ब्याज सहित अप्रयुक्त सहायता अनुदान की वसूली करने में विफल रहा।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005¹ का नियम 212 उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के तंत्र के माध्यम से अनुदानों के उपयोग की निगरानी की परिकल्पना करता है कि उसमें यह प्रकटन शामिल हो कि निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह संस्वीकृत की गई थी तथा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि का सरकार को अभ्यर्पण किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने 2014-15 के लिए संघ बजट को प्रस्तुत करते समय हिमालयी क्षेत्रों में राज्यों²/ देशों की अनोखी खेल परम्पराओं को बढ़ावा देने तथा खेल की स्पर्धा में भाग लेने हेतु नेपाल तथा भूटान जैसे देशों को आमंत्रित करके वहां रह रहे बहुसंख्यक लोगों को एक आम मंच पर लाने के लिए एक वार्षिक खेल स्पर्धा की घोषणा (जुलाई 2014) की।

तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमओवाईएस) ने एक वार्षिक खेल स्पर्धा का आयोजन करने का निर्णय लिया तथा एक योजना नामतः हिमालयी क्षेत्र खेल उत्सव (बाद में हिमालयी क्षेत्र खेल के रूप में पुनः नाम दिया गया) तैयार की गई थी। योजना के अंतर्गत आठ प्रकार³ के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना था तथा गुवाहाटी (असम) अथवा इम्फाल (मणिपुर) का प्रत्येक वर्ष एचआरजी का आयोजन करने हेतु पहचान की गई थी जिससे कि

¹ सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 का नियम 239 अनुदान प्रदान करने के लिए समान प्रावधान है।

² जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तरपूर्वी राज्य

³ तीरंदाजी, दौड़, बॉक्सिंग, फुटबाल, जूडो, टायक्वांडो, कुश्ती तथा तलवारबाजी

स्थायी खेल अवसंरचना को सृजित तथा प्रत्येक वर्ष उसका उपयोग किया जा सके।

एमओवाईएस हिमालयी क्षेत्र खेलों (एचआरजी) का आयोजन करने हेतु ₹ पांच करोड़ की निधियों की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगाया। एमओवाईएस ने गुवाहाटी, असम में खेलों का आयोजन करने का निर्णय (दिसंबर 2014) लिया। बाद में, एमओवाईएस ने असम की राज्य सरकार (एसजीओए) को तैयारी गतिविधियां हेतु राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹1.27 करोड़ जारी (मार्च 2015) किए क्योंकि वर्ष 2014-15 के दौरान एचआरजी हेतु कोई अलग बजट प्रावधान नहीं था।

आगे, फरवरी माह 2016 में एचआरजी का आयोजन करने की योजना की गई थी। तथापि, इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका था क्योंकि 05 और 16 फरवरी 2016 के बीच की अवधि के दौरान गुवाहाटी में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ₹21.00 करोड़ (2017-18 में ₹15.00 करोड़, 2018-19 में ₹5.00 करोड़ तथा 2019-20 में ₹1.00 करोड़) के पृथक बजट प्रावधान को इस उद्देश्य हेतु आबंटित किए जाने के बावजूद अनुवर्ती वर्षों में एचआरजी का आयोजन नहीं कर सका था।

परिणामस्वरूप, कोई व्यय नहीं किया गया था तथा इस प्रकार मार्च 2015 में जारी ₹1.27 करोड़ अप्रयुक्त रहे।

इसे इंगित किए जाने (जून 2018 तथा जनवरी 2020) पर एमओवाईएस ने बताया (जून 2018 तथा जनवरी 2020) कि भारतीय ओलंपिक संघ से पर्याप्त प्रतिक्रिया की कमी के कारण कई बार तिथियों को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद भी स्पर्धा का आयोजन नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एसजीओए से ₹1.27 करोड़ की वापसी की मांग नहीं की थी क्योंकि वे वर्ष 2018-19 के दौरान स्पर्धा का आयोजन करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे थे। हालांकि, एमओवाईएस, ने बताया (फरवरी 2020) कि उन्होंने एसजीओए से ₹1.27 करोड़ तथा इस पर ब्याज सहित वापसी की मांग (सितम्बर 2019) की थी जिसे अभी तक वापस नहीं किया गया है।

इस प्रकार, एमओवाईएस न केवल ₹1.27 करोड़ के निर्गम के बावजूद 2014-15 में खेलों का आयोजन करने में विफल रहा बल्कि उसने फरवरी 2020 तक ₹62.44 लाख ब्याज सहित उक्त राशि की एसजीओए से वसूली भी नहीं की थी।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 फरवरी 2021



(सुनील दाढे)
महानिदेशक लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 25 फरवरी 2021



(गिरीश चन्द्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-5.1
(पैराग्राफ सं. 5.5 का संदर्भ ले)
ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया

| मद सं. | नाम/विवरण | दर विश्लेषण | प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर | ₹ 22 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर पर रॉयल्टी सहित विश्लेषण दर | 6% जोड़ना (डब्ल्यूसीटी, उपकर प्रवेश कर आदि) | बीओक्यू दर | भुगतान दर (निविदा या अनुबंध दर) (बीओक्यू दर से नीचे (0.24%) | निष्पादित मात्रा (घन मीटर में) | ठेकेदार को भुगतान (को. 8* को. 9) | बिहार सरकार को ठेकेदार द्वारा देय/रॉयल्टी अदा की गई | बीओक्यू में रॉयल्टी के शामिल होने के कारण ठेकेदार द्वारा रखी गई राशि (₹ में) (को. 9 * ₹ 22/मी ³ की दर पर रॉयल्टी दर) | लेखापरीक्षा निष्कर्ष |
|--------|---|-------------|-----------------------------|--|---|------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.03 | सभी स्रोतों के अपवहन के साथ हाइड्रोलिक उत्खनन सीके 90 एवं टिप्पर्स का प्रयोग करके मिट्टी का उत्खनन निर्माण-स्थल के अंदर अपवहन के साथ हाइड्रोलिक उत्खनन सीके 90 टिप्पर्स का प्रयोग करके मिट्टी में उत्खनन। निर्माण-स्थल के अंदर लाइन्स ग्रेड्स एवं क्रॉस सेक्शंस तथा सभी लिफ्टों एवं 1000 मी. तक आगे बढ़ाने के साथ तटबंध स्थल तक ढोने की आवश्यकतानुसार, कटिंग एवं टिप्पर्स में लोडिंग करना, तली एवं किनारे वाले ढलानों को समतल करने के साथ डोल क्षमता सहित 0.9 घन मीटर की हाइड्रोलिक उत्खनन से मिट्टी में सड़क निर्माण या जल निकाय या तृफानी जल निकास आदि के लिए उत्खनन। | 77.67 | 22 | 99.67 | 6 | 106 | 105.75 | 3,43,019.28 मी ³ | 3,62,74,289 | अदा नहीं किया | 75,46,424 | बीओक्यू दर में रॉयल्टी को निम्नवत जोड़ा नहीं जाना चाहिए था (i) बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2012 में रॉयल्टी की दर साधारण मिट्टी की 22/घन मीटर निश्चित थी जिसे तटबंध सड़क, इमारत के निर्माण एवं सतही करने के उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किया गया है। (ii) अपने पत्र में जिला खनन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी केवल मिट्टी के प्रयोग हेतु जमा की जाए एवं कटौती की जाए तथा (iii) इस मद सं. 2.03 का कार्य केवल मिट्टी के उत्खनन कार्य से संबंधित है तथा निकाली गई मिट्टी का प्रयोग किसी भी उद्देश्य हेतु इस मद में नहीं किया जा रहा है उत्खनन की गई मिट्टी की 343019 मी ³ की मात्रा में से 176148.64 मी ³ का प्रयोग मद सं. 2.05 में तटबंध के निर्माण में किया गया है तथा 1,66,871 मी ³ (343019.28 मी ³ - 176148.64 मी ³) की शेष उत्खनन की गई मात्रा को विश्वविद्यालय परिसर में ढेर लगा दिया गया। फिर भी ठेकेदार की रॉयल्टी ₹75,46,424 (₹22 की दर पर 343019.28 मी ³) को शामिल कर भुगतान किया गया। ठेकेदार को भुगतान केवल उत्खनन कार्य हेतु किया गया। |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| मद सं. | नाम/विवरण | दर विशेषण | प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर | ₹ 22 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर पर रॉयल्टी सहित विशेषण दर | 6% जोड़ना (डब्ल्यूसीटी, उपकर प्रवेश कर आदि) | बीओक्यू दर | भुगतान दर (निविदा या अनुबंध दर) (बीओक्यू दर से नीचे (0.24%) | निष्पादित माना (घन मीटर में) | ठेकेदार को भुगतान (क्रॉ. 8* क्रॉ. 9) | बिहार सरकार को ठेकेदार द्वारा देय/रॉयल्टी अदा की गई | बीओक्यू में रॉयल्टी के शामिल होने के कारण ठेकेदार द्वारा रखी गई राशि (₹ में) (क्रॉ. 9 * ₹ 22/मी ³ की दर पर रॉयल्टी दर) | लेखापरीक्षा निष्कर्ष |
|--------|---|-----------|--|--|---|------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 2.04 | निर्माण-स्थल तक ढोने के लिए सभी लिफ्टस एवं 1000 मी तक लेन आगे बढ़ाने के साथ उधार लिए गड़दों से प्राप्त अनुमोदित तटबंध का निर्माण एमओआरटीएच तालिका 300-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित स्लोप को श्रेणीकरण करके एवं ठोस बनाते हुए फैलाना। | 208.98 | 23.65 (रॉयल्टी ₹22 की दर पर+ उधार लिए गड़दों से प्राप्त हो रही सामग्री के कारण ₹1.65 की दर पर क्षतिपूर्ति) | 232.63 | 13.98 | 247 | 246.41 | 0 | - | 0 | 0 | बीओक्यू दर में रॉयल्टी को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी का प्रयोग तटबंध कार्य के निर्माण हेतु किया जा रहा है। तथापि, मद सं. 2.04 अंततः निष्पादित नहीं किया गया, इसलिए इस कार्य हेतु कोई भी भुगतान नहीं किया गया। |
| 2.05 | सड़क मार्ग/जल निकाय काटने से जमा सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण (सड़क मार्ग/जल निकाय काटने से निर्माण-स्थल पर जमा अनुमोदित सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण तथा एमओआरटीएच तालिका 300-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रेणीबद्ध एवं ठोस अन्य संरचनाओं के विकास एवं निर्माण से उत्खनन) | 153.61 | 22 | 175.61 | 10.56 | 187 | 186.55 | 1,76,148.64 मी ³ | 3,28,60,529 | 38,75,256 | - | बीओक्यू दर में रॉयल्टी को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी का प्रयोग तटबंध कार्य के निर्माण हेतु किया जा रहा है। (मिट्टी को मद सं. 2.03 से प्राप्त किया जा रहा है) तथापि, ठेकेदार को भुगतान की गई रॉयल्टी ₹38,75,270 (₹ 22 की दर पर 1,76,148 मी ³) को शामिल किया गया। |
| 2.06 | सबग्रेड एवं मिट्टी के स्कंध का निर्माण (निर्माण-स्थल तक ढोने के लिए सभी लिफ्टस एवं 1000मी. तक आगे बढ़ाने के साथ उधार लिए गड़दों से प्राप्त अनुमोदित सामग्री सहित सबग्रेड एवं मिट्टी के स्कंध हेतु तटबंध का निर्माण, एमओआरटीएच तालिका 300-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित स्लोप को श्रेणीकरण करके एवं ठोस बनाकर फैलाना। | 244.36 | 23.65 (₹22 की दर पर रॉयल्टी+उधार लिए गड़दों से प्राप्त हो रही सामग्री के कारण ₹1.65 की दर पर क्षतिपूर्ति) | 268.01 | 16.08 | 284 | 283.32 | 1,21,197.62 मी ³ | 3,43,37,710 | 26,66,348 | 0 | बीओक्यू दर में रॉयल्टी को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी का प्रयोग तटबंध कार्य के निर्माण हेतु किया जा रहा है। (मिट्टी उधार लिए गड़दे अर्थात निजी जमीन से ली जा रही है। 1,23000मी ³ में से केवल 1,21,197.62 मी ³ को कार्य में प्रयोग किया गया इसलिए ₹26.66 लाख (₹22 की दर पर 1,21,197.62 की रॉयल्टी की राशि विश्वविद्यालय से संबंधित थी। ठेकेदार को भुगतान ₹26,66,348 (₹22 की दर पर ₹1,21,197.62) के रॉयल्टी घटक को शामिल करके किया गया। तथापि, इस मामले में पट्टे की अनुमति प्राप्त करते समय ठेकेदार ने रॉयल्टी बिहार सरकार को जमा की। |

| मद सं. | नाम/विवरण | दर विश्लेषण | प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर | ₹ 22 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर पर रॉयल्टी सहित विश्लेषण दर | 6% जोड़ना (डब्ल्यूसीटी, उपकर प्रवेश कर आदि) | बीओक्यू दर | भुगतान दर (निविदा या अनुबंध दर) (बीओक्यू दर से नीचे (0.24%) | निष्पादित माना (घन मीटर में) | ठेकेदार को भुगतान (क्रॉ. 8* क्रॉ. 9) | बिहार सरकार को ठेकेदार द्वारा देय/रॉयल्टी अदा की गई | बीओक्यू में रॉयल्टी के शामिल होने के कारण ठेकेदार द्वारा रखी गई राशि (₹ में) (क्रॉ. 9 * ₹ 22)मी ³ की दर पर रॉयल्टी दर) | लेखापरीक्षा निष्कर्ष |
|------------|--|-------------|-----------------------------|--|---|------------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| 2.07 | संरचनाओं हेतु उत्खनन (भरना, शोरिंग एवं ब्रेसिंग का निर्माण, ढूँढें एवं अन्य हानिकारक पदार्थ को हटाना अनुमोदित सामग्री से किनारों एवं तली को तराशना तथा बैकफिलिंग करना) साधारण मिट्टी (3.0मी तक गहरी) | 67.69 | 22 | 89.69 | 5.4 | 95 | 94.77 | 1,092.54 | 1,03,540 | अदा नहीं किया | 24,036 | बीओक्यू दर में रॉयल्टी को नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इस मद का कार्य केवल संरचना कार्य हेतु निर्माण के लिए मिट्टी के उत्खनन कार्य से संबंधित है तथा इस मद में निकाली गई मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार को भुगतान केवल उत्खनन कार्य हेतु किया गया। भुगतान में रॉयल्टी घटक ₹24.036 (₹22 की दर पर 1,092.54 मी ³) शामिल था। |
| योग | | | | | | | | 6,41,458.08 | 10,35,76,068 | 65,41,604 | 75,70,460 | |
| | | | | | | | | | (रॉयल्टी संघटक को शामिल करते हुए) ₹1,41,12,078 | | | |

अनुलग्नक-6.1

(पैराग्राफ सं. 6.1 का संदर्भ लें)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को अनियमित भुगतान

| महीना | कुल संव्यवहार | प्रोत्साहन हेतु योग्य संव्यवहार | प्रोत्साहन हेतु अनुमत अधिक संव्यवहार | अधिक भुगतान (₹ में) |
|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ए | बी | सी | डी=बी-सी | ई=डी*5 |
| जनवरी 2018 | 13,45,984 | 6,68,648 | 6,77,336 | 33,86,680 |
| फरवरी 2018 | 12,56,797 | 6,15,303 | 6,41,494 | 32,07,470 |
| मार्च 2018 | 19,67,988 | 8,83,826 | 10,84,162 | 54,20,810 |
| अप्रैल 2018 | 11,22,044 | 4,86,226 | 6,35,818 | 31,79,090 |
| मई 2018 | 6,21,969 | 2,97,582 | 3,24,387 | 16,21,935 |
| कुल (ए) | | | | 1,68,15,985 |

अनुबंध-6.2

(पैराग्राफ सं. 6.1 का संदर्भ लें)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को अनियमित भुगतान

| महीना | कुल संव्यवहार | प्रोत्साहन हेतु कुल संव्यवहार | कुल संव्यवहारों से अयोग्यता की प्रतिशतता | कुल संव्यवहारों पर भुगतान किया गया अस्थिर घटक (₹ में) | अधिक अस्थिर प्रोत्साहन भुगतान (₹ में) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| ए | बी | सी | डी | ई | एफ=डीxई/100 |
| जनवरी 2018 | 13,45,984 | 6,77,336 | 50.32 | 49,66,341.50 | 24,99,063.04 |
| फरवरी 2018 | 12,56,797 | 6,41,494 | 51.04 | 46,21,863.00 | 23,58,998.88 |
| मार्च 2018 | 19,67,988 | 10,84,162 | 55.09 | 66,62,999.50 | 36,70,646.42 |
| अप्रैल 2018 | 11,22,044 | 6,35,818 | 56.67 | 38,20,419.00 | 21,65,031.45 |
| मई 2018 | 6,21,969 | 3,24,388 | 52.15 | 24,11,128.00 | 12,57,403.25 |
| कुल (बी) | | | | | 1,19,51,143.04 |

| | |
|--------------------|----------------|
| कुल (ए) | 1,68,15,985.00 |
| कुल (बी) | 1,19,51,143.04 |
| कुल योग (ए) + (बी) | 2,87,67,128.04 |

अनुलग्नक-7.1

(पैराग्राफ सं. 7.2 का संदर्भ लें)

जीसी सीआरपीएफ, बिलासपुर की विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के अंतर्गत परिहार्य मांग प्रभार के विवरण

| क्रम. सं. | माह | संविदा मांग | बिल की गई मांग | वास्तविक मांग | अंतर | दर | (राशि ₹ में) |
|-----------|------------|-------------|----------------|---------------|------|-----|--------------|
| 1. | नवम्बर-13 | 1005 | 754 | 0 | 1173 | 360 | 4,22,280 |
| 2. | दिसम्बर-13 | 1005 | 754 | 0 | 1005 | 360 | 3,61,800 |
| 3. | जनवरी-14 | 1005 | 754 | 0 | 1005 | 360 | 3,61,800 |
| 4. | फरवरी-14 | 1005 | 754 | 0 | 1005 | 360 | 3,61,800 |
| 5. | मार्च-14 | 1005 | 754 | 80 | 925 | 360 | 3,33,000 |
| 6. | अप्रैल-14 | 1005 | 754 | 163 | 591 | 360 | 2,12,760 |
| 7. | मई-14 | 1005 | 754 | 179 | 575 | 360 | 2,07,000 |
| 8. | जून-14 | 1005 | 754 | 208 | 546 | 360 | 1,96,560 |
| 9. | जुलाई-14 | 1005 | 754 | 210 | 544 | 360 | 1,95,840 |
| 10. | अगस्त-14 | 1005 | 754 | 219 | 535 | 360 | 1,92,600 |
| 11. | सितम्बर-14 | 1005 | 754 | 256 | 498 | 360 | 1,79,280 |
| 12. | अक्टूबर-14 | 1005 | 754 | 208 | 546 | 360 | 1,96,560 |
| 13. | नवम्बर-14 | 1005 | 754 | 213 | 541 | 360 | 1,94,760 |
| 14. | दिसम्बर-14 | 1005 | 754 | 210 | 544 | 360 | 1,95,840 |
| 15. | जनवरी-15 | 1005 | 754 | 229 | 525 | 360 | 1,89,000 |
| 16. | फरवरी-15 | 1005 | 754 | 229 | 525 | 360 | 1,89,000 |
| 17. | मार्च-15 | 1005 | 754 | 235 | 519 | 360 | 1,86,840 |
| 18. | अप्रैल-15 | 1005 | 754 | 262 | 492 | 360 | 1,77,120 |
| 19. | मई-15 | 1005 | 754 | 294 | 460 | 360 | 1,65,600 |
| 20. | जून-15 | 1005 | 754 | 294 | 460 | 365 | 1,67,900 |
| 21. | जुलाई-15 | 1005 | 754 | 266 | 488 | 365 | 1,78,120 |
| 22. | अगस्त-15 | 1005 | 754 | 277 | 477 | 365 | 1,74,105 |
| 23. | सितम्बर-15 | 1005 | 754 | 256 | 498 | 365 | 1,81,770 |
| 24. | अक्टूबर-15 | 1005 | 754 | 253 | 501 | 365 | 1,82,865 |
| 25. | नवम्बर-15 | 1005 | 754 | 213 | 541 | 365 | 1,97,465 |
| 26. | दिसम्बर-15 | 1005 | 754 | 229 | 525 | 365 | 1,91,625 |
| 27. | जनवरी-16 | 1005 | 754 | 237 | 517 | 365 | 1,88,705 |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्रम. सं. | माह | संविदा मांग | बिल की गई मांग | वास्तविक मांग | अंतर | दर | (राशि ₹ में) |
|-----------|------------|-------------|----------------|---------------|------|-----|--------------|
| 28. | फरवरी-16 | 1005 | 754 | 250 | 504 | 365 | 1,83,960 |
| 29. | मार्च-16 | 1005 | 754 | 253 | 501 | 365 | 1,82,865 |
| 30. | अप्रैल-16 | 1005 | 754 | 280 | 474 | 375 | 1,77,750 |
| 31. | मई-16 | 1005 | 754 | 298 | 456 | 375 | 1,71,000 |
| 32. | जून-16 | 1005 | 754 | 310 | 444 | 375 | 1,66,500 |
| 33. | जुलाई-16 | 1005 | 754 | 296 | 458 | 375 | 1,71,750 |
| 34. | अगस्त-16 | 1005 | 754 | 275 | 479 | 375 | 1,79,625 |
| 35. | सितम्बर-16 | 1005 | 754 | 291 | 463 | 375 | 1,73,625 |
| 36. | अक्टूबर-16 | 1005 | 754 | 250 | 504 | 375 | 1,89,000 |
| 37. | नवम्बर-16 | 1005 | 754 | 238 | 516 | 375 | 1,93,500 |
| 38. | दिसम्बर-16 | 1005 | 754 | 245 | 509 | 375 | 1,90,875 |
| 39. | जनवरी-17 | 1005 | 754 | 243 | 511 | 375 | 1,91,625 |
| 40. | फरवरी-17 | 1005 | 754 | 299 | 455 | 375 | 1,70,625 |
| 41. | मार्च-17 | 1005 | 754 | 318 | 436 | 375 | 1,63,500 |
| 42. | अप्रैल-17 | 1005 | 754 | 346 | 408 | 375 | 1,53,000 |
| 43. | मई-17 | 1005 | 754 | 358 | 396 | 375 | 1,48,500 |
| 44. | जून-17 | 1005 | 754 | 381 | 373 | 375 | 1,39,875 |
| 45. | जुलाई-17 | 1005 | 754 | 326 | 428 | 375 | 1,60,500 |
| 46. | अगस्त-17 | 1005 | 754 | 317 | 437 | 190 | 83,030 |
| 47. | सितम्बर-17 | 1005 | 754 | 322 | 432 | 190 | 82,080 |
| 48. | अक्टूबर-17 | 1005 | 754 | 288 | 466 | 190 | 88,540 |
| 49. | नवम्बर-17 | 1005 | 754 | 235 | 519 | 190 | 98,610 |
| 50. | दिसम्बर-17 | 1005 | 754 | 243 | 511 | 190 | 97,090 |
| 51. | जनवरी-18 | 1005 | 754 | 259 | 495 | 190 | 94,050 |
| 52. | फरवरी-18 | 1005 | 754 | 242 | 512 | 190 | 97,280 |
| 53. | मार्च-18 | 1005 | 754 | 262 | 492 | 190 | 93,480 |
| 54. | अप्रैल-18 | 1005 | 754 | 299 | 455 | 190 | 86,450 |
| 55. | मई-18 | 1005 | 754 | 330 | 424 | 375 | 1,59,000 |
| 56. | जून-18 | 1005 | 754 | 296 | 458 | 190 | 87,020 |
| 57. | जुलाई-18 | 1005 | 754 | 259 | 495 | 190 | 94,050 |
| 58. | अगस्त-18 | 1005 | 754 | 262 | 492 | 190 | 93,480 |

| क्रम. सं. | माह | संविदा मांग | बिल की गई मांग | वास्तविक मांग | अंतर | दर | (राशि ₹ में) |
|------------|------------|-------------|----------------|---------------|------|-----|--------------------|
| 59. | सितम्बर-18 | 1005 | 754 | 251 | 503 | 190 | 95,570 |
| 60. | अक्तूबर-18 | 1005 | 754 | 258 | 496 | 190 | 94,240 |
| 61. | नवम्बर-18 | 1005 | 754 | 227 | 527 | 190 | 1,00,130 |
| 62. | दिसम्बर-18 | 1005 | 754 | 229 | 525 | 190 | 99,750 |
| 63. | जनवरी-19 | 1005 | 754 | 235 | 519 | 190 | 98,610 |
| 64. | फरवरी-19 | 1005 | 754 | 237 | 517 | 190 | 98,230 |
| 65. | मार्च-19 | 1005 | 754 | 242 | 512 | 190 | 97,280 |
| कुल | | | | | | | 1,10,28,040 |

अनुलग्नक-8.1

(पैराग्राफ सं. 8.1 का संदर्भ लें)

तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान (13 सीएबी)

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | इकाई का नाम | अदा किए गए बोनस की राशि | वसूल किए गए बोनस की राशि |
|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| शिक्षा मंत्रालय | | | |
| 1. | भारतीय प्रौद्योगिकी, संस्थान, खड़गपुर (आईआईटी-के) | 164.95 | शून्य |
| 2. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी (आईआईटी-जी) | 48.49 | शून्य |
| 3. | विश्व भारती विश्वविद्यालय, शातिनिकेतन (वीबीयू) | 58.96 | शून्य |
| 4. | भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईइएसटी) | 58.38 | 58.38 |
| 5. | बाबा भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (बीबीएयू) | 13.05 | 8.50 |
| 6. | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (एमयू) | 722.09 | 711.64 |
| 7. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (बीएचयू) | 246.77 | 200.12 |
| 8. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ (आईआईएमएल) | 18.77 | शून्य |
| 9. | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (एमएनएनआईटी) | 23.66 | शून्य |
| 10. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा (एनआईओएस) | 26.79 | शून्य |
| 11. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर (आईआईएमके) | 4.73 | शून्य |
| 12. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय (एयू) | 162.35 | शून्य |
| संस्कृति मंत्रालय | | | |
| 13. | संस्कृति मंत्रालय एशियाई समिति, कोलकता (टीएएस) | 38.15 | शून्य |
| कुल | | 1,587.14 | 978.64 |

अनुलग्नक-10.1

(पैरा सं. 10.1 का संदर्भ लें)

संघ को टीडीएस के बिना किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | संघ के दलों का नाम | बिल संख्या तथा तिथि | राशि | भुगतान से काटा जाना अपेक्षित टीडीएस |
|---------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. | आईटीआई लिमिटेड | सीपी00003502 31.03.2018 | 4,00,90,000 | 40,09,000 |
| 2. | आईटीआई लिमिटेड | सीपी00003507 31.03.2018 | 14,69,76,000 | 1,46,97,600 |
| 3. | इलैक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड | सीपी00003499 31.03.2018 | 4,00,90,000 | 40,09,000 |
| 4. | इलैक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड | सीपी00003501 31.03.2018 | 22,71,77,000 | 2,27,17,700 |
| 5. | भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड | सीपी00003498 31.03.2018 | 4,00,90,000 | 40,09,000 |
| 6. | भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड | सीपी00003500 31.03.2018 | 22,71,77,000 | 2,27,17,700 |
| | | कुल | 72,16,00,000 | 7,21,60,000 |

अनुलग्नक-11.1
(पैराग्राफ संख्या 11.1.1 का संदर्भ लें)
सी.एस.आई.आर.की प्रयोगशालाएँ

| क्र.सं. | प्रयोगशाला का नाम |
|---------|--|
| 1. | सी.एस.आई.आर.- प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- ए.एम.पी.आर.आई), भोपाल |
| 2. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई.) रूड़की |
| 3. | सी.एस.आई.आर.- कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सी.एस.आई.आर.- सी.सी.एम.बी.) हैदराबाद |
| 4. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई.) लखनऊ |
| 5. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.ई.सी.आर.आई.), कराईकुडी |
| 6. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.ई.ई.आर.आई.), पिलानी |
| 7. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.एफ.टी.आर.आई.), मैसूर |
| 8. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.जी.सी.आर.आई.), कोलकाता |
| 9. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.आई.एम.ए.पी.), लखनऊ |
| 10. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.आई.एम.एफ.आर.), धनबाद |
| 11. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.एल.आर.आई.), चेन्नई |
| 12. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.एम.ई.आर.आई.), दुर्गापुर |
| 13. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.आर.आर.आई.), नई दिल्ली |

| क्र.सं. | प्रयोगशाला का नाम |
|---------|--|
| 14. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी.एस.आई.आर.- सी.एस.आई.ओ.), चंडीगढ़ |
| 15. | सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.एस.एम.सी.आर.आई.), भावनगर |
| 16. | सी.एस.आई.आर.- चौथा प्रतिमान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- 4 पी.आई.), बेंगलुरु |
| 17. | सी.एस.आई.आर.- जिनेमिकी और समवेत जीव-विज्ञान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.जी.आई.बी.), दिल्ली |
| 18. | सी.एस.आई.आर.- हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एच.बी.टी.), पालमपुर |
| 19. | सी.एस.आई.आर.- भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.सी.बी.), कोलकाता |
| 20. | सी.एस.आई.आर.- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.सी.टी.), हैदराबाद |
| 21. | सी.एस.आई.आर.- भारतीय समवेत औषध संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.आई.एम.), जम्मू |
| 22. | सी.एस.आई.आर.- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.पी.), देहरादून |
| 23. | सी.एस.आई.आर.- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.टी.आर.), लखनऊ |
| 24. | सी.एस.आई.आर.- खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एम.एम.टी.), भुवनेश्वर |
| 25. | सी.एस.आई.आर.- सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एम.टेक.), चंडीगढ़ |
| 26. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला, (सी.एस.आई.आर.- एन.ए.एल.), बेंगलुरु |
| 27. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.बी.आर.आई.), लखनऊ |
| 28. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.- एन.सी.एल.), पुणे। |
| 29. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर |
| 30. | सी.एस.आई.आर.- उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.ई.आई.एस.टी.), जोरहाट |
| 31. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.जी.आर.आई.), हैदराबाद |

| क्र.सं. | प्रयोगशाला का नाम |
|------------------------------------|--|
| 32. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.आई.एस.टी.), तिरुवनंतपुरम |
| 33. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.ओ.), गोवा |
| 34. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर.), नई दिल्ली। |
| 35. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस.), नई दिल्ली। |
| 36. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.- एन.एम.एल.), जमशेदपुर |
| 37. | सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.- एन.पी.एल.), नई दिल्ली। |
| 38. | सी.एस.आई.आर.- संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र (सी.एस.आई.आर.- एस.ई.आर.सी.), चेन्नई। |
| सी.एस.आई.आर. इकाईयों के नाम | |
| 1. | सी.एस.आई.आर.- इकाई: ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी (सी.एस.आई.आर.- ओ.एस.डी.डी.), नई दिल्ली |
| 2. | सी.एस.आई.आर.- इकाई: आयुर्वेद के माध्यम से अनुवादक अनुसंधान एवं नवीन विज्ञान, (सी.एस.आई.आर.-टी.आर.आई.एस.यू.टी.आर.ए.) नई दिल्ली। |
| 3. | सी.एस.आई.आर.- इकाई: मानव संसाधन विकास केंद्र (सी.एस.आई.आर.- एच.आर.डी.सी.), गाजियाबाद |
| 4. | सी.एस.आई.आर.- इकाई: सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट (सी.एस.आई.आर.- यू.आर.डी.आई.पी.), पुणे। |
| 5. | सी.एस.आई.आर.- इकाई: सी.एस.आई.आर, परंपरागत ज्ञान डिजीटल लाइब्रेरी (सी.एस.आई.आर.- टी.के.डी.एल.), नई दिल्ली। |
| 6. | सी.एस.आई.आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स (सी.एस.आई.आर.- सी.एम.सी.), चेन्नई। |

अनुलग्नक-11.2

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.4 का संदर्भ लें।)

मॉड्यूल वार अविकसित प्रक्रियाएँ एवं विकसित अकार्यरत प्रक्रियाएँ

| क्र.सं. | मॉड्यूल का नाम | मॉड्यूल के विकास का कारण | उस प्रयोगशाला का नाम जहां मॉड्यूल अकार्यरत था। | मॉड्यूल की अविकसित प्रक्रियाओं का नाम | ऐसी विकसित प्रक्रियाओं का नाम जो विकसित थीं परंतु उपयोग में नहीं। | मॉड्यूल के अकार्यरत/अनुपयोगी होने के कारण। |
|---------|------------------------|---|---|--|--|---|
| 1. | एच.आर. पोर्टल | कर्मचारियों के स्थापना से संबंधित मामलों के स्वचालन एवं प्रोफाइल को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए। | सी.बी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.एम.टेक, एन.बी.आर.आई., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एवं एन.पी.एल. (10 प्रयोगशालाएँ) | भर्ती, विज्ञापन, उपस्थिति प्रबंधन, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, पेंशन, वेतन नियतन, आयकर, मूल्यांकन बोर्ड का गठन, चयन समिति, सेवा में शामिल होना, ए.सी.आर./ए.पी.आर. | परिविक्षा एवं स्थायीकरण, डी.पी.सी. के माध्यम से पदोन्नति, वरिष्ठता मामले एवं स्थानांतरण। | <ul style="list-style-type: none"> ➤ तकनीकी समस्याओं की वजह से। ➤ सर्वर की धीमी गति व अनुचित कार्य करने के कारण ➤ संसाधनों की कमी, डेटा हास ➤ 7 वे सी.पी.सी. के मुताबिक सॉफ्टवेयर का गैर संशोधन |
| 2. | वित्त एवं खाता मॉड्यूल | सभी लेखा कार्यों का स्वचालन जैसे कि, सभी प्रकार के बिलों का भुगतान, लेजर ब्रॉडशीट, सी.एस.आई.आर. का आय-व्यय खाता एवं बैलेंस शीट का निर्माण | सी.बी.आर.आई. सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., सी.एस.आई.ओ., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.एच.बी.टी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.पी., आई.एम.एम.टी., आई.एम.टेक., एन.बी.आर.आई., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.आई.एस.टी., एन.आई.ओ. | सरकार/मंत्रालय से अनुदान की मांग, सक्षम प्राधिकारी से बजट के लिए मंजूरी | बजट अनुमानों का बिंदु वार निर्माण, मुख्यालय/प्रयोगशालाओं के संबंध में मांगों का संकलन एवं समेकन, विभिन्न लेखा रजिस्ट्रों का निर्माण | <ul style="list-style-type: none"> ➤ वित्त मॉड्यूल स्वयं सी.एस.आई.आर. के मुख्यालय पर ही कार्यरत नहीं था। ➤ बनाई गई रिपोर्टें तथा रजिस्ट्रों की हार्डकॉपी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्र.सं. | मॉड्यूल का नाम | मॉड्यूल के विकास का कारण | उस प्रयोगशाला का नाम जहां मॉड्यूल अकार्यरत था। | मॉड्यूल की अविकसित प्रक्रियाओं का नाम | ऐसी विकसित प्रक्रियाओं का नाम जो विकसित थीं परंतु उपयोग में नहीं। | मॉड्यूल के अकार्यरत/अनुपयोगी होने के कारण। |
|---------|---------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.एम.एल., एन.पी.एल., एंड एस.ई.आर.सी. (23 प्रयोगशालाएं) | | | |
| 3. | आई.ई.एस.पी. | प्रक्रियाओं जैसे कि सुविधाओं के प्रबंधन, रखरखाव एवं संबंधित सेवाएँ, अनुबंध प्रबंधन, ई-खरीदी, स्टोर्स/इनवेंट्री एवं परियोजना प्रबंधन का स्वचालन | सी.बी.आर.आई., सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., सी.एस.आई.ओ., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.पी., आई.एम.टेक, एन.बी.आर.आई., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.आई.एस.टी., एन.आई.ओ., एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.एम.एल. एंड एन.पी.एल., (20 प्रयोगशालाएँ) | सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में पूर्व इंडेंट प्रवाह और एन.आई.टी./ ई.टेंडरिंग प्रक्रिया | मांगपत्र का प्रस्ताव, प्रारंभिक अनुमानों का निर्माण, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, एन.आई.टी. एवं कार्य आदेश की अंतिम नियुक्ति, समझौता, सुविधाओं के प्रबंधन, रखरखाव संचालन और संबंधित सेवा मॉड्यूल की उप प्रक्रियाएं | <ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्य करने की विधि के बारे में जानकारी का अभाव ➤ मॉड्यूल के चलने में आई समस्या का निराकरण न होना। ➤ बजट शीर्षक का काम न करना, तकनीकी कारण ➤ वित्त व एच.आर. मॉड्यूल के साथ एकीकरण ना होना ➤ सर्वर की धीमी प्रतिक्रिया एवं डाटा हास। |
| 4. | आर. एंड डी. नियोजन पोर्टल | विभिन्न आर. एंड डी. परियोजनाओं की योजना एवं प्रबंधन, व्यवसाय विकास कार्य, तीन उपमॉड्यूलों के अंतर्गत क्रमशः नियोजना एवं प्रदर्शन प्रभाग (पी.पी.डी.), विज्ञान प्रसार इकाई (यू.एस.डी.), एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं | सी.बी.आर.आई., सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.पी., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.आई.एस.टी., | | अनुदानों की मांग, पंचवर्षीय योजनाएँ, परिणामी बजट, वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट, एन.एम.आई.टी.एल.आई., उप मॉड्यूलों क्रमशः पी.पी.डी., यू.एस.डी. एवं आई.एस.टी.ए.डी. के अंतर्गत व्यवसाय विकास | <ul style="list-style-type: none"> ➤ तकनीकी समस्याओं के चलते, ➤ डाटा हास ➤ प्रगति रिपोर्ट एवं समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किए जा सके। ➤ पोर्टल में परियोजनाएं बंद नहीं की जा सकीं। ➤ कार्य प्रवाह का असफल विन्यास |

| क्र.सं. | मॉड्यूल का नाम | मॉड्यूल के विकास का कारण | उस प्रयोगशाला का नाम जहां मॉड्यूल अकार्यरत था। | मॉड्यूल की अविकसित प्रक्रियाओं का नाम | ऐसी विकसित प्रक्रियाओं का नाम जो विकसित थीं परंतु उपयोग में नहीं। | मॉड्यूल के अकार्यरत/अनुपयोगी होने के कारण। |
|---------|----------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| | | प्रौद्योगिकी मामलों के निदेशालय (आई.एस.टी.ए.डी.), के अंतर्गत सी.एस.आई.आर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संचालन | एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.एम.एल., एवं एन.पी.एल., (16 प्रयोगशालाएं) | | गतिविधियाँ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ मॉड्यूलों के एकीकरण में कमी। ➤ बजट विवरण अध्ययन नहीं किए जा सके। |
| 5. | पी.पी.एम. | कार्यात्मकताओं के प्रदर्शन जैसे कि विभिन्न समिति निर्माण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया एवं बैठक प्रबंधन, आर.टी.आई. एवं कानूनी मामलों की प्रक्रिया, एस.एस.बी. अवार्ड के लिए पोर्टल, ई-डाक एवं ई-फाइलिंग प्रक्रिया, नीतियों से संबंधित सभी मामलों की प्रक्रिया, विभिन्न अभिलेखों का रिकॉर्ड प्रबंधन एवं इलेक्ट्रॉनिक फाईल प्रबंधन | सी.बी.आर.आई., सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., सी.आर.आर.आई., सी.एस.आई.ओ., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.आई.एम., आई.आई.पी., आई.आई.टी.आर., आई.एम.एम.टी., एन.ए.एल., एन.बी.आर.आई., एन.सी.एल., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.ओ., एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.पी.एल., एवं एस.ई.आर.सी., (24 प्रयोगशालाएं) | रिकार्ड प्रबंधन प्रक्रिया | समिति निर्माण एवं बैठक प्रबंधन, आर.टी.आई. एवं कानूनी मामलों की प्रक्रिया, अवार्डस, ई-डाक एवं ई-फाइलिंग प्रक्रिया, नीति निर्माण एवं संशोधन, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण | <ul style="list-style-type: none"> ➤ पहुंच की धीमी गति। ➤ तकनीकी कारण ➤ डेटा हास ➤ मॉड्यूल का कार्यरत ना होना। |

अनुलग्नक-11.3

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.4 का संदर्भ लें।)

सितंबर 2019 तक छह चिन्हित प्रयोगशालाओं में ई.आर.पी. के लागू होने की स्थिति।

| क्र.सं. | प्रयोगशाला का नाम | ई.आर.पी. के पूर्णतया लागू होने की तिथि | ई.आर.पी. के कार्यरत मॉड्यूलों का नाम | कारण |
|---------|-------------------------|--|---|--|
| 1. | सी.ई.सी.आर.आई. कारईकुडी | जनवरी 2013 | आई.ई.एस.पी. के कुछ भाग के अलावा सभी। | वर्क मॉड्यूल लेनदेन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। हालांकि, बिलों को एम.पी.बी. के माध्यम से संसाधित किया गया था। |
| 2. | एन.एम.एल. जमशेदपुर | अगस्त 2013 | केवल एच.आर. एवं पी.पी.एम. आंशिक रूप से | सी.एस.आई.आर. द्वारा एफ.ए.एम. को लागू करने के निर्देश प्राप्त नहीं हुए। आर. एंड डी. मॉड्यूल में कई दिशा निर्देशों को समाहित किया जाना था। |
| 3. | एन.सी.एल. पुणे | अप्रैल 2013/ अप्रैल 2014 | आंशिक रूप से एच.आर. एवं एफ.ए. के अलावा सभी। | एफ.ए.एम. के साथ साथ नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया गया। कर्मचारियों के वेतन बिल डाटा ई.आर.पी. में शुरू से ही शामिल नहीं किए गए। |
| 4. | एस.ई.आर.सी. चेन्नई | जून 2013 | आर. एंड डी., एच.आर., एवं आई.ई.एस.पी. आंशिक रूप से | केवल वेतन बिल स्थिति को लागू किया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। पिछले एक वर्ष में ई.आर.पी. के माध्यम से कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। परियोजना विवरणों की अद्यतन प्रक्रिया प्रगति पर थी। |
| 5. | एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर | लागू नहीं किया गया | कोई नहीं | कार्यात्मकताओं के बीच सहज एकीकरण संभव नहीं था। सॉफ्टवेयर कार्य करने की गति बहुत खराब थी। सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। |
| 6. | आई.एम.टेक, चंडीगढ़ | एच.आर.- जनवरी 2012 एफ.ए.- अप्रैल 2017 | आर. एंड डी. एवं ई-अधिगम पूर्ण रूप से एवं पी.पी.एम. आंशिक रूप से | संसाधन काफी बड़ा था, उपयोगकर्ता के अनुरूप नहीं था, बहुत सारी खामियाँ, अत्यधिक समय लगना, पुनरावृत्ति एवं जटिल था। |

अनुलग्नक-11.4

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.4 का संदर्भ लें)

सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में इनहाउस/वेंडर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर

| क्र. सं. | प्रयोगशाला का नाम | सिस्टम का नाम | विकसित किया गया | विकसित करने का प्रयोजन | ई.आर.पी. में विकसित प्रक्रिया |
|----------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--|---|
| 1. | एन.सी.एल. | ऑनलाईन व्यक्तिगत सूची | इन-हाउस रूप में विकसित | व्यक्तिगत सूची का रिकॉर्ड रखना | एच.आर.मॉड्यूल |
| | | मांगपत्र प्रबंधन प्रणाली | | मांग पत्र का निर्माण एवं प्रसंस्करण | आई.ई.एस.पी. मॉड्यूल |
| | | वित्त-ई.एम.आई.एस. | | एफ.वी.सी. एवं भुगतान | एफ.ए. मॉड्यूल |
| | | वाहन मांग प्रणाली | | परिवहन मांग | एच.आर.मॉड्यूल |
| | | भर्ती | | भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन | एच.आर.मॉड्यूल |
| | | डी.आर.आर. सिस्टम | | स्टोर के लिए दैनिक पावती रजिस्टर | आई.ई.एस.पी.मॉड्यूल |
| | | सुविधा प्रबंधन बुकिंग | | सभागार, लेक्चर हॉल की बुकिंग | एच.आर.मॉड्यूल |
| | | परियोजना प्रबंधन | | परियोजना प्रबंधन | आर. एंड डी. मॉड्यूल |
| | | चालान प्रणाली | | चालान का निर्माण | आई.ई.एस.पी. मॉड्यूल |
| 2. | आई.एम.एम.टी. | सी.एस.आई.आर.-आई.एम.एम.टी. इंटरनेट | इन हाउस विकसित | ओ.एम. का कोष, नोटिस, परिपत्र, आदि, इन हाउस परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन, विभिन्न कार्यक्रमों की तस्वीरों का कोष, शिकायत प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रोफाइल अद्यतन | पी.पी.एम., एच.आर. एवं आर. एंड डी. मॉड्यूल |
| | | अतिथि गृह बुकिंग | | ऑनलाईन अतिथि गृह का अनुरोध एवं कमरों का प्रबंधन | एच.आर. मॉड्यूल |
| | | ऑनलाईन भर्ती पोर्टल | | भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन | एच.आर. मॉड्यूल |

| क्र. सं. | प्रयोगशाला का नाम | सिस्टम का नाम | विकसित किया गया | विकसित करने का प्रयोजन | ई.आर.पी. में विकसित प्रक्रिया |
|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 3. | सी.ई.सी.आर.आई. | ऑनलाईन भर्ती पोर्टल | इन हाउस विकसित | भर्ती हेतु | एच.आर. मॉड्यूल |
| | | बी.टेक. में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल | | बी.टेक में प्रवेश हेतु | एच.आर. मॉड्यूल |
| | | सम्मेलन प्रबंधन हेतु | | सम्मेलन में शोध पत्रों के ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण हेतु | आर. एंड डी. मॉड्यूल |
| 4. | सी.आई.एम.ए.पी. | इंटरनेट | आई.सी.टी. टीम इन हाउस विकसित | संस्थान के कर्मचारियों, शोधकर्ताओं के लिए अधिकारिक प्रोफोमा, जापन, एम.ओ.एम., इत्यादि का डिजीटल भंडार। | एच.आर. एवं आर. एंड डी. मॉड्यूल |
| | | स्टाफ का बायोडाटा खाते | | स्टाफ की डिजीटल प्रोफाइल | एच.आर. मॉड्यूल |
| | | दौरे एवं अग्रिम | | वाउचर इंट्री, चेक जारी करने एवं स्थिति के लिए ऑनलाईन पोर्टल | आई.ई.एस.पी. मॉड्यूल |
| | | ऑनलाईन मांग पत्र सॉफ्टवेयर | | संस्थान के कर्मचारियों और शोधकर्ताओं को दौरे की ऑनलाइन बुकिंग और अग्रिमों के लिए पोर्टल | एच.आर. मॉड्यूल |
| | | केंद्रीय साधन सुविधा केंद्र | | मांग पत्र हेतु | आई.ई.एस.पी. मॉड्यूल |
| | | | | वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं हेतु संस्थागत विश्लेषणात्मक उपकरण बुक करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल | आर. एंड डी. मॉड्यूल |
| 5. | सी.एफ.टी.आर.आई. | एम.ई.सी.ओ.एन. | एम.ई.सी.ओ.एन. | क्रय गतिविधियों एवं भंडारण हेतु | आई.ई.एस.पी. मॉड्यूल |
| | | मांग पत्र प्रबंधन प्रणाली | सी.एफ.टी.आर.आई. | सी.एन.पी., जी.ए.पी., एम.एल.पी. आदि परियोजनाओं के वेब प्रबंधन एवं बजट आवंटन हेतु केंद्रीय बेव आधारित सॉफ्टवेयर | आर. एंड डी. मॉड्यूल |

| क्रं. सं. | प्रयोगशाला का नाम | सिस्टम का नाम | विकसित किया गया | विकसित करने का प्रयोजन | ई.आर.पी. में विकसित प्रक्रिया |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--|-------------------------------|
| 6. | एन.आई.ओ. | लोटस नोट्स | इन हाउस | यात्रा, अवकाश क्रय, टेलीफोन प्रतिपूर्ति, सी.ई.ए., वाहन बुकिंग, पंजीकरण शुल्क आदि के प्रबंधन हेतु। | एच.आर. मॉड्यूल |
| | | लोटस नोट्स | | परियोजना प्रबंधन (वित्त पोषित परियोजनाओं का निर्माण, परियोजना रिपोर्ट समीक्षा, रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण, मानदेय वितरण, प्रोद्योगिकी हस्तांतरण का विवरण, चालान का निर्माण, टी.डी.एस. विवरण) | आर. एंड डी. मॉड्यूल |
| 7. | आई.एम.टेक | कंपास | टी.सी.एस. (₹10 लाख) | स्टोर एवं क्रय हेतु | आई.ई.एस.पी. मॉड्यूल |

अनुलग्नक 11.5

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.5 (ए) का संदर्भ लें)

एच.आर. मॉड्यूल की समस्याएँ

| प्रक्रिया | लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ | टिप्पणियाँ |
|-----------|--|--|
| एच.बी.ए. | <p>(i) तीन प्रयोगशालाओं द्वारा सात एप्लिकेशन बनाए गए थे जिनमें से केवल एक एप्लिकेशन पर इस सिस्टम द्वारा काम किया गया।</p> <p>(ii) उप-प्रक्रिया को छठवें सी.पी.सी. के मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया था जिसे सातवें सी.पी.सी. के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया था। इस तरह, एच.बी.ए. मामलों पर कार्य मैनुअल रूप से किया जा रहा था।</p> | <p>सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि एच.बी.ए. आवेदनों को ऑनलाईन रूप से ग्रहण करने एवं कार्य करने की विकसित प्रक्रिया काम कर रही थी, परंतु कम खरीददार होने के चलते, प्रयोगशालाओं द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। तथ्य यह रहा कि एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रक्रिया का निर्माण छठवें सी.पी.सी. के अनुसार किया गया था जिसे सातवें सी.पी.सी. के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया।</p> |
| अवकाश | <p>(i) केवल तीन तरह के अवकाश सी.एल, आर.एच. एवं ई.एल. (आंशिक) को ही ई.आर.पी. के माध्यम से लागू किया जा सका। अन्य तरह के अवकाशों¹ हेतु (एस.एल., एम.एल, पी.एल. आदि) कर्मचारियों को निदेशक से मैनुअल अनुमोदन लेना पड़ा क्योंकि प्रक्रिया प्रवाह को निदेशक स्तर तक नहीं ले जाया गया था।</p> <p>(ii) सर्विस बुक के अनुसार कई कर्मचारियों का ई.एल. शेष ई.आर.पी. से निकली रिपोर्ट से मेल नहीं खाता था। असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) को संसाधित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सिस्टम ई.ओ.एल. के अनुरूप ई.एल. खाते से 1/10 भाग स्वयं से काटने में असमर्थ था। सिस्टम ने ई.एल. के साथ संयोजन में</p> | <p>(i) सी.एस.आई.आर. ने प्रक्रिया प्रवाह को निदेशक स्तर तक मैप करने के लिए बग को ठीक नहीं किया।</p> <p>(ii) सी.एस.आई.आर. ने बताया कि (नवंबर 2020) ई.एल. डेटा सी.ई.सी.आर.आई. में केवल ई.आर.पी. में रखा जाता है तथा कागजी आवेदन बंद किए जाने के कारण वहीं से सेवा पुस्तिका में लिया जाता है। प्रयोगशालाओं में जहां दोहरे सिस्टम को अपनाया गया था यानी ई.आर.पी. और पेपर एप्लीकेशन दोनों, छुट्टी बेमेल ई.आर.पी. आवेदन अंत से अंत तक प्रसंस्करण नहीं होने के कारण था। सी.एस.आई.आर.</p> |

¹ परिवर्तित अवकाश, मातृत्व/ पितृत्व अवकाश

| प्रक्रिया | लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ | टिप्पणियाँ |
|-------------------------|--|---|
| | ई.ओ.एल. के लिए आवेदन करने की अनुमति भी नहीं दी। (iii) 'datLeaveTransactions' डेटा बेस के 15,01,432 रिकार्ड्स ² के विश्लेषण से पता चला कि 15,00,838 केसों में अवकाश अवधि काल की गलत गणना की गई थी। 11 मामलों में अवकाश की तारीखे सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की पाई गई। 557 मामलों में 'Leavetype ID' '0' दिखा रहा था जो कि तार्किक रूप से गलत है। | ने यह भी बताया कि ई.ओ.एल. आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा तथा बग भी ठीक किए जाएंगे। (iii) सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि कुछ परीक्षण मामले जो सेवानिवृत्ति के बाद तक चले गए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह डेटा बग ठीक होने के पहले बना था। उपयोगकर्ता के स्थान पर नेटवर्क डिस्कनेक्शन के कारण 'Leave type id' '0' दिखा रहा था। तथ्य यह है कि कई मामलों में गलतियाँ मौजूद थी। |
| पारिवारिक विवरण | 'datEmployeeFamilyDetail' डेटाबेस के 85,876 रिकॉर्ड्स (18,684 सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रित पारिवारिक सदस्यों सहित) के विश्लेषण में पता चला कि- (i) 6,135 आश्रितों के संदर्भ में अनिवार्य वैवाहिक स्थिति तथा 82,586 मामलों में वार्षिक आय का वर्णन नहीं किया गया था। (ii) 3,136 कर्मचारियों (17 प्रतिशत) के संदर्भ में दो से अधिक जीवित बच्चे पारिवारिक सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, परंतु उनकी जन्म दिनांक का वर्णन नहीं किया गया था। | (i) सी.एस.आई.आर. ने बताया कि (नवंबर 2020) कि 6,135 आश्रितों की अनिवार्य वैवाहिक स्थिति प्रयोगशालाओं द्वारा डेटा की अनुपलब्धता के कारण दर्ज नहीं की गई एवं उन्हें अद्यतन कर दिया जाएगा। (ii) सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि केवल रिकॉर्ड के लिए सभी बच्चों की प्रविष्टि की गई है। चिकित्सा तथा एल.टी.सी. के लिए आश्रितों के सत्यापन से संबंधित अलग प्रक्रिया है। |
| कर्मचारी डेटाबेस | 'datEmployee' तालिका की जांच में पता चला कि 22,740 मामलों में से 2,704 मामलों में लिंग आई.डी. को '0' दिखाया गया जो कि परिभाषा सारणी में भी वर्णित नहीं थी तथा 3,620 मामलों में अनिवार्य क्षेत्र 'राष्ट्रीयता' का भी वर्णन नहीं था। | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि यह सेवा पुस्तिका व्यवस्थापक द्वारा अद्यतन न करने की वजह से हुआ, जिसे कि कर दिया जाएगा। |

² टेस्ट डेटा सहित।

| प्रक्रिया | लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ | टिप्पणियाँ |
|-----------|---|---|
| एल.टी.सी. | <p>'datLTCApplications' तालिका में 10,007 रिकॉर्ड्स थे जिनमें से 286 संसाधित डेटा थे (सितंबर 2019 तक)। विश्लेषण से पता चला कि:-</p> <p>(i) गृह नगर, जे. एंड के. क्षेत्र, उ.पू. क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार के लिए चार अलग आई.डी. बनाई गई थी। हालांकि, जिन क्षेत्रों का दौरा किया गया था उनकी परिभाषित आई.डी अनुसार मैपिंग नहीं की गई थी। इस तरह दौरे किए गए स्थान परिभाषा³ से मेल नहीं खाते।</p> <p>(ii) एक साल ब्लॉक के मामलों में, सिस्टम ने विस्तारित वर्षों के दौरान एल.टी.सी. लेने की छूट दी जो कि एल.टी.सी. नियमों⁴ के अनुसार नहीं था।</p> <p>(iii) 54 मामलों में, भले ही छुट्टी के नकदीकरण में भुगतान किया गया था, किंतु नकदीकरण क्षेत्र में कोई राशि नहीं दिखाई गई थी।</p> <p>(iv) 5 मामलों में, एल.टी.सी. ब्लॉक वर्ष आई.डी. '0' दिखाई गई जबकि ब्लॉक वर्ष की परिभाषा सारणी में इसका कोई वर्णन नहीं था।</p> <p>(v) 3 मामलों में, 'Applied by' क्षेत्र '0' दिखाया गया था।</p> <p>(vi) ब्लॉक वर्ष की आई.डी. एल.टी.सी. उद्देश्य आई.डी. के लिए सही से मैप नहीं की गई थी। 835 मामलों में गृहनगर के लिए एक वर्ष के ब्लॉक वर्ष के लिए दिखाई गई आई.डी. भारत में कहीं भी चार वर्ष के एल.टी.सी. उद्देश्य के लिए चयनित की जा सकती थी।</p> <p>(vii) चौथे एवं आठवें ब्लॉक वर्ष⁵ के अलावा किसी भी ब्लॉक वर्ष में भारत में कहीं</p> | <p>सी.एस.आई.आर. ने बताया कि बताए गए बग्स को ठीक किया जाएगा।</p> |

³ हैवलोक, वाराणसी, कोलकाता, पुणे को उ.पू. क्षेत्र में दिखाया गया था। नागरकोइल, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी को अंडमान निकोबार द्वीप में दिखाया गया था।

⁴ उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 के एक साल के ब्लॉक के लिए (ब्लॉक वर्ष आई.डी.-19), सिस्टम ने 2014 के वर्ष में 2 मामलों में एल.टी.सी. उद्देश्य के लिए छुट्टी की अनुमति दी। इसी तरह वर्ष 2017 के एक साल के ब्लॉक के लिए (ब्लॉक वर्ष आई.डी.-28) सिस्टम ने वर्ष 2018 एवं 2019 में एल.टी.सी. उद्देश्य के लिए छुट्टी की अनुमति दी।

| प्रक्रिया | लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ | टिप्पणियाँ |
|--------------------------------|--|---|
| | <p>भी एल.टी.सी. का लाभ उठाने से नए भर्ती हुए कर्मचारियों को रोकने के लिए सिस्टम की कोई सत्यापन जाँच नहीं थी।</p> <p>(viii) सिस्टम के माध्यम से एल.टी.सी. आवेदन के प्रसंस्करण नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने एक विशेष ब्लॉक वर्ष के लिए कई बार आवेदन किया।</p> | |
| समाचार पत्र प्रतिपूर्ति | <p>(i) कर्मचारी स्वयं सेवा (ई.एस.एस.) मैनुयू के अंतर्गत उन कर्मचारियों की समाचार पत्र पात्रता ₹ 500 दिखाई जिनकी असल पात्रता ₹ 850 थी अर्थात सिस्टम कर्मचारी के सेवा रिकार्ड से डेटा लेने में असमर्थ था।</p> <p>(ii) कर्मचारियों द्वारा उनके हक से अधिक मांग किए जाने पर सिस्टम स्वीकार्य मात्रा में प्रतिबंधित करने में असमर्थ था।</p> | सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) सत्यापन जांच अब शामिल कर ली गई है। |
| जी.पी.एफ. | <p>(i) सिस्टम ने कार/स्कूटर के क्रय हेतु 100 प्रतिशत जमा राशि के आहरण की स्वीकृति दी जो कि नियमों के विरुद्ध है।⁵</p> <p>(ii) सिस्टम ने वापसी योग्य आहरण के लिए किशतों की संख्या दर्ज किए बिना ही आवेदनों को सेव कर दिया।</p> <p>(iii) 419 पूर्ण वापसी योग्य जी.पी.एफ. आवेदनों में, किशतों की संख्या शून्य दिखाई गई, जिससे यह पता चलता है कि सिस्टम में वापसी योग्य जी.पी.एफ. आवेदन की सत्यापन जांच का विकल्प नहीं है।</p> <p>(iv) datGPFBroadsheet' सारणी को अद्यतन नहीं किया गया था। 98 प्रतिशत</p> | <p>सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि जी.पी.एफ. के आहरण के लिए व्यावसायिक नियम, किशतों की संख्या को सिस्टम में शामिल कर लिया गया है तथा बगस को भी ठीक कर लिया गया है।</p> <p>सी.एस.आ.आर. ने यह भी बताया कि जी.पी.एफ. रिकार्ड, जी.पी.एफ. खाता क्रमांक. तथा नामांकन विवरण भी चालू वित्त वर्ष में किए गए हैं। सी.एस.आई.आर. ने यह भी बताया कि जी.पी.एफ. आवेदनों पर काम मैनुयुअल रूप से तथा ऑनलाईन दोनों तरह से किया जा रहा है जिसे अब से केवल ऑनलाईन रूप में किया जाएगा।</p> |

⁵ डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 26 सितंबर 2014 आदेशानुसार नए भर्ती हुए कर्मचारी 4 वर्षों के ब्लॉक में 3 बार अपने परिवार के साथ अपने ग्रहनगर तथा चौथे वर्ष में पूरे भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा नए भर्ती हुए कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आने के बाद लागू होने वाले चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए उपलब्ध होगी।

⁶ जी.पी.एफ. नियम, 1960 के नियम 15 के अनुसार मोटर कार, मोटर साइकल एवं स्कूटर के क्रय हेतु आहरण राशि जी.पी.एफ. खाते की जमा राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

| प्रक्रिया | लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ | टिप्पणियाँ |
|------------------------|--|---|
| | <p>कर्मचारियों के संबंध में जी.पी.एफ. नामांकन सिस्टम में दर्ज नहीं किए गए थे। 50 मामलों में जी.पी.एफ. खाता क्रमांक दर्ज नहीं किए गए थे और चार एवं पांच मामलों में यह क्रमशः 'NA' व 'XXXX' दर्ज किया गया था।</p> <p>(v) 1,633 मामलों में, जी.पी.एफ. खाता क्रमांक एक से अधिक कर्मचारी के लिए आवंटित किया गया था। (दो से 19 कर्मचारियों तक)</p> <p>(vi) यद्यपि कर्मचारियों (प्रयोगशाला स्तर) ने जी.पी.एफ. के लिए सिस्टम के माध्यम से आवेदन किया था, परंतु भुगतान प्रयोगशाला में रखे गये जी.पी.एफ. ब्रॉडशीट के साथ सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में विसंगति के कारण डी.डी.ओ. द्वारा पारित बिलों के आधार पर किया गया था। यह जी.पी.एफ. बिलों को पास करने के लिए मैनुअल रिकार्ड्स पर निरंतर निर्भरता को इंगित करता है।</p> | |
| <p>वेतन बिल</p> | <p>वेतन बिलों के निर्माण के लिए विस्तृत अनिवार्य जानकारी आर. एंड डी. पोर्टल के एच.आर. मॉड्यूल, एफ.ए. मॉड्यूल तथा नियोजन एवं निष्पादन प्रभाग (पी.पी.डी.) से आती है। वांछित कार्यात्मकताओं (जैसे कि एच.आर. मॉड्यूल में वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, एफ.ए. मॉड्यूल में आयकर की गणना, विभिन्न वसूलियां, अनाधिकृत ई.ओ.एल. अवकाश के लिए वसूली आदि और पी.पी.डी. से वेतन एवं भत्तों के लिए विशिष्ट बजट आवंटन), को इन माड्यूलों से नहीं किया जा रहा था, इस अध्ययन जानकारी को मैनुअल रूप से दर्ज करके और बाद में भुगतान करने के लिए ई.आर.पी. सिस्टम का उपयोग करके वेतन बिल तैयार किए जा रहे थे। साथ ही ई.आर.पी. का ई.सी.एस. भुगतान सिस्टम के साथ कोई इंटरफेस नहीं था। इस तरह ई.आर.पी. सिस्टम में अंत से अंत तक वेतन बिलों के निर्माण के लिए कोई उपाय नहीं था।</p> | <p>सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि वेतन निर्धारण में काफी मैनुअल काम करना होता है इसलिए इसे स्वचालित नहीं किया जा सकता तथा बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के चलते ई.सी.एस. सिस्टम को लिंक नहीं किया जा सका। सी.एस.आई.आर. ने आगे बताया कि आयकर की गणना (स्वचालित) अगले वित्त वर्ष से की जाएगी।</p> |

अनुलग्नक-13.1

(पैराग्राफ 13.3.2 का संदर्भ लें)

डीपी द्वारा स्वीकार की गई दरों तथा एनएयू द्वारा निर्धारित दरों की तुलना

| क्र.सं. | वी.के. एण्ड सन्स वलसाड को आदेश दिए गए वृक्षों के नाम | डीपी सिलवासा द्वारा स्वीकृत दरें/वृक्ष (राशि ₹ में) | एनएयू द्वारा नियत दर/वृक्ष (राशि ₹ में) | दर अंतर/वृक्ष (राशि ₹ में) |
|---------|--|---|---|----------------------------|
| 1. | आम के पौधे (केसर, अल्फान्सो, राजापुरी एवं तोतापुरी) | 400 | 125 | 275 |
| 2. | चीकू | 200 | 100 | 100 |
| 3. | अमरूद | 250 | 20 | 230 |
| 4. | लिम्बू (नींबू) | 300 | 15 | 285 |
| 5. | सीताफल | 300 | 20 | 280 |
| 6. | नारियल | 350 | 50 | 300 |
| 7. | सफेद जम्बो | 300 | 20 | 280 |
| 8. | रामफल | 300 | 20 | 280 |
| 9. | काजू | 300 | 40 | 260 |

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ सं. 1.5 का संदर्भ लें)

2016-17 से 2018-19 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंत्रालय का नाम | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | कृषि | 48,997.61 | 55,971.04 | 58,107.41 |
| 2. | आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी | 1,292.60 | 2,034.72 | 2,049.44 |
| 3. | उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण | 1,47,333.84 | 1,60,517.15 | 1,21,334.53 |
| 4. | संस्कृति | 2,302.55 | 2,530.51 | 2,602.19 |
| 5. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास | 2,543.61 | 2,568.36 | 1,988.00 |
| 6. | परमाणु ऊर्जा विभाग | 18,238.40 | 20,067.60 | 23,303.40 |
| 7. | जैव-प्रौद्योगिकी विभाग | 1,895.50 | 2,231.40 | 2,379.10 |
| 8. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 4,325.60 | 4,635.20 | 5,047.84 |
| 9. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान विभाग | 4,051.70 | 4,618.80 | 4,568.78 |
| 10. | अंतरिक्ष विभाग | 8,040.00 | 9,130.60 | 11,192.66 |
| 11. | पेयजल तथा स्वच्छता | 26,475.66 | 27,338.77 | 23,802.80 |
| 12. | पृथ्वी-विज्ञान | 1,464.20 | 1,553.30 | 1,747.33 |
| 13. | पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन | 3,360.30 | 4,277.70 | 2,623.87 |
| 14. | विदेश | 12772.62 | 13,749.73 | 15,527.69 |
| 15. | वित्त (व्यय विभाग) | 285.00 | 224.47 | 288.61 |
| 16. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 716.97 | 685.83 | 719.16 |
| 17. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 40,407.08 | 84,704.43 | 81,859.17 |
| 18. | गृह (बिना विधानमंडल वाले यूटी सहित) | 81,310.12 | 1,03,666.29 | 1,15,188.16 |
| 19. | मानव संसाधन विकास | 91,673.04 | 1,12,615.16 | 1,17,031.90 |
| 20. | सूचना एवं प्रसारण | 3,978.30 | 3,487.62 | 4,003.28 |
| 21. | श्रम तथा रोजगार | 5,313.31 | 6,528.57 | 9,291.23 |
| 22. | विधि तथा न्याय | 3,851.01 | 4,567.13 | 6,242.84 |
| 23. | अल्पसंख्यक मामले | 3,049.15 | 4,139.31 | 3,853.02 |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्र.सं. | मंत्रालय का नाम | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24. | नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा | 7,754.10 | 7,456.20 | 4,477.80 |
| 25. | पंचायती राज | 673.98 | 700.29 | 686.18 |
| 26. | संसदीय कार्य | 17.09 | 17.11 | 16.39 |
| 27. | कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन | 1,279.12 | 1,563.59 | 1,460.26 |
| 28. | योजना | 225.69 | 258.95 | 458.93 |
| 29. | राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय तथा चुनाव आयोग | 1,368.20 | 1,250.34 | 1,670.63 |
| 30. | ग्रामीण विकास | 1,57,952.27 | 1,80,407.77 | 1,86,701.98 |
| 31. | कौशल विकास तथा उद्यमिता | 1,553.09 | 2,198.01 | 2,619.01 |
| 32. | सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण | 7,305.78 | 7,682.83 | 11,088.32 |
| 33. | सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन | 4,270.84 | 4,302.07 | 4,897.11 |
| 34. | जनजातीय मामले | 4,822.29 | 5,317.79 | 5,994.58 |
| 35. | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण | 6,427.30 | 6,054.90 | 7,457.92 |
| 36. | महिला तथा बाल विकास | 17,097.61 | 20,520.45 | 23,034.34 |
| 37. | युवा मामले तथा खेल | 1,576.20 | 1,722.71 | 1,847.89 |
| कुल | | 7,38,280.02 | 8,71,296.68 | 8,67,163.77 |

स्रोत:- संघ सरकार-विनियोजन लेखे (सिविल) 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ सं.1.7का संदर्भ लें)

2018-19 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदान (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14, 19(2) तथा 20(1) के तहत)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|---|-------------------------------------|
| | कृषि | |
| 1. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली | 7,564.82 |
| 2. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली | 203.36 |
| 3. | पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली | 17.03 |
| | परमाणु ऊर्जा | |
| 4. | टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई | 362.98 |
| 5. | टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई | 687.62 |
| 6. | परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई | 95.00 |
| 7. | प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर | 645.65 |
| 8. | होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई | 2.08 |
| 9. | हरिश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद | 27.09 |
| 10. | गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई | 52.14 |
| 11. | भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर | 33.60 |
| 12. | साह नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता | 113.79 |
| 13. | राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर | 88.50 |
| 14. | चेन्नई गणितीय संस्थान | 12.00 |
| | आयुष | |
| 15. | केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली | 30.49 |
| 16. | केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली | 3.69 |
| 17. | भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय औषधि परिषद्, नई दिल्ली | 4.85 |
| 18. | राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली | 9.48 |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|--|-------------------------------------|
| 19. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 109.13 |
| 20. | केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 130.50 |
| 21. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 276.40 |
| 22. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली | 16.34 |
| 23. | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली | 47.27 |
| | जैव प्रौद्योगिकी | |
| 24. | राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली | 73.50 |
| 25. | राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे | 61.50 |
| 26. | डीएनए फिंगर प्रिंट एवं निदान केन्द्र, हैदराबाद | 43.00 |
| 27. | राष्ट्रीय मस्तिक अनुसंधान केन्द्र, गुडगांव | 45.00 |
| 28. | राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | 38.00 |
| 29. | जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, इम्फाल | 27.40 |
| 30. | जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर | 53.60 |
| 31. | ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद | 41.90 |
| 32. | राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम | 85.20 |
| 33. | राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी | 26.50 |
| 34. | क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद | 33.90 |
| 35. | राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली | 31.40 |
| 36. | स्टेम सैल अनुसंधान एवं पुनर्योजी औषधि संस्थान, बेंगलुरु | 82.00 |
| 37. | राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद | 53.50 |
| 38. | नवाचार एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केन्द्र, मोहाली | 12.50 |
| 39. | आनुवांशिकी अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी अंतराष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली | 38.60 |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|---|-------------------------------------|
| | उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक संवितरण | |
| 40. | भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली | 7.61 |
| 41. | भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली | 2.00 |
| | संस्कृति | |
| 42. | राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली | 19.50 |
| 43. | नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली | 18.49 |
| 44. | साहित्य अकादमी, नई दिल्ली | 37.72 |
| 45. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली | 63.03 |
| 46. | अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली | 4.45 |
| 47. | गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली | 14.95 |
| 48. | तिब्बत हाउस, नई दिल्ली | 1.50 |
| 49. | सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली | 25.07 |
| 50. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली | 39.44 |
| 51. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली | 66.91 |
| 52. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली | 68.55 |
| 53. | राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली | 28.39 |
| | पृथ्वी विज्ञान | |
| 54. | राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा | 239.44 |
| 55. | भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे | 239.18 |
| 56. | भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवाए केन्द्र, हैदराबाद | 113.47 |
| 57. | पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम | 44.11 |
| 58. | राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई | 294.24 |
| | दिव्यांगजन सशक्तिकरण | |
| 59. | भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र | 4.85 |
| | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन | |
| 60. | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई | 19.00 |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|--|-------------------------------------|
| 61. | केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण | 12.00 |
| 62. | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण | 9.86 |
| 63. | भारतीय वन्यजीव संस्थान | 33.00 |
| | विदेश | |
| 64. | भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली | 235.00 |
| 65. | विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली | 11.87 |
| 66. | दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 306.29 |
| | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | |
| 67. | भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली | 0.79 |
| 68. | भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली | 0.30 |
| 69. | भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली | 0.20 |
| 70. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली | 1.00 |
| 71. | एआईआईएमएस (एम्स), नई दिल्ली | 3,234.74 |
| 72. | राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली | अंतिम एसएआर जारी नहीं |
| 73. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 1,447.85 |
| 74. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली | 64.85 |
| 75. | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली | 257.05 |
| | गृह | |
| 76. | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली | 45.92 |
| 77. | भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली | 163.96 |
| | मानव संसाधन विकास | |
| 78. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (परिषद) नई दिल्ली | 706.54 |
| 79. | केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली | 66.00 |
| 80. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 18.75 |
| 81. | भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 16.01 |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|---|-------------------------------------|
| 82. | भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 124.58 |
| 83. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 82.09 |
| 84. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली | 631.29 |
| 85. | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | 365.95 |
| 86. | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 376.46 |
| 87. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली | 5,006.75 |
| 88. | राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली | 18.75 |
| 89. | राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली | 51.30 |
| 90. | राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली | 283.54 |
| 91. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली | 3.75 |
| 92. | राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली | 4.23 |
| 93. | राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली | 70.40 |
| 94. | राष्ट्रीय शिक्षण योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली | 31.84 |
| 95. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली | 61.70 |
| 96. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली | 214.38 |
| 97. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली | 55.14 |
| 98. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली | 54.38 |
| 99. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली | 11,368.20 |
| 100. | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 531.24 |
| | सूचना एवं प्रसारण | |
| 101. | प्रसार भारती, नई दिल्ली | 3,101.26 |
| 102. | भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली | 6.15 |
| | विधि एवं न्यास | |
| 103. | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली | 155.69 |
| | अल्पसंख्यक कार्य | |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|--|-------------------------------------|
| 104. | केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली | 14.95 |
| | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | |
| 105. | राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला | 01.00 |
| 106. | राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम | 18.00 |
| | ग्रामीण विकास | |
| 107. | लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद | 16.34 |
| | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | |
| 108. | भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली | 4.72 |
| 109. | राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली | 16.23 |
| 110. | पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान | 42.72 |
| 111. | राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग | 22.91 |
| | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान | |
| 112. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, | 4,521.28 |
| | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | |
| 113. | आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे | 22.30 |
| 114. | आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल | 23.36 |
| 115. | बोस संस्थान, कोलकाता | 102.35 |
| 116. | बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ | 43.85 |
| 117. | नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र, बेंगलूरु | 13.12 |
| 118. | इण्डियन एसोसियेशन फार कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता | 120.93 |
| 119. | भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलूरु | 72.31 |
| 120. | भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, मुम्बई | 46.60 |
| 121. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी | 35.46 |
| 122. | नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली | 69.75 |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|--|-------------------------------------|
| 123. | इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद | 55.76 |
| 124. | जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलूरु | 87.40 |
| 125. | रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु | 51.38 |
| 126. | श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम | 199.31 |
| 127. | एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केन्द्र, कोलकाता | 37.47 |
| 128. | वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून | 27.46 |
| 129. | राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद | 19.65 |
| 130. | प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद, नई दिल्ली | 17.10 |
| 131. | विज्ञान प्रसार, नोएडा | 31.43 |
| 132. | भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलूरु | 13.16 |
| 133. | भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, गुरुग्राम | 3.26 |
| 134. | भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली | 23.36 |
| 135. | भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता | 6.60 |
| 136. | राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद | 16.62 |
| | कौशल विकास एवं उद्यमशीलता | |
| 137. | राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण | 15.00 |
| | अंतरिक्ष | |
| 138. | भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद | 177.26 |
| 139. | राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी | 54.50 |
| 140. | उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलांग | 39.99 |
| 141. | सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चण्डीगढ़ | 327.16 |
| 142. | भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम | 81.21 |

| क्र.सं. | केन्द्रीय स्वायत्त निकाय | 2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान |
|---------|--|-------------------------------------|
| | कौशल विकास एवं उद्यमशीलता | |
| 143. | राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण | 15.00 |
| | जल संसाधन, नदी विकास एवं जल संरक्षण | |
| 144. | गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड | 2.81 |
| 145. | कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड | 5.72 |
| 146. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | 2,307.50 |
| 147. | बेतवा नदी बोर्ड, झांसी | 31.00 |
| 148. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी | 88.92 |
| 149. | नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर | 6.63 |
| 150. | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली | 78.14 |
| | महिला एवं बाल विकास | |
| 151. | केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण | 8.47 |
| 152. | राष्ट्रीय महिला आयोग | 22.91 |
| 153. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग | 15.83 |
| | युवा कार्यक्रम एवं खेल | |
| 154. | नेहरू युवा केन्द्र संगठन | 349.20 |
| 155. | राष्ट्रीय खेल विकास निधि | 143.10 |
| 156. | राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला | 7.50 |
| 157. | भारतीय खेल प्राधिकरण | 899.07 |
| | कुल | 52,337.24 |

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ सं.1.8 का संदर्भ लेें)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक) | मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे | राशि |
|---------|---|--|--|--------------------|
| 1. | संस्कृति मंत्रालय | मार्च 2012 तक | 2,515 | 19,460.64 |
| | | 2012-2017 | 1,771 | 37,039.48 |
| | | 2017-18 | 29 | 665.89 |
| | | कुल | 4,315 | 57,166.01 |
| 2. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | मार्च 2012 तक | 3,671 | 13,400.24 |
| | | 2012-2017 | 347 | 17,919.85 |
| | | 2017-18 | 139 | 27,597.21 |
| | | कुल | 4,157 | 58,917.30 |
| 3. | जनजातीय कार्य मंत्रालय | मार्च 2012 तक | 47 | 555.87 |
| | | 2012-2016 | 226 | 86,868.51 |
| | | 2016-18 | 186 | 69,778.05 |
| | | कुल | 459 | 1,57,202.43 |
| 4. | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | मार्च 2012 तक | 6 | 1,685.25 |
| | | 2012-2017 | 17 | 5,201.10 |
| | | 2017-18 | 1 | 412.00 |
| | | कुल | 24 | 7,298.35 |
| 5. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | मार्च 2012 तक | 1,377 | 16,317.51 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक) | मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे | राशि |
|---------|--|--|--|------------------|
| | मंत्रालय | 2012-2017 | 533 | 16,522.09 |
| | | 2017-18 | 103 | 29,585.82 |
| | | कुल | 2,013 | 62,425.42 |
| | | | | |
| 6. | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | मार्च 2012 तक | 8 | 2.25 |
| | | 2012-2017 | 37 | 135.3 |
| | | 2017-18 | 14 | 163.14 |
| | | कुल | 59 | 300.69 |
| | | | | |
| | गृह मंत्रालय | | | |
| | एलडब्ल्यूई प्रभाग | | | |
| 7. | जब्त पुलिस स्टेशनों का मजबूत निर्माण-योजना | मार्च 2012 तक | 0 | 0 |
| | | 2012-2017 | 5 | 1,085.00 |
| | | 2017-18 | 0 | 0 |
| | | कुल | 5 | 1,085.00 |
| | विशेष अवसंरचना योजना | मार्च 2012 तक | 7 | 931.51 |
| | | 2012-2017 | 0 | 0 |
| | | 2017-18 | 0 | 0 |
| | | कुल | 7 | 931.51 |
| | स्वापक नियंत्रण ब्यूरो | मार्च 2012 तक | 9 | 173.43 |
| | | 2012-2017 | 29 | 385.20 |
| | | 2017-18 | 15 | 368.11 |
| | | कुल | 53 | 926.74 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक) | मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे | राशि |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| वैज्ञानिक विभाग | | | | |
| 8. | परमाणु ऊर्जा विभाग | मार्च 2012 तक | 241 | 1,327.97 |
| | | 2012-2017 | 1,427 | 16,045.46 |
| | | 2017-18 | 229 | 3,760.17 |
| | | कुल | 1,897 | 21,132.60 |
| 9. | अंतरिक्ष विभाग | मार्च 2012 तक | 131 | 415.25 |
| | | 2012-2017 | 161 | 648.52 |
| | | 2017-18 | 168 | 1,794.30 |
| | | कुल | 460 | 2858.07 |
| 10. | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | मार्च 2012 तक | 9,521 | 2,93,875.00 |
| | | 2012-2017 | 13,892 | 3,22,333.00 |
| | | 2017-18 | 5,424 | 1,12,523.00 |
| | | कुल | 28,837 | 7,28,731.00 |
| 11. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | मार्च 2012 तक | 19,292 | 4,11,069.33 |
| | | 2012-2017 | 20,117 | 3,87,076.00 |
| | | 2017-18 | 6,641 | 1,63,674.00 |
| | | कुल | 46,050 | 9,61,819.33 |
| 12. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग | मार्च 2012 तक | 1,213 | 4,66,025.00 |
| | | 2012-2017 | 1,636 | 11,82,044.00 |
| | | 2017-18 | 199 | 2,258.00 |
| | | कुल | 3,048 | 16,50,327.00 |
| 13. | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | मार्च 2012 तक | 460 | 3,655.20 |
| | | 2012-2017 | 156 | 2,343.87 |
| | | 2017-18 | 19 | 1,22.70 |
| | | कुल | 635 | 6,120.77 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक) | मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे | राशि |
|---------|----------------------------------|--|--|--------------|
| 14. | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | मार्च 2012 तक | 88 | 33.95 |
| | | 2012-2017 | 387 | 315.26 |
| | | 2017-18 | 126 | 627.26 |
| | | कुल | 601 | 976.47 |
| कुल योग | | | 92,620 | 3,718,220.69 |

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ सं. 1.9 (ए) का संदर्भ लें)

निकायों की सूची जिन्होंने तीन माह से अधिक के विलम्ब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखे प्रस्तुत करने की तिथि | विलम्ब माह में |
|---------|--|----------------------------|----------------|
| 1. | तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई | 26.12.2018 | 5 |
| 2. | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल | 03.12.2018 | 5 |
| 3. | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर | 03.12.2018 | 5 |
| 4. | केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ, वाराणसी | 08.10.2018 | 3 |
| 5. | केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश | 11.10.2018 | 3 |
| 6. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल | 16.10.2018 | 3 |
| 7. | उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद | 04.12.2018 | 5 |
| 8. | भारत हज समिति, मुम्बई | 26.11.2018 | 4 |
| 9. | पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण | 04.12.2018 | 5 |
| 10. | राष्ट्रीय आरोग्य निधि | 25.10.2018 | 3 |
| 11. | पूर्वोत्तर लोक औषधि संस्थान, (एनईआईएफएम), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश | 18.12.2018 | 5 |
| 12. | केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 20.11.2018 | 4 |
| 13. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता | 16.11.2018 | 4 |
| 14. | भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद | 05.12.2018 | 5 |
| 15. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारत्ती | 31.10.2018 | 3 |
| 16. | भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 08.10.2018 | 3 |
| 17. | भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 04.12.2018 | 5 |
| 18. | भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली | 31.10.2018 | 3 |
| 19. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर | 11.10.2018 | 3 |
| 20. | राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली | 05.10.2018 | 3 |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखे प्रस्तुत करने की तिथि | विलम्ब माह में |
|---------|--|----------------------------|----------------|
| 21. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर | 29.10.2018 | 3 |
| 22. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोज़ीकोड, (कालिकट) | 30.10.2018 | 3 |
| 23. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम | 12.11.2018 | 4 |
| 24. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आइजोल, मिजोरम | 31.10.2018 | 3 |
| 25. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा | 05.10.2018 | 3 |
| 26. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली | 16.11.2018 | 4 |
| 27. | गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा | 09.11.2018 | 4 |
| 28. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना | 16.10.2018 | 3 |
| 29. | भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर | 15.10.2018 | 3 |
| 30. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति | 04.10.2018 | 3 |
| 31. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर | 26.10.2018 | 3 |
| 32. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक | 21.12.2018 | 5 |
| 33. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा | 24.10.2018 | 3 |
| 34. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर | 26.10.2018 | 3 |
| 35. | केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर | 18.12.2018 | 5 |
| 36. | राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर | 18.12.2018 | 5 |
| 37. | दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर | 12.12.2018 | 5 |
| 38. | प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली | 05.12.2018 | 5 |
| 39. | दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली | 13.11.2018 | 4 |
| 40. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली | 17.10.2018 | 3 |
| 41. | राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला | 26.12.2018 | 5 |
| 42. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम | 16.08.2019 | 13 |
| 43. | पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता | 04.02.2019 | 7 |
| 44. | भारतीय संग्रहालय, कोलकाता | 26.4.2019 | 9 |
| 45. | मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता | 01.01.2019 | 6 |
| 46. | राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली | 05.08.2019 | 13 |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखे प्रस्तुत करने की तिथि | विलम्ब माह में |
|---------|---|----------------------------|----------------|
| 47. | नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली | 11.03.2019 | 8 |
| 48. | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर | 07.01.2019 | 6 |
| 49. | दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर | 15.03.2019 | 8 |
| 50. | दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर | 07.01.2019 | 6 |
| 51. | विक्टोरिया स्मारक भवन, कोलकाता | 08.02.2019 | 7 |
| 52. | पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई | 02.04.2019 | 9 |
| 53. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग | 11.03.2019 | 8 |
| 54. | नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर, ए तथा एन द्वीपसमूह (2007-08 से आगे) (2013 में प्राप्त सुपुर्दगी) | 05.02.2019 | 7 |
| 55. | लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कावारत्ती | 05.03.2019 | 8 |
| 56. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 17.01.2019 | 6 |
| 57. | मणिपुर विश्वविद्यालय | 03.04.2019 | 9 |
| 58. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली | 13.03.2019 | 8 |
| 59. | राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली | 15.03.2019 | 8 |
| 60. | राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली | 03.05.2019 | 10 |
| 61. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई | 26.02.2019 | 7 |
| 62. | सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत | 29.04.2019 | 9 |
| 63. | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 04.04.2019 | 9 |
| 64. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम | 27.05.2019 | 10 |
| 65. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी | 09.07.2019 | 12 |
| 66. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई | 14.01.2019 | 6 |
| 67. | राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई | 21.03.2019 | 8 |
| 68. | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली | 07.02.2019 | 7 |
| 69. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली | 02.01.2019 | 6 |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखे प्रस्तुत करने की तिथि | विलम्ब माह में |
|---------|---|----------------------------|----------------|
| 70. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड | 12.02.2019 | 7 |
| 71. | राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल | 12.04.2019 | 9 |
| 72. | लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर | 06.02.2019 | 7 |
| 73. | भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली | 08.01.2019 | 6 |
| 74. | नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली | 21.06.2019 | 11 |
| 75. | राष्ट्रीय युवा विकास निधि, नई दिल्ली (अक्टूबर 2012 में प्राप्त सुपुर्दगी) | 14.01.2019 | 6 |
| 76. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर | 28.01.2019 | 6 |

परिशिष्ट-V

(पैराग्राफ सं. 1.9 (बी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लेखापरीक्षा लेखाओं को 31 दिसम्बर 2018 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---|--|
| वर्ष 2012-13 के लिए | |
| आयुष मंत्रालय | |
| 1. | तिब्बत हाउस |
| आयुष मंत्रालय | |
| 2. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग |
| वर्ष 2013-14 के लिए | |
| संस्कृति मंत्रालय | |
| 1. | तिब्बत हाउस |
| वर्ष 2014-15 के लिए | |
| आयुष मंत्रालय | |
| 1. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग |
| संस्कृति मंत्रालय | |
| 2. | तिब्बत हाउस |
| 3. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
| 4. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय | |
| 5. | गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड |
| 6. | कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड |
| वर्ष 2015-16 के लिए | |
| कृषि मंत्रालय | |
| 1. | भारतीय पशु चिकित्सा परिषद |
| आयुष मंत्रालय | |
| 2. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग |

| | |
|---|--|
| संस्कृति मंत्रालय | |
| 3. | तिब्बत हाउस |
| 4. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
| 5. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | |
| 6. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | |
| 7. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |
| वर्ष 2016-17 के लिए | |
| कृषि मंत्रालय | |
| 1. | तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई |
| आयुष मंत्रालय | |
| 2. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग |
| संस्कृति मंत्रालय | |
| 3. | मौलाना अबुल कलाम आजाद उच्च शिक्षा संस्थान |
| 4. | नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
| 5. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | |
| 6. | भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | |
| 7. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ |
| 8. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति |
| 9. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 10. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली |
| 11. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा |
| 12. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर |
| विधि एवं न्याय मंत्रालय | |
| 13. | राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल |
| युवा मामले एवं खेल मंत्रालय | |
| 14. | भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली |

| वर्ष 2017-18 के लिए | |
|--|---|
| कृषि मंत्रालय | |
| 1. | तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई |
| 2. | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल |
| 3. | रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी |
| संस्कृति मंत्रालय | |
| 4. | भारतीय संग्रहालय, कोलकाता |
| 5. | राष्ट्रीय संस्कृति निधि, दिल्ली |
| 6. | राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली |
| 7. | नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
| 8. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | |
| 9. | भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई |
| 10. | भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | |
| 11. | गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम |
| 12. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम |
| 13. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोज़ीकोड (कालिकट) |
| 14. | राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई |
| 15. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी |
| 16. | राष्ट्रीय शिक्षण योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 17. | मध्य प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (डा.हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर) |
| 18. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत |
| 19. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना |
| 20. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम |
| 21. | डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर |
| 22. | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार |
| 23. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | |
| 24. | भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक तथा कल्याण बोर्ड, एएनआई, कोलकाता |
| 25. | चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ |

| | |
|---|--|
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | |
| 26. | भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली |
| वस्त्र मंत्रालय | |
| 27. | वस्त्र उद्योग समिति, मुंबई |
| जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय | |
| 28. | गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड |
| 29. | कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड |
| युवा मामले एवं खेल मंत्रालय | |
| 30. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईआईडी), श्रीपेरुम्बुदूर |
| 31. | राष्ट्रीय खेल विकास निधि, दिल्ली |
| 32. | भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली |
| 33. | लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर |
| 34. | भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून |
| उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक विवरण विभाग | |
| 35. | भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) |
| 36. | भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली |

परिशिष्ट-VI

(पैराग्राफ सं. 1.9 (बी) का संदर्भ लें)

संसद में स्वायत्त निकायों द्वारा 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति में विलंब

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम | लेखाओं का वर्ष | विलंब माह में |
|---|---|----------------|---------------|
| संस्कृति मंत्रालय | | | |
| 1. | कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई | 2017-18 | 13 |
| 2. | राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता | 2017-18 | 7 |
| 3. | पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र, उदयपुर | 2017-18 | 1 |
| 4. | केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह | 2017-18 | 7 |
| 5. | तिब्बती कार्य एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला | 2017-18 | 7 |
| आयुष मंत्रालय | | | |
| 6. | भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद | 2017-18 | 7 |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | | |
| 7. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली | 2017-18 | 7 |
| 8. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | 2017-18 | 1 |
| 9. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे | 2017-18 | 1 |
| 10. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली | 2017-18 | 1 |
| 11. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर | 2017-18 | 7 |
| 12. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु | 2017-18 | 7 |
| 13. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु | 2017-18 | 1 |
| 14. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक | 2017-18 | 11 |
| 15. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी | 2017-18 | 7 |
| 16. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर | 2017-18 | 11 |
| 17. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी | 2017-18 | 7 |
| 18. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी उत्तराखण्ड | 2017-18 | 11 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | | |
| 19. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली | 2017-18 | 1 |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम | लेखाओ का वर्ष | विलंब माह में |
|---|--|---------------|---------------|
| विधि एवं न्याय मंत्रालय/न्याय विभाग | | | |
| 20. | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली | 2017-18 | 1 |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | | | |
| 21. | राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून | 2017-18 | 7 |
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | | | |
| 22. | राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई | 2017-18 | 7 |
| 23. | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली | 2017-18 | 7 |
| जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय | | | |
| 24. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी | 2017-18 | 1 |
| 25. | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली | 2017-18 | 5 |
| 26. | बेतवा नदी बोर्ड, झांसी | 2017-18 | 6 |
| 27. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली | 2017-18 | 11 |
| 28. | निर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर | 2017-18 | 6 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | | |
| 29. | श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम | 2017-18 | 1 |
| 30. | विज्ञान तथा अभियांत्रिकी बोर्ड, नई दिल्ली | 2017-18 | 1 |
| 31. | प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली | 2017-18 | 6 |
| 32. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 2017-18 | 20 |
| 33. | क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद | 2017-18 | 1 |

परिशिष्ट-VII

(पैराग्राफ सं. 1.10 का संदर्भ लें)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

सुरक्षित ऋण एवं उधार: शून्य

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण (एचईएफए) द्वारा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई), झज्जर के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय के रूप में ₹525.00 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया था। इसमें से ₹282.00 करोड़ की राशि एचईएफए द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान सीधे निष्पादन अभिकरणों अर्थात् मेसर्स एचएससीसी तथा मेसर्स एचआईटीइएस को जारी की गई थी। यह देखा गया था कि एम्स ने इस राशि को वर्ष 2018-19 के लेखे में शामिल नहीं किया है। इसका परिणाम सुरक्षित ऋण एवं उधार के साथ-साथ वर्तमान परिसम्पत्तियों (अग्रिमों) के ₹282.00 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

2. केन्द्रीय चिकित्सा सेवाएं समिति, नई दिल्ली

अर्जित ब्याज (अनुसूची-17): ₹61.82 करोड़

उपरोक्त में मंत्रालय/विभाग से विभिन्न दवाईयों की खरीद हेतु प्राप्त अग्रिमों से अर्जित कुल ₹59.60 करोड़ का ब्याज शामिल था। चूंकि उपरोक्त अर्जित ब्याज मंत्रालय/विभाग से संबंधित है इसलिए इसे तुलना पत्र में वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाना था। इसका परिणाम ₹59.60 करोड़ तक आय को अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं (मंत्रालय को वापसी योग्य राशि) के कम बताए जाने में हुआ है।

3. भारतीय वन्यजीव संस्थान

चिन्हित निधियां: ₹2.57 करोड़

इस अनुसूची में प्रायोजित परियोजनाओं से संबंधित शेष तथा संव्यवहार (अथ शेष ₹25 करोड़, प्राप्तियां ₹89.43 करोड़, भुगतान ₹75.13 करोड़ तथा अंत शेष ₹39.30 करोड़) शामिल नहीं थे। इसका परिणाम चिन्हित निधियों तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों के ₹39.30 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

4. विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹88.55 करोड़

उपरोक्त को ₹82.57 करोड़ तक अधिक बताया गया है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त अनुदानों, विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों से प्राप्त अनुदानों की वापसियां तथा बैंक शेषों पर ब्याज से बचतों की राशि है जो मंत्रालय को वापसी योग्य थी। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधान के उसी राशि तक कम बताए जाने में भी हुआ है।

5. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान: ₹15863.54 करोड़

(ए) बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए जमा: ₹1841.24 करोड़

पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का किसी भी 11 नमूना प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने पालन नहीं किया और वे पूर्व की प्रथा को ही अभी भी पालन कर रहे थे। परिणामस्वरूप उनके द्वारा बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में से किए गए कुल ₹57.52 करोड़ के अग्रिम के भुगतान को अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने अपनी लेखा बहियों में कुल ₹33.20 करोड़ के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया था जो उन्हें बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं की निधियों में से किए गए सावधि जमा (साख पत्र खोलने हेतु मार्जिन राशि में जमा सहित) पर अर्जित हुआ था।

इसका परिणाम बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रति वर्तमान देयताओं के साथ-साथ वर्तमान परिसम्पत्तियों के ₹90.72 करोड़ प्रत्येक तक कम बताए जाने में हुआ है।

(बी) सरकारी अनुदान के प्रति देयताएं

सीएसआईआर-ईएमआर सहित ग्यारह प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने सहायता अनुदान के अव्ययित भाग तथा सहायता अनुदान पर प्राप्त/अर्जित ब्याज को अपनी आय के रूप में दर्ज किया। फलस्वरूप, इसका परिणाम ₹54.94 करोड़ प्रत्येक तक आय को अधिक तथा सरकार को वापसी योग्य अव्ययित अनुदान के प्रति वर्तमान देयताओं को कम बताए जाने में हुआ।

(सी) अन्य देयताएं

दो प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने माह फरवरी/मार्च 2019 के लिए बिजली/सुरक्षा/खरखाव प्रभारों तथा सम्पत्ति कर हेतु ₹2.74 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था। इस प्रकार, उन्होंने अपने व्यय के साथ-साथ वर्तमान देयताओं को ₹2.74 करोड़ प्रत्येक तक कम बताया।

(डी) वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम: ₹5126.42 करोड़

2018-19 के दौरान केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी विभागों/अभिकरणों से प्रायोजित/परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन के कारण प्राप्त की गई ₹4.90 करोड़ की राशि को लेखे में नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप, संस्थान ने अपनी वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों के साथ-साथ वर्तमान देयताओं (बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु जमा) को ₹4.90 करोड़ प्रत्येक तक कम बताया।

6. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद**शैक्षणिक व्यय: ₹63.64 करोड़**

एमएचआरडी द्वारा केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु निर्धारित वित्तीय विवरणियों के प्रारूप के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों (ई-जर्नल) को पूंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है तथा मूल्यहास का 40 प्रतिशत की उच्च दर पर प्रावधान किया गया है। तथापि, संस्थान ने पत्र-पत्रिकाओं तथा डाटाबेस के प्रापण (ई-सामग्री के रूप में प्रापण की गई) पर किए गए कुल ₹8.29 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किए जाने के बजाय इसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने इसके लिए कोई लेखांकन नीति भी तैयार नहीं की है। इसका परिणाम, ₹8.29 करोड़ तक शैक्षणिक व्ययों के अधिक बताए जाने, ₹4.97 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने, ₹3.32 करोड़ तक मूल्यहास के कम बताए जाने तथा ₹4.97 करोड़ तक अधिशेष के अधिक बताए जाने में हुआ।

7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर**स्थायी परिसम्पत्तियां- मूर्त परिसम्पत्तियां: ₹557.92 करोड़**

संस्थान में विश्वकर्मा सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अस्थायी परिसर में 2008-09 से 2016-17 के दौरान निर्माण किए गए कुल ₹14.22 करोड़ के अस्थायी शेड हैं। अब संस्थान गांधीनगर में नई परिसर में चला गया है। 10.01.2017 को हुई बैठक में शासक मंडल

(बीओजी) ने विश्वकर्मा सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (वीजीइसी) को अस्थायी शेड सुपूर्द करने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि परिसम्पत्तियों की लागत की प्रतिपूर्ति संभव नहीं है तथा आईआईटी गांधीनगर को अपनी लेखा बहियों से कथित शेड को बट्टे खाते में डालना चाहिए। संस्थान ने इन परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते में नहीं डाला है तथा निर्धारित दरों पर मूल्यहास करना जारी रखा है। इस परिसम्पत्ति को बट्टे खाते में न डालने का परिणाम ₹10.99 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने में हुआ तथा परिणामस्वरूप मूल्यहास को कम बताया गया है तथा अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी

संस्थान ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 तथा उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधान नहीं किए हैं।

9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹1577.43 करोड़

इसमें प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित ₹59.25 करोड़ की परिसम्पत्तियां शामिल हैं जबकि इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व संबंधित प्रायोजक के पास रहा है। इसका परिणाम कोर्पस/पूँजीगत निधि तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के ₹59.25 करोड़ प्रत्येक तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

अन्य वर्तमान देयताएं: ₹77.34 लाख

उपरोक्त में विभिन्न मदों की खरीद पर व्यय किए जाने परंतु वर्ष के दौरान अदा न किए जाने से ₹1.99 करोड़ शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹1.99 करोड़ तक वर्तमान देयता एवं प्रावधानों के कम बताए जाने तथा उसी राशि तक कोर्पस निधि के अधिक बताए जाने में हुआ है।

11. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹47.98 करोड़

उपरोक्त में विकास प्राधिकरणों के पास क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि के आबंटन के लिए जमा किए गए ₹8.47 करोड़ शामिल हैं। भूमि का अधिकार अभि भी लिया जाना है। उपरोक्त राशि को ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधीन पूंजीगत लेखे पर शीर्ष अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹8.47 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के कम बताए जाने तथा इसी राशि तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने में हुआ है।

12. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹2180.16 करोड़

विश्वविद्यालय ने 2018-19 के दौरान जमा निर्माण कार्यों के प्रति सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में ₹164.15 करोड़ की राशि दी है; जिसमें से केवल ₹48.21 करोड़ के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय ने ₹164.15 करोड़ की पूर्ण राशि को अग्रिम के रूप में दर्शाने के बजाय इसे इमारत में परिवर्धन के रूप में शामिल किया। इसका परिणाम ₹115.94 करोड़ तक 'ऋण अग्रिम तथा जमा' के कम बताए जाने तथा इसी राशि तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने में हुआ।

13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

वर्तमान देयताएं: ₹17.33 करोड़

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2018 के माध्यम से बताया कि संसाधनों के आंतरिक सृजन (आईआरजी) की पूर्ति करने हेतु अनुदान के ऋणात्मक शेष को लेखा बहियों में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इसलिए संस्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए अतिरिक्त व्यय को आईआरजी से पूरा किया जाना चाहिए। संस्थान ने संस्वीकृत अनुदान से अधिक ₹3.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया है तथा इस राशि को ऋणात्मक शेष के रूप में अनुसूची 3 (सी) में दर्शाया है। इसका परिणाम ₹3.35 करोड़ तक वर्तमान देयताओं के कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक कोर्पस के अधिक बताए जाने में हुआ है।

14. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

स्थायी परिसंपत्तियां-मूर्त परिसंपत्तियां: ₹96.03 करोड़

कुल ₹2.88 करोड़ के आंतरिक सड़क एवं मार्ग के पुनः विकास अर्थात् जल निकासी एवं साइनेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया था तथा संस्थान को सुपूर्द कर दिया गया था। परंतु इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था तथा इसे कार्य प्रगति में, के अधीन दर्शाया गया था। इसका परिणाम ₹2.88 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने में हुआ है। परिणामस्वरूप मूल्यहास भी ₹5.76 लाख तक कम प्रभारित किया गया था।

15. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां : ₹372.15 करोड़

(ए) विश्वविद्यालय ने प्रगति में पूंजीगत कार्य से ₹8.44 करोड़ के निर्माण कार्यों को पूंजीकृत नहीं किया था जबकि यह पूर्ण हो चुके थे तथा वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय को सुपूर्द कर दिए गए थे। इसका परिणाम ₹8.44 करोड़ तक मूर्त परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने में हुआ है। परिणामस्वरूप, मूल्यहास भी ₹30.75 लाख तक कम प्रभारित किया गया था।

(बी) विश्वविद्यालय ने कुल ₹5.13 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जो पूंजीगत प्रकृति के थे। विश्वविद्यालय ने इस व्यय को प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण के रूप में दर्ज किया। इसका परिणाम ₹5.13 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्ति के कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक प्रशासनिक व्ययों के अधिक बताए जाने में हुआ है। परिणामस्वरूप ₹36.14 लाख तक मूल्यहास भी कम लगाया गया था।

16. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

प्रगति में पूंजीगत कार्य

(ए) संस्थान ने वर्ष 2018-19 के दौरान प्रयोगशालाओं हेतु ₹28.06 करोड़ की कीमत के विभिन्न उपकरण प्राप्त किए हैं। इन उपकरणों को वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सका था परंतु एम्स पटना ने इन परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के बजाए मूर्त परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया है तथा इन परिसम्पत्तियों पर ₹3.42 करोड़ का मूल्यहास प्रभारित किया है। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत प्रगति में

पूँजीगत कार्य को ₹28.06 करोड़ तक कम बताए जाने तथा मूल्यहास के साथ-साथ आय एवं व्यय से अधिक अतिरिक्त व्यय को ₹3.42 करोड़ तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

(बी) संस्थान ने चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर (पैकेज-1) के कार्य के संबंध में मध्यस्थ निर्णय के प्रति ₹7.44 करोड़ का भुगतान किया है तथा कथित भुगतान को स्थायी परिसम्पत्तियों (चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर) के बजाय अन्य प्रशासनिक व्ययों (अनुसूची-21) के अंतर्गत दर्शाया।

इसका परिणाम ₹7.44 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताये जाने तथा उसी सीमा तक अन्य प्रशासनिक व्ययों के अधिक बताये जाने में हुआ।

(सी) एम्स, पटना ने वर्ष 2006 में बिहार सरकार से ₹ एक की टोकन राशि पर 101.98 एकड़ भूमि प्राप्त की। तथापि, एम्स पटना ने टोकन धन सहित कथित भूमि को स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत नहीं दर्शाया है।

17. भारतीय हज समिति, बाम्बे

दावा न की गई देयता का प्रतिलेखन : ₹35.79 करोड़

उपरोक्त में श्रेणी के कम किए जाने के लिए वापसी के रूप में हज 2017 के तीर्थयात्रियों को वापस करने योग्य ₹27.95 करोड़ शामिल है। समिति ने गलती से इस राशि को दावा न की गई देयता का प्रतिलेखन के रूप में आय के रूप में दर्ज किया है। इसका परिणाम ₹27.95 करोड़ तक अधिशेष को अधिक बताए जाने के साथ वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान के संगत कम बताए जाने में हुआ है। इसके अतिरिक्त, अनुसूची 25 की नोट सं. 10 यह बताते हुए कि ₹35.79 करोड़ को प्रतिलेखित किया गया था क्योंकि दावा न की गई देयता 3 वर्षों से अधिक समय तक देय नहीं है, भी गलत है।

18. नागालैण्ड विश्वविद्यालय

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय: ₹5.02 करोड़

उपरोक्त में विभिन्न पूँजीगत निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय शामिल है परंतु उन्हें राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसका परिणाम ₹1.96 करोड़ प्रत्येक तक मरम्मत एवं अनुरक्षण को अधिक बताए जाने तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने में हुआ है।

19. हैदराबाद विश्वविद्यालय

(ए) प्रगति में पूंजीगत कार्य: ₹25.88 करोड़

इसमें नौ विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सीपीडब्ल्यूडी को ₹5.37 करोड़ की जमा शामिल है जिसके प्रति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 31 मार्च 2019 तक सीपीडब्ल्यूए-फार्म 65 में कोई व्यय सूचित नहीं किया गया था। इस राशि का अनुसूची 9- ऋण, अग्रिम एवं जमा के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा के रूप में लेखांकन करने के बजाए गलत प्रकार से इसको प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम ₹5.37 करोड़ तक प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा के कम बताए जाने में हुआ है।

(बी) ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹105.21 करोड़

इसमें चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेशों पर ₹2.52 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल नहीं है। इसका परिणाम ऋण, अग्रिम एवं जमा के साथ-साथ चिन्हित/अक्षय निधियों का ₹2.52 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

20. अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹195.59 करोड़

इसमें ₹3.20 करोड़ की राशि शामिल है जो विश्वविद्यालय द्वारा सृजित आंतरिक आय थी परंतु इसे प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत गलत प्रकार से वर्गीकृत किया गया। इसका परिणाम ₹3.20 करोड़ तक वर्तमान देयताओं को अधिक बताए जाने तथा आय को कम बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप घाटे को भी ₹3.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

21. मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद

नामित/चिन्हित/अक्षय निधियां : ₹17.69 करोड़

‘नामित/चिन्हित निधि-अन्य’ के संबंध में खर्च की गई अधिक राशि के कारण ₹3.01 करोड़ के ऋणात्मक शेषों का, इन राशियों की प्रतिपूर्ति हेतु निधियन अभिकरण/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राधिकरण तथा पुष्टि के बिना प्राप्य के रूप में ऋण, अग्रिम एवं जमा को अंतरण किया गया था। इसका परिणाम नामित/चिन्हित निधियों तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा को ₹3.01 करोड़ प्रत्येक तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

22. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारांगल**ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹172.57 करोड़**

इसमें जमा निर्माण कार्यों, जिसे सीपीडब्ल्यू फार्म 65 (मार्च 2019) के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्ण तथा सुपूर्द किया गया सूचित किया गया, पर किए ₹140.90 करोड़ का व्यय शामिल है जिसे स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसका परिणाम ₹140.90 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधिक बताए जाने तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ है।

23. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा**स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹158.23 करोड़**

₹152.54 करोड़ की कीमत की स्थायी परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूंजीगत निर्माणकार्यों से निर्माण कार्यों के समापन के पश्चात पूंजीकृत किया गया था। तथापि, ₹7.63 करोड़ के प्रति केवल ₹95.19 लाख के मूल्यहास का प्रावधान किया गया था। इसका परिणाम ₹6.68 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों तथा अधिशेष/पूंजीगत निधि का अधिक बताये जाने में हुआ।

24. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद**आय: ₹35.37 करोड़**

सीआरसी, नैल्लोर से संबंधित ₹77.78 लाख तथा ₹3.12 करोड़ के अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदानों, को आय एवं व्यय (आई एण्ड ई) लेखाओं में सहायता अनुदान में क्रेडिट की गई थीं। अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान को आई एण्ड ई लेखे में क्रेडिट करना लेखों के समरूप प्रारूप के नियम के उल्लंघन में है जिसमें यह बताया गया है कि मात्र सामान्य प्रायोजन हेतु प्राप्त अनुदानों को आई एण्ड ई लेखे में आय के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान को वर्तमान देयता के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। परिणास्वरूप अधिशेष/कोर्पस/पूंजीगत निधि को ₹3.90 करोड़ की सीमा तक अधिक बताया गया था तथा वर्तमान देयताओं को उसी सीमा तक कम बताया गया था।

25. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹134.69 करोड़**

अप्रयुक्त सरकारी अनुदानों पर अर्जित ₹2.38 करोड़ की ब्याज आय को अनुसूची 3 में अप्रयुक्त अनुदानों में जोड़ के रूप में दर्शाने के बजाय इसे विनिवेशों से आय के रूप में माना

गया था। इसका परिणाम ₹2.38 करोड़ तक वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों का कम बताए जाने तथा अधिक शेष को अधिक बताए जाने तथा कोर्पस/पूँजीगत निधि को संगत रूप से अधिक बताए जाने में हुआ है।

26. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान: ₹49.65 करोड़

इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बकाया व्ययों/वेतनों के बकाया/बिजली व्ययों आदि के भुगतान हेतु ₹1.78 करोड़ की ज्ञात देयताओं हेतु प्रावधान शामिल नहीं थे परंतु भुगतान 2019-20 के दौरान किया गया था। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को ₹1.78 करोड़ तक कम बताए जाने तथा कोर्पस/पूँजीगत निधि के उस सीमा तक अधिक बताए जाने में हुआ।

27. पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं उत्पादन संस्थान, जबलपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां-मूर्त परिसम्पत्तियां: ₹66.51 करोड़

₹71.42 करोड़ की कीमत के पूर्ण हुए निर्माण कार्य (व्यख्यान हॉल, आगंतुक होस्टल, नर्मदा रेजिडेंसी-II, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेस और डाइनिंग हॉल तथा बास्केटबाल कोर्ट) जिन्हें उपयोग में लाया गया है, उनको प्रगति में पूँजीगत कार्य के रूप में माना गया है। इसका परिणाम ₹66.18 करोड़ (₹71.42 करोड़ घटा मूल्यहास ₹5.24 करोड़) तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने तथा ₹71.42 करोड़ तक प्रगति में पूँजीगत कार्य को अधिक बताए जाने; तथा पूर्व अवधि व्ययों (मूल्यहास) को ₹3.81 करोड़ तक कम बताए जाने तथा व्यय (मूल्यहास) को ₹1.43 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

28. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल

अन्य आय: ₹14.29 करोड़

इसमें ₹8.00 करोड़ शामिल है जो कि एनएचडीसी लि. से “एम्स, भोपाल में केन्द्रीय उपकरण सुविधा” प्रदान करने के उद्देश्य हेतु निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु प्राप्त अंशदान था। यद्यपि निधियां 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त थीं फिर भी इसे आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹8.00 करोड़ तक आय के साथ-साथ आरक्षित एवं अधिशेष को अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं को उसी राशि तक कम बताए जाने में हुआ है।

29. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकता

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹94.74 करोड़

उपरोक्त शीर्ष को स्टाफ क्वार्टरों हेतु ₹1.36 करोड़ का अग्रिम तथा रूपलाल नन्दी स्मारक कैंसर अनुसंधान केन्द्र के मरम्मत कार्य हेतु ₹90 लाख को शामिल किए जाने के कारण चिन्हित निधि से अप्रयुक्त के रूप में राशि को दर्शाते हुए ₹2.26 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसका परिणाम चिन्हित निधि को ₹2.26 करोड़ तक अधिक बताए जाने में भी हुआ है।

30. भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हावड़ा

वर्तमान परिसम्पत्तियां: ₹117.94 करोड़

एमएचआरडी के दिनांक 25 अक्टूबर 2018 के अनुदेशों से विचलन करते हुए ₹15.21 करोड़ की राशि का आंतरिक प्राप्तियों से समायोजन करने के बजाय इसे प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था। इसका परिणाम, वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा कोर्पस/पूँजीगत निधि को ₹15.21 करोड़ प्रत्येक तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

31. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹534.90 करोड़

उपरोक्त में बंद प्रायोजित परियोजना तथा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-I एवं II से सृजित ₹19.92 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियां शामिल हैं। इन परिसम्पत्तियों के स्वामित्व को संस्थान को अंतरित नहीं किया गया था तथा इसे लेखाओं पर नोट्स में अलग से प्रकट करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ-साथ वर्तमान देयताओं को ₹19.92 करोड़ तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

32. भारतीय विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹850.43 करोड़

इसमें अप्रयुक्त अनुदान होने से ₹115.31 करोड़ की राशि शामिल है जिसे तुलन पत्र में वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹115.31 करोड़ की सीमा तक पूँजीगत निधि को अधिक बताए जाने के साथ उसी राशि तक वर्तमान देयताओं के संगत रूप से कम कथन में हुआ है।

33. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

(ए) पूंजीगत/कोर्पस निधि: ₹648.66 करोड़

एमएचआरडी द्वारा जारी वित्तीय विवरणियों के प्रारूप के अनुसार, उपयोग की गई सीमा तक योजनागत अनुदानों का पूंजीगत निधि को अंतरण किया जाना चाहिए तथा शेष को तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष के दौरान प्राप्त योजनागत अनुदान की पूर्ण राशि को पूंजीगत निधि के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम पूंजीगत निधि को ₹56.20 करोड़ तक अधिक बताए जाने के साथ वर्तमान देयताएं तथा प्रावधानों को संगत रूप से कम बताए जाने में हुआ है। इस गलत व्यवहार को पिछले वर्ष भी इंगित किया गया था।

(बी) नामित/चिन्हित/अक्षय निधि: ₹149.68 करोड़

जीपीएफ/सीपीएफ शेष

केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु एमएचआरडी द्वारा जारी वित्तीय विवरणियों के प्रारूप के अनुसार, जीपीएफ खाते तथा सीपीएफ खाते अंशदाताओं के स्वामित्व के हैं तथा इनको मुख्य लेखाओं में समेकित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, जीपीएफ तथा सीपीएफ खातों को एनआईटी, कालीकट के वार्षिक लेखाओं के साथ मिलाकर “नामित/चिन्हित/अक्षय निधि” को एनआईटी, कालीकट के वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-2 में जीपीएफ/सीपीएफ शेष होने से ₹32.28 करोड़ बताए जाने के साथ अनुसूची-5 नामित/चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश को संगत रूप से अधिक बताया गया है।

(सी) आय-अनुदानें/दान/अनुवृत्तियां: ₹182.56 करोड़

उपयोग की गई सीमा तक के अनुदानों को आय के रूप में माना जाना चाहिए तथा अप्रयुक्त अनुदानों को तुलन पत्र में एक देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹182.56 करोड़ की योजनागत अनुदानों की पूर्ण राशि को, अनुदान के उपयोग किए गए भाग को आय के रूप में तथा शेष को देयता के रूप में माने जाने के स्थान पर, आय के रूप में लिया गया था। संस्थान ने ₹137.36 करोड़ की गैर-योजनागत अनुदान का उपयोग किया है तथा इसलिए शेष को वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम आय को ₹45.20 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को उसी सीमा तक कम बताए जाने में हुआ है।

34. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली

सहायता अनुदान

संस्थान ने ₹50.01 करोड़ की राशि को 'प्राप्त सहायता अनुदान' के रूप में दर्शाया। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्राप्त ₹15.50 करोड़ तथा परियोजना (फार्माकोविजिलेंस) तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्राप्त ₹2.73 करोड़ के अनुदान शामिल हैं। इसलिए, पूंजीगत परिसम्पत्तियों तथा चिन्हित/अक्षय निधियों से संबंधित कुल ₹17.73 करोड़ के अनुदान को शामिल करने का परिणाम आय को अधिक बताए जाने के साथ-साथ 'व्यय से अधिक आय' को ₹17.73 करोड़ तक अधिक बताए जाने में हुआ। आगे, संस्थान ने ₹65.7 लाख की राशि को व्यय के रूप में शामिल किया जो फार्माकोविजिलेंस परियोजना से संबंधित थी। निधियों से किया गया व्यय विशिष्ट प्रायोजन के लिए हैं तथा इसे अनुसूची-3 (चिन्हित/अक्षय निधियां) के अंतर्गत प्रकट करना अपेक्षित है। इसका परिणाम ₹0.66 करोड़ तक व्यय को अधिक बताए जाने तथा देयताओं (चिन्हित/अक्षय निधियां) को कम बताए जाने में हुआ।

इस प्रकार, इसके कारण संस्थान का आय एवं व्यय लेखा ₹14.96 करोड़ के 'अधिशेष' से ₹2.11 करोड़ के 'घाटे' में बदल गया जैसा वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखाओं में दर्शाया गया है।

35. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी

शैक्षणिक प्राप्तियां: ₹1.03 करोड़

संस्थान द्वारा अपनाई गई अनुसूची XX की लेखांकन नीति सं. 2.1 के अनुसार, 2014-15 से पांच वर्षों के लिए शिक्षा शुल्क को कोर्पस निधि के भाग के रूप में माना जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के शिक्षा शुल्क का कोर्पस निधि में अंतरण किया गया है। अपनाई गई लेखांकन नीति एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के उल्लंघन में थी।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल ₹5.69 करोड़ के शिक्षा शुल्क को शैक्षणिक प्राप्तियों के अंतर्गत आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके पश्चात इसे संस्थान द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, कोर्पस निधि को अंतरित किया जाना चाहिए था। शिक्षा शुल्क को आय के रूप में लिए बिना इसका कोर्पस निधि को सीधे अंतरण का परिणाम चालू वर्ष की आय को ₹5.69 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

36. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹227.47 करोड़

अनुमोदित लेखा प्रारूप के अनुसार, गैर-आवर्ती अनुदानों का उपयोग किया गया भाग पूंजीगत निधि के अतिरिक्त प्रकट होना चाहिए तथा इन अनुदानों का अप्रयुक्त भाग पूंजीगत देयताओं के रूप में प्रकट होना चाहिए। संस्थान गैर-आवर्ती अनुदानों के कुल ₹25.52 करोड़ के अप्रयुक्त भाग को दर्ज करने के बजाए प्राप्त गैर-आवर्ती अनुदानों की कुल ₹141.99 करोड़ की पूर्ण राशि को वर्तमान देयताएं में दर्ज कर रहा है। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को ₹116.47 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा पूंजीगत निधि को उसी राशि तक कम बताए जाने में हुआ।

37. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

स्टाफ भुगतान तथा लाभ- (स्थापना व्यय): ₹282.89 करोड़

एमएचआरडी द्वारा लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की नई प्रणाली निर्धारित करती है कि सेवानिवृत्ति लाभों पर देयता के प्रति प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखा बहियों में प्रावधान किया जाएगा। 'लेखाओं को टिप्पणियां' के नोट सं.8 के अनुसार, ₹1192.09 करोड़ (छुट्टी वेतन-₹87.97 करोड़, उपदान-₹96.70 करोड़ तथा पेंशन-₹1007.42 करोड़) के सेवानिवृत्ति लाभों पर देयता का वार्षिक लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि एमएचआरडी ने सेवानिवृत्ति लाभों को पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया था।

सेवा निवृत्ति लाभों के गैर-प्रावधान का परिणाम पूंजीगत निधि को अधिक बताने के अतिरिक्त वर्तमान देयताएं एवं प्रावधानों को कम बताने और ₹1192.09 करोड़ तक आय से अधिक व्यय में हुआ है।

38. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग

वर्तमान परिसम्पत्तियां

उपरोक्त में मेघालय स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएचआईएस) के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के प्रति संस्थान द्वारा बीमा कम्पनियों से प्राप्य ₹2.05 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसके गैर-प्रावधान का परिणाम वर्ष के लिए आय तथा वर्तमान परिसम्पत्तियां-प्राप्य को ₹2.05 करोड़ प्रत्येक तक कम बताए जाने में हुआ है।

39. भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर

ऋण, अग्रिम एवं जमा

संस्थान ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर ₹24.70 करोड़ का अधिक व्यय किया था तथा इस अधिक व्यय को, मंत्रालय की संस्वीकृति के बिना, प्राप्य अनुदान के रूप में दर्शाया गया था। संस्थान को इस अधिक व्यय को सामान्य निधि से समायोजित करना चाहिए था। इसका परिणाम, ऋण, अग्रिम एवं जमा को ₹24.70 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा पूंजीगत निधि को उसी राशि तक संगत रूप से अधिक बताए जाने में हुआ है।

40. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

शुल्क/अंशदान

सभी शुल्क एवं अंशदान को अनुसूची 14-शुल्क/अंशदान के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। संस्थान ने भर्ती हेतु कुल ₹1.01 करोड़ के आवेदन शुल्क को देयता के रूप में दर्शाया है। इस शुल्क को आवेदकों को वापस नहीं किया जाना था। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं को ₹1.01 करोड़ तक अधिक बताए जाने के साथ-साथ अधिशेष को उसी राशि तक कम बताए जाने में हुआ है।

41. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची

वर्तमान परिसम्पत्तियां: ₹92.51 करोड़

विश्वविद्यालय की बहियों के अनुसार अधिक आहरित बैंक शेष को शीर्ष बुक ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया जाना था। तथापि विश्वविद्यालय ने ₹2.42 करोड़ के अधिक आहरित बहि शेष को 'बुक ओवरड्राफ्ट' के अंतर्गत प्रकट नहीं किया था। अनियमित व्यवहार का परिणाम शीर्ष बैंक शेष के अंतर्गत वर्तमान देयताओं तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों को ₹2.42 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

42. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनन विद्यालय), धनबाद

सुरक्षित ऋण: ₹36.53 करोड़

संस्वीकृति आदेश तथा एचइएफए के साथ ऋण अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, मूल राशि आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से 20 अर्धवर्षीय किस्तों में चुकाने योग्य है। पुनर्भुगतान ऋण के संवितरण की तिथि से छः महीनों पर प्रारम्भ होना है। संस्वीकृति पत्र आगे बताता है कि ऋण अनुबंध के हस्ताक्षर करने पर, एस्करो बैंक सं.-1, ₹13.47 करोड़ तथा

इसके पश्चात ऋण खाते को बंद किए जाने तक प्रत्येक माह समान राशि डेबिट करेगा तथा राशि को मूल पुनर्भुगतान खाते (एस्करो बैंक सं.-3) में प्रेषण करेगा। एस्करो बैंक खाता सं. 3 में ऐसी प्राप्त राशि का संस्थान के अनुदेश के अनुसार पहले लघु अवधि जमा में निवेश किया जाएगा तथा ऋण के पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि पर राशि को देय किस्त के प्रति विनियोजित किया जाएगा। एचडूएफए ने जनवरी 2019 में ₹50 करोड़ के ऋण की प्रथम किस्त का संवितरण किया।

संस्थान ने, अनुबंध के अनुसार, जनवरी 2019 में एस्करो बैंक खाता सं.1 से एस्करो बैंक खाता सं-3 में ₹13.47 करोड़ का अंतरण किया तथा एसटीडीआर में निवेश किया। परंतु वार्षिक लेखाओं में, लेन देन को अनियमित रूप से ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में लिया गया था; यद्यपि राशि को 31 मार्च 2019 को संस्थान द्वारा अनुरक्षित एस्करो खाता सं. 3 में लघु अवधि जमा में निवेश किया गया था। अनियमित व्यवहार का परिणाम सुरक्षित ऋण तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों को ₹13.47 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

43. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹48.52 करोड़

संस्थान ने वर्ष के दौरान शीर्ष पूंजी के अंतर्गत ₹17.04 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त किया तथा उसका अथ शेष ₹9.50 करोड़ था। ₹26.54 करोड़ की कुल अनुदान में से संस्थान ने शीर्ष पूंजीगत के अंतर्गत ₹11.64 करोड़ का व्यय किया। तथापि, ₹14.90 करोड़ की शेष राशि को मंत्रालय को वापसी योग्य के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसका परिणाम ₹14.90 करोड़ तक पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं को कम बताए जाने में हुआ है।

आगे, संस्थान ने ₹86.84 करोड़ की राजस्व अनुदान प्राप्त किया। इसमें से, संस्थान ने कुल ₹77.58 करोड़ का व्यय किया परंतु ₹9.26 करोड़ की शेष राशि को मंत्रालय को वापसी योग्य के रूप में नहीं दर्शाया था। इसका परिणाम ₹9.26 करोड़ तक आय को अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं को कम बताए जाने में हुआ है।

44. भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची

स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-4): ₹1565.86 लाख

संस्थान ने एचईसी, घुर्वा, रांची में नए परिसर के निर्माण हेतु आंबटित 60.04 एकड़ भूमि के मूल्य को तुलन पत्र की स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया था। लेखाओं के सामान्य प्रारूप के अनुसार भूमि के मूल्य को स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-VIII

(पैराग्राफ सं.1.10 (ए) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 2. | भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली |
| 5. | राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली |
| 6. | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 7. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली |
| 8. | राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली |
| 9. | राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली |
| 10. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली |
| 11. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 12. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 13. | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 14. | राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली |
| 15. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली |
| 16. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली |
| 17. | भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली |
| 18. | दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 19. | राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली |
| 20. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 21. | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 22. | भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली |
| 23. | भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली |
| 24. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली |
| 25. | भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 26. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली |
| 27. | केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 28. | केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली |
| 29. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 30. | केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 31. | केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 32. | भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली |
| 33. | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 34. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 35. | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली |
| 36. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 37. | भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली |
| 38. | भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून |
| 39. | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई |
| 40. | केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 41. | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 42. | राष्ट्रीय विकास बोर्ड, नई दिल्ली |
| 43. | क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद |
| 44. | विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली |
| 45. | गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद |
| 46. | कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद |
| 47. | राष्ट्रीय कोल्ड-चैन विकास केन्द्र, नई दिल्ली |
| 48. | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (नई दिल्ली, वलसाड, भुवनेश्वर, पटना, हैदराबाद एवं ग्वालियर) |
| 49. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली |
| 50. | नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 51. | राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए), वलसाड (2016-17) |
| 52. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड (एचक्यू), गुवाहाटी |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 53. | राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली |
| 54. | नेहरु स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली |
| 55. | नेहरु युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली |
| 56. | भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 57. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर |
| 58. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 59. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा |
| 60. | ऑरोविले फाउण्डेशन, ऑरोविले |
| 61. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 62. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 63. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 64. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम, त्रिची |
| 65. | पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी |
| 66. | राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई |
| 67. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि |
| 68. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 69. | केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड |
| 70. | रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 71. | बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 72. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू, वाराणसी |
| 73. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 74. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 75. | केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, आगरा |
| 76. | भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद |
| 77. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| 78. | रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी |
| 79. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रायबरेली |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 80. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी |
| 81. | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 82. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 83. | नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगिर |
| 84. | भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया |
| 85. | खुदा बक्श ऑरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना |
| 86. | महात्मा गांधी केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय, मोतिहारी |
| 87. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना |
| 88. | मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम |
| 89. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 90. | दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर |
| 91. | भारतीय हज समिति, मुम्बई |
| 92. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे |
| 93. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |
| 94. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारखाड़ |
| 95. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा |
| 96. | साउथ सेंट्रल जोन फॉर कल्चरल सेंटर, नागपुर |
| 97. | नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड |
| 98. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड |
| 99. | पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड |
| 100. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश |
| 101. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 102. | केन्द्रीय हिमालयीय प्रदेश सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 103. | उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 104. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (आईआईएसईआर), बरहमपुर |
| 105. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला |
| 106. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 107. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़) |
| 108. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल |
| 109. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 110. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 111. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 112. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 113. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 114. | गनी खान चौधरी इंजीरियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा |
| 115. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 116. | उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग |
| 117. | उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएच), शिलांग |
| 118. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग |
| 119. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 120. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा |
| 121. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 122. | हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 123. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 124. | अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 125. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 126. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 127. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति |
| 128. | योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा |
| 129. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तौड़ |
| 130. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति |
| 131. | भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापटनम |
| 132. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 133. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 134. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि |
| 135. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड |
| 136. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलवर्ग |
| 137. | डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 138. | भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली |
| 139. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 140. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 141. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 142. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना |
| 143. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 144. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत |
| 145. | कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर |
| 146. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 147. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ |
| 148. | जिला विविध सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ |
| 149. | भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ |
| 150. | मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर |
| 151. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर |

परिशिष्ट-IX

(पैराग्राफ सं. 1.10 (बी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2018-19 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद), नई दिल्ली |
| 2. | केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 3. | भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 5. | राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली |
| 6. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली |
| 7. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 8. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 9. | योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली |
| 10. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली |
| 11. | राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली |
| 12. | केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 13. | भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली |
| 14. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 15. | भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली |
| 16. | भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद |
| 17. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 18. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 19. | भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून |
| 20. | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 21. | क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद |
| 22. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली* |
| 23. | गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद |

* सीएसआईआर के अधीन आठ प्रयोगशालाओं ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 24. | कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद |
| 25. | राष्ट्रीय कोल्ड-चैन विकास केन्द्र, नई दिल्ली |
| 26. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली |
| 27. | नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (केन्द्रीय कार्यालयों के अलावा अन्य कार्यालय) |
| 28. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली |
| 29. | अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली |
| 30. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली |
| 31. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली |
| 32. | राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली |
| 33. | भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 34. | ललित कला एकेडमी, नई दिल्ली |
| 35. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडौदरा |
| 36. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर |
| 37. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 38. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 39. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर |
| 40. | ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले |
| 41. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 42. | जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी |
| 43. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कराईकाल |
| 44. | पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी |
| 45. | भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम |
| 46. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड |
| 47. | रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 48. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ |
| 49. | बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 50. | केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, आगरा |
| 51. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 52. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबेरली |
| 53. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर |
| 54. | मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज |
| 55. | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 56. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 57. | महात्मा गांधी केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय, मोतिहारी |
| 58. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना |
| 59. | झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची |
| 60. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईएसएम), धनबाद |
| 61. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 62. | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, हरिया, रांची |
| 63. | राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची-जमशेदपुर |
| 64. | मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम |
| 65. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 66. | दन्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर |
| 67. | महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा |
| 68. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बोम्बे |
| 69. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड |
| 70. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा |
| 71. | दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र- नागपुर |
| 72. | नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड |
| 73. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड |
| 74. | पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड |
| 75. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश |
| 76. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर |
| 77. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 78. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर |
| 79. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलई |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 80. | पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजायन एवं विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएमआईआईआईटीडीएम), जबलपुर |
| 81. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 82. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल |
| 83. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 84. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 85. | भारतीय इंजीरियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हावड़ा |
| 86. | राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन, कोलकाता |
| 87. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता |
| 88. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 89. | मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता |
| 90. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता |
| 91. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, दुर्गापुर |
| 92. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम |
| 93. | विश्व-भारती शांतिनिकेतन |
| 94. | पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता |
| 95. | एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता |
| 96. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता |
| 97. | नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी(एनईएचयू), शिलांग |
| 98. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 99. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 100. | हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 101. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 102. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 103. | भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, तिरुपति |
| 104. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि |
| 105. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्ग |
| 106. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 107. | डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 108. | भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली |
| 109. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 110. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 111. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ |
| 112. | संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोबाल, संगरूर |
| 113. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 114. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत |
| 115. | कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर |
| 116. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 117. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर |
| 118. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू |
| 119. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ |
| 120. | मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर |

परिशिष्ट-X

(पैराग्राफ सं. 1.10 (सी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2018-19 के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 1. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद), नई दिल्ली |
| 2. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली |
| 5. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली |
| 6. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली |
| 7. | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 8. | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली |
| 9. | केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 10. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 11. | भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली |
| 12. | केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 13. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 14. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 15. | भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून |
| 16. | क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद |
| 17. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली* |
| 18. | गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद |
| 19. | कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद |
| 20. | पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 21. | राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, नई दिल्ली |

* सीएसआईआर के अधीन आठ प्रयोगशालाओं की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 22. | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली |
| 23. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली |
| 24. | नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर |
| 25. | साहित्य अकादमी, नई दिल्ली |
| 26. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली |
| 27. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली |
| 28. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली |
| 29. | ललित कला अकादमी, नई दिल्ली |
| 30. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बड़ोदरा |
| 31. | गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर |
| 32. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर |
| 33. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 34. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 35. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर |
| 36. | एरोविल्ला प्रतिष्ठान, एरोविल्ला |
| 37. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 38. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करायकल |
| 39. | पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी |
| 40. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 41. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़ |
| 42. | रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 43. | बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 44. | प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर |
| 45. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ |
| 46. | केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा |
| 47. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 48. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली |
| 49. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी |
| 50. | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज |
| 51. | झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची |
| 52. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद |
| 53. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 54. | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची |
| 55. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची |
| 56. | मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम |
| 57. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 58. | महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा |
| 59. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड |
| 60. | राष्ट्रीय औद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई |
| 61. | नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड |
| 62. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड |
| 63. | उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड |
| 64. | राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश |
| 65. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर |
| 66. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 67. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर |
| 68. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई |
| 69. | पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएमआईआईआईटीडीएम), जबलपुर |
| 70. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 71. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 72. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकरासार |
| 73. | केन्द्रीय अभियांत्रिकी विज्ञान तथ प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर, हावड़ा |
| 74. | राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 75. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम |
| 76. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता |
| 77. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 78. | मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन केन्द्र, कोलकाता |
| 79. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता |
| 80. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 81. | विश्व-भारती शांतिनिकेतन |
| 82. | पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता |
| 83. | एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता |
| 84. | विक्टोरिया मेमोरिअल हाल, कोलकाता |
| 85. | उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, (एनईएचयू), शिलांग |
| 86. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 87. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 88. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 89. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 90. | अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 91. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति |
| 92. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर |
| 93. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरी |
| 94. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 95. | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैंगलोर |
| 96. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 97. | राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली |
| 98. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 99. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 100. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ |
| 101. | संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोवाल |
| 102. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 103. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 104. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर |
| 105. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 106. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर |
| 107. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू |
| 108. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ |
| 109. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ |
| 110. | केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, चोगलमसर, लेह-लद्दाख |
| 111. | मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर |

परिशिष्ट-XI

(पैराग्राफ सं. 1.10 (डी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जो अनुदानों की प्राप्ति/नकद आधार पर लेखांकन कर रहे हैं।

| क्र. सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|----------|--|
| 1. | राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली |
| 2. | लोक कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली |
| 4. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली |
| 5. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली |
| 6. | राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली |
| 7. | भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली |
| 8. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली |
| 9. | राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली |
| 10. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 11. | भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली |
| 12. | बेतवा नदी बोर्ड, झांसी |
| 13. | नर्मदा नियंत्रण, प्राधिकरण |
| 14. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी |
| 15. | भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 16. | भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली |
| 17. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली |
| 18. | गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली |
| 19. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारती |
| 20. | बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 21. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 22. | शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर |
| 23. | केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ |
| 24. | इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद |
| 25. | उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद |

| क्र. स. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 26. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 27. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), नोएडा |
| 28. | नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा |
| 29. | भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद |
| 30. | वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा |
| 31. | रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी |
| 32. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली |
| 33. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 34. | हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, गढवाल |
| 35. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर |
| 36. | राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून |
| 37. | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज |
| 38. | डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 39. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 40. | नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर |
| 41. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया |
| 42. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 43. | महात्मा गांधी केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय, मोतिहारी |
| 44. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना |
| 45. | दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार |
| 46. | खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना |
| 47. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 48. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ |
| 49. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड |
| 50. | पूर्वात्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड |
| 51. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ |
| 52. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 53. | पूर्वात्तर हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग |

| क्रं. स. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|----------|--|
| 54. | पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान |
| 55. | राजीव गांधी भीरतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग |
| 56. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अमरावती |
| 57. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा |
| 58. | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलूर |
| 59. | डॉ बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 60. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम |
| 61. | उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला |
| 62. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 63. | राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 64. | जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 65. | चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़ |
| 66. | तिब्बती कार्य तथा अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला |
| 67. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू |
| 68. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लेह-लद्दाख |

परिशिष्ट-XII

(पैराग्राफ सं. 1.10(ई) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया है

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद), नई दिल्ली |
| 2. | केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 3. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 5. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली |
| 6. | राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली |
| 7. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 8. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली |
| 9. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली |
| 10. | राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली |
| 11. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 12. | भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली |
| 13. | विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली |
| 14. | भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 15. | भारत दन्त आयोग, नई दिल्ली |
| 16. | भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली |
| 17. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली |
| 18. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- नई दिल्ली |
| 19. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली |
| 20. | केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 21. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 22. | केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 23. | केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 24. | भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली |
| 25. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली |
| 26. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 27. | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली |
| 28. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 29. | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली |
| 30. | केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 31. | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 32. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 33. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी |
| 34. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली |
| 35. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, नई दिल्ली |
| 36. | गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली |
| 37. | सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली |
| 38. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली |
| 39. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली |
| 40. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली |
| 41. | राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली |
| 42. | नेहरु युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली |
| 43. | राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 44. | भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 45. | ललित कला अकादमी, नई दिल्ली |
| 46. | सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत |
| 47. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 48. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर |
| 49. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 50. | ऑरोविले प्रतिष्ठान, ऑरोविले |
| 51. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 52. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची |
| 53. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 54. | शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई |
| 55. | राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई |
| 56. | गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, दिदिगुल |
| 57. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 58. | राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई |
| 59. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि |
| 60. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 61. | रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 62. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 63. | शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (एनआर), कानपुर |
| 64. | केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ |
| 65. | इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद |
| 66. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ |
| 67. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी |
| 68. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 69. | पूर्वी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद |
| 70. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ |
| 71. | केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा |
| 72. | नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा |
| 73. | नोएडा आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा |
| 74. | भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद |
| 75. | रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी |
| 76. | वी.वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 77. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली |
| 78. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 79. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर |
| 80. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की |
| 81. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी |
| 82. | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार |
| 83. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद |
| 84. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 85. | फाउंड्री एंड फोर्ज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची |
| 86. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची |
| 87. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 88. | शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (डब्ल्यूआर), मुम्बई |
| 89. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा |
| 90. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर |
| 91. | राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई |
| 92. | राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे |
| 93. | दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर |
| 94. | अली यावर राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान |
| 95. | दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर |
| 96. | पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड |
| 97. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), बराहमपुर |
| 98. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला |
| 99. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 100. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
| 101. | केन्द्रीय ओड़िशा विश्वविद्यालय, कोरापुट |
| 102. | स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, कटक |
| 103. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 104. | महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (एमएसआरवीवीपी), उज्जैन |
| 105. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल |
| 106. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल |
| 107. | पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकलन एवं विनिर्माण संस्थान, (पीडीपीएमआईआईआटीडीएम), जबलपुर |
| 108. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल |
| 109. | डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर |
| 110. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 111. | लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर |
| 112. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 113. | भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर, हावड़ा |
| 114. | गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), माल्दा |
| 115. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 116. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 117. | मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता |
| 118. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता |
| 119. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 120. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 121. | तेजपुर विश्वविद्यालय, असम |
| 122. | विश्व-भारती, शांतिनिकेतन |
| 123. | चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान(सीएनसीआई), कोलकाता |
| 124. | विक्टोरिया स्मारक भवन, कोलकाता |
| 125. | एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता |
| 126. | पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग |
| 127. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान(एनईआईएच), शिलांग |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 128. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग |
| 129. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 130. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारांगल |
| 131. | राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान, तिरुपति |
| 132. | राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति |
| 133. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति |
| 134. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 135. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 136. | राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (एमएएनएई), हैदराबाद |
| 137. | सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद |
| 138. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 139. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर |
| 140. | राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर |
| 141. | डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 142. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम |
| 143. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 144. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 145. | राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 146. | संत लॉगोबाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल, संगरूर |
| 147. | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू |
| 148. | तिब्बती कार्य एवं अभिलेखागार (पुस्तकालय), धर्मशाला |
| 149. | जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 150. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 151. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमोर |
| 152. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू |
| 153. | चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ |
| 154. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 155. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लेह-लद्दाख |
| 156. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना |
| 157. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक |
| 158. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र |
| 159. | उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला |
| 160. | मणिपुर विश्वविद्यालय |
| 161. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर |

परिशिष्ट-XIII

(पैराग्राफ सं. 1.10 (एफ) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिसने स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया था

| क्र.स. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|--------|---|
| 1. | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली |
| 2. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली |
| 3. | प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली |
| 4. | भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 5. | भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली |
| 6. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली |
| 7. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 8. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |

परिशिष्ट-XIV

(पैराग्राफ सं.1.10 (जी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने अपने लेखों को लेखापरीक्षा के परिणाम के पश्चात संशोधित किया

| क्र. सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|----------|--|
| 1. | केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 2. | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली |
| 3. | भारतीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, चेन्नई |
| 4. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, चेन्नई |
| 5. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची |
| 6. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 7. | प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई |
| 8. | राष्ट्रीय बहुद्व्यांगत जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई |
| 9. | गाँधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडिगुल |
| 10. | जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 11. | राष्ट्रीय अनुदेशात्तमक मीडिय संस्थान, चेन्नई |
| 12. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम |
| 13. | पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी |
| 14. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर |
| 15. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 16. | दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर |
| 17. | कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई |
| 18. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 19. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 20. | स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक |
| 21. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम |
| 22. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |

| क्र. सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|----------|---|
| 23. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 24. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 25. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरी |
| 26. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 27. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 28. | भारतीय विज्ञान संस्थान, कर्नाटक |
| 29. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक |
| 30. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ |
| 31. | राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर |

परिशिष्ट-XV

(पैराग्राफ सं. 1.11 का संदर्भ लें)

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित/पत्राचाराधीन की गई कार्रवाई टिप्पणियों (ए टी एन) की सितंबर 2020 को विस्तृत स्थिति

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|
| | | | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन |
| 1. | आयुष | 2018 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2. | परमाणु ऊर्जा विभाग | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2018 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 3. | जैव-प्रौद्योगिकी विभाग | 2018 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4. | विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 5. | संस्कृति | 2012 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2017 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | 2018 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6. | पेयजल एवं स्वच्छता | 2018 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7. | पृथ्वी विज्ञान | 2014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2018 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|
| | | | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन |
| 8. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन | 2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| | | 2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 9. | विदेश | 2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2018 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| 10. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2014 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 |
| | | 2018 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 11. | गृह कार्य | 2018 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 12. | शिक्षा/मानव संसाधन विकास | 2006 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2016 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| | | 2017 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| | | 2018 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 13. | श्रम एवं रोजगार | 2017 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 14. | विधि एवं न्याय | 2018 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 15. | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | 2018 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| | | | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचाराधीन |
| 16. | योजना आयोग/नीति आयोग | 2018 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 17. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 2003 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2006 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 18. | युवा मामले एवं खेल | 2012 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | | 2015 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | | | 20 | 7 | 13 | 21 | 08 | 13 | 41 | 15 | 26 |

परिशिष्ट-XVI

(पैराग्राफ सं. 1.11 के संदर्भ में)

वर्षवार लंबित एटीएन

सितंबर 2020 तक बकाया की गई कार्रवाई टिप्पणियां
(विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र)

| क्र. सं. | यूटी का नाम | मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट | देय | अभी तक प्राप्त नहीं हुए | पत्राचारधीन |
|----------|---|----------------------------------|-----|-------------------------|-------------|
| 1. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 2018 | 2 | 2 | - |
| 2. | चण्डीगढ़ प्रशासन | 2018 | 4 | 4 | - |
| 3. | दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप प्रशासन | 2018 | 3 | 3 | - |
| 4. | लक्षद्वीप | 2014 | 1 | - | 1 |
| | | 2016 | 1 | - | 1 |
| | | 2018 | 1 | 1 | - |
| कुल | | | 12 | 10 | 2 |

परिशिष्ट-XVII

(पैराग्राफ 1.13 (तालिका-9) का संदर्भ लें)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अधिक भुगतान/अस्वीकार्य भुगतान से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|--|
| 1. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 4.27 | 4.27 | पंजाब राज्य सरकार तथा एफसीआई पर उनके अभिकरण, जिला कार्यालय (डीओ) लुधियाना में सीएमआर चावल के प्रापण पर बोरी की लागत के कारण ₹4.27 करोड़ की राशि। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 2. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 11.70 | 10.18 | केएमएस 2009-10 से केएमएस 2012-13 तक की अवधि के दौरान पंजाब राज्य सरकार तथा उनके अभिकरणों, एफसीआई, डीओ भटिंडा पर कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) के प्रापण पर मण्डी श्रम शुल्क के अंतर्गत अनलैडिंग एवं स्टैकिंग प्रभारों का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|--|
| 3. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | कम वसूली | 0.09 | 0.10 | एफसीआई, डीओ भटिंडा में राज्य अभिकरणों/चक्की वालों द्वारा अवमानक चावल को बदलने में विलम्ब के कारण बीआरएल को बदलने पर भण्डारण स्टैकिंग प्रभारों तथा भार प्रभारों की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए में प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 4. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | कम वसूली | अभ्युक्ति में परिमाणित नहीं किया गया | 16.72 | एफसीआई, डीओ भटिंडी में केएमएस 2008-09 की अंतिम दरों के शंशोधन पर भण्डारण प्रभारों की कम वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए में प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 5. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 1.71 | 1.71 | वर्ष 2016-17 के दौरान एफसीआई, आरओ पंजाब में बढ़े हुए थोक कीमत सूचकांक पर भण्डारण सह संभालन प्रभारों का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 6. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अन्तर राशि की गैर-वसूली | 7.32 | 12.03 | सीएमआर दरों को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप एफसीआई ने आन्ध्र प्रदेश राज्य सिविल आपूर्तियां निगम से अंतर राशि की वसूली नहीं की है। एफसीआई ने अंतिम लागत शीटों के आधार पर ₹1202.87 लाख की अंतर राशि का परिकलन किया तथा सीएमआर बिलों की वसूली की। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 7. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.19 | 0.23 | एफएसडी हाजिपुर, सीडब्ल्यूसी सिवान, बीएसडब्ल्यूसी छपरा एवं सीडब्ल्यूसी गरुल के डिपो प्रभारी द्वारा रिफिलिंग कार्य के अधिक प्रमाणीकरण के कारण ₹18.76 लाख के संभालन प्रभारों का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 8. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 2.14 | 0.87 | केएमएस वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्तियां निगम लि. (बीएसएफ एण्ड सीएस लि.) से सीएमआर के प्रापण हेतु 'समितियों को कमीशन' के प्रति ₹213.84 लाख का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 9. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.10 | 0.10 | एफसीआई डीओ, छपरा तथा हाजीपुर में सीएमआर के संभालन के कारण एचएण्डटी कान्ट्रेक्टर्स को ₹9.61 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 10. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 4.75 | 0.94 | केएमएस वर्ष 2010-11 से 2012-13 को दौरान एफसीआई, समस्तीपुर में सीएमआर की खरीद हेतु राज्य अभिकरण को ₹474.35 लाख का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|--|
| 11. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | कम वसूली | 0.04 | 0.03 | एफसीआई, डीओ बन्देर्देवा पर ठेकेदारों से ₹3.75 लाख के टीडीएस की गैर-कटौती। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन पर वसूली की है। |
| 12. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.15 | 0.28 | विभागीय श्रम को अधिक दर्ज किए जाने का परिणाम एफसीआई, डीओ धनबाद में ₹15.28 लाख के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की वसूली की है। |
| 13. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | कम वसूली | 9.12 | 2.24 | एफसीआई, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में नीजि दल के माध्यम से एमएसपी योजना के अंतर्गत धान के प्रापण पर दण्ड नहीं लगाना। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की वसूली की है। |
| 14. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 0.08 | 0.06 | एफसीआई, डीओ पूर्णिया में सीएमआर की खरीद हेतु राज्य सरकारी अभिकरण को कुल ₹7.71 लाख के ब्याज प्रभारों के प्रति अस्वीकार्य भुगतान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|------------------------|---|---|---|---|--|
| 15. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.01 | 0.01 | एफसीआई, डीओ मोतीहारी में दोगुना संभालन प्रभारों के प्रति ₹1.38 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 16. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 0.06 | 0.06 | एफसीआई समस्तीपुर में राज्य अभिकरणों से सीएमआर के प्रापण पर ₹6.20 लाख के ब्याज प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 17. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.03 | 0.03 | एफसीआई, डीओ, गुवाहटी में संभालन ठेकेदार को ₹3.11 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 18. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.26 | 0.12 | एफसीआई, डीओ मालदा में वैगन से खाधान्न के सीधे प्रेषण पर ₹25.79 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 19. | केन्द्रीय भण्डारण निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.09 | 0.05 | सीडब्ल्यूसी, आरओ पटना में संभालन ठेकेदार को ₹9.49 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 20. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.03 | 0.03 | एफसीआई, डीओ शिलांग में संभालन ठेकेदार को ₹3.40 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 21. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.28 | 0.12 | एफसीआई, डीओ मुजफ्फरपुर में समान खाद्यान्न बोरी के एकल प्रचालन के बजाए बहु संभालन प्रचालन अर्थात अपलेडिंग, रिफिलिंग तथा मानकीकरण के गलत विचार के कारण अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 22. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 0.04 | 0.02 | एफसीआई, डीओ मुजफ्फरपुर में राज्य अभिकरणों से सीएमआर के प्रापण पर ₹4.99 लाख के ब्याज प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 23. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 0.85 | 1.05 | राज्य सरकारी अभिकरणों द्वारा गेहूं संपूर्ण पर ₹85.33 लाख के अनलोडिंग प्रभारों की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 24. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अधिक भुगतान | 0.15 | 0.18 | ₹14.90 लाख के परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 25. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | कम वसूली | 2.32 | 0.18 | एफसीआई छत्तीसगढ़ तथा एमपी क्षेत्र में संचलनाधीन स्टॉक के प्रति एचएण्डटी ठेकेदारों से ₹2.32 करोड़ के दण्ड की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 26. | भारतीय खाद्य निगम | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | अस्वीकार्य भुगतान | 19.35 | 28.30 | श्योपुर केन्द्र (एमपी राज्य) में साईलो बोरी में लिए गए स्टॉक के संबंध में राज्य सरकारी अभिकरण (एमपीएससीएससी) को ₹19.35 करोड़ (2014-15 के लिए ₹10.92 करोड़ तथा 2015-16 के लिए ₹8.43 करोड़) के अग्रनयन प्रभार अदा किए गए थे जो अस्वीकार्य थे। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के पश्चात एमपी क्षेत्र में अदा किए गए अग्रनयन प्रभारों की समीक्षा एफसीआई द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। समिति ने ₹59 करोड़ के अस्वीकार्य अग्रनयन प्रभार भुगतान को सूचित किया जिसमें से ₹28.30 करोड़ की राशि की 2018-19 के दौरान एमपीएससीएससी से वसूली की गई थी। |

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

| क्रम. सं. | इकाई का नाम | प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग | अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान | लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि | लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई |
|------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| 27. | इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ओस्कॉम | परमाणु ऊर्जा विभाग | अधिक भुगतान | 0.34 | 0.34 | विलवणीकरण संयंत्र हेतु सिविल निर्माण के प्रति निर्माण कार्य के निष्पादन के संबंध नें जीएसटी की गलत दर को अपनाने का परिणाम गंजम पर आईआरईएल ओस्कॉम इकाई में जीएसटी के प्रति कुल ₹61.35 लाख की राशि के भविष्य में अधिक दायित्व सहित कुल ₹34.48 लाख की राशि के जीएसटी के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| 28. | इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ओस्कॉम | परमाणु ऊर्जा विभाग | कम वसूली | 0.19 | 0.23 | गंजम में आईआरईएल-ओस्कॉम इकाई में दल के कारण ईएमई की गैर-तैनाती के कारण एलडी को न लगाया जाना। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है। |
| कुल | | | | 65.66 | 80.48 | |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in